Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Prit) : 2350-0441

Shodh Chetna

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal Research Journal

Year : 10 Vol. - 4 (October to December, 2024)

ADVISORY BOARD

- Dr. Surya Naryan Gautam
  (Director, Research & Development, Eklavya University, Dahoh, M.P.)
- Prof. Ashish Khare *(University of Allahabad)*
- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Alok Singh *(Principal, KNI of Social Science, Sultanpur)*
- Prof. L.C. Chaudary *(HOD. Animal Nutrition IVRI, Barellei)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishtra *(TRS College, Rewa)*
- Prof. Dinesh Singh *(Education, UPRTOU, Prayagraj)*
- Prof. Ashok Kumar *(Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya)*
- Dr. D.N. Tripathi *(Retd. Sanskrit, D.S.P.G. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Prof. (Dr) Sheetla Prasad Verma
Head, Dept. of A.H. & Dairy Sceince,
Kulbhask¡r Ashram P.G. College, Prayagraj
Mob.: 9415645164

Chief Managing Editor

Sushil Kumar Kushwaha
Mob.: 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor

Harsh Kushwaha
Mob.: 9807520344

Sub Editors

1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh-Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa-M.P.)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT University, Jhunjhunu-Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa-M.P.)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa-M.P.)
6. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
7. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa-M.P.)
8. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa-M.P.)
9. Preeti Vishwak¡rma (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
10. Dr. Jeetendra Kumar Pandey (Govt. College, Nashtigawan, Rewa, M.P.)
11. Prof. Kalpana Mishra (Jawahar Lal Nehru College of Technology, M.P.)
12. Dr. (Smt.) Bhawana Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
13. Ram Kumar Arya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
14. Sheetal Surodhiya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
15. Smt. Nisha Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
16. Dr. Shrik¡nt Shukla (Govt. P.G. College, Amarpatan, Satna, M.P.)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issuesa will be released every year in (January to March)-Vol.-1, (Apr. to June) Vol.- 2, (July to Sept.) Vol.-3, (Oct. to Dec.) Vol.-4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहराराबाग, प्रयागराज सें प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, चक, जीरों रोड, प्रयागराज सें मुद्रित

(Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com, website : www.shodhchentna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज रहेगा।

G.H. PUBLICATION

Registered Office :

121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com, website : www.shodhchetna.com

Branch Office :

R.L. VISHWAK¡RMA

C/o Preeti Computer, Angoori Building, University Road, Rewa (M.P.)

LIST OF REVIEWERS

1. Prof. K.P. Chaudhary, Ag. Ext. (Aijol)
2. Dr. Vineet Verma, Mathematics (Lucknow)
3. Dr. Vikram Singh, Agronomy (Prayagraj)
4. Dr. Amitabh Dwivedi, Zoology (Prayagraj)
5. Dr. Bipin Kumar, Plant Pathology (Prayagraj)
6. Prof. Abhay Kumar Singh, Militry Science Principal, K.S. Saket P.G. College (Ayodhya)
7. Prof. Surya Narayan, Horticulture (Prayagraj)
8. Dr. Aradhana Kumari, History (Prayagraj)
9. Prof. Parvati Singh, H.Sc. (Prayagraj)
10. Dr. Praveen Singh, Chemistry (Prayagraj)
11. Dr. Arvind Verma, Agri. Engg. (Mathura)
12. Dr. A.K. Verma, Animal Nutrition (Bareilly)
13. Dr. Salimuddin Uddin Genetic & Plant Breeding (Prayagraj)
14. Dr. Shikha Verma, Education (Ayodhya)
15. Dr. Sandeep Singh Kashyap L.P.M. (Sant Kabir Nagar)
16. Dr. A.K. Rai, Agri. Eco. (Prayagraj)
17. Prof. Faizan Ahmed Political Science (Budaun)
18. Prof. Mansa Ram Verma, Sanskrit (Gonda)
19. Prof. Gyan Prak¡sh Verma Commerce (Meerut)
20. Prof. P.K. Pachauri, Physical Education (Prayagraj)
21. Dr. Vik¡s Singh, Physics (Prayagraj)
22. Prof. R.L. Pal, Agri. Chem. (Prayagraj)
23. Dr. Ratan Kumari Verma, Hindi (Prayagraj)
24. Dr. Deena Nath, Hindi (Prayagraj)
25. Dr. Vinay Kumar Singh Patel Sociology (Prayagraj)
26. Dr. Manvendra Verma Defence Studiesa (Prayagraj)
27. Dr. Hanuman Prasad Gupta, Law (Prayagraj)
28. Dr. R.B. Singh, Statistics (Meerut)
29. Dr. Arun Kumar Verma, Hindi (Pratapgarh)
30. Dr. Pramod Yadav, Librarary Science (Prayagraj)
31. Dr. Ramesh Kumar, Commerce(Ambedk¡r Nagar)

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें–

जी.एच. पब्लिकेशन

रजिस्टर्ड कार्यालय : 121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003
दूरभाष : 0532-2563028 मो.-9532481205
E-mail : ghpublication@gmail.com

शाखा कार्यालय : आर.एल. विश्वकर्मा द्वारा प्रीति कम्प्यूटर
अंगूरी बिल्डिग, रीवा (म.प्र.)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III - खण्ड 4
PART III – Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on eivdence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificatesa issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education/ Physical Education/Commerce/ Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	8	8

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Print) : 2350-0441

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि

SHODH-CHETNA

शोध-चेतना

A Peer-Reviewed & Reffereed
International Multifocal Research Journal
(Frequency - Quarterly)

में प्रकाशित माननीय शोधार्थियों के शोध-पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय/राज्य), महाविद्यालयों (शासकीय/अशासकीय), शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य बौद्धिक मठों, आश्रमों/शोध-संस्थानों के पुस्तकालयों में अनवरत् रूप से निःशुल्क भेजी जा रही है, जिससे इन शोध दृष्टियों से

'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'

का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

.... प्रकाशक

◆◆ आज ही आदेश करें ◆◆

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक-समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें-

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003 (उ.प्र.)

दूरभाष : 0532-2563028 मो.: 9532481205

E-mail : ghpublication@gmail.com

© ***Publishers***

Registration Fee	:	**Rs. 1500.00**
Single Copy (Individual)	:	**Rs. 250.00**
Annual Subscription (4 Issues)	:	**Rs. 1000.00**
Life Time Member Fee (Individual)	:	**Rs. 5000.00**
Life Time Member Fee (Institution)	:	**Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of :

G.H. Publication

Union Bank of India
Main Branch–Civil Lines, Prayagraj-3
A/c. 394301010122432
IFSC : UBIN0530271

Or

Phone Pay (M.) 9532481205
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. 394302010996632

Please Research Paper will be sent in our E-mail : ghpublication@gmail.com
&
Our Watsapp No.: 9532481205

Our Life Time Member of Shodh-Chetna Research Journal

1. Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajsthan
2. Kulbhashker Ashram P.G. College, Prayagraj (U.P.)
3. International Federation of Astrology and Spiritual Science & Recognised by Govt. of India and Shri Lank¡ (Chandigarh)
4. Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh (U.P.)
5. Baba Barua Das P.G. College Ambedk¡r Nagar (U.P.)
6. Elite Public B.Ed. Colleg, Palamu (Jharkhand)
7. Dr. Aditi Sakia M.D.K.G. College,Dibrugarh (Assam)
8. Dr. Poonam Mishra, T.R.S. College, Rewa (M.P.)
9. Dr. Jeetendra Kumar Pandey, Rewa (M.P.)
10. Dr. Shri Kant Shukla, Satna (M.P.)
11. Dr. Ram Kumar Arya, Chhatarpur (M.P.)
12. Prof. Sanjay Shank¡r Mishra, T.R.S. College, Rewa (M.P.)
13. Dr. Surya Narayan Gautam Eklovya University, Damoh (M.P.)

अनुक्रम

1.	**राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव ''स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना''** (छत्तीसगढ़ जनजातीय महिलाओं की स्थिति) डॉ. प्रेमलता एक्का	11-14
2.	**Osho and the Concept of Zorba the Buddha** Lavanya Kushwaha	15-18
3.	**धातु एवं काष्ठ शिल्प के अध्येयता : आदिकृतिकार विश्वकर्मा** डॉ. सुधा सोनी एवं अंजली सोनी	19-24
4.	**मध्यप्रदेश के राजनैतिक नवपरिदृश्य में महिलाओं की सहभागिता** क्रांति मिश्रा एवं डॉ. (श्रीमती) शशि त्रिपाठी[2]	25-29
5.	**सतना जिले की बहुउद्देश्यीय सिंचाई की परियोजनाएँ : एक भौगोलिक अध्ययन** मंगल प्रसाद एवं डॉ. ध्रुव कुमार द्विवेदी	30-43
6.	**संस्कृत साहित्य में पर्यावरण का महत्त्व** मनोज कुमार सिंह एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी	44-48
7.	**Role of Indian Constitution in Promoting Social Justice** Dr. Savita Mishtra	49-55
8.	**Architecture During Medieval India** Dr. Rajeev Kumar Singh	56-58
9.	**Nocturnal Enuresis in Children And Its Effective Treatment By Homoeopathic Medicine** Dr. Saroj Verma	59-62
10.	**महिलाओं के समक्ष धार्मिक चुनौतियाँ** डॉ. रतन कुमारी वर्मा	63-65
11.	**भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम और ऊदा देवी** डॉ. फ़ैजान अहमद	66-69
12.	**अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की खेल में सहभागिता एक अध्ययन** मनोज कुमार वाजपेयी एवं सुरेश चन्द्र राय	70-76
13.	**स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी रामकाव्य में अभिव्यक्त सामाजिक जीवन-मूल्य** डॉ. अंकुर श्रीवास्तव	77-83
14.	**त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में प्रशासन की भूमिका** रेखा नामदेव एवं डॉ. भावना साहू	84-89
15.	**The Use of Artificial Intelligence in Legal Research with Special Reference to its Criminal Liabilities** Dr. Harish Sharma & Snigdha Pandey	90-97

16.	**English Language Teaching in Chhattisgarh : Problems, Challenges & Remedial Measures** Bhupendra Kumar Patel	98-106
17.	**INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON POLITICAL OPINIONS : A GENDERED ANALYSIS OF PUBLIC PERCEPTIONS** Sunil Kumar TripathI & Dr. Praveen Tiwari	107-113
18.	**भारत में युद्ध और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध का एक ऐतिहासिक अध्ययन** नरेन्द्र कुमार, डॉ. सोनू सरन एवं डॉ. हरीश कुमार	114-120
19.	**समकालीन हिन्दी कहानी–एक अध्ययन** सुनील कुमार मिश्र एवं डॉ. प्रेमशंकर शुक्ला	121-124
20.	**पाण्डुलिपि निर्माण में सहायक सामग्री** महाजन लवलेश वसंतराव एवं प्रो. ऋषभ चन्द्र जैन	125-128
21.	**Human Resource Development and National Development Plan for Academic Libraries** Dr. Pramod Yadav	129-133
22.	**Sustainable development goals into the Integrating architecture curriculum: Experiences and perspectives** Smt. Nisha Pandey	134-144
23.	**Status of Public Libraries in Prayagraj : A Descriptive Study** Rooshi Srivastava & Dr. Shesh Mishra	145-154
24.	**भारतीय ज्ञान परम्परा अन्तगर्त हिन्दी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की भूमिका** डॉ. उमाशंकर स्वर्णकार	155-158
25.	**वेदानां सार्वकालिकत्वं साम्प्रतिकन्याय-व्यवस्थायामवदानचिञ्चनञ्च** शकुन्तला शुक्ला	159-165
26.	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वाणिज्य विषय पर पड़ने वाले प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन** डॉ. स्वाती सिंह	166-168
27.	**Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression : A Preventive and Remedial Framework** Kumari, Sarvesh & Dr. Suneel Chaudhary	169-177

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें–

जी.एच. पब्लिकेशन

रजिस्टर्ड कार्यालय : 121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003
दूरभाष : 0532-2563028 मो.-9532481205
E-mail : ghpublication@gmail.com

शाखा कार्यालय : आर.एल. विश्वकर्मा द्वारा प्रीति कम्प्यूटर
अंगूरी बिल्डिंग, रीवा (म.प्र.)

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 10th Oct. 2024
Paper Accepted : 20th Oct. 2024

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव ''स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना''

(छत्तीसगढ़ जनजातीय महिलाओं की स्थिति)

डॉ. प्रेमलता एक्का[1]

शोध-सारांश

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत हम आज राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के इतिहास से अवगत होते हुए (WRAI) White Ribban Alliance India को जानेंगे WRAI का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं के स्वस्थ जीवन शैली के विकल्पो और गर्भविस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों की पहुँच और उपलब्धता के बारे में शिक्षित करना है। इसी वजह से राष्ट्रीय मातृत्व दिवस को मनाया जाता है। 2003 में महिलाओं और WRAI नामक संस्था के प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मान्यता दी इस दिन को कस्तूरबा गाँधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। WRAI के अनुसार दुनिया भर में होने वाली लगभग 15 फीसदी मौतें मातृ समस्याओं के कारण ही होते हैं। 1980 का जो दौर था वो माह स्वास्थ्य के लिए एक समर्पित दिन की अवधारणा थी। भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर के बारे में बढ़ती चिन्ता से उभरी थी। इसके बाद 1991 में गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क WRAI जागरूकता बढ़ाओ और बेहतर मातृ स्वास्थ्य देखभाल की वकालत करने के लिए सक्रिय रूप में अभियान चलाता हैं। जिसमें 2003 से वर्तमान स्थिति तक भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मान्यता दी! यह दिवस महात्मा गाँधी की पत्नी और महिला सशक्तिकरण की उदाहरण कस्तूरबा गाँधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्तमान स्थिति में भारत सरकार द्वारा National Safe Motherhood Day (2004) के अनुसार प्रतिवर्ष दुनिया में तीन लाख के करीब गर्भवती महिलाएँ उचित देखभाल के अभाव में काल के गाल में समा जाती हैं। कई प्रकार के प्रयासों के बाद भी भारत में सलाना 44,000 महिलाओं की मौत हो जाती है मातृ मृत्युदर को कम करना बड़ी चुनौती है।

मुख्य शब्द–*सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, जनजातीय महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मान, आदिवासी महिलाओं का उत्थान, सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा, नारी सहायता केन्द्र, मातृत्व योजना।*

1. सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग), शासकीय महाविद्यालय, शिलफिली, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के बारे में मुख्य तथ्य यह है कि 2020 में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान लगभग 3,00,000 महिलाओं की मृत्यु के आँकड़े प्राप्त हुए थे, जिसमें भारत के साथ–साथ अन्य देशों को भी शामिल किया गया था, जिसमें आँकड़ों में यह दर्शाया गया है कि मातृ मृत्युदर दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। Centers for Disease Control and prevention (CDC) के नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ Statistic की सबसे हालिया रिपोर्ट में अमरीकी मातृ मृत्युदर प्रति 1,00,000 जन्म पर 32.9 मृत्यु बताई गई है।

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र के आँकड़ों की मानें तो Health and Wellness Control (HWC) टीम समय–समय पर शिविरों का आयोजन करती रहती है तथा लोगों को इस कार्यक्रम से अवगत कराती रहती है एवं उपचार, अनुपालन में सहायता करती और गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं आदि की देखभाल करती है तथा HWC टीम गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में जानकारी के लिए Medicaid Managed Care Plans (MCP) कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित की जाती है।

मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)

क्रमांक	वर्ष	मातृ मृत्यु अनुपात (भारत)
1.	2014 – 16	130
2.	2015 – 17	122
3.	2016 – 18	113
4.	2017 – 19	103
5.	2018 – 20	97

स्त्रोत : मातृत्व पुस्तिका 2014–2020

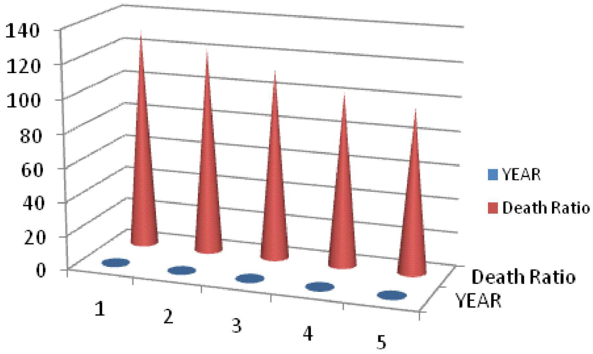

सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका के आधार पर यह आँकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्ष 2014–16 से लेकर 2018–20 तक के मृत्यु अनुपात के दर को दर्शाया गया हैं। ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि 2014–16 में जो महिला मातृ मृत्यु अनुपात थी वह 130 तथा 2015–17 में 122, 2016–18 में 113, 2017–19 में 103 तथा 2018–20 में मातृ मृत्यु दर अनुपात घटकर 97 में आ गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तुलना के आधार पर देखा जाए तो 2014–16 की अपेक्षा 2018–20 में अपेक्षाकृत अधिक कमी आई है।

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना क्या है?

Pradhan Mantry Matra Vandna Yojna (PM-MVY) एक केन्द्र प्रायोजित Direct Bonifit trancefer (DBI) योजना है। जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक या डाकघर के माध्यम से खाते में सीधे 5,000 की 3 किस्तों में नगद प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा माताओं को प्रदान कराई जाती है, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए Online फॉर्म भरे जाते हैं। जिसकी बिल्कुल सीधी प्रक्रिया होती है। जिसमें अधिकारिक बेवसाइड में जाकर अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करने के बाद OTP वेरीफाई होकर माताएँ आसानी से इस योजना का लाभ घर बैठे ले सकती हैं।

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का उद्देश्य

भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। हालाँकि मातृत्व दिवस को मनाने

की शुरुआत औपचारिक रूप से 9 मई, 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति तुड्रो विल्सन ने की थी। उस समय अमरीकी संसद ने कानून पास करके हर साल मई के महीने के दूसरे रविवार को मदर्स–डे मनाने का फैसला लिया था! किन्तु भारत में प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इस दिनांक को भारत के राष्ट्रपिता की धर्मपत्नी कस्तूरबा गाँधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना है तथा गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक देखभाल प्रदान करना तथा मातृ मृत्युदर को अधिक–से–अधिक कम करना था। जिन क्षेत्रों में महिलाओं को यह सुविधा राशि नहीं मिलती उन महिलाओं को उस योजना से अवगत कराकर उन्हें जागरूक बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

योजना का मुख्य लक्ष्य गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 2011 में भारत सरकार ने प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थियेटरों में मुख्य सुधार का लक्ष्य बनाया तथा मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (VHSND) ICDS के साथ मिलकर पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के प्रावधान के लिए केन्द्रों पर एक आउटचिट गतिविधि है। मातृत्व लाभ योजना का मुख्य लक्ष्य विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का भी प्रावधान किया गया है। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक गतिशीलता के साथ–साथ उच्च जोखिम, गर्भधारण को ट्रैक करने के लिए जागरूकता बनाने के लिए किया जाता है।

विषय विश्लेषण

सम्पूर्ण विषय का विश्लेषण करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभाव पर अनुकूल ही पड़ रहा है। किन्तु यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो कुछ राज्य इनसे अछूते हैं। क्योंकि लाभ से सम्बन्धित जो योजनाएँ सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, वह समस्त राज्यों में लागू तो होती है। जिस क्षेत्र में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती हैं, वहाँ तक यह योजनाएँ जल्दी नहीं पहुँच पाती। अतः यह कहा जा सकता है। कि यह बड़ी विडम्बना है कि जिनके लिए योजनाएँ लागू है। वही पिछड़े रह जाते है।

चाहे संगठित क्षेत्र से संलग्नित महिलाएँ हो अथवा असंगठित क्षेत्र से सभी कामकाजी महिलाओं हेतु मातृत्व लाभ का मुद्दा हमेशा से ही श्रम सुधारों का एक अहम् हिस्सा रहा है। दुनिया के कई देशों द्वारा इस सम्बन्ध में कानून बनाया गया हैं। यदि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के स्वास्थ्य की बात की जाए तो 2020–21 में कुछ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार 23.1 प्रतिशत महिलाएँ मानव बॉडी मास इन्डेक्स से कम स्तर पर हैं। 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में अनीमिया स्तर 60.8 प्रतिषत और गर्भवती महिलाओं में यह 51.8 प्रतिशत है।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलम्बन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री परिषद् द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में 'महतारी वंदना योजना' लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। जिसमें प्रदेश की महिलाएँ। योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन रही हैं। विवाहित तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के बीच

आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है तथा परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के वर्ष 2024–25 में समस्त आँगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार में 700 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पहले 2 संचालित योजनाओं को समाहित करते हुए और ''अंब्रेला योजना'' संचालित की जाएगी ताकि माताओं एवं बहनों को समान रूप से लाभ मिल सके।

स्थायी समिति का सुझाव

वर्ष 2007 में श्रम पर बनी स्थायी समिति द्वारा सुझाव दिया गया था कि सरकार का मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले खर्चों के आंशिक रूप से प्रायोजित करने हेतु एक कोश निधि निर्मित करनी चाहिए हालाँकि किसी भी सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई विशेष रुचि प्रकट नहीं की गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना–दृष्टि पब्लिकेशन, 6 फरवरी (2021–22)
2. विकास को समर्पित–योजना मासिक पुस्तिका, अक्टूबर 2021
3. भारतीय अर्थव्यवस्था– सहित्य भवन पब्लिकेशन
4. भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, सामान्य अध्ययन, लेखक–आनंद कुमार महाजन (यूथ कॉम्पिटिशन टाइम)
5. भारत में आर्थिक विकास एवं नीति–सहित्य भवन पब्लिकेशन

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 10th Oct. 2024 Paper Accepted : 20th Oct. 2024

Osho and the Concept of Zorba the Buddha

❐ Lavanya Kushwaha*

ABSTRACT

"Osho and the Concept of Zorba the Buddha" explores the fusion of Eastern spirituality and Western sensuality through Osho's philosophy. Central to this concept is the idea that true enlightenment transcends the dichotomy between the ascetic and the hedonistic. Osho, a prominent spiritual teacher, advocates for a holistic approach to life, encouraging individuals to embrace both their spiritual and earthly desires.The term "Zorba the Buddha" itself symbolizes this duality: Zorba represents the celebration of life's pleasures—joy, love, and creativity—while Buddha embodies deep meditation, awareness, and inner peace. Osho posits that a balanced existence requires the integration of these two aspects, allowing for a rich, fulfilled life that honours both the physical and the spiritual.Through this lens, the abstract delves into Osho's teachings on love, meditation, and the importance of living in the present moment. It examines how his views challenge traditional spiritual paradigms, inviting followers to reclaim their bodies and desires as integral to their spiritual journey. Ultimately, this synthesis aims to create a new kind of individual—one who is fully alive, deeply aware, and joyfully engaged in the dance of existence.

Introduction

The concept of "Zorba the Buddha," as articulated by Osho, represents a transformative vision that harmonizes the rich tapestry of human experience with the depths of spiritual awakening. In an age often marked by a stark divide between materialism and spirituality, Osho offers a compelling alternative—an invitation to embrace life in its entirety. He posits that to achieve true enlightenment, one must not reject the pleasures of the body and the joys of existence, but rather integrate them with a profound inner awareness.

Osho draws inspiration from both Eastern philosophy and Western culture, illustrating how the archetype of Zorba, the hedonistic protagonist from Nikos Kazantzakis' novel, embodies the zest for life that many spiritual seekers overlook. In contrast, the figure of the Buddha represents the pinnacle of spiritual attainment, marked by deep meditation and inner peace. By merging these two figures, Osho encourages individuals to celebrate their humanity while cultivating spiritual depth.

This introduction sets the stage for a deeper exploration of Osho's teachings, examining how

* Department of Philosophy, Atal Bihari Vajpayee Govt. of Arts and Commerce College, Indore
Email : lovey.k0000@gmail.com, Mob.: 7000737157

they challenge conventional notions of spirituality and advocate for a holistic approach to life. It invites readers to consider the possibility that true fulfillment lies not in choosing between pleasure and enlightenment, but in embracing both, allowing for a richer, more vibrant experience of existence. Through this lens, the journey toward becoming "Zorba the Buddha" unfolds as a path to authenticity, joy, and profound awareness.

1. The Origin of "Zorba the Buddha"

1.1 The Cultural Context

The term "Zorba the Buddha" was inspired by the character Zorba from Nikos Kazantzakis's novel *Zorba the Greek*, who epitomizes a zest for life, embracing sensory experiences, love, and joy. Osho juxtaposed this figure with Gautama Buddha, who represents spiritual awakening, inner peace, and enlightenment. The concept emerged during a time when traditional spiritual practices were often viewed as ascetic and detached from the realities of life. Osho sought to challenge these notions by advocating for a holistic approach to existence.

1.2 Osho's Philosophical Foundations

Osho's philosophy is rooted in a blend of various spiritual traditions, including Buddhism, Hinduism, Taoism, and Western psychology. He emphasized the importance of individual experience over dogma, advocating for a personal journey toward self-discovery. The idea of "Zorba the Buddha" encapsulates this synthesis, encouraging individuals to embrace both the physical and spiritual aspects of life.

2. Core Themes of "Zorba the Buddha"

2.1 Embracing the Material World

At the heart of "Zorba the Buddha" lies the recognition that the material world is not inherently contrary to spiritual development. Osho argued that enjoying life's pleasures—such as food, music, dance, and love—is essential for a fulfilled existence. He posited that denying oneself these experiences can lead to spiritual stagnation and inner conflict. Instead of renouncing the world, individuals are encouraged to celebrate it.

2.2 The Pursuit of Spiritual Enlightenment

While Osho emphasized the importance of engaging with the material world, he also underscored the significance of spiritual awakening. The "Buddha" aspect represents the quest for deeper understanding, awareness, and enlightenment. Osho advocated for meditation and self-reflection as tools for accessing higher states of consciousness. The synthesis of Zorba and Buddha encourages individuals to find balance, recognizing that spiritual growth can enhance one's appreciation of life.

2.3 The Rejection of Dualism

Osho's philosophy challenges the dualistic thinking that often pervades spiritual discussions. He proposed that life should not be seen as a battle between the spiritual and the material but as a unified whole. This perspective invites individuals to embrace contradictions and complexities, fostering a more authentic and holistic way of living. By integrating the sensuousness of Zorba with the tranquilty of Buddha, individuals can achieve a more profound and fulfilling existence.

3. Practical Implications of "Zorba the Buddha"

3.1 Meditation and Mindfulness

Osho's teachings advocate for meditation as a means of cultivating awareness and presence. By practicing mindfulness, individuals can learn to appreciate the present moment while engaging fully in life's experiences. This practice enhances one's ability to enjoy sensory pleasures without becoming attached or overly identified with them.

3.2 Celebrating Life Through Rituals

Osho emphasized the importance of rituals that celebrate life. His dynamic meditations and celebratory gatherings foster a sense of community and connection among individuals. Engaging in these rituals allows people to experience joy and ecstasy, merging the physical and spiritual dimensions of existence.

3.3 Transformative Relationships

In the context of relationships, "Zorba the Buddha" encourages individuals to seek

connections that honour both sensual and spiritual dimensions. Osho believed that authentic relationships are essential for personal growth and enlightenment. By fostering open communication and deep intimacy, individuals can create partnerships that reflect the harmony of Zorba and Buddha.

4. Critiques of Osho's Philosophy

While Osho's concept of "Zorba the Buddha" has resonated with many, it has also faced criticism. Some critics argue that his emphasis on sensory pleasures may lead to hedonism, undermining the discipline often associated with spiritual practice. Others contend that Osho's approach can dilute traditional spiritual teachings, leading to a superficial understanding of enlightenment.

4.1 The Balance of Pleasure and Discipline

Critics of Osho often emphasize the need for discipline in spiritual pursuits. They argue that without a commitment to inner work and self-regulation, individuals may become lost in the pursuit of pleasure. Osho countered this view by asserting that true discipline arises from the joy of living rather than fear or obligation. Nonetheless, this critique invites a deeper examination of how to maintain balance in the pursuit of a fulfilling life.

4.2 The Commercialization of Spirituality

Another criticism pertains to the commercialization of Osho's teachings. As his philosophy gained popularity, some argue that it became commodified, leading to a dilution of its original intent. This critique highlights the tension between the spiritual and the commercial, raising questions about authenticity in contemporary spiritual movements.

5. Contemporary Relevance of "Zorba the Buddha"

In today's fast-paced world, the philosophy of "Zorba the Buddha" holds significant relevance. Many individuals grapple with the challenge of integrating work, relationships, and personal growth in a society that often prioritizes productivity over fulfillment.

5.1 Mindfulness and Well-Being

The rise of mindfulness practices in contemporary society aligns closely with Osho's teachings. As people seek to cultivate awareness and presence in their lives, the integration of sensory experiences with spiritual practice becomes increasingly relevant. Osho's emphasis on enjoying life's pleasures while remaining mindful can provide valuable insights for those navigating modern challenges.

5.2 A Holistic Approach to Spirituality

The concept of "Zorba the Buddha" offers a holistic approach to spirituality that resonates with individuals seeking to transcend traditional boundaries. By embracing both the material and spiritual dimensions of life, individuals can foster a more authentic and fulfilling existence. This integration encourages a deeper exploration of what it means to be human in a complex and interconnected world.

Conclusion

Osho, the controversial spiritual teacher and philosopher, presents a unique synthesis of Eastern and Western thought, particularly through his concept of "Zorba the Buddha." This idea embodies the integration of the earthly, sensual pleasures represented by Zorba, a character from Nikos Kazantzakis's novel, and the spiritual transcendence embodied by the Buddha. Osho's vision encourages individuals to embrace both the material and the spiritual aspects of life, advocating for a holistic approach to existence that celebrates the fullness of human experience.

In concluding our exploration of Osho and the concept of Zorba the Buddha, we recognize that Osho's teachings challenge traditional dichotomies between body and spirit, pleasure and asceticism. He argues that true spirituality does not necessitate the renunciation of life's pleasures but rather invites individuals to experience and embrace them fully. This perspective calls for a radical acceptance of one's desires and instincts as integral parts of the spiritual journey. Osho posits that the modern individual can thrive by merging the joy of living

fully in the world with the depth of spiritual awareness.

The concept also serves as a critique of conventional religious practices that often emphasize denial and suppression of desires. Osho encourages a life where one can dance, celebrate, and revel in the beauty of existence while simultaneously pursuing deeper self-awareness and enlightenment. This duality of being—a joyful participant in life while seeking profound truths—reflects a mature understanding of human nature and the complexity of existence.

Osho's Zorba the Buddha is particularly relevant in today's context, where many people find themselves navigating the challenges of modern life while searching for spiritual fulfillment. The idea resonates with a growing movement toward mindfulness and holistic living, suggesting that individuals can seek enlightenment without renouncing the pleasures and experiences of the material world. By embodying both Zorba and Buddha, one can cultivate a life rich in experience, joy, and inner peace.

Ultimately, the integration of Zorba and Buddha serves as a guide for those looking to live authentically and fully. Osho's teachings remind us that enlightenment is not a distant goal to be achieved through hardship and sacrifice but rather a state of being that can be realized in the midst of everyday life. It invites us to celebrate our humanity while striving for spiritual growth, suggesting that the path to enlightenment is as much about embracing life as it is about seeking transcendence.

In essence, Osho's Zorba the Buddha invites us to reclaim the joy of living while pursuing spiritual depth. It challenges us to explore the richness of life without fear or guilt, emphasizing that the journey toward self-realization is as vibrant and fulfilling as the destination itself. As we reflect on Osho's teachings, we are reminded that the true essence of life lies in the balance of these two aspects: the dance of joy and the quest for meaning, creating a harmonious existence that celebrates the fullness of what it means to be human.

References

- Osho. (1991). *Zorba the Buddha*. Osho International Foundation.
- Kazantzakis, N. (1952). *Zorba the Greek*. Simon & Schuster.
- Osho. (1994). *The Book of Wisdom*. Osho International Foundation.
- Osho. (2007). *The Art of Living and Dying*. Osho International Foundation.
- Osho. (2009). *Meditation: The First and Last Freedom*. Osho International Foundation.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 10th Oct. 2024
Paper Accepted : 20th Oct. 2024

धातु एवं काष्ठ शिल्प के अध्येयता : आदिकृतिकार विश्वकर्मा

डॉ. सुधा सोनी[1]
अंजली सोनी[2]

शोध-सारांश

शिल्प जगत् में अभिनव पहल और क्रांति का उद्भव आदिकाल से ही प्रभावी रहा है। पुराणों एवं मिथक ग्रन्थों में शिल्प के आदिपुरुष विश्वकर्मा बताये गये हैं। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के तकनीकी निर्माण को गति मिली। जिनमें आकर्षण था, प्रेरणा थी और उच्च तकनीक थी। ये तकनीक जीवन संदर्भ के विभिन्न क्षेत्रों चाहे वह धार्मिक, सार्वजनिक स्थल हो, विभूषणकारी हो या अस्त्र–शस्त्र के रूप में हो, हर क्षेत्र में उच्च तकनीक का संतुलित समायोग कर मानव संस्कृति के विकास और विस्तार में नई प्रभावी गति के जनक आदिकृतिकार विश्वकर्मा रहे हैं। तकनीक क्षेत्र के प्रथम पुरुष होने के कारण उनकी अद्भुत क्षमता, विराट् चिंतन और विशिष्ट सकारात्मक, सृजनात्मक कार्यशैली के प्रणेता होने से उन्हें भगवान विश्वकर्मा के रूप में विभूषित किया गया। हिन्दू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था। इनकी ऋद्धि, सिद्धि और संज्ञा नाम की तीन पुत्रियाँ थीं, जिनमें से ऋद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ था तथा संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्यनारायण से हुआ था। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्वनीकुमार इनकी ही संतानें हैं।

मुख्य शब्द–*धातु, काष्ट, शिल्प, अध्येयता, आदिकृतिकार, विश्वकर्मा आदि।*

प्रस्तावना

वेदों के उल्लेख पर गौर करें तो ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त के नाम से 11 ऋचाएँ लिखी हुई हैं। जिनके प्रत्येक मन्त्र पर लिखा है, ऋषि विश्वकर्मा भौवन देवता आदि। यही सूक्त यजुर्वेद अध्याय 17, सूक्त मन्त्र 16 से 31 तक 16 मन्त्रो में आया है ऋग्वेद में विश्वकर्मा शब्द एक बार इन्द्र व सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है। परवर्ती वेदों में भी विशेषण रूप में इसके प्रयोग अज्ञात नहीं हैं, यह प्रजापति का भी विशेषण बन कर आया है।

परन्तु महाभारत सहित सभी पुराणकार आदि विश्वकर्मा मानते हैं। स्कंद पुराण प्रभात

1. प्राध्यापक इतिहास, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
2. प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र)

खण्ड के निम्न श्लोक की भाँति किंचित् पाठ भेद से सभी पुराणों में यह श्लोक मिलता है–

बृहस्पते भगिनी भुवना ब्रह्मवादिनी।
प्रभासस्य तस्य भार्या बसूनामष्टमस्य च।
विश्वकर्मा सुतस्तस्यशिल्पकर्ता प्रजापतिः।।16।।

महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना जो ब्रह्मविद्या जानने वाली थी, वह अष्टम् वसु महर्षि प्रभास की पत्नी बनी और उससे सम्पूर्ण शिल्प विद्या के ज्ञाता प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। पुराणों में कहीं योगसिद्धा, वरस्त्री नाम भी बृहस्पति की बहन का लिखा है। शिल्प शास्त्र का कर्त्ता वह ईश विश्वकर्मा देवताओं का आचार्य है, सम्पूर्ण सिद्धियों का जनक है, वह प्रभास ऋषि का पुत्र है और महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र का भानजा है, अर्थात् अंगिरा का दौहितृ (दोहिता) है। अंगिरा कुल से विश्वकर्मा का सम्बन्ध तो सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। जिस तरह भारत में विश्वकर्मा को शिल्पशास्त्र का आविष्कार करने वाला देवता माना जाता हे और सभी कारीगर उनकी पूजा करते हैं उसी तरह चीन में लु पान को दबाइयों का देवता माना जाता है। प्राचीन ग्रन्थों के मनन–अनुशीलन से यह विदित होता है कि जहाँ ब्रहा, विष्णु और महेश की वन्दना–अर्चना हुई है, वहीं भगवान विश्वकर्मा को भी स्मरण–परिष्टवन किया गया है। 'विश्वकर्मा' शब्द से ही यह अर्थ–व्यंजित होता है–

विशवं कृत्स्नं कर्म व्यापारो वा यस्य सः।

अर्थात् जिसकी सम्यक् सृष्टि और कर्म व्यापार है, वह विश्वकर्मा है। यही विश्वकर्मा प्रभु है, प्रभूत पराक्रम–प्रतिपत्र, विश्वरूप विश्वात्मा है। वेदों में विशवतः, चक्षुरुत, विश्वतोमुखो, विश्वतोबाहुरुत, विश्वस्पात कहकर इनकी सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, शक्ति–सम्पन्ता और अनन्तता दर्शायी गयी है। जनश्रुतियों के अनुसार कई विश्वकर्मा हुए हैं और आगे चलकर विश्वकर्मा के गुणों को धारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष को विश्वकर्मा की उपाधि से अलंकृत किया जाने लगा हो। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भी शिल्प संकायों, कारखानों, उद्योगों में भगवान विश्वकर्मा की महत्ता को प्राप्त करते हुए प्रत्येक वर्ष १७ सितम्बर को विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उत्पादन–वृद्धि ओर राष्ट्रीय समृद्धि के लिए एक संकलप दिवस है। यह जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान नारे को भी विश्वकर्मा दिवस के संकल्प में समाहित किये हुए है। यह पर्व सौरवर्ष के कन्या संक्रान्ति में प्रतिवर्ष 17 सितम्बर विश्वकर्मा–पूजा के रूप में सरकारी व गैर–सरकारी इंजीनियरिग संस्थानों में बड़े ही हषोल्लास से सम्पन्न होता है। लोग भ्रम वश इस पर्व को विश्वकर्मा जयंती मानते हैं। जो सर्वदा अनुचित है। भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा कन्या की संक्रांति (17 सितम्बर), कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा (गोवर्धन पूजा), भाद्रपद पंचमी (अंगिरा जयन्ती) मई दिवस आदि विश्वकर्मा–पूजा महोत्सव पर्व है। इन पर्वों पर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा–अर्चना की जाती है।

भगवान विश्वकर्मा जी की वर्ष में कई बार पूजा व महोत्सव मनाया जाता है। जैसे, भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा इस तिंथि की महिमा का पूर्ण विवरण महाभारत में विशेष रूप से मिलता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा–अर्चना की जाती है। यह शिलांग और पूर्वी बंगाल में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। अन्नकूट (गोवर्धन पूजा), दीपावली से अगले दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा–अर्चना (औजार पूजा) की जाती है। मई दिवस, विदेशी त्योहार का प्रतीक है। रूसी क्रांति श्रमिक वर्ग की जीत का नाम ही मई मास के रूसी श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को ऋषि अंगिरा जयन्ती होने से विश्वकर्मा–पूजा महोत्सव मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म तिथि माघ मास, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष, दिन रविवार का ही साक्षात् रूप में सूर्य की ज्योति है। जो माघ मास में साक्षात् रूप में भगवान विश्वकर्मा ने दर्शन दिये। श्री विश्वकर्मा जी का वर्णन मदहरने वृहद् वशिष्ठ पुराण में भी है–

माघे शुकले त्रयोदश्याँ दिवापुष्ये पुनर्वसौ।
अष्टा विंशति मे जातो विश्वकर्मा भवनि च।।

धर्मशास्त्र भी माघ शुक्ल त्रयोदशी को ही विश्वकर्मा जयंती बता रहे है। अतः ये दिवस भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा–अर्चना व महोत्सव दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसी तरह भगवान विश्वकर्मा जी की जयन्ती पर भी विद्वानों में मतभेद है जिसके कारण भगवान विश्वकर्मा जी की वर्ष में कई बार पूजा व महोत्सव मनाया जाता है। निःसंदेह यह विषय निर्भ्रम नहीं है। प्रभास–पुत्र विश्वकर्मा, भुवन–पुत्र विश्वकर्मा तथा त्वष्ठा–पुत्र विश्वकर्मा आदि अनेकों विश्वकर्मा हुए हैं। श्रुति का वचन है कि विवाह, यज्ञ, गृह–प्रवेश आदि कार्यों में अनिवार्य रूप से विशवकर्मा–पूजा करनी चाहिए–

विवाहदिषु यज्ञषु गृहारामविधायके।
सर्वकर्मसु संपूज्यो विशवकर्मा इति श्रुतम।।

स्पष्ट है कि, विश्वकर्मा पूजा जन कल्याणकारी है। अतएव प्रत्येक प्राणी के सृष्टिकर्त्ता, शिल्प कलाधिपति, तकनीकी ओर विज्ञान के जनक भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा–अर्चना अपनी व राष्ट्रीय उन्नति के लिए अवश्य करनी चाहिए।

वर्तमान में विश्वकर्मा समाज के नाम पर लोगों में अनेकों भ्रांतियाँ है कि विश्वकर्मा समाज के लोग कौन होते हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वजों के स्वर्णिम इतिहास को नहीं जानते। आज मैं कुछ उन बातों से सबको अवगत कराना चाहती हूँ जिससे विश्वकर्मा समाज के पूर्वज क्या थे, क्या करते थे और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत उनको किस नाम से पुकारा जाता था, पर प्रभावी जानकारी मिल सकेगी।

वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृति आदि) में जगह–जगह शिल्प व शिल्पी ब्राह्मणों का जिक्र आता है, जो गुरुकुल में आचार्य होते थे, यज्ञ के आचार्य होते थे। ये शिल्पी ब्राह्मण ही यज्ञ मंडप, यज्ञ के खम्भे व यज्ञ के अनेकों प्रकार के उपकरण बनाते थे, जिनका जिक्र वेद की सर्वानुक्रमणी में या वेद में ऋषि, देवता, छंद के बाद में दिया गया है। यज्ञ के अनेकों प्रकार होते हैं। वेद में कहा गया है कि, यज्ञ 21 प्रकार के होते हैं और उनके यज्ञ कुण्ड भी अलग–अलग प्रकार की ईंटों से बनाये जाते थे। यज्ञ के स्तम्भ भी ईंटों से बनाये जाते थे।

यज्ञिय पात्र (यज्ञ में इस्तेमाल होने वाले बर्तन व औजार, इनके चित्र पोस्ट के साथ डाले जायेंगे)। इन सभी पात्रों को यज्ञ के आचार्य शिल्पी ब्राह्मण ही बनाते थे। यज्ञिय विधान को जानने वाले आचार्य को इन सभी वस्तुओं के विषय में ज्ञान होना अनिवार्य था। आज कल यज्ञिय विधि में इन सभी कार्यों का परित्याग कर दिया गया, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। वेद में यज्ञिय विधि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यज्ञ जहाँ पर्यावरण को सुरक्षित बनाते हैं, वहीं यज्ञ विधि का सम्बन्ध सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से है। वेद में परमात्मा को भी यज्ञ कहा गया है। ''यज्ञो व विष्णु।'' यज्ञों का सम्बंध आयुर्वेद से भी है। पहले आयुर्वेदाचार्य आयु को बढ़ाने के लिये औषधि लेते थे तो साथ–साथ यज्ञ भी करते थे, उस समय वे जो औषधि लेते थे तो उन औषधियों को वे यज्ञ करते समय सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। इसीलिये उनकी आयु हजारों वर्ष की बन जाती थी। आज यह विधा विलुप्त हो गयी है। यज्ञ का बहुत बड़ा विज्ञान था जो शिल्पी ब्राह्मणों के बिना पूर्ण नहीं हो सकता था।

अरबों वर्षों से शिल्पी ब्राह्मण यज्ञों में इसी प्रकार की विशेषज्ञता व भूमिका अदा करते आ रहे थे। जिनके प्रमाण वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत व अब से कुछ समय पहले तक पाये जाते हैं कि शिल्पी ब्राह्मणों का स्थान वैदिक सभ्यता में बहुत ऊँचा होता था। महाभारत काल के समय ही सारा संसार दो ग्रुपों में बँट गया था–कौरव व पांडव। भारत आर्यों की मदर सभ्यता थी। आर्यों की व वेदों की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी, इसीलिये भारत का राजा ही अश्वमेध यज्ञ करता था। आर्य सारे संसार में थे, लेकिन सारी दुनिया के राजाओं का सम्बंध भारत से ही था। अश्वमेध यज्ञ में संसार

के सभी राजा आते थे, जो नहीं आता था उसे विद्रोही माना जाता था, जिसे सारी दुनिया के शासक मिल कर लाईन पर लाते थे। सबसे अंतिम अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था, जिसमें सभी देश के राजाओं ने भाग लिया था।

महाभारत काल के बाद इस यज्ञिय परम्परा का अन्त होना आरम्भ हो गया। जन्मेजय ने यज्ञ कराया जिसमें ब्राह्मणों में भी इस यज्ञ को लेकर मतभेद हो गया था। राजा जन्मेजय यज्ञ कराने पर अड़ा था जबकि आदि ब्राह्मणों ने कहा कि ये यज्ञ का उचित समय नहीं है, क्योंकि ये यज्ञ सफल नहीं होगा। ये सलाह आदि ब्राह्मणों ने राजा को दी थी। राजा नहीं माना तो आदि ब्राह्मणों ने यज्ञ करने से मना कर दिया। उस समय कोई भी ऋषि यज्ञ का ब्रह्मा नहीं बना, व्यास भी नहीं, तब जैमिनी ऋषि यज्ञ के ब्रह्मा बने और यज्ञ शुरू हुआ।

जब यज्ञ हो रहा था तो राजा को ऐसा भ्रम हुआ कि एक ब्राह्मण मग्नता मना रहा है। राजा ने उस ब्राह्मण का शीश धड़ से अलग कर दिया तो यज्ञ खण्डित हो गया। तब राजा को होश आया कि मेरे गुरु ने कहा था कि यज्ञ सफल नहीं होगा। तब जन्मेजय भारत को छोड़कर पश्चिम की तरफ गये और वहाँ जनमस्ती के नाम से एक नया राष्ट्र बनाया जिसे आज जर्मन के नाम से जानते हैं। (ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी) इसी समय ब्राह्मणों में दो फाड़ हो गये थे। जो आज तक है। इसमें और जहर घोलने का कार्य किया महावीर व गौतम बुद्ध ने, जिससे भारत का दर्शन ही विलुप्त हो गया। भारतीय प्राचीन इतिहास में तो इसे ब्राह्मण व क्षत्रिय युद्ध बताया है लेकिन सत्यता कुछ और है।

वास्तव में महावीर व बुद्ध के समय वेदों का विरोध आरम्भ हो गया। महावीर व बुद्ध ने वेदों को अपने सामने नहीं आने दिया जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग वेदों से दूर हुए तो नास्तिकता छाने लगी। महावीर व बुद्ध के बाद में इनके अनुयाइयों ने आगे चलकर सारा वैदिक साहित्य जला दिया। कुछ समय बाद संसार में शिक्षा के अभाव में अज्ञानता छाने लगी। ये वही समय था जब इन लोगों ने मंदिरों का निर्माण किया और उसमें नंगी मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा करवाने लगे। ये वही समय था जब वेदों के विरोध में नये—नये साहित्य रचे गये। रामायण व महाभारत को दुबारा लिखा और इनके पात्रों को भ्रष्ट कर दिया।

आज कल हम इन्हीं लोगों के साहित्यों को पढ़कर ही भ्रमित होते रहते हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं, जो वेदों के व परमात्मा के विपरीत रास्ता है। इन्हें ही वाम मार्ग के नाम से पुकारा जाता है। वाम—मार्गी वह होते हैं जो वेदों के व सत्य के विपरीत आचरण करते हैं। भारत पर इन वाम मार्गियों ने बुद्ध के बाद 150 वर्ष शासन किया और बहुत जुल्म ढाये। इसी दौरान पुराण लिखे गये। ये वेदों के विरोध में लिखे गये। इन्होंने ही यज्ञ में मांस डालना आरम्भ किया। इनका मत था कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये प्रकृति तो अनादि है, सदैव ऐसी ही रहती है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। इसीलिये आज सारी दुनिया में नास्तिकता पाई जाती है।

इसी को दूर करने के लिये शंकराचार्य व दयानन्द ने भारत में जन्म लिया जिनसे इन वाम—मार्गियों ने षडयंत्र किया। आज इन शिल्पी ब्राह्मणों का क्या कोई कर्त्तव्य नहीं है कि ये अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करें? कुछ लोग अपना राजनैतिक भविष्य तलाशने के लिये समाज को निरंतर नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग समाज को निचले स्तर पर ले जाकर राजनैतिक भूख मिटाना चाहते हैं। कुछ लोग तो इन वाम—मार्गियों की विचारधारा के बडे मार्ग—दर्शक बन के उभरना चाहते हैं लेकिन ये समाज उनको स्वीकार नहीं कर पा रहा है और न करेगा और न करना चाहिये।

सामाजिकरण का नियम है कि हमें उर्धवा की तरफ जाना चाहिये न कि नीचे की तरफ गिरना चाहिये। इस पर बुद्धिजीवियों को विचार अवश्य करना चाहिये। ऐसे बहुत से प्रमाण वैदिक साहित्य

में, रामायण, महाभारत व अब से कुछ समय पहले के साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, समरांगण सूत्रधार, आदि ग्रंथों व अनेकों ग्रंथों में पाये जाते हैं कि शिल्पी ब्राह्मण आदि काल से, अरबो वर्षों से समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते थे। यथा–शिल्पी ब्राह्मण यज्ञ के पुरोहित होते थे और उनकी पदवी ब्राह्मण के बराबर थी। ब्राह्मण व शिल्पी ब्राह्मण एक साथ रहते थे। यथा– पूर्व दिशा में क्षत्रिय, पश्चिम में शूद्र, उत्तर में शिल्पी ब्राह्मण व ब्राह्मण रहते थे।

चंद्रगुप्त के राज में शिल्पी ब्राह्मणों के न्याय मंदिर (कचेहरियाँ) अलग बनी होती थीं, शिल्पज्ञ ब्राह्मणों को यदि कोई दुःख पहुँचाता तो उसे कड़ा दंड मिलता, शिल्पी ब्राह्मणों की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्त्तव्य था। राजा अशोक के समय के जो इधर–उधर स्तम्भ मिलते हैं यह सब आर्य राजाओं के शिल्पियों के बनाये हुए हैं जो रामायण के कथनानुसार पुरोहित के समान सत्कार के अधिकारी थे और कौटिल्य ने जैसा कथन किया है कि वह क्षत्रिय व ब्राह्मणों के पड़ोस में रहते थे। यह लोग राजा के दरबारियों में रहते थे और ब्राह्मणों के समान इनकी भी विशेष रूप से रक्षा की जाती थी।

भरहुत व सांची के स्तूप उन शिल्पियों के बनाये हुए नहीं हैं जिन्होंने राजा अशोक के देव मंदिरों का निर्माण किया था। यह स्पष्ट है कि वह वैश्य व शूद्र नीची श्रेणी के शिल्पकारों के बनाये हुए हैं, इसी कारण इनकी बनावट निचले स्तर की है। अनार्य व आर्यों के कामों का मुकाबला करने पर पता चल जाता है कि किस श्रेणी के शिल्पकारों की कारीगरी है। बौद्ध व ब्राह्मण काल के इतिहास से पता चलता है कि शिल्प शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि आर्यों के ग्राम प्रतिष्ठा के समय स्थापत्य (शिल्पी ब्राह्मण) यज्ञ में आचार्य का आसन ग्रहण करते थे। कुछ लौहकार व काष्ठकार अभी तक भी दक्षिण भारत में इस आचार्य नाम को अपने साथ लगाते हैं।

शिल्पकारों के अधिकार विषयक यह शब्द लिखना जरूरी है कि वैदिक काल में यह प्रमाण मिलता है कि ऋषि स्वयं यज्ञ स्तम्भ व यज्ञ वेदी बनाते थे। राजा अशोक के समय शिल्पियों को दुःख पहुँचाने वालों को दंड दिया जाता था। भारतीय सभ्यता का यह नियम चला आ रहा है कि शिल्पकारों (शिल्पी ब्राह्मणों) के शिक्षा आदि विभाग में विशेष अधिकार थे, क्योंकि साधारण विद्वानों की अपेक्षा कला–कौशल निपुण ब्राह्मणों को अधिक मान–सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त थी। शिल्पकारी धंधा बाप–दादा के समय से इनके घरों में चला आता है। उच्चकुल हिंदू व सिंहली अपना निकास विश्वकर्मा से बताते हैं। वर्तमान समय में वह अपने को विश्वब्राह्मण कहते हैं और अपने स्वजातीय पुरोहितों से संस्कार कराते हैं और ब्राह्मणों की बराबरी के दावेदार हैं।

दक्षिण भारत के कलाकार ब्राह्मणों के बराबर ही नहीं ब्राह्मणों से भी उच्च होने के दावेदार हैं। पृष्ठ 79 पर कहा है कि, मूर्ति व प्राण प्रतिष्ठा के समय शिल्पी ब्राह्मण स्वयं ब्राह्मण का कार्य यज्ञ व पुरोहिताई करते थे। मूर्ति निर्माण करने का धंधा परम्परा से कम्मलार, स्थापत्य, विश्वकर्मा व रथकार कहाने वाली जाती करती है। पत्थर व धातु की देव मूर्तियाँ बनाने का काम स्थापत्य (शिल्पज्ञ ब्राह्मण) करते थे। विश्वकर्मा जाति के लोग वैदिक ब्राह्मण होने से शुद्ध व खरे ब्राह्मण हैं। वेदों में जो आर्य जाति का वर्णन मिलता है वह धातु कर्म के जानकार थे। ये लौह, तांबे, सोने के कार्य के साथ काष्ठ का कार्य भी करते थे।

प्राचीन प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जो इस समय तंजौर के पुस्तकालय में रक्खे हैं, उस ग्रंथ में पाँच प्रकार के शिल्पियों के पॉच वेद कहे गये हैं। जिसमें विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य से हुआ था (सातवें मन्वन्तर के मनु, इनके ही पुत्र हैं)। त्वष्ट्री, विश्वकर्मा, सुधन्वा, ऋभु पुत्र विश्वरूप आदि का उल्लेख है (ये सभी वेदों के ऋषि है)। फासबाल साहब महाभारत के आधार पर इंद्र के

द्वारा विश्वरूप के वध का अलंकारिक वर्णन है। ब्रह्मा को प्रजापति व विश्वकर्मा कहा है। (ये ही वेदों में कहा है) इसी ग्रंथ में विश्वकर्मा की दश भुजा दिखाते हुए, उसमें ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों शक्तियों को दिखाया है। शिल्प सागर पुस्तक के आधार पर विश्वकर्मा का एक आयुध, मान, दण्ड दिखाया गया है। जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मैकंजी ने किया, उसके पृष्ठ 103 पर किरात और अर्जुन की गाथा का वर्णन है जिसमें ईश्वर व अर्जुन के मध्य विश्वकर्मा को दिखाया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. गुरुराम मधुकर : ''सृष्टिकर्त्ता विश्वकर्मा का इतिहास–1972
2. लक्ष्मीकान्त असालिया : ''सृष्टिकर्त्ता विश्वकर्मा'' और उनसे जुड़े मिथक–1978
3. श्री अयोध्यानाथ चतुर्वेदी : ''श्री विश्वकर्मा पुराण'' प्रकाशक : मीतल एण्ड कम्पनी, सतघड़ा, मथुरा
4. पं. हनुमान प्रसाद शर्मा : 'श्री विश्वकर्मा महापुराण प्रकाशक : आनन्दं प्रकाशन (रजि.), कूँचा चेलान खारी बावली, दिल्ली–110006

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 10th Oct. 2024 **Paper Accepted : 20th Oct. 2024**

मध्यप्रदेश के राजनैतिक नवपरिदृश्य में महिलाओं की सहभागिता

❑ क्रांति मिश्रा[1]
❑ डॉ. (श्रीमती) शशि त्रिपाठी[2]

शोध-सारांश

महिला जागृति का नव परिदृश्य 18वीं शदी के उत्तरार्द्ध से प्रस्फुटित होता है। जिसकी संरचना मध्यकालीन भारत की रजिया सुल्तान, नूरजहाँ, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती जैसी प्रखरचेतना सम्पन्न नारियों ने परिस्थिति–जन्य कारणों से सक्रिय राजसंचालन में आकर एक नई पहचान बनाई, साथ ही समाज में एक प्रेरक मुकाम के रूप में संवर्धित हुईं। सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं की यह उपस्थिति इतिहासविदों एवं चिंतकों द्वारा अलग–अलग रूप से पारिभाषित की गई। कहा तो यहाँ तक गया कि महिला समाज में नवजागृत की पृष्ठभूमि पश्चिमी देशों में रची गई और वहाँ से प्रेरित होकर भारतीय महिलाएँ सक्रिय मंचों की ओर उन्मुख हुईं। पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि जिस दौर में यूरोपीय देशों में महिला अधिकारों के लिए क्रांतिकारी बिगुल बजा रही थीं और मान्य परंपराओं के समानान्तर एक नवीन जीवनदृष्टि लेकर उभरीं, परंतु भारत के 12वीं सदी से 18वीं सदी तक की राजनैतिक परिस्थितियों का आंकलन करें तो सहज ही लगता है कि यह दौर ऐसा था जब भारतीय चिंतन के पक्षधर जनमानस को समाज में यह स्वाभाविक स्वतंत्रता नहीं थी कि अपने जीवन को अपने तरीके से मान्य परपंराओं के अनुसार पल्लवित और पुष्पित कर सके। महिलाओं का अपहरण और जबरदस्ती उन्हें सत्ता–प्रमुख लोगों के सेविका के रूप में दासत्व स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता था तत्कालिक सत्ता–पुरुषों को ये अधिकार थे कि उनकी बात न मानने महिला और पुरुषों के हत्या के अधिकार भी उनके पास सुरक्षित थे। ऐसी स्थिति में महिलाओं की जागृति अटपटी और बेमानी लगती है। ब्रिटिश हुकूमत काल में नवसत्ता के उदय के साथ शिक्षा और स्वाभाविक मानवीय अधिकारों के प्रति महिलाओं को उत्प्रेरणा के संकेत मिलते हैं। नारी शिक्षा और उनके मौलिक अधिकार की चर्चा

1. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, जवाहर लाल नेहरू नीति शोध केन्द्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
2. प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

इसी दौर से प्रारंभ दिखी। इस शोध पत्र में उक्त बिन्दुओं को समाहित करने का अभिनव प्रयास है।

मुख्य शब्द–*मध्यप्रदेश, राजनैतिक, नवपरिदृश्य, महिलाओं, पृष्ठभूमि, पितृसत्ता, सहभागिता, सामाजीकरण आदि।*

प्रस्तावना

राजनैतिक नव–परिदृश्य में महिलाओं की सहभागिता की पृष्ठभूमि पर विवेचन करें तो इसके पीछे उदारवादी आन्दोलन की मुहिम प्रभावी मानी जा सकती है। जिसकी शुरुआत पश्चमी देशों से मानी जाती है। यूरोपियन विभिन्न राष्ट्रों के आन्दोलन से सबसे प्रवर युगदृष्टि अमरीका को मिली। जहाँ पर एक नव सामाजीकरण का चिंतन शुरू हुआ। अमरीका की चिंतन दृष्टि व्यक्ति पर नहीं, व्यक्तित्त्व पर रही। व्यक्ति कहाँ का है? कौन है? कैसा है? इन बिन्दुओं को अनदेखी करते हुए व्यक्ति क्या करता है की जगह क्या कर सकता है को वरीयता दी गई। जिस कारण अमरीका नव–जागृति के आयामों में प्रवर रहा इसी दौर में रूस में ही साम्यवाद का प्रयोग शुरू हुआ पर सामाजीकरण की दृष्टि से अमरीका ज्यादा मुखर और प्रभावी रहा। अट्ठारहवीं शती के बाद अमेरिका में उदारवादी आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। जॉन स्टुअर्ट मिल, हैरियट टेलर, मेरी उलनस्टोक्राफ्ट ने लॉक और रूसो के 'सामाजिक अनुबंध' की आलोचना करते हुए कहा कि यह स्त्री–पुरुष को समान अधिकार दिलाने में असफल रहा है। इन उदारवादियों ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था करनी चाही जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले। इस आंदोलन के चलते अमेरिका में 'समान अधिकार संशोधन बिल' तो पास हो गया लेकिन पति तब भी परिवार का मुखिया रहा और पत्नी को उसके अधीन रहना पड़ा।

उदारवादी नारीवाद का आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्त्ता बेट्टी फ्रीडा, बेला अबलेक्स और एलिजा बेथ हाऊसमैन आदि थीं। इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा गर्भपात का था जो उस समय की एक क्रांतिकारी माँग थी। अमेरिका में उदारवादी नारीवाद का आंदोलन केवल श्वेत वर्ग की स्त्रियों तक सीमित रहा, अश्वेत वर्ग की स्त्रियों को इसका लाभ नहीं मिला। तत्पश्चात् वामपंथी विचारधारा की शुरुआत हुई। दो–दो विश्वयुद्धों के बाद यूरोप एवं अमेरिका सामाजिक परिवर्तन की ओर रुख कर रहे थे। इसी समय 'सीमोन द बोउवा' की 'द सेकण्ड–सेक्स' प्रकाशित हुई, जो अपने समय की बड़ी क्रान्तिकारी विचारधारा वाली पुस्तक थी।

बोउवा का कथन था–'औरत पैदा नहीं होती, बना दी जाती है।' जूलियेट मिशेल का कहना था कि स्त्री मुक्ति संबंधी समग्र विचारधाराओं का स्त्रोत स्त्री का निजी जीवन है। मिशेल का प्रमुख नारा था 'दि पर्सनल इज पॉलिटिकल'। इन प्रबुद्ध स्त्रियों ने महिलाओं को अपनी खामोशी तोड़ने को कहा। इसी संदर्भ में शीला रोबाथम की पुस्तक 'हिडेन फ्राम हिस्ट्री' और एलेन सोवोलटा की 'ए लिटरेचर ऑफ देअर ओन' प्रकाशित हुई, इसके अनुसार स्त्री विमर्श का मुख्य मुद्दा पितृसत्ता नहीं अपितु पूँजीवाद है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी स्त्री ही पुरुष सत्ता को चुनौती दे सकती है।

परंपरा से हटकर नवीन परिदृश्य में महिलाओं को आभा बिखेरने का अवसर एक लम्बे समय के अंतराल के बाद ब्रिटिश हुकूमत काल में मिला। ब्रिटिश हुकूमत के स्थापना और विस्तार काल में भारत में सती प्रथा, बाल विवाह एवं बालिका हत्या जैसी प्रथाएँ प्रचलित थीं, जिसके चलते एक असहज वातावरण बनता था। ब्रिटिश हुकूमत में इन बातों पर गौर करते हुए भारतीय नवचिंतकों की माँग और अह्वान पर प्रशासनिक स्तर पर इन प्रथाओं पर रोक लगाने के अध्यादेश जारी हुए। जिस कारण लोगों के मन में भय और भ्रम का वातावरण

निर्मित होने लगा। भारत में नारी शिक्षा की नवीन शुरुआत इसाई मिशनरियों, ब्रिटिश सरकार एवं प्रगतिशील भारतीयों को दिया जा सकता है।[1] इसके पश्चात ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह आन्दोलन चला कर 1856 में एक बिल इस संदर्भ में पास कराया। 1850 में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने परमहंस मंडली बनायी और विष्णु शास्त्री पण्डित के सहयोग से एक पत्रिका भी निकाली। इन समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। पर्दा प्रथा का विरोध किया। प्रगतिशीलता पर ज्यादा ध्यान दिया।

प्रारम्भ में भारत में महिला मताधिकार नहीं था। केशवचन्द्र सेन आदि ने इस दिशा में स्तुत्य प्रयास किये। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने स्त्री समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए महिला शिक्षा पर कार्य किया। दयाननद सरस्वती ने कहा कि स्त्री–पुरुष समानता का आधार वैदिक है। दयानंद सरस्वती का आन्दोलन केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं था, अपितु इन्होंने सामाजिक स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित 'सत्यार्थ प्रकाश' उस समय की महिलाओं के लिए 'बाइबिल' एवं 'गीता' के समान पूजनीय थी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों से स्पष्ट है कि ये सामाजिक कार्यों द्वारा सुधार में विश्वास करते थे।

स्वामी विवेकानन्द भारत की अवनति का मूल कारण स्त्रियों की अविरत उपेक्षा में देखते थे। जिस जाति के धर्म शास्त्र, स्त्री–पुरुष में उस एक ही चेतन सत्ता के अस्तित्त्व की घोषणा करते हों, उसी जाति में स्त्री–पुरुष की स्थिति में इतने भीषण अन्तर को देखकर वे व्यथित हो उठे। स्त्रियों के उन्नयन के बिना देश की उन्नति का अन्य कोई मार्ग उनके अनुसार नहीं था। विश्व की सभी बड़ी जातियाँ स्त्रियों का सम्मान करके ही बड़ी बनी हैं। जिस जाति में, जिस देश में, स्त्रियों का सम्मान नहीं वह देश, वह जाति कभी बड़ी नहीं बनी और न कभी बन सकेगी।

नारी के विषय में विवेकानन्द का कथन था– ''किस शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि स्त्रियाँ ज्ञान, भक्ति की अधिकारिणी नहीं हो सकतीं? भारत के अवनति काल में जब ब्राह्मण पंडितों ने ब्राह्मणेत्तर जातियों को वेद पाठ का अनाधिकारी घोषित किया तो साथ ही उन्होंने स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिए। नहीं तो, वैदिक युग में, उपनिषद युग में, देख सकते हो– मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रातः स्मरणीया स्त्रियाँ ब्रह्मज्ञान में ऋषि तुल्य हो गयी थीं। इन सब महान स्त्रियों को यदि आध्यात्मज्ञान का अधिकार था तो स्त्रियों का वह अधिकार इस समय क्यों नहीं रहेगा?''[2] विकास की पहली शर्त वे स्वाधीनता को मानते हैं, स्वाधीनता के बिना उन्नयन संभव नहीं, देशाचार के घोर बंधनों ने स्त्रियों को प्राणहीन, स्पंदनहीन बना दिया है।

समय के साथ महिलाएँ धीरे–धीरे जागरूक होने लगी थीं और महिलाओं के लिए महिला संगठन बनने लगे थे। सबसे पहले पंडिता रमाबाई ने 'आर्य महिला समाज' नामक संगठन बनाया जिसने सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। इसके बाद 'भारत महिला परिषद' नामक संगठन बना जो आज भी स्त्रियों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। 'पारसी स्त्री जरथुस्ट्र मण्डल' नामक संगठन ने भी महिलाओं के अधिकार बढ़ाये जाने की माँग की। 1890 में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में सरला देवी चौधरानी ने 'भारत स्त्री महामण्डल' नामक संगठन बनाया जिसने परिवार में महिला की स्थिति पर विमर्श किया।

अन्य महिला संगठनों में सर्वप्रथम था, भारत महिला मंडल 1915 में डार्थी जिनराजदास ने इसकी कमान सँभाली। 1917 में इसका सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनीबेसेंट ने की। इस संगठन में महिला साक्षरता पर बल दिया गया। प्रशिक्षित करने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि में डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किया गया। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई। उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने का पुरजोर प्रयास किया गया। इसके पहले स्त्री शिक्षा के लिए महर्षि तपस्विनी

गंगाबाई ने कलकत्ता (अब कोलकाता) में महाकाली पाठशाला खोली। दक्षिण भारत में बहन सुबुलक्ष्मी ने बाल विधवा गृह की स्थापना की और भारत महिला संघ बनाया।

बाल विधवाओं की शिक्षा के लिए आई.सी.सी. हाउस की स्थापना की तथा वयस्क महिलाओं के लिए शारदा विद्यालय की। 1926 में एक अंग्रेज महिला 'मार्गरेट ई. कजिन्स' ने 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' की स्थापना कर नारी मुक्ति को आवाज दिया। उनकी अपील सुनकर कुछ महीनों में ही देश भर में इस संगठन की इकाइयाँ फैल गयी। 5 फरवरी, 1926 को बड़ौदा की महारानी 'चिम्मनबाई गायकवाड़' की अध्यक्षता में 'महिला सम्मेलन' के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय पैमाने का अधिवेशन आयोजित हुआ। महारानी बड़ौदा ने 1921 में 'पोजीशन ऑफ वीमेन इन इंडियन लाइफ' लिख कर पहली बार भारतीय महिला के दर्द को जो स्वर दिया, उसे सहज ही भुलाया नहीं जा सकता। इसी क्रम में भारत महिला संघ ने 1940 में 'रोशनी' पत्रिका निकाली। 1946 में इनका केन्द्रीय कार्यालय बना जो आज भी सक्रिय है। शारदा एक्ट बनवाने में इस संगठन की प्रमुख भूमिका रही।

क्रांतिकारी आंदोलन ने भी स्त्रियों को मुखर बनाया। बंगाल के चटगाँव रेड में कई महिला क्रांतिकारियों का सहयोग था। इसी केस में प्रीतिलता वादेदार मारी गई थी। शांति घोष एवं सुनिधि चौहान ने सुनवाई के दौरान गवर्नर पर गोलियाँ चलाई थीं। दुर्गा भाभी नामक स्त्री ने क्रांतिकारियों की काफी मदद की थी।

असहयोग आंदोलन ने महिला मुक्ति को मुख्य मुद्दा बनाया था। सर्वप्रथम इसी आंदोलन के कारण महिलाएँ घर की चारदीवारी तोड़कर बाहर आई थी। इस आंदोलन ने महिला की अबला छवि को नकार दिया था।[3] गांधी जी ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था क्योंकि वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि इससे किसी प्रकार से चारित्रिक पवित्रता बढ़ती है। इसके विपरीत स्त्रियों का व्यक्तित्त्व इससे विकसित नहीं हो पाता था।[4]

कांग्रेस ने भी महिला सहभागिता पर बल दिया। 1917 में एनीबेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इसके पश्चात् 1925 में सरोजनी नायडू तथा 1939 में नलिनी सेन गुप्ता इसकी अध्यक्ष बनी थीं। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा कि सिर्फ सहानुभूति से महिलाओं का विकास नहीं होने वाला है। उसके लिए उन्हें जमीनी लड़ाई लड़नी होगी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन एक तरह से महिलाओं की स्वाधीनता का भी आन्दोलन था। इस शताब्दी में जनमानस का एवं स्वयं नारी का भी अपने विषय में दृष्टिकोण बदला। वह अपने अधिकारों के लिए सजग हुई। विभिन्न आन्दोलनों से उत्पन्न हुई नवीन चेतना ने नारी को सचेत किया, इसीलिए इस युग को 'नारी जागरण युग' भी कहते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान महिलाओं की उक्त प्रस्थिति में परिवर्तन हेतु अनेक समाज सुधारकों ने आन्दोलन प्रारम्भ किये।

इनमें राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द विद्यासागर, रानाडे, महात्मा फुले, विष्णु शास्त्री और दयानन्द सरस्वती के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन आन्दोलनों को हम महिलाओं की प्रस्थिति के संदर्भ में सुधार आन्दोलन की संज्ञा प्रदान करते हैं। महिलाओं की समाज के संचालन में भूमिका हमेशा महत्त्वपूर्ण रही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप में हो। 19वीं शताब्दी में जिन महिलाओं ने पूरे साहस और उत्साह से हिस्सा लिया, उनमें प्रमुख थीं–रामाबाई रानाडे, आनन्दबाई जोशी और अन्य। इन्होंने महिला सुधार आन्दोलनों में महिलाओं को शामिल होने के लिए दिशा और मंच दिया। उनका यह संघर्ष अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत बना।

20वीं शताब्दी की शुरुआत में आजादी की लड़ाई के साथ ही देश को कई प्रबल महिला नेता मिलीं उनमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, दुर्गाबाई देशमुख, धनवन्ति रामाराव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी समय महिलाओं की संस्थाएँ भी शुरू हुई, जिनमें अखिल भारतीय महिला परिषद (1926)

वीमन्स कौंसिल (1920) तथा राज्य स्तरीय संगठन जैसे गुजरात में ज्योति संघ (1934) और महाराष्ट्र में हिन्दू वीमन्स रेस्क्यू सोसाइटी (1927) व रतन टाटा इंस्टीट्यूट (1938) प्रमुख है। (1917) से (1947) के बीच देश में कई महिला संगठनों का एक साथ उदय हुआ। इन सभी संगठनों की गतिविधियाँ भी विस्तृत थीं। इससे महिला नेतृत्व में और अधिक निखार आ गया था।[5]

नये दौर में महिलाओं की प्रभावशीलता को देखते हुए महिला उत्थान की गतिविधियों को भावनात्मक और सतर्कता से उठाया जाने लगा था। आजादी के राजनैतिक आंदोलन में महिलाओं के जुड़ जाने से महिलाओं को नई ताकत मिली थी। अब वे अपने उत्थान की लड़ाई का नेतृत्व स्वयं करने के काबिल हो गई थीं। इस तरह एक वास्तविक महिला आंदोलन शुरू हुआ। इन महिलाओं ने स्त्री–पुरुष समानता को अपने आंदोलन का विषय बनाया क्योंकि असमानता ही अब तक होने अत्याचारों और हिंसा की जड़ थी।[6] हालांकि, यह आंदोलन शुरू में देश के कोने–कोने तक नहीं पहुँचा और उच्च वर्ग की पढ़ी–लिखा महिलाएँ ही इसमें शामिल थीं। दूसरे यह आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इस तरह घुल–मिल गया था कि इसे अलग से देख पाना मुश्किल था। बीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक आते–आते तो देश में आजादी की लहर इतनी तीव्र हो गई थी कि किसी भी आंदोलन को अलग से उठा पाना न तो संभव था और न उचित ही था।

राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा महिलाओं को शामिल करने का श्रेय महात्मा गांधी को है। वह पहले जन–नायक थे, जिन्होंने एक संगठित आंदोलन में महिलाओं की ताकत और महत्त्व को बल दिया। खादी ने हमारे देश में समानता का एक ऐसा रिश्ता कायम किया जिसने गाँव की सीधी बुनकर महिलाओं को देश की उच्च व उच्च मध्यम वर्ग की महिलाओं से जोड़ा। गांधी जी के नतृत्व में महिलाओं ने ही सबसे पहले स्वदेशी अपनाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने लिए सिर्फ कपड़ों और गहनों का ही चुनाव न करें, बल्कि नई–नई गतिविधियों और एक नई जिदगी की भी तलाश करें।[7]

इस प्रकार से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 21वीं सदी के प्रवेश के साथ ही स्वदेशी आंदोलन के साथ की अत्यन्त पारम्परिक परिवारों की महिलाएँ भी घूँघट हटाकर बाहर आईं। उन्होंने दास, जाति प्रथा और वर्ग, पूर्वाग्रहों के खिलाफ उठाई। अस्पृश्यता निवारण के लिए भी महात्मा गांधी ने महिलाओं का ही सहारा लिया। मृणाल पांडे के अनुसार, कराची में, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय महिलाओं के लिए राजनैतिक समानता का प्रस्ताव पास किया। इस समय तक हमारी यूरोपीय बहनें वोट का अधिकार भी नहीं पा सकी थीं।'' सार्वजनिक जीवन में आने वाली इन महिलाओं ने अपने चिंतन और विचारधारा को काफी महत्त्व दिया। जिससे उनकी पहचान एक अलग विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में हुआ।

संदर्भ स्रोत

1. जे.एन. कारर्बुहार–'मार्डन रिजिजिएस मूवमेन्ट इन इण्डिया'–न्यूयार्क 1924
2. विवेकानन्द साहित्य, षष्ठ खण्ड, प्रथम संस्करण 1978
3. डॉ. कौशिक आशा : नारी सशक्तीकरण यथार्थ एवं विमर्श सेंटल पब्लिसिंग हाउस, इलाहावाद, 1992
4. डॉ. लावनिया एम. एस.–भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर 2006
5. डॉ. आई. एस. चौहान–भारत में सामाजिक परिवर्तन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 2001
6. हिन्दी नवजीवन गांधी जी का साप्ताहिक पत्र 10. 4.1930, महात्मा गांधी
7. खेतान प्रभा–नारी विमर्श की वास्तविक जमीन, वसुधा प्रगतिशील प्रकाशन, भोपाल, 2005

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 10th Oct. 2024 Paper Accepted : 25th Oct. 2024

सतना जिले की बहुउद्देश्यीय सिंचाई की परियोजनाएँ एक भौगोलिक अध्ययन

मंगल प्रसाद[1]
डॉ. ध्रुव कुमार द्विवेदी[2]

शोध-सारांश

भारत के कृषि पर निर्भर होने के कारण सिंचाई इसकी रीढ़ की हड्डी है। कृषि के उपयोग में आने वाली सामग्रियों बीज, उर्वरक, पादप संरक्षण, मशीनरी और ऋण के अतिरिक्त सिंचाई की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सिंचाई सूखी भूमि को वर्षा जल के पूरक के तौर पर जल की आपूर्ति की एक विधि है, इसका मुख्य लक्ष्य–आप्लावन और बारहमासी नहरों तथा बहु–उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा की जाती है। मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सतना जिले के किसानों के लिए नये साल की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। बाण सागर बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना के तहत अपर पुरवा एवं लोवर पुरवा नहर परियोजना का सबसे अहम् काम पूरा हो गया है। इसके लिए लघु सुरंग बनाने में बड़ी सफलता मिली है। इस सुरंग को दोनों तरफ से मिलाने के लिए जरूरी डे ब्रेकिंग या सुरंग मिलान का काम विगत दिनों पूरा कर लिया गया। जिससे सतना जिले में नहरों से सिंचाई के रकवे में वृद्धि हुई है। इन्हीं बिन्दुओं को इस शोध पत्र में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

***मुख्य शब्द*–।**

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश में मुंबई–हावड़ा रेल लाइन पर जबलपुर–इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के बीच स्थित सतना विंध्य प्रदेश का प्रवेश–द्वार कहा जाता है, अर्थात् विंध्य प्रवेश पर प्रथम जिला रेल मार्ग द्वारा होता है। इसके अलावा प्रसिद्ध तीर्थ चित्रकूट धाम सतना जिले में स्थित है। 20 मार्च, 2020 को मैहर को सतना जिले से अलग कर दिया गया। सितंबर, 2023 से विभाजन कार्यवाही शुरू की गई। विश्व–प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो आने के लिये भी अधिकांश पर्यटक सतना होकर ही आते हैं। इस जिले में रामवन, बिरसिंहपुर, कालिका मंदिर भरजुना, धारकुंडी आश्रम, मुकुंदपुर सफारी आदि स्थान भी लोगों के आकर्षण का केन्द्र हैं। तत्कालीन विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी, जिसके अंतर्गत सतना था। बघेल राजवंश के कारण राजघराने के

1. शोधार्थी, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
2. प्राचार्य, सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय, निराला नगर, रीवा (म.प्र.)

जमाने का प्रभाव कमोबेश आज भी सतना में देखने को मिलता है। रीवा राज्य के कई पुराने भवन आज किसी न किसी रूप में उपयोग हो रहे हैं और अपनी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं।[1]

सतना जिले का क्षेत्रफल 7,502 वर्ग किलोमीटर है। सतना जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश का 11वाँ जिला है। सतना जिला भौगोलिक दृष्टि से अक्षांश स्थित–23058′ से 25012′ उत्तर और देशांतर स्थिति 81^{0}21′ से 81^0 30′, पूर्व पर स्थित है। सतना जिले का गर्मियों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक एवं सर्दियों में 6 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर जाता है। जिले में 95 मिमी. तक सामान्य बारिश होती है।[2] इस जिले में मुख्य रूप से धान, गेहूँ, चना, सोयाबीन एवं प्याज आदि की खेती होती है। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में नन्दी शाला योजना, गोपाल पुरुस्कार योजना, गोकुल महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

सतना क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सतना संभाग का प्रमुखतम् नगर है। यह नगर मध्यप्रदेश के प्रमुख नगरों जैसे–भोपाल से 490 किमी., विश्व प्रसिद्ध हीरा की खदान पन्ना से 90 किमी. सांस्कृतिक एवं कला की अमूल्य धरोहर खजुराहो से 120 किमी., संभाग मुख्यालय सतना से 51 किमी., जबलपुर से 187 किमी. दूर स्थित है।[3]

जनसंख्या

2024 में सतना शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 396,000 है, जबकि सतना मेट्रो की जनसंख्या 400,000 होने का अनुमान है। भारत की जनगणना की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 2011 में सतना की जनसंख्या 280,222 थी। यद्यपि सतना शहर की जनसंख्या वर्ष 2011 में 280,222 थी; इसकी शहरी/महानगरीय जनसंख्या 282,977 थी।

सिंचाई की स्थिति

अब केवल एक–डेढ़ महीने के अंदर ही इससे पानी का वितरण किया जा सकेगा। इस परियोजना के पूरा होने पर रीवा जिले की पाँच तहसीलों और सतना जिले की दो तहसीलों के करीब 65 हजार हेक्टेयर जमीन तक पानी पहुँचेगा। इससे विंध्य क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ेगा। लगभग तीन लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

नई टनल से पानी का प्रवाह भी पहले की अपेक्षा ज्यादा होगा। इस बारे में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाणसागर बाँध का पानी बहुती नहर परियोजना में पहुँचाने के लिए छुहिया घाटी गोविंदगढ़ में बनाई जा रही जल सुरंग का निर्माण कार्य का अहम् हिस्सा यानी नहर के दोनों तरफ से पानी के लिए डे ब्रेकिंग का काम पूरा हो गया है। अब बाकी नहर में विस्तार और निकास के बाकी काम जल्दी ही पूरे करके पानी के वितरण को संभव बनाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को पूरा करने में बहुत सी समस्याएँ थी जिनका समाधान आपसी समन्वय और तकनीक से किया गया।

नहर और सुरंग सहित करीब 21 किलोमीटर तक पानी का प्रवाह 54 लाख क्यूबिक मीटर बना रहेगा। बाणसागर बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना रीवा–सतना जिले में ही नहीं पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है। इसने रीवा संभाग के सभी जिलों में खेती को उन्नत बनाने तथा फसलों का उत्पादन बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इस परियोजना से रीवा जिले में विकसित रकबे का दुगुना क्षेत्रफल विकसित होगा। अब तक जिले के 1.5 लाख एकड़ में ही सोन नदी का पानी पहुँचा है। जल संसाधन विभाग के विशेषज्ञों का दावा है कि सिंचाई की सुविधा बढ़ने से किसानों की तकदीर बदल जायेगी। खेती को उन्नत बनाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के अवसर भी बढ़ जाएँगे।

सतना जिले में सिंचाई परियोजनाओं को तीन भागों में बाँटा गया है–1. वृहद् सिंचाई परियोजना, 2. मध्यम सिंचाई परियोजना, 3. लघु

सिंचाई परियोजना।

1. वृहद् सिंचाई परियोजना

सतना जिले के आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सतना जिले के अंतर्गत कृषि मानसून पर आधारित है। इस स्थिति में वर्षा का असमान होना फसलों के उत्पादकों को प्रभावित करती है, इसलिए इस प्रकार के प्रभावों से बचाव के लिए जिले में सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया है, ताकि फसलों के उत्पादन के साथ–साथ उनकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जाए।

सतना जिले में बाणसागर परियोजना को विस्तृत बनाने के लिए इस परियोजना का सतना जिले में एक जाल फैलाया गया है, जिसके माध्यम से कई छोटी–बड़ी नहरों का भी निर्माण किया गया है। बाणसागर परियोजना के माध्यम से कृषि कार्य में वृद्धि तो की जा रही है, अपितु शुद्ध जल की आपूर्ति भी इस परियोजना के माध्यम से हो रही है। 'शुद्ध जल मिशन' योजना से रीवा संभाग में बड़े पैमाने नहरों का निर्माण कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत 05 विकासखण्डों के 1050 गाँवों में पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई, इसमें से 05 लाख 50 हजार से अधिक घरों में जल को पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। जिसको सफल बनाने के लिए सतना जिले के गोरसरी पहाड़ में बाणसागर से पानी ले जाने के लिए निरन्तर कार्य किया गया, तदुपरांत 15 जुलाई, 2023 में इसे सफलतापूर्वक बनाया गया, यह बाणसागर परियोजना शहडोल से निकलती हुई सोन नदी पर गोरसरी पहाड़ को बाँधकर बाणसागर बाँध का निर्माण किया गया है। यह एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है, जिससे सिंचाई विद्युत निर्माण, मत्स्य पालन, पर्यटन एवं परिवहन आदि उद्देश्यों को पूरा करते हुए 14 मई, 1978 से निर्माण प्रारंभ हुआ तथा 25 सितम्बर, 2006 में पूर्ण हुई, जिसकी अधिलंब क्षमता 47,742 घन मीटर प्रति सेकेण्ड है तथा इस बाँध की जल संचय की क्षमता लगभग 5.41 घन किलोमीटर मापी गई है। बाणसागर बाँध की ऊँचाई 67 मीटर तथा लम्बाई लगभग 1020 मीटर मापी गई है, जिसकी जल संचयन क्षमता 5.41 घन मीटर है। इस बाँध के कारण आस–पास के लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हैं, जिसमें प्रभावित गाँवों की संख्या 250,000 लोग अर्थात् 54,684 परिवार बाणसागर के जल से लाभान्वित होते हैं, जोकि सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति कर पाते हैं। साथ–साथ अन्य जल से संबंधित समस्याएँ दूर होती हैं, जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास आदि। बाणसागर बाँध के आस–पास जो क्षेत्र हैं, उनकी संभावनाएँ भी बनी रहती हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 587.54 वर्ग किलोमीटर है तथा आँकड़ों की मानें तो देखा जा सकता है कि इस बाँध के निर्माण के बाद लगभग 336 गाँव डूब चुके हैं।

मध्यप्रदेश में इस बाँध से जल का वितरण 20 लाख एकड़ फीट (2.5 किलोमीटर^3) है, जबकि बिहार में (1.2 किमी.^{3}) अर्थात् 10 लाख एकड़ फीट जल का वितरण है तथा उत्तरप्रदेश में बिहार के समान ही जल का वितरण है, अर्थात् 10 लाख एकड़ फीट लगभग (1.2 किमी.^{3}) ही जल का वितरण है बाणसागर से मध्यप्रदेश के 2,490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की, उत्तरप्रदेश के 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की तथा बिहार के 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है तथा इस बाँध से लगभग 520 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन होता है।

बाणसागर बाँध परियोजना वैसे तो कई क्षेत्रों को प्रभावित करती है, लेकिन यह बाँध परियोजना सतना जिले के लिए जीवनदायिनी परियोजना सिद्ध हुई है। बाणसागर बाँध परियोजना को बाँध के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में नहरों के माध्यम से प्रस्तावित किया जाता है, जिसे 25 सितम्बर, 2006 को प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया।

सारणी क्रमांक 1
बाणसागर परियोजना से जुड़ी
नहर प्रणाली का नाम

क्र.	नहर प्रणाली का नाम	लम्बाई (किमी. में)	वार्षिक सिंचाई (हेक्टेयर में)
1.	Common Water Carrier	36.57	इससे सीधे सिंचाई नहीं होगी
2.	पूर्वा नहर	128.90	74084 हेक्टेयर
3.	केवटी नहर	90.00	45528 हेक्टेयर
4.	सिहावल नहर	75.30	27143 हेक्टेयर
5.	गुढ़ मऊगंज नहर	65.00	24654 हेक्टेयर
6.	त्योंथर स्थापित नहर	40.96	14161 हेक्टेयर
7.	भीतरी नहर	11.20	27.30 हेक्टेयर
8.	दाहिने किनारे की नहर	30.80	5059 हेक्टेयर

स्रोत–जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार (जनवरी 2006)

तालिका क्रमांक 1 में बाणसागर से जुड़ी नहर प्रणाली के नामों का वर्णन किया गया है साथ–ही–साथ उन नहरों की लम्बाई जिसे किलोमीटर में मापा गया है, उसका भी उल्लेख इसी सारणी के अंतर्गत किया गया है तथा वार्षिक सिंचाई को भी इसमें दर्शाया गया है, जिसे हेक्टेयर में प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम Common Water Carrier का वर्णन किया गया है, जिसकी लम्बाई 36.57 किलोमीटर मापी गई है। किन्तु इस प्रणाली से सीधे सिंचाई का उल्लेख नहीं किया गया है।

दूसरे नम्बर पर पूर्वा नहर का वर्णन किया गया है, जिसकी लम्बाई 128.90 किलोमीटर है तथा यह एक वर्ष में लगभग 74084 हेक्टेयर भूमि को सिंचित् करती है। इसके बाद केवटी नहर का वर्णन किया गया है, जिसकी लम्बाई 90.00 किलोमीटर है, जिसकी वार्षिक सिंचाई 45528 हेक्टेयर है। इसी प्रकार सिहावल नहर की बात की जाए तो इस नहर की लम्बाई लगभग 75.30 किलोमीटर है, जो आस–पास के क्षेत्र में प्रभावित है तथा इस नहर से 27143 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इसके बाद गुढ़ मऊगंज नहर है, जिसकी लम्बाई 65.00 किलोमीटर है तथा यह लगभग 24654 हेक्टेयर भूमि एक वर्ष में सिंचित् करती है। त्योंथर नहर यह रीवा तथा सतना जिले के आस–पास के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। जिसकी लम्बाई 40.96 किलोमीटर है तथा यह 14161 हेक्टेयर भूमि को एक वर्ष में सिंचित् कर पाती है। इसके बाद बाणसागर परियोजना से जुड़ी भीतरी और दाहिने किनारे की नहरें हैं, जिसमें भीतरी नहर की लम्बाई लगभग 11.20 किलोमीटर मापी गई है, जिसकी वार्षिक सिंचाई क्षमता 27.30 हेक्टेयर है तथा दाहिने किनारे की नहर जिसकी लम्बाई 30.80 किलोमीटर है, जिसकी वार्षिक सिंचाई क्षमता लगभग 5059 हेक्टेयर मापी गई है।

सारणी क्रमांक 2
कृषि विकास की आधारभूत जानकारी
जिला–सतना

क्र.	घटक	इकाई	संख्या
1	2	3	4
1.	सिंचित क्षेत्र	प्रतिशत	73.31
2.	असिंचित क्षेत्र	हेक्टेयर	107780
3.	औसत वर्षा	मिलीमीटर	1106.40
4.	कुल कृषकों की संख्या	संख्या	310747
5.	लघु कृषकों की संख्या	संख्या	82541
6.	सीमांत कृषकों की संख्या	संख्या	186531
7.	बड़े कृषकों की संख्या	संख्या	41675

स्रोत–कार्यालय उप–संचालक किसान कल्याण, जिला–सतना (म.प्र.)

2. मध्यम सिंचाई परियोजना

मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में नहर सिंचाई प्रमुख माध्यम है और इसमें 2000 से 10 हजार हेक्टेयर तक का क्षेत्र शामिल होता है तथा इसके अंतर्गत वृहद् सिंचाई परियोजनाओं में 10 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है, इसमें बड़े बाँधों का निर्माण भी शामिल हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिसका सकल विकास उत्पाद (GDP) में योगदान 14.01 प्रतिशत (2014–15) है। कृषि हमारे देश की 65–70 प्रतिशत आबादी के लिए जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन ही नहीं है, अपितु अर्थव्यवस्था की 'रीढ़ की हड्डी' है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014–15 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 259.2 मिलियन टन प्राप्त हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड है।

जैसा कि पिछले अध्याय में उल्लेखित है कि मध्यम सिंचाई के अंतर्गत बाँधों से निकलने वाली छोटी–छोटी नहरों को शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से सिंचाई सुविधाओं को सफल बनाया जाता है। नहरों की आवश्यकता हमें उस क्षेत्र में होती है, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से बाँध के जल को नहीं पहुँचाया जा सकता, वहाँ पर छोटी नालियों के आकार में बाँधों से जुड़ी नहरों को निकाला जाता है, जिससे सिंचाई सुगमता से की जाती है तथा कृषक भरपूर मात्रा में जल का उपयोग अपने खेतों तक कर पाते हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सिंचाई जल को पंप का उपयोग करके पाइपों की सहायता से सिंचाई स्थल तक ले जाया जाता है। इसमें दबाव पद्धति द्वारा फुहारों या वर्षा की बूँदों के समान जल सीधे फसल पर छिड़का जाता है। इस प्रकार छिड़काव द्वारा भी पानी खेतों के चारों तरफ फैलता है।

सतना जिले में बाणसागर बाँध से संबंधित सभी नहरों तथा मध्यम योजनाओं को संचालित किया गया है। सतना जिले में कुल मध्यम परियोजनाओं की संख्या 86 है, जिसमें से सतना के अंतर्गत 14 मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ सम्मिलित हैं, जिसमें से केवल भैंसवार बाँध के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में जल को सिंचाई के लिए पहुँचाया जाता है; सम्मिलित बाँध के नाम–तूमन बाँध, खजुरिया बाँध, दुबेरा, डिगरहट, जमुना, कोठी बियर नीमी बियर, बदखर बियर, जमुनिहाई बियर, मगरदहा बियर, झूरा नाला बियर, तवा बियर, सगौनी बियर आदि सतना जिले के अंतर्गत शामिल हैं।

सतना जिले के अंतर्गत नागौद में भी कुल 27 नहरों का विकास किया गया है, जिसमें से कुलगढ़ी बाँध के माध्यम से नागौद के समस्त क्षेत्रों को सींचा जाता है, इसके बाद जितनी नहरें हैं, उनके नाम हैं–अमकुई बाँध, छियुवा बाँध, विजयसागर बाँध, रमनी सागर बाँध, पहाड़ी बाँध (उचेहरा), सिंहपुर बाँध, मेडकानी बाँध, पहाड़ी बाँध (नागौद), गोड़ा बाँध, महराजपुर बाँध टीकर बियर, चूना बियर, बैलिंहा रेगुलेटर, करसरा रेगुलेटर, कड़िया स्टापडैम (नहर), खनगढ़ स्टापडैम (नहर), करारी बियर, अमकुई बियर नुनगरा बियर, सिद्धपुर बियर, रिजरवारा रेगुलेटर, खटखरी बियर, कुनिया बियर, इचौल वंशीपुर स्टापडैम महुआघाट पोड़ी गरादा स्टापडैम, अमरान स्टापडैम हैं।

सारणी क्रमांक 3
सतना जिले की लघु सिंचाई परियोजनाएँ

उपसंभाग सतना

क्र.	योजना का नाम	रूपान्तरित सिंचाई क्षमता			वर्तमान जल भराव क्षमता	प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22		
		खरीफ	रबी	योग		खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भैंसवार बाँध (मध्यम)	1000	1571	2571	8.915	500	1571	2071
2.	तूमिन बाँध	32	57	89	0.022	10	40	50
3.	खजुरिया बाँध	88	57	145	0.24	20	55	75

4.	दुबेरा बाँध	41	29	70	0.140	20	41	61
5.	कोठी बियर	41	91	132	–	60	100	160
6.	नीमी बियर	101	20	121	–	10	–	10
7.	जमुनिहाई बियर	71	11	82	–	–	15	15
8.	मगरदहा बियर	405	243	648	–	30	–	30
9.	झूरा नाला बियर	61	61	122	–	10	–	10
	योग	**1,840**	**2,140**	**3980**	**9.317**	**660**	**1,822**	**2,482**

स्रोत– जल संसाधन संभाग, सतना (म.प्र.) सन् 2023

सतना जिले में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के आँकड़ों के अनुसार सतना उपसंभाग में कुल 14 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को संचालित किया गया है, आँकड़ों की मानें तो इन 14 परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाएँ ही पूर्णरूप से कार्यरत् हैं, जिसमें से भैंसवार बाँध जोकि मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्राथमिक रूप से कार्यरत है, जिसकी रूपांतरित सिंचाई क्षमता खरीफ की फसलों के लिए 1000 तथा रबी की फसल के लिए 1571 है, जिसका कुल योग 2571 है, यदि इसकी भराव क्षमता को देखा जाए तो 08.915 है। जिसकी प्रस्तावित सिंचाई क्षमता खरीफ की फसल में 500 तथा रबी की फसल में 1571 है। जिसका योग 2071 है। हम सतना जिले में 14 सिंचाई परियोजनाओं में से सिर्फ 09 परियोजनाओं का ही वर्णन कर रहे हैं, जिसके 2021–22 में प्रस्तावित सिंचाई क्षमता का योग 50 के ऊपर है, दूसरा तूमिल बाँध है, जोकि आस–पास के सभी क्षेत्रों को सिंचित करता हुआ रूपान्तरित सिंचाई क्षमता में खरीफ की फसल को 32 तथा रबी की फसल में 57 है। जिसका योग 89 है, अगर इसके वर्तमन भराव क्षमता की बात की जाए तो 0.022 है तथा इसकी प्रस्तावित सिंचाई 2021–22 में खरीफ की फसल में 10 तथा रबी की फसल में 40 है। जिसका कुल योग 50 होता है, इसी प्रकार अगर खजुरिया तथा दुबेरा बाँध का वर्णन किया जाए तो रूपान्तरित सिंचाई क्षमता में खजुरियाँ बाँध में रबी की फसल 57 तथा खरीफ की फसल में 88 है, जिसका कुल योग 145 आता है तथा जिसकी वर्तमान जल भराव क्षमता 0.24 है तथा आँकड़ों को देखते हैं, तो प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 2021–22 के आँकड़ों में खरीफ की फसल में 20 तथा रबी की फसल 55 है, जिसका योग 75 प्राप्त होता है। दुबेरा बाँध आँकड़ों का वर्णन किया जाए तो इसकी रूपान्तरित सिंचाई क्षमता रबी में 29 तथा खरीफ में 41 आता है, जिसका योग 70 है, वर्तमान जल भराव क्षमता 0.140 प्राप्त होता है तथा 2021–22 में प्रस्तावित सिंचाई क्षमता रबी फसल में 41 तथा खरीफ की फसल में 20 है, जिसका कुल योग 61 है।

इसी क्रमानुसार कोठी, नीमी जमुनिहाई, मगरदहा तथा झूरा नाला आदि प्रकार के बाँधों का निर्माण मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत किया गया है, जिसमें से कोठी बियर का वर्णन करने पर इसकी रूपान्तरित सिंचाई क्षमता खरीफ में 41 तथा रबी में 91 है, जिसका योग 132 है। नीमी की रूपान्तरित सिंचाई क्षमता खरीफ में 101 तथा रबी में 20 है, जिसका योग 121 है। जमुनिहाई बियर के आँकड़ों में रूपान्तरित सिंचाई क्षमता रबी में 11 तथा खरीफ में 71 मापी गई है। जिसका कुल योग 82 प्राप्त होता है। मगरदहा की रूपान्तरित सिंचाई क्षमता में रबी की फसल में 243 तथा खरीफ की फसल में 405 जल को छोड़ा जाता है। जिसका योग 648 प्राप्त होता है तथा झूरा नाला बियर में 61–61 रबी और खरीफ की फसल के लिए जल को प्रसारित किया जाता है। इसका योग 122 प्राप्त होता है।

यदि वर्तमान जल भराव क्षमता को इन आँकड़ों के अनुसार देखा जाए तो इन परियोजनाओं में

कोठी, नीमी, जमुनिहाई, मगरदहा तथा झूरा नाला योजनाओं में सतना जिले के अंतर्गत इन चारों योजनाओं में वर्तमान जल भराव क्षमता शून्य दिखाई दे रही है, जिसमें वर्तमान में किसी भी प्रकार से जल को प्रसारित नहीं किया जा रहा है। आँकड़ों के अनुसार 2021 तथा 22 में प्रस्तावित सिंचाई क्षमता के अनुसार कोठी योजना में खरीफ की फसल में 60 तथा रबी की फसल में 100 सिंचाई क्षमता थी, जिसका योग 160 आ रहा है। नीमी बियर में प्रस्तावित सिंचाई के अंतर्गत सिर्फ खरीफ की फसल में 10 तथा रबी की फसल में शून्य प्रसारित जल था, जिसका योग 10 ही आया है। इसी प्रकार जमुनिहाई में प्रस्तावित सिंचाई 2021–22 में खरीफ में शून्य तथा रबी में 15 जल भराव दिखाई दिया, जिसका योग 15 प्राप्त हुआ है, मगरदहा में खरीफ की फसल में 30 तथा रबी की फसल में शून्य है जिसका योगफल 30 तथा झूरा नाला में भी खरीफ की फसल 10 तथा रबी की फसल में शून्य है। जिसका योग 10 प्राप्त हुआ है।

इन आँकड़ों का कुल योग जिसमें से 14 योजनाओं में से सिर्फ 9 योजनाओं को लिया है, जिसका कुल योग रूपान्तरित सिंचाई क्षमता में खरीफ की फसल का योग 01,840 है, रबी की फसल में सिंचाई क्षमता का योग 02,140 प्राप्त हुआ है, जिसका रबी तथा खरीफ की सिंचाई क्षमता का योग करने पर हमें 03,980 रूपान्तरित सिंचाई क्षमता प्राप्त हो रही है। यदि वर्तमान जल भराव क्षमता को देखा जाए तो इसका योग 09. 317 प्राप्त हो रहा है। 2021–22 की प्रस्तावित सिंचाई में रबी की फसल में 18,22 तथा खरीफ की फसल में 660 प्राप्त हो रहा है, जिसका कुल योग 2,482 प्राप्त हुआ है।

अतः निष्कर्ष रूप में आँकड़ों की मानें तो यह स्पष्ट होता है कि भैंसवार बाँध के माध्यम से ही सम्पूर्ण सतना जिले में जल को प्रसारित किया जा रहा है, जिसकी रूपान्तरित तथा वर्तमान जल भराव क्षमता 2571 तथा 4.915 है। अतः प्रस्तावित सिंचाई वर्ष में जल क्षमता अन्य योजना की अपेक्षा अधिक जान पड़ती है।

सारणी क्रमांक 4

उपसंभाग मैहर

क्र.	योजना का नाम	रूपान्तरित सिंचाई क्षमता			वर्तमान जल भराव क्षमता	प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22		
		खरीफ	रबी	योग		खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नकतरा बाँध	165	346	511	02.235	–	346	346
2.	लिलजी बाँध (रिजरवार)	101	518	619	02.20	–	440	440
3.	नरवर बाँध	53	105	158	0.06	50	10	60
4.	अमरानाला बियर	81	40	121	–	–	10	10
5.	सलैया बियर	40	81	121	–	50	81	131
	योग	**440**	**1,090**	**1,530**	**04.495**	**100**	**887**	**987**

स्रोत– जल संसाधन संभाग सतना (म.प्र.) वर्ष 2023

मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उपसंभाग मैहर के आँकड़ों का वर्णन करेंगे जो सतना जिले के अंतर्गत आता है। मैहर संभाग के अंतर्गत कुल सात मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से हम केवल 05 परियोजनाओं को शामिल करेंगे, क्योंकि जिन–जिन परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है, उन परियोजना का नाम बदेरा परियोजना तथा मझिगवाँ घनवाही

परियोजना है, जिसे आँकड़ों के अनुसार देखने से अनुमानित होता है कि इन दो परियोजनाओं का केवल नाम–मात्र ही विकास तथा उपयोग हो पाया है। जिसमें रूपान्तरित आँकड़ों को बस दिखाया गया है न कि प्रस्तावित आँकड़ों को, क्योंकि प्रस्तावित आँकड़े शून्य के रूप में प्रदर्शित हैं तथा हमने उन्हीं आँकड़ों को लिया है जिसमें प्रस्तावित आँकडे भी शामिल हैं। सबसे पहले मैहर संभाग के अंतर्गत हम नकतरा बाँध के विषय में चर्चा करेंगे कि इस बाँध का नाम नकतरा बाँध है जिसकी रूपान्तरित सिंचाई क्षमता खरीफ की फसल के लिए 165 तथा रबी की फसल के लिए 346 है, जिसका कुल योग 511 प्राप्त होता है, जिसकी वर्तमान जल क्षमता 02.235 है तथा 2021–22 के प्रस्तावित सिंचाई जल को देखें तो खरीफ की फसल में शून्य हेक्टेयर तथा रबी की फसल में 346 जिसका कुल योग 346 हेक्टेयर ही प्राप्त है।

इसके बाद लिलजी बाँध आता है, जिसे रिजरवार बाँध के नाम से भी जाना जाता है। रूपान्तरित सिंचाई क्षमता में खरीफ की फसल में 101 हेक्टेयर तथा रबी की फसल में 518 हेक्टेयर है। जिसका कुल योग 619 हेक्टेयर होता है तथा इसकी वर्तमान जल भराव क्षमता 02.20 मापा गया है, जोकि किसी भी इसकी प्रस्तावित सिंचाई क्षमता जो 2021–22 में मापी गई है, जिसमें खरीफ की फसल में शून्य हेक्टेयर तथा रबी की फसल में 440 हेक्टेयर है, जिसका कुल योग 440 प्राप्त है। आँकड़ों की मानें तो मैहर उपसंभाग में सिंचित व्यवस्था निम्न ही बनी है।

इसके बाद आता है, नरवर, सलैया तथा अमरानाला। नरवर बाँध के आँकड़ों को दृष्टिगत करने पर इसकी रूपान्तरित सिंचाई क्षमता खरीफ की फसलों में 53 तथा रबी की फसलों में 105 हेक्टेयर मापी गई है, जिसका योग 158 है, वहीं अमरानाला बियर की 81 खरीफ की तथा 40 रबी की फसलों की सिंचाई क्षमता को मापा गया है, जिसका कुल योग 121 प्राप्त है। सलैया की रूपान्तरित सिंचाई क्षमता खरीफ के लिए 40 तथा रबी के लिए 81 है। जिसका योग 121 हेक्टेयर है, इनमें से नरवर की वर्तमान जल भराव क्षमता 0.06, अमरानाला की भराव क्षमता शून्य तथा सलैया सिंचाई वर्ष 2021–22 के अनुसार नरवर की खरीफ में 50 व रबी में, 10 हेक्टेयर है। जिसका योग 60 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। इसी क्रम में अमरानाला में प्रस्तावित सिंचाई खरीफ फसलों में शून्य तथा रबी की फसलों में 10 हेक्टेयर भूमि सीची जाती है, जिसका कुल योग 10 हेक्टेयर प्राप्त होता है, सलैया बियर के आँकड़ों के अनुसार खरीफ में 50 हेक्टेयर तथा रबी में 81 हेक्टेयर भूमि सिंचित है, जिसका कुल योग 131 हेक्टेयर प्राप्त होता है। यदि इन आँकड़ों का कुल योग निकालते हैं तो सभी मैहर उपसंभाग के आँकड़ों का योग करने पर इसका योगफल प्राप्त होता है, जिसमें रूपान्तरित सिंचाई क्षमता का योग खरीफ के फसलों में सिंचाई 440 हेक्टेयर तथा रबी की फसलों में 01.090 हेक्टेयर सिंचित क्षमता अनुमानित है, जिसमें वर्तमान भराव क्षेत्र का योग 04.495 प्राप्त हुआ है तथा प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 में खरीफ की फसल की सिंचाई 100 हेक्टेयर तथा रबी में 887 हेक्टेयर मापी गई, जिसका योगफल 987 हेक्टेयर होता है।

अतः निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि मैहर संभाग जो सतना जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर जोकि मध्यम परियोजनाओं को लागू किया गया, वह बस नाम–मात्र रही है, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हो पायी। मैहर संभाग के अंतर्गत मध्यम परियोजनाएँ किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं मानी जा सकती है।

सारणी क्रमांक 5
उपसंभाग नागौद

क्र.	योजना का नाम	रूपान्तरित सिंचाई क्षमता			वर्तमान जल भराव क्षमता	प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22		
		खरीफ	रबी	योग		खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कुलगढ़ी बाँध	1012	1214	2226	05.46	500	1100	1600
2.	अमकुई बाँध	224	388	612	04.33	20	388	408
3.	छिदुवा बाँध	91	101	192	0.456	50	101	151
4.	पहाड़ी बाँध	19	27	46	0.15	–	25	25
5.	सिंहपुर बाँध	389	249	938	01.431	300	300	600
6.	मेडकानी बाँध	89	24	113	0.554	50	60	110
7.	पहाड़ी बाँध	22	32	54	0.28	–	32	32
8.	गोडा बाँध	105	–	105	–	20	–	20
9.	महराजपुर बाँध	–	100	100	0.329	–	60	60
10.	चूना बियर	61	40	101	–	10	20	30
11.	खनगढ़ स्टापडैम	20	12	32	20	–	12	12
12.	करारी बियर	202	–	202	–	100	20	120
13.	सिद्धपुर बियर	81	–	81	–	50	20	70
14.	ड़चौल वंशीपुर काजवे कम स्टापडैम	–	195	195	–	–	195	195
	योग	**2315**	**2382**	**4695**	**32.99**	**11,00**	**2,333**	**3,433**

स्रोत–जल संसाधन–विभाग वर्ष 2022–23 सतना

अब उपसंभाग नागौद में जो भी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है, उसका विस्तार से अध्ययन करने पर आँकड़ों को देखें तो यहाँ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 27 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से हमने केवल उन मध्यम परियोजनाओं को शामिल किया है, जिसमें प्रस्तावित सिंचाई वर्ष में 14 मध्यम परियोजनाओं को ही शामिल किया गया है, जिसमें से सर्वप्रथम कुलगढ़ी माध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिसकी सिंचाई क्षमता खरीफ की फसल में 1012 तथा रबी में 1214 हेक्टेयर सिंचाई की जाती है, जिसका कुल योगफल 2226 हेक्टेयर है, आँकड़ों के अनुसार तथा अधिकारियों से साक्षात्कार करने पर यह पता चलता है कि कुलगढ़ी बाँध के माध्यम से ही सम्पूर्ण जिले में जल को प्रस्तावित किया जाता है, जिसके माध्यम से लगभग 50 प्रतिशत जल की पूर्ति कुलगढ़ी माध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से जल आपूर्ति की जाती है, जिसकी भराव क्षमता 05.46 हेक्टेयर है, जिसकी प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 2021–22 में खरीफ की फसल में 500 हेक्टेयर तथा रबी की फसल में 1100 हेक्टेयर सिंचाई की जाती है, जिसका कुल योग 1600 है।

3. लघु सिंचाई परियोजना

इसके बाद अमकुई बाँध परियोजना शामिल है। जिसकी सिंचाई क्षमता खरीफ की फसल में 224 तथा रबी की फसलों में 388 हेक्टेयर भूमि

सिंचित की जाती है। जिसकी भराव क्षमता 4.33 हेक्टेयर है तथा इस बाँध की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 2021–2022 में खरीफ की फसलों में 20 है तथा रबी की फसलों में 388 है। फसलों का सिंचित कुल योग 408 हेक्टयर प्राप्त होता है। छिदुवा बाँध में खरीफ में 91 तथा रबी में 101 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है जिसका भराव क्षेत्र 0.456 तथा प्रस्तावित सिंचाई खरीफ में 50 तथा रबी में 101 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, जिसका योग 151 हेक्टेयर है! अगला बाँध पहाड़ी बाँध है जो कि उचेहरा से होते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र को सिचिंत करता है। जिसकी खरीफ की सिंचाई क्षमता 19 हेक्टेयर तथा रबी की सिंचाई क्षमता 27 हेक्टेयर है, जिसका कुल योग 46 हेक्टेयर आता है। अगर इसके वर्तमान भराव क्षमता को आँकें तो 0.15 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 में खरीफ की फसल में शून्य तथा रबी की फसल में 25 हेक्टेयर सिंचाई व्यवस्था थी, जिसका कुल योग 25 हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसी क्रम में सिंहपुर बाँध तथा मेडकानी बाँध की भी व्याख्या की गई है, जिसमें सिंहंपुर बाँध की सिंचाई क्षमता का योग 638 हेक्टेयर है, जिसमें रबी की सिंचाई तथा खरीफ की फसल की सिंचाई 300 हेक्टेयर है जिसका योग 600 हेक्टेयर प्रस्तावित सिंचाई प्राप्त होती है। मेडकानी बाँध की सिंचाई क्षमता रबी में 24 हेक्टेयर तथा खरीफ में 89 हेक्टेयर, जिसकी भराव क्षमता 0.554 हेक्टेयर है। प्रस्तावित सिंचाई 2021.22 में खरीफ फसल 50 तथा रबी फसल 60 सिंचित है, जिसका योगफल 110 प्रस्तावित है! गोडा बाँध में सारणी के अनुसार रूपान्तरित सिंचाई क्षमता खरीफ में 105 तथा रबी में शून्य है, जिसका कुल योग 105 है। यहाँ की बाँध भराव क्षमता में शून्य दिखाई दे रही है, जिसकी प्रस्तावित सिंचाई क्षमता भी 32 कुल योग में रबी में 32 है तथा इसी क्रम में महराजपुर बाँध है, जिसकी सिंचाई क्षमता का योग 100 हेक्टेयर है, जिसकी भराव क्षमता 0. 329 हेक्टेयर तथा इसके प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 के योग में रबी की सिंचाई 60 है। इसे बस दर्शाया गया है, जिसका योग भी 60 हेक्टेयर प्राप्त है। इसके बाद चूना वियर बाँध के आँकड़ों को देखने पर सिंचाई क्षमता में कुछ उन्नति तो है किन्तु, इसकी भी भराव क्षमता शून्य ही दर्शायी गई है। खनगढ़, नहर की सिंचाई क्षमता का योग 32 हेक्टेयर है, जिसमें 20 खरीफ की फसलों में तथा 12 रबी की फसलों में सिंचित व्यवस्था है। अतः इसका नहर का भराव क्षेत्र 20 हेक्टेयर मापा गया है, जिसकी प्रस्तावित सिंचाई वर्ष के समान है, जिसमें खरीफ की फसल में शून्य तथा रबी फसल में 12 हेक्टेयर सिंचन व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में करारी बियर, सिद्धपुर तथा डचोल डैम को सारणीबद्ध किया गया है! जिसका भराव क्षेत्र शून्य दर्शाया गया है', जबकि सिंचाई क्षमता करारी बियर की खरीफ में 202 तथा रबी में शून्य हेक्टेयर सिंचित व्यवस्था है! इसकी प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 में 120 हेक्टेयर में योग प्राप्त है। इसी क्रम में सिद्धपुर की सिंचाई क्षमता 81 तथा डेचौल की 195 हेक्टेयर प्राप्त है। जिसे सारणी के माध्यम से इसके अंतराल को आसानी से देखा जा सकता है।

सारणी क्रमांक 6

उपसंभाग कोठी (मझगवाँ)

क्र.	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता			भराव श्रम (वर्तमान)	प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22		
		खरीफ	रबी	योग		खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बैरहना बाँध	261	405	666	0.329	50	75	125
2.	अमुआ बाँध	121	121	242	0.10	—	40	40

3.	चितहरा बांध	60	140	200	0.50	—	100	100
4.	पटना बांध	—	211	211	1.38	—	211	211
5.	गैबर बियर	141	20	161	—	60	—	60
6.	सेहरा बियर	50	50	100	—	20	—	20
7.	खुटहा बियर	41	41	82	—	20	25	45
8.	चमरा बियर	82	—	82	—	50	—	50
9.	चकरा बियर	82	—	82	—	20	20	40
10.	हथिया बियर	80	80	160	—	80	20	100
11.	हलावन बियर	40	40	80	—	20	50	70
12.	कांडीचुआ बियर	40	40	80	—	20	20	40
13.	मझियार बियर	40	40	80	—	20	10	30
14.	रंगौली बियर	80	120	200	—	20	—	20
15.	कुरी बांध 2	0	895	895	4.976	—	737	737
	योग	**1,118**	**2,203**	**3,321**	**7,285**	**380**	**1,308**	**1,688**

सतना जिले में उपसंभाग कोठी (मझिगवाँ) में मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 15 योजनाएँ चल रही हैं, जिसे सारणीबद्ध करने पर इनकी सिंचाई क्षमता तथा इसका भराव क्षेत्र तथा प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021—22 के आँकड़ों को शामिल किया गया है। सबसे पहले मझिगवाँ संभाग में बैरहना मध्यम सिंचाई परियोजना को रखा गया है, जिसकी सिंचाई क्षमता खरीफ की फसल में 261 हेक्टेयर तथा रबी की फसल में 405 हेक्टेयर है, जिसका योग 666 हेक्टेयर है। इसकी भराव क्षमता वर्तमान में 0.329 है तथा इसकी प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021—22 में खरीफ में 50 हेक्टेयर तथा रबी की फसल में 75 हेक्टेयर तथा इसका योग 125 हेक्टेयर है। दूसरा अमुआ बाँध जिसकी सिंचाई क्षमता रबी तथा खरीफ में 121 हेक्टेयर मापी गई है। जिसका योग 242 है। इसकी भराव क्षमता 0.10 है। जो कि सिचिंत क्षेत्र में अपनी किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं देती है। इसकी प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021—22 में सिर्फ रबी की फसल में 40 हेक्टेयर. है। जिसका खरीफ के फसल में कोई सिंचाई व्यवस्था न होने के कारण इसका योग 40 हेक्टेयर सिंचित मानी गई है। इसके बाद आता है, चितहरा बाँध जो मझगवाँ के आस पास के क्षेत्रों को सिंचित करने में अपना योगदान देता है जिसकी सिंचाई क्षमता खरीफ की फसल में 60 हेक्टेयर तथा रबी की फसल में 140 हेक्टेयर है, जिसका योग 200 है। तथा इसका वर्तमान में भराव क्षेत्र 0.50 हेक्टेयर है, इसका प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021—22 खरीफ की फसल में शून्य तथा रबी की फसल में 100 है, जिसका पूरा योग 100 ही प्राप्त होता है। इसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में पटना बाँध तथा गैबर बियर बाँध का नाम भी शामिल है। जिसकी सिंचाई क्षमता का कुल योग 211 हेक्टेयर है। जिसके अन्तर्गत रबी की फसल में 211 हेक्टेयर है जिसमें खरीफ की फसल में सिंचाई न के बराबर है। जिसकी वर्तमान भराव क्षमता 1.38 है तथा इसकी प्रास्तावित सिंचाई वर्ष 2021—22 में खरीफ में शून्य तथा रबी की फसल में 211 हेक्टेयर मापी गई है। जिसका कुल योग भी 211 प्राप्त है। सारणी के क्रमानुसार देखने पर गैबर बियर जिसका योग सिंचाई क्षमता में 161, सेहरा बियर का 50 रबी, 50 खरीफ में सिंचाई क्षमता है। जिसका योग 100 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित योग 20 हेक्टेयर है। खुटहा बियर की सिंचाई क्षमता का योग 82 है। जिसमें रबी में 41 तथा खरीफ की फसल में भी 41 हेक्टेयर की

सिंचाई क्षमता है, जिसकी प्रस्तावित सिंचाई वर्ष सिर्फ 45 हेक्टेयर है, उसी क्रम में खुटहा बियर, चमरा बियर, चकरा बियर, हथिया बियर, हलावन बियर, कांडीचुआ बियर, मझियार बियर, रंगौली बियर कुरी बाँध 2 की अगर बात कि जाए तो इन सबका वर्तमान भराव क्षेत्र शून्य है। जबकि प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021 में खुटहा का योग 45, चमरा बियर का योग 50, चकरा बियर का योग 40 तथा हथिया बियर का योग 100, हलवान बियर में 70 तथा कांडीचुआ बियर का प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 40, मझियार का 30 तथा रंगौली बियर 20 तथा कुरी बाँध 2 का 737 हेक्टेयर प्रस्तावित सिंचाई वर्ष में खरीफ और रबी की फसल में सिंचाई व्यवस्था की जाती है। जिसकी वर्तमान में इनकी कोई भूमिका नहीं है। कुछ मध्यम सिंचाई परियोजना सिर्फ नाममात्र के लिए बनी है तथा इनके माध्यम से आस–पास सतना जिले के मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत उपसंभाग क्रमांक 1 रामनगर में मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत कुल 20 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का वर्णन सारणी में किया गया है। जिसमें से हमने केवल 13 मध्यम परियोजनाओं को इस सारणी के अन्तर्गत, शामिल किया है। यह ऐसे आँकड़े है जिसका भराव क्षेत्र कुछ प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 में दोनों फसलों को मिलाकर (रबी तथा खरीफ) कुछ योग प्राप्त है। हम उन्हें ही इस सारणी के अन्तर्गत शामिल करेंगे।

सारणी क्रमांक 7

सिंचाई परियोजना उपसंभाग क्र. 01 रामनगर

क्र.	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता			वर्तमान जल भराव क्षमता	प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22		
		खरीफ	रबी	योग		खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कोल बाँध	324	557	881	3.371	150	496	646
2.	किरहाई बाँध	55	77	132	0.392	50	77	127
3.	मुकुन्दपुर बाँध	81	41	122	1.047	20	100	120
4.	पटरा बाँध	39	290	379	2.084	–	290	290
5.	जगदीश सागर बाँध	48	25	73	0.036	–	32	32
6.	देवरा मोलहाई बाँध	27	111	138	1.046	–	150	150
7.	असरार बाँध	105	61	166	0.65	50	101	151
8.	मोहास बाँध	–	121	121	0.064	–	20	20
9.	मौहनिया बाँध	81	41	122	–	50	30	80
10.	भंवरानाला बियर	41	40	81	–	–	40	40
11.	सेन्दुरा स्टाप डैम (डैम)	26	20	46	–	–	40	40
12.	अमझर टैंक	–	190	190	1.092	–	90	90
13.	अँधियारी सागर	–	1880	1880	5.885	–	1100	1100
	योग	**877**	**3,454**	**4,331**	**15.667**	**320**	**2,536**	**2,976**

मध्यम सिंचाई परियोजना में रामनगर उपसंभाग जो कि सतना जिले के अन्तर्गत 20 में से 13 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से किरहाई बाँध की सिंचाई क्षमता का योग 132 है। रबी की फसल में 77 तथा खरीफ की फसल 55 हेक्टेयर है। जिसकी वर्तमान भराव क्षमता 0.392 हेक्टेयर है, प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 में खरीफ 50 तथा रबी की फसल में 77 हेक्टेयर है,

जिसका योग 127 है तथा मुकुन्दपुर बाँध जिसकी सिंचाई क्षमता का योग 122 हेक्टेयर है, जिसमें खरीफ की फसल 81 तथा रबी की फसल 41 है। जिसकी वर्तमान जल भराव क्षमता 1.047 हेक्टेयर है। इसकी प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 में 120 है। जिसमें खरीफ की सिंचाई 20 तथा रबी की फसल सिंचाई 100 हेक्टेयर है, इसके बाद पटरा बाँध का वर्णन किया गया है' उसकी सिंचाई क्षमता का योग 379 है। खरीफ फसल सिंचाई 89 तथा रबी फसल 290 है। जिसकी प्रस्तावित वर्तमान भराव क्षमता 2.084 है। जिसकी प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 का योग 290 है जिसमें सिर्फ 290 रबी की सिंचाई होती है। इसके बाद जगदीश सागर बाँध से उपसंभाग रामनगर में समस्त क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है, जगदीश सागर बाँध में 73 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। जिसमें खरीफ 48 तथा रबी 25 हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है। जिसकी वर्तमान जल भराव क्षमता 0.036 है तथा वास्तविक सिंचाई 32 हेक्टेयर ही हो पाती है। आँकड़ों को देखने पर देवरा मोलहाई बाँध की सिंचाई क्षमता अधिक अच्छी देखी जा सकती है। जिसका आँकड़ों के आधार पर सिंचाई क्षमता का योग 138 तथा वर्तमान भराव क्षमता 1.046 है तथा इसका प्रस्तावित सिंचाई भी 2021–22 में 150 हेक्टेयर है। असरार बाँध की सिंचाई क्षमता का योग 166 तथा वर्तमान सिंचाई क्षमता 0.65 तथा प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 में 151 है। इसी क्रम में मोहास बाँध में सिंचाई क्षमता का योग 121 है, जिसमें रबी की फसल में कुल योग की सिंचाई की जाती है, जिसकी वर्तमान जल भराव क्षमता 0. 064 हेक्टेयर है। जिसका प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 में कुल योग 20 हेक्टेयर ही सिंचाई की गई है, इसके बाद मौहनिया, भंवरानाला तथा सेन्दुरा स्टाप डैम तथा अमझर तथा अँधियारी सागर मध्यम परियोजनाएँ सारणीबद्ध हैं। जिसकी आँकड़ों को देखने पर यह ज्ञात होता है कि इन सब बाँधों की वर्तमान भराव क्षमता शून्य पायी गई है। जिसके आस–पास के क्षेत्रों में कुल सिंचाई क्षमता नहीं हो पाती है। आँकड़ों की माने तो प्रस्तावित सिंचाई वर्ष 2021–22 में भी ज्यादा नहीं पाया गया है, जिसे आँकड़ों में तो प्रस्तावित किया गया है। किन्तु इन बाँधों का कोई प्रभाव आस–पास के क्षेत्रों में नहीं देखा गया है।

सारणी क्रमांक 8

लघु सिंचाई परियोजना

वर्ष	नहरें शुद्ध		तालाब		कुएँ		अन्य		कुल बोए गए क्षेत्र से	
	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	कुल सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	कुल सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	कुल सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	कुल सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	कुल बोए क्षेत्रफल से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
2013–14	1029727	18.12	133784	2.35	3696109	65.1	821776	14.46	5681396	28.82
2014–15	10900882	17.14	148908	2.28	4195753	65.92	929014	14.60	634567	31.48
2015–16	1050524	16.36	138113	2.1	4256811	66.32	972932	15.16	6418380	31.28
2016–17	1065689	15.87	129875	1.93	4369672	65.08	6506142	13.13	6714317	32.34
2017–18	1109172	16.09	156548	2.27	4687564	67.73	950306	13.79	6891590	32.03
2018–19	1221251	17.10	189044	2.65	49068086	69.56	1044772	14.36	7139782	32.24
2019–20	1235593	15.68	219702	2.79	5007214	63.54	1119499	14.21	7880046	36.22
2020–21	1440377	16.85	226817	2.65	5727327	66.98	1156005	13.52	8550226	36.80

स्रोत–मध्यप्रदेश का सांख्यिकीय संक्षेप वर्ष 2019, पेज नं 112–113, वर्ष 2020, पेज नं. 128–127 आर्थिक एव सांख्यिकीय संचालनालय, भोपाल

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सतना जिले में सिंचाई के संसाधनों का लगातार विकास हो रहा है। इस तरह से वर्ष 2013–14 में सिंचाई कुल बोए क्षेत्रफल से शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत 28.82 था, जबकि वर्ष 2020–21 की स्थिति में सिंचाई कुल बोए क्षेत्रफल से शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का 36.80 प्रतिशत सिंचाई के रकवे में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि शासकीय परियोजनाओं से क्षेत्र के सिंचाई की स्थितियों में लगातार विस्तार हो रहा है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति निरंतर हो रही है।

संदर्भ स्रोत

1. डॉ. अग्रवाल अनुपम–प्रो. ओझा बी.एल. 'व्यष्टि अर्थशास्त्र', साहित्य भवन पब्लिकेशन, वर्ष 2021–22
2. डॉ. जैन एस.सी., डॉ. महेश्वरी पी.डी.–'कृषि अर्थशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, वर्ष 2020
3. डॉ. जैन एस.सी.–'शोध पद्धतियाँ एवं सांख्यिकीय तकनीकी, कैलाश पुस्तक भवन, भोपाल, वर्ष 2020
4. सिन्हा बी.के.–'चैलेंजेज इन रूलर डेवलपमेंट', डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 1998
5. यादव सुबह सिंह–'ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, वर्ष 1991
6. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला, सतना
7. जिला विकास पुस्तिका, जिला सतना (2015–20)
8. आर्थिक एवं साख्यिकीय संचालनालय भोपाल के प्रकाशन
9. विभागीय, प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 (जल संसाधन विभाग)
10. प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 (जल संसाधन विभाग)

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 10th Oct. 2024 Paper Accepted : 25th Oct. 2024

संस्कृत साहित्य में पर्यावरण का महत्त्व

❑ मनोज कुमार सिंह[1]
❑ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी[2]

शोध-सारांश

सूक्ष्म रूप में मानव एवं सारी सृष्टि के रूप प्रकृति (पर्यावरण) के एक विशिष्ट अंग हैं। लेकिन फिर भी कुछ मूलभूत कारणों से भिन्न रूप में कल्पित होते हैं। वैसे प्रकृति के साथ मानव का सम्बन्ध सृष्टि के आदि काल से ही घनिष्ठात्मक रहा है। प्रकृति की सुरम्य एवं सुखद गोद में ही मानव ने सर्वप्रथम अपनी आँखें खोलीं तथा उससे संघर्ष और दुलार प्राप्त कर बड़ा हुआ। वास्तविकता तो यह है, कि प्रकृति मानव की आदि सहचरी एवं पोष्या है तथा मानव प्रकृति का आदि सहचर एवं पोष्या शिशु है। आदि मानव ने पर्यावरण के सुखद एवं विशाल प्रांगण में जन्म ग्रहण कर, उसके द्वारा प्रस्तुत चारों तरफ बिखरी हुई विभूतियों को ही अपनी सर्वांगीण उन्नति का माध्यम बनाया है। पर्यावरण के तत्त्वों में स्पन्दनशीलता देखकर मानव ने भी अपने भावों का स्पन्दन करना सीखा। प्रस्तुत आलेख में उक्त बिन्दुओं को समाहित करने का पुरजोर प्रयास है।

मुख्य शब्द–*संस्कृत, साहित्य, पर्यावरण, महत्त्व सर्वांगीण, उन्नति, स्पन्दनशीलता, मानव–जीवन आदि।*

प्रस्तावना

प्रकृति की गोद में पलते हुए मानव ने प्रकृति के गुणों को अपनाने की चेष्टा की। इस प्रकार प्रकृति द्वारा मानव के जीवन की समस्याओं और नाना विचारों की अनुभूति प्राप्त की। प्रकृति के शान्त, सहज एवं मधुर रूप को देखकर अपनी भावनाओं का भी परिष्कार किया। मानव के व्यक्तित्त्व निर्माण में प्रकृति का विशेष महत्त्व परिलक्षित होता है। जिस देश की, जिस क्षेत्र की जैसी प्रकृति (पर्यावरण) होगी, उसी प्रकार का व्यक्तित्त्व भी मानव में दृष्टिगत होगा। वास्तव में मानव को प्रकृति के साथ सहयोगी बनकर रहना चाहिए और सहयोग के लिए उसको प्रकृति के अनुरूप हो जाना चाहिए। जो प्रकृति के जितना ही निकट होगा, उसमें उतनी ही स्वाभाविकता आती है और स्वाभाविकता में निश्छल सौन्दर्य निहित रहता है। यही सौन्दर्य चिरस्थायी रूप से काव्य में परिणत होता है।

1. शोधार्थी (संस्कृत)–संस्कृत शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
2. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

हमारे देश भारतवर्ष की पर्यावरणीय सत्ता का रूप अत्यन्त व्यापक है। यहाँ प्रकृति ने अत्यन्त विनम्रता पूर्वक मनुष्य के सुख हेतु सारी सामग्री समर्पित की है। यहाँ की विस्तृत भूमि, निःसीम आकाश, गगनचुम्बी एवं विशाल हिमाच्छादित हिमगिरि तथा वृक्षों एवं झाड़ियों से व्याप्त पर्वत है। इनसे निकलने वाली, सबकी पिपासा को तृप्त करती हुई, असंख्य पावन नदियाँ, कल–कल की ध्वनि से धरती का प्रक्षालन करती है। असंख्य प्रपात एवं सरोवर, प्रकृति की उदारता के ही प्रतीक है। अतएव यहाँ के महामानवों का व्यक्तित्त्व भी इसी वातावरण में रहते हुए प्रकृति के गुण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है।

थामस वकल के कथनानुसार

"मनुष्य के व्यवहार से लेकर सभ्यता, धर्म और विज्ञान तक सभी दशाएँ भौगोलिक पर्यावरण का ही परिणाम हैं।" प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण की उपज है। बीज को ही लें भूमि में जब से बीजारोपण किया जाता है तभी से पानी, मिट्टी, हवा, धूप एवं जलवायु जो कि उसका पर्यावरण है, उसे प्रभावित करने लगते हैं और बीज पौधे के रूप में अंकुरित होने लगता है। उसका फूलना–फलना, मुरझा जाना, दुर्बल या बौना होना आदि सभी उसके पर्यावरण पर निर्भर है। विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न पर्यावरणों में ही फल–फूल सकते हैं क्योंकि वे उन पर्यावरणों से अनुकूलन कर चुके होते हैं। पौधों की भाँति प्राणी भी पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। मानव तो फिर भी अपने आपको पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेता है, किन्तु पशु जगत् तो पर्यावरण पर पूरी तरह निर्भर हैं। जीवन और पर्यावरण दोनों इतने घनिष्ठ रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं कि जीवन की प्रत्येक भिन्नता, प्रत्येक नस्ल और प्रत्येक जीव–जन्तु एक विशिष्ट पर्यावरण की ही देन कही जा सकती है।

पर्यावरण का जीवों के जीवन में बड़ा महत्त्व होता है। अपना अस्तित्त्व बनाये रखने के लिए उन्हें अपने पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति सतत् अनुक्रिया का समायोजन आवश्यक होता है। "यह जीव अपने पर्यावरण से अनुक्रिया करता है, तथा उस पर्यावरण का पूरा प्रभाव धारण करता है जहाँ यह वृद्धि करता है"।[1] पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों या विभिन्नताओं के प्रति जीव सामान्यतः चार प्रकार से अनुक्रिया प्रकट करते हैं।

(1) आकारिकी अनुकूलनों द्वारा।
(2) शरीर क्रियात्मक अनुकूलनों द्वारा।
(3) व्यवहार प्रतिरूप द्वारा।
(4) सामुदायिक सम्बन्धों के द्वारा।

इसका प्रभाव जीवों के जनसंख्या व उनके घनत्व पर स्पष्टतः देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जिस स्थान की जलवायुवीय पर्यावरण (भूमि, पानी, मौसम) आदि तथा वहाँ की उत्पादकता मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होते हैं, वहाँ लोग अधिक संख्या में रहना पसन्द करते हैं। वहीं कठिन स्थानों जैसे–बर्फीले स्थान, रेगिस्तान भूकम्पीय क्षेत्र, बाढ़ व समूद्री तूफान वाले क्षेत्र पर जनसंख्या घनत्व कम होते हैं। यही कारण है कि सदानीरा नदियों के किनारे तथा गर्मी, जाड़ा व वर्षा वाले मौसमी स्थानों पर ज्यादे लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर्यावरण उनके लिए अनुकूल होता है। इसी प्रकार जब जनसंख्या घनत्व अधिक होगा तो उसका प्रभाव उस समाज के आर्थिक संगठन, उद्योग धन्धे, व्यापार पर पड़ेगा। साथ ही, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं, धार्मिक एवं राजनैतिक संस्थाओं, खान–पान, वेशभूषा, आवास, सभ्यता एवं संस्कृति तथा साहित्य आदि पर भी इसका प्रभाव होगा। साहित्यिक रचनाओं पर पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव हम प्रत्यक्षानुभूति कर सकते हैं। जो साहित्यकार भौगोलिक परिस्थितियों तथा सांस्कृतिक सौन्दर्य युक्त प्रकृति में रमणीय स्थलों पर पैदा हुआ या रहे हैं, उनकी कविताओं, लेखों, कहानियों एवं नाटकों में प्रकृति की सुन्दरता, सूर्योदय, सूर्यास्त, पशु–पक्षियों का कलरव एवं प्राकृतिक छटा का वर्णन हमें भरपूर देखने को मिलता है। वहीं शहरी एवं मानसिक तनाव युक्त–भीड़ भरे तोड़–फोड़, घरेलू एवं रेगिस्तानी तथा समुद्री भागों में जन्में साहित्यकारों के द्वारा लिखे साहित्य में

रेतीले टीले, धूलभरी आँधियों एवं जनशून्यता का उल्लेख देखने को मिलता है। अतएव अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों द्वारा किसी भी जीव का विकास अत्यन्त ही उन्नत होगा। जबकि प्रतिकूल पर्यावरण में विकसित जीव कटा सा–फटा सा एवं जनशून्य ह्रास लिए विकसित होता है। इस प्रकार पर्यावरण की महत्ता स्वयमेव सिद्ध हो जाती है।

संस्कृत साहित्य में पर्यावरण विज्ञान का संक्षिप्त रूप

पर्यावरण अर्थात् परितः आवरणम् अथवा हमारे चारों ओर स्थित वह घेरा या वातावरण जिसका हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षतः अनिवार्यरूपेण उपभोग करते हैं। इसके अन्तर्गत प्रकृतिजन्य सभी तत्त्व–आकाश, जल, अग्नि, ऋतुएँ, पर्वत, नदियाँ, तडाग, वृक्ष, वनस्पति, जीव–जन्तु, ग्रह, नक्षत्र, दिशाएँ एक तरह से अखिल ब्रह्माण्ड ही समाहित हो जाता है। वातावरण के ये सभी तत्त्व मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही, वे स्वयं भी मानवीय कृत्यों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार मानव तथा प्रकृति अन्योन्याश्रित रूपेण सम्बद्ध हो जाते हैं। 'पर्यावरण–चेतना' शब्द में भी यह सम्बन्ध द्रष्टव्य है, पर्यावरण की गणना जड़ तत्त्व के रूप में होती है और चेतना चैतन्य मानव की है। दार्शनिक दृष्टि से भी पुरुष एवं प्रकृति एक–दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति भोग्या है, उसका संसर्ग पाकर पुरुष भोक्ता बन गया है। भोक्ता और भोग्या के मध्य आवश्यक सन्तुलन यदि बिगड़ जाए तो अनेकों समस्यायें जन्म लेने लगती हैं। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, वनों की कटाई, वन्यजीवों का संहार तथा परमाणु परीक्षणों से पर्यावरण–संतुलन बिगड़ रहा है। पृथ्वी पर होने वाले इस प्रदूषण–प्रसार के लिए मानव–जन्य कर्म ही उत्तरदायी हैं। जबकि पर्यावरण की शुद्धि न केवल सभ्यता एवं संस्कृति की प्रतीक होती है अपितु हमारे शारीरिक, मानसिक आदि सर्वाङ्गीण विकास हेतु भी आवश्यक होती है। वृक्ष, वनस्पति, जीव–जन्तु सबके प्रति प्रेम का अर्थ होता है, हमारा स्वयं अपने प्रति ममत्व। इसमें कमी आने से हम प्राकृतिक सम्पदा को नष्ट करके स्वयं को भी विनाश के गर्त में डाल रहे हैं।

इस समस्या को केन्द्र में रखकर जब हम भारतीय चिन्तन पर विचार करते हैं तो हमें संस्कृत भाषा में रचित विभिन्न शास्त्रों में पर्यावरण सम्बन्धी नैतिक अनुशासन सतत् विकसित होता हुआ दृष्टिगत होता है, जिसमें मानव तथा प्रकृति के प्रति मानवीय व्यवहार के नियमों को भी निर्धारित किया गया है भारतीय संस्कृति की मान्यता रही है कि मानव स्वयं को प्राकृतिक पर्यावरण से पृथक् नहीं कर सकता है। अनन्त तक विस्तृत ब्रह्माण्ड का एक कण स्वरूप ही तो है। उसी में जन्मा है, जी रहा है तथा स्वैच्छिक सुखों का भोग कर रहा है।

विश्व–वाङ्मय के प्रथम सोपान ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र है–

अग्निमीळे पुरोहितम्
यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्
होतारं रत्नधातमम्।

प्रस्तुत मन्त्र में अग्नि के प्रति उद्गाता ऋषि की दृष्टि सामान्य नहीं है। उसने अग्नि में स्थित ऊर्जा और जीवन को पहचान कर ही उसे सर्वप्रथम स्तुत्य माना है। संहिता ग्रन्थों में इन्द्र, वरुण, पर्जन्य, सूर्य आदि सभी प्राकृतिक तत्त्वों में देवत्व का विधान किया गया। उसके पीछ शाश्वत तत्त्वों एवं शक्तियों की महिमा की स्वीकृति ही कारण रही है। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण ने अपने 'अभिमानी व्यपदेशस्तु' इत्यादि सूत्र को आधार मानकर प्राकृतिक तत्त्वों के लिए तत्तत् अभिमानी देवता स्वीकार करते हुये ही वैदिक सूक्तों की व्याख्या की है।

उपनिषत्साहित्य और उससे पल्लवित होने वाले विभिन्न दर्शनों में सृष्टि–उत्पत्ति के रहस्य को जानने की प्रक्रिया में पंचभूतों को सृष्टि के मूल में देखा गया, इसी कारण उनकी विशुद्धि पर विशेष बल दिया गया। महाभूतों में स्वयं प्रदूषण नष्ट करने की क्षमता होती है, पर साथ ही उस शक्ति में वृद्धि हेतु उन्हें प्रदूषण मुक्त रखना भी

आवश्यक होता है। सृष्टिक्रम में प्रथम उत्पत्ति आकाश की है,[2] वह शून्य है अतः शुद्धि–अशुद्धि किसी से लिप्त नहीं है, किन्तु उसमें गुण–रूप में विद्यमान शब्द या ध्वनि प्रदूषित हो सकती है। आज तो ध्वनि प्रदूषण विकट समस्या का रूप ले रहा है। प्राचीन काल में भी शंखनाद तथा घण्टानाद दूर तक ध्वनि भेजने हेतु प्रयुक्त होते थे, किन्तु उनकी ध्वनि का कर्णकटु न होना उनके हानिकर न होने का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त शंख–ध्वनि से सूक्ष्म जीवों एवं दुष्टात्माओं के पलायन के उल्लेख मिलते हैं। जैन ग्रन्थों में रात्रि में घण्टा ध्वनि सूक्ष्मजीवों के विनाश का कारण होने से वर्जित की गई। प्रस्तुत आधारों पर प्रातः सायं सन्धि–काल में इन ध्वनियों के विधान को सम्बद्ध किया जा सकता है, क्योंकि उस समय क्षुद्र जीवों का प्रकोप बढ़ता है जिसे शंख एवं घण्टाध्वनि से रोका जाता है।

आकाश तत्त्व से वायु और फिर अग्नि तत्त्व की उत्पत्ति हुई,[3] जिसे परम् पवित्र तथा सर्वव्यापी माना गया।

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव।

आगे महाकवि भवभूति ने कहा–

तीर्थोदकञ्च वह्निश्च नान्यथा शुद्धिमर्हति।।[4]

अग्नि प्रदूषि़ अप्रदूषित हर वस्तु को जलाती है। प्रदूषित पदार्थों को जलाने के बाद चन्दन, अगरु आदि सुगन्धित द्रव्यों को जलाने से दुर्गन्ध नष्ट होकर वातावरण सुवासित हो जाता है, इसलिए शवादि को भी चन्दन, काष्ठ और गाय के सूखे कण्डों से जलाने का विधान किया गया।

सृष्टिक्रम में आने वाले तत्त्व, वायु, जल एवं पृथ्वी अग्नि के ही परिवर्तित रूप है।[5] वायु में जो सुखाने की शक्ति निहित है, वह अग्नि के ही कारण है। अग्नि ही घनीभूत होकर जल का रूप धारण कर लेती है। रसायनशास्त्रज्ञ जानते हैं कि जल का मूल रूप अग्नि ही है, क्योंकि जल का 'मोलिक्यूलर बेस– H_2O है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही गैसें अत्यन्त ज्वलनशील हैं, अतः शीतल प्रतीत होने वाले जल का मूल स्वरूप अग्निमय ही सिद्ध होता है। जल घनीभूत होने पर पृथ्वी बन गया है। इस दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि मूलरूप में अग्नि ही पानी ही आत्मा है और इस प्रकार अग्निसूक्त को सर्वप्रथम रखने का भेद भी स्पष्ट हो जाता है।

जल तथा उसकी शुद्धि के सम्बन्ध में भी अथर्ववेद में अनेक मन्त्र प्राप्त होते हैं। आगे आगम, सूत्र तथा स्मृत्यादि ग्रन्थों में भी जल की शुद्धि पर बहुत बल दिया गया।

वायु की भी अनेकशः महिमा गाई गई। कठोपनिषद् में उसे सर्वव्यापक माना गया। वह भुवन में प्रविष्ट होकर प्रति पदार्थ के साथ तद्रूप हो जाता है।[6] पृथ्वी को भी पूज्य माना गया। अर्थववेद का पृथ्वी सूक्त इसका प्रमाण है। उससे उत्पन्न वृक्ष वनस्पतियों में जीवन की घोषणा बृहदारण्यकोपनिषद्[7] में कर दी गई थी। सभी पाँचों तत्त्वों का विस्तृत विश्लेषण सम्भव तथा अपेक्षित है किन्तु स्थानाभाव से मात्र संकेत किया जा रहा है।

संहिता काल के बाद ब्राह्मण ग्रन्थों एवं उनसे आगे सूत्र–साहित्य में भी पर्यावरण के तत्त्वों को पर्याप्त संरक्षण दिया गया। गृह्यसूत्रों तथा स्मृतियों में विहित संस्कारों एवम् आचारों के वर्णनों में इस तथ्य की पुष्टि के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। उक्त शास्त्रों में शौच, स्नान, भोजन, अर्चना, देवयज्ञ, भूत–यज्ञ आदि के नियमपूर्वक विधान करके शुद्धता, पवित्रता पर बल देने के साथ ही जीव–जन्तुओं के प्रति मानवीय सद्भावना की अनिवार्यता का भी प्रतिपादन किया गया है।

वैदिक साहित्य में सूत्ररूप में कहे गये तथ्यों का ही उपबृंहित स्वरूप विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है। यथा–वृक्षादि की महिमा और उन्हें हानि पहुँचाने को अपराध तथा पाप स्परूप मानने के उल्लेखों से, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियाँ, सूत्र–साहित्य आदि अनेक ग्रन्थ भरे पड़े हैं। वैदिक ही नहीं, अवैदिक बौद्ध, जैन आगमशास्त्रों तथा साहित्य–ग्रन्थों में भी पर्यावरण के प्रति अति कोमल भावों एवं

संरक्षण की आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है।

वैदिक एवं पौराणिक साहित्य के अतिरिक्त आयुर्वेद में वृक्ष एवं वनस्पतियों में जीवनी शक्ति को मान्यता दी गई। कतिपय औषधियों को दिव्य एवं पूज्य माना गया, केवल उपचार हेतु ही उनका संकलन करने तथा उनमें सादर प्राण–प्रतिष्ठा करके ही उपयोग करने की अनुमति दी गई।

वास्तुविज्ञान के अन्तर्गत दिशाओं, सूर्य रश्मियों एवं वायु–प्रवाह आदि का ध्यान रखते हुए विशिष्ट आकार के भवनों को ही शुभ माना गया तथा घर की किस दिशा में कौन–से पौधे लगाने चाहिए, ऐसा विधान भी किया गया। अर्थात पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही वास्तुशास्त्र का विकास हुआ।

ब्रह्माण्डीय ग्रहों एवं नक्षत्रों के मानव पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र का विषय बना। ये ग्रह नक्षत्रादि मनुष्य को मात्र प्रभावित ही नहीं करते अपनी विशिष्ट पूजा–अर्चना एवं रत्नादि के माध्यम से सन्तुष्ट भी होते हैं।

राजनीति का अमर ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशास्त्र, समराङगणसूत्रधार, महाभारत, चरक–संहिता, तथा स्मृति–ग्रन्थों के रूप में प्राचीन भारतीय पर्यावरण चेतना के स्पष्ट निदर्शन प्राप्त होते हैं। हमारे ज्ञान, कर्म ही नहीं उपासना भी पर्यावरणिक उपादनों से सम्बद्ध रही है। सारी नदियाँ देवियाँ हैं, गंगा जिनमें विशेष है। पर्वत देवता हैं। पृथिवी और गौ मातृस्वरूपा हैं। इतना ही नहीं अधिकांश पशु–पक्षी देव–वाहनों के रूप में प्रतिष्ठित होकर पूज्य बन गये। स्त्रियों के व्रत, त्योहार अनेक वृक्षों एवं वनस्पतियों से सम्बद्ध कर दिये गये। कुछ पशु–पक्षियों के दर्शन शुभ शगुन–सूचक मान लिये गये और अन्यों को उनका भोजन देना पुण्यकारी घोषित कर दिया गया। यथा–बन्दरों को चने, मछलियों को आटे की गोलियाँ, चींटियों को आटा, कौवों, कुत्तों को बलि का विधान कर दिया गया। भारतीय संस्कृति में तो सिंह और सर्प जैसे हिंस्र जीव भी शक्ति और शिव से संयुक्त होकर पूज्य तथा अवध्य हो गये। आधुनिक जीवविज्ञान भी इनके महत्त्व का प्रतिपादक है। भारतीय ऋषियों ने तो न केवल जीवन में अपितु मृत्युपरान्त भी समस्त जीवों, मक्खी, मच्छर तक के लिये तर्पण–विधान करके पर्यावरण–प्रेम का अद्वितीय परिचय दिया है।

संदर्भ

1. अग्रेरायः। अदम्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधयः। तैत्तिरीयोपनिषद्
2. तस्यान्दा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। तैत्तिरीयोपनिषद्
3. आकाशन्दायुः वायोरग्निः। तैत्तिरीयोपनिषद्
4. उत्तररामचरित्र
5. अग्रेरायः। अदम्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधयः। तैत्तिरीयोपनिषद्
6. कठोपनिषद् 5.10
7. बृहदारण्यकोपनिषद्

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 10th Oct. 2024 Paper Accepted : 25th Oct. 2024

Role of Indian Constitution in Promoting Social Justice

❒ Dr. Savita Mishtra*

ABSTRACT

The impetus of 'transformative constitutionalism' necessitates state intervention in society to achieve social justice. The focus on the examination of Constituent Assembly debates and discussions throughout the nationalist movement is based on the belief that ideas are significant in history. The Fundamental Rights aimed to promote social revolution by establishing a society in which all citizens would have equal freedom from compulsion or constraint, whether imposed by the state or by society at large.

Despite the fact that India is well-known for its extensive cultural heritage and intricate social structure, the nation has been repeatedly confronted with the difficulty of ensuring that all of its residents are treated in an equitable manner. There is a strong relationship between the nation's pursuit of a more equitable society and the injustices that have occurred in the past, such as discrimination based on caste, economic issues, and gender inequality. This connection is strong since the nation has been working toward a more equitable society.

Key word–*Role, Indian, Constitution, Promoting, Social, Justice etc.*

Introduction

In this never-ending search, the pursuit of social justice is one of the most crucial issues that must be considered. The Constitution of India is a text that is a visionary document that incorporates the ideas of justice, liberty, equality, and fraternity. All of these concepts are crucial to the project that is now being conducted. In this essay, an attempt is made to study the complex relationship that exists between social justice and India's legal structure in a comprehensive manner. Particular attention is paid to constitutional requirements, judicial interventions, obstacles, and prospective growth pathways while conducting this investigation.

The Constitution of India, which was ratified on January 26, 1950, is the national document that is considered to be the most authoritative legal document in India. The establishment of the structure of the government and the protection of the rights and liberties of the people who reside there are both the responsibilities of this group. It is the Directive Principles of State Policy that are outlined in Part IV of the Constitution that is the fundamental aspects that define the ethos of the Constitution.

In order to actively promote the well-being of the people, secure social fairness, and find

* M.I.G.D.-22, Shanti Vihar Colony, Padra Rewa (M.P.)

solutions to socio-economic inequities, the state should adhere to these principles, which serve as guidelines for the state to follow. Even though they are not legally binding, the Directive Principles of State Policy are a representation of the ethical responsibility that the government has to promote social justice, equitable distribution of resources, and inclusive progress. This responsibility is a representation of the government's obligation to promote these things.

The essential assumption that all individuals should be treated equally and without discrimination is referred to as the "Right to Equality," which is a concept that involves the concept of equality. This means that all individuals should be treated without prejudice.

The right to equality is one of the most fundamental principles of social justice in India. Articles 14 to 18 of the Constitution of India protect this right, making it one of the most important laws in the country. In accordance with the requirements of Article 14 of the Constitution, it is guaranteed that each and every individual will be provided with the same level of legal protection and will be treated in an equal manner by the law. On the basis of religion, ethnicity, caste, gender, or place of birth, this treaty specifically prohibits any and all types of discrimination. This includes any and all forms of discrimination. Even if there are constitutional safeguards in place, there are still persistent inequities that exist.

This is especially true with regard to discrimination that is based on gender imbalances and caste discrepancies. Affirmative action laws, which include the adoption of quotas in educational institutions and public employment, have been a vital instrument in the process of redressing historical wrongs and encouraging social integration. These laws have been implemented in order to ensure that affirmative action laws are implemented. In spite of this, there are still problems that need to be won in order to guarantee the successful execution of these measures and to battle the firmly established injustices that exist throughout society.

Affirmative action policies, which are established in Articles 15 (4) and 16 (4) of the Constitution, are designed to improve the status of communities that have been historically disadvantaged and to encourage their involvement in many aspects of public life. This is the goal of the policies. It is the intention of the government to offer members of Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs) with opportunities for socio-economic growth.

This is the reason why seats in educational institutions and government positions are reserved for these individuals. Increasing the amount of educational and employment opportunities that are accessible to underprivileged groups has been an important element that has contributed to the establishment of reservation rules. On the other side, they have also served as a catalyst for discussions concerning the concepts of efficiency, meritocracy, and the reinforcement of identities that are founded on caste.

Furthermore, the difficulties of resolving social justice concerns in a country as diverse as India are further emphasized by challenges such as the insufficient engagement of vulnerable communities and the requirement for intersectional solutions to affirmative action. Both of these challenges need to be addressed. Both of these difficulties are brought to light by the fact that India is a nation that is abundant in a variety of different cultures.

Judicial activism is the tendency of judges to interpret and apply the law in a manner that is beneficial to the promotion of social justice. When we talk about judicial activism, we are referring to this tendency.

It is the responsibility of the judicial branch, in its capacity as the protector of the Constitution, to play a key part in the interpretation and enforcement of constitutional provisions that are associated with social justice. As time has progressed, the Indian court has consistently shown a high level of interest in addressing social issues and preserving the rights of populations

who have been subjected to oppression. The principles and framework of social justice jurisprudence have been significantly influenced by landmark legal decisions such as the Kesavananda Bharati case, which affirmed the preeminence of the Constitution and the fundamental structure theory, and the Indra Sawhney case, which addressed affirmative action in public employment.

Both of these cases were decided in the United States Supreme Court. The Supreme Court of the United States of America rendered decisions in both of these instances. Activism on the part of the judiciary frequently fills in gaps in legislation and offers assistance to those who are disadvantaged. This help can be supplied in circumstances addressing the deterioration of the environment, the ownership of land, and the provision of justice for communities who are oppressed. However, there are still worries over the prevalence of excessive judicial power and the limitations of judicial engagement in the process of addressing systemic issues. These concerns continue to exist.

It is essential to recognize that economic rights, in addition to civil and political rights, also play a significant part in the development of social justice. This is something that should not be overlooked. There are a number of economic entitlements that are guaranteed under the Constitution of India. These entitlements include the right to job, the right to education, and the right to subsistence. The protection of these rights is absolutely vital in order to ensure the socioeconomic well-being of every single person and to lessen the degree of inequality that exists.

In spite of this, the achievement of these rights is delayed by a variety of challenges, including the unequal distribution of resources, the restricted access to high-quality education and healthcare, and the high rates of unemployment. When it comes to the pursuit of social justice in India, resolving economic imbalances and giving support for inclusive growth are both crucial components that must be included.

Even if constitutional guarantees and the intervention of the judiciary are there, the objective of constructing social justice in India continues to be a difficult and demanding one. This is the case despite their being constitutional guarantees. There are still many difficulties that prevent inclusive growth from being realized. Some of these obstacles include inequalities in economic position, restricted access to educational and medical facilities, and pervasive prejudice.

Because of the ubiquitous nature of the caste system and the obvious repercussions it has on a number of different sectors of society, there are considerable impediments that stand in the way of attaining social advancement and equitable access to opportunities. Additionally, the prevalence of problems such as prejudice against religious views, violence based on gender, and the deterioration of the environment makes the objective of achieving social justice more challenging.

The literature on Indian constitutionalism places emphasis on how it differs from liberal constitutionalism's limited objectives. Uday Mehta (2010) makes a distinction between Indian constitutionalism (representing the twentieth century) and American constitutionalism (representing the eighteenth century). The foundation of American constitutionalism was a profound mistrust of authority, of which the absolutist prince was but one example. Thus, the justification for this constitutionalism was to restrict, distrust, and limit the scope of political power. Mehta contends that constitutionalism in most of the twentieth century-and in India especially-clearly does not adhere to such a chastened notion of power and politics. This constitutionalism expands and celebrates the scope of authority in addition to defining it. According to him, the Indian constitution alone represents a really revolutionary movement of rupture because it upends politics' relationship to time and history and subjects historical customs like caste and religion to political

power's transformation.

Rajeev Bhargava (2008) similarly notes that the Indian Constitution was intended to free society from the constraints of established social hierarchies and to usher in a new period of liberty, equality, and justice. In his opinion, the Indian Constitution represents a significant advancement in constitutional theory since it gives individuals who have historically been denied power a reason to exist in addition to disabling others.

Was an ardent patriot and the saviour of the oppressed, women and poor Set up the 'Bahishkrit Hitkarini Sabha (Outcastos Welfare Association), for spreading education and culture amongst the downtrodden Attended all the three Round Table Conferences in London. Was elected as Chairman of the Drafting Committee of the Constitution of Independent India and known as the architect of Constitution of India

Become the first Law Minister of Independent India Advocated democracy in every field: Social, Economic and Political preamble we, the people of India, having schewsky reached so constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its dit. :

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and of opportunity; and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; In our constituent assembly this twenty-sixth day of November, 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution.

According to Kumar (2014), the 1940s saw a lot of expectations and requirements placed on the process of writing a new constitution. It was thought that this would end the ongoing patterns of exploitation based on gender, caste, and religion and bring about the much-needed changes to the deeply unequal and hierarchical social structure that would allow every citizen to live in dignity and have equal rights under the law. Millions of people's lives changed when the Indian Constitution was ratified; in particular, those living in impoverished areas saw it as the first time they would likely be granted equal rights and treatment.

Khosla (2020) highlights the instructional function of the constitution in fostering the development of a democratic citizen, in addition to its traditional role in distributing authority and establishing rules and regulations. This argument is based on Ambedkar's claim that constitutional morality must be fostered in India. He further argues that the Constitution should not be

Under the transgender persons (protection of rights) act, 2019, the following penalties are outlined for violations of the rights of transgender persons Decimation Any per amor establishment deccionsbing again transgender person in marees such as employment education healthcare and access to public spaces is pune hable under the Act Physical Sexual Verbal Emotional or Economic Abuse The Act criminalizes any kind of abuse towaut transgender persons and provides for punediment which can include Imprisonmeal Impre onment for a term of spe months le two years

Fine The convicted person may also be able to a fine the amount of which determined by the court regarded as a continuation of the Government of India Act, 1935, as, notwithstanding the numerous clauses included from the 1935 Act, democratisation represented a substantial departure from previous practices. The focus on the examination of Constituent Assembly debates and discussions throughout the nationalist movement is based on the belief that ideas are significant in history. Khosla contends that Indian Constitution founders were radicals, as they repudiated imperial philosophy and sought to cultivate democratic citizens through codification, a centralised state, and the liberation of individuals from the constraints of caste and religion.

The impetus of 'transformative constitutionalism' necessitates state intervention in society to achieve social justice. This contrasts with the Gandhian concept of social justice. Austin observes that Gandhi posited that the

attainment of social justice must originate with the moral transformation of each individual, emanating from the heart and mind of every Indian and extending outward to society at large. Reform should not be imposed from above by the government; rather, a transformed society would require no governmental regulation or oversight. Gandhians in the Constituent Assembly, such as SN Agarwal, argued for a state that is as small as feasible. Agarwal proposed a Gandhian Constitution for Free India, advocating for little government intervention and heightened individual responsibility for personal well-being. The Assembly's alternative to a Gandhian Constitution was one rooted in European and American traditions, facilitating a directly elected administration. Although these constitutions may have been laissez-faire at their inception, they have gradually assumed greater responsibility for citizen's welfare over time. Consequently, the Assembly members needed to determine whether conventional or non-traditional institutions would most effectively facilitate a social revolution capable of profoundly transforming the structure of Indian society.

The 'Objectives Resolution' underscored the objective of social revolution but did not delineate the means to attain this goal. KM Pannikar asserted that "the Constitution is a solemn commitment to the people of India that the legislature will endeavour to reform and reconstruct society based on new principles."(Austin 1972: 46) Austin asserts that adult suffrage empowered millions who once relied on the caprices of others for the representation of their interests. He notes that while Fundamental Rights safeguard people and minority groups from arbitrary and discriminatory official actions, three provisions under the Fundamental Rights part of the constitution are intended to protect individuals from the actions of other private citizens. Article 17 abolishes untouchability; Article 15(2) stipulates that no citizen shall experience any discrimination in the use of shops, restaurants, wells, roads, and other for Prevention of Atrocities on Members of SCs and STs. Report atrocities and seek help Confidential and prompt assistance Support for victims of caste-based crimes Guidance on legal rights and procedures Connecting victims to local resources and services.

Reporting of Crime Becomes Easy e-FIR-Provision to submit complaint through electronic medium; victim should go to police station within three days and sign the complaint Zero FIR-Provision to register complaint against crime in any police station Electronic/digital evidence is now as valid as other evidences Scan for More Details The Bharatiya Nyaya Sanhita The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita The Bharatiya Sakshya Adhiniyam public spaces due to religion, race, caste, sex, or place of birth; Article 23 prohibits practices that, although previously endorsed by the state, predominantly involved conflicts between landowners and peasants. Consequently, the state, in addition to adhering to the constitution's prohibitions on infringing upon specific liberties of citizens, must also fulfil its affirmative duty to safeguard citizen's rights from societal encroachment.

The Fundamental Rights aimed to promote social revolution by establishing a society in which all citizens would have equal freedom from compulsion or constraint, whether imposed by the state or by society at large. Baxi asserts that the Indian constitution broadens the concept of rights beyond the state to encompass civil society. This is seen in the prohibition of behaviours related to untouchability (Article 17) and the banning of bonded labour and human trafficking (Article 23). He asserts that the Indian constitution exemplifies a modern instance of enabling state intervention against manifestations of cruelty inside civil society. Furthermore, the Indian constitution serves as a mechanism for the empowerment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes by granting them legislative reservations and mandating quotas in education and state employment for these groups, as well as for socially and educationally disadvantaged classes. Some of the important provisions of the

Constitution of India prompting the goal of social justice are as follows:

(a) We the People–This line from the Indian Constitution's Preamble captures the transformative goal. 'We the People' creates a new identity that equalises opportunities and status for those whose identities were previously shaped by caste, religious, and ethnic systems. An individual' detached from the principles generated from the framework formed the basis of this identity. It has legal significance in addition to being a significant declaration of independence from colonial control. By decree of the Cabinet Mission Plan, the Constituent Assembly of India was established, responsible for drafting the Constitution for Independent India. 'We the People' is a significant departure from the 1947 Independence Act and the Cabinet Mission Plan's legal restrictions.

(b) Universal Adult Franchise–In a hierarchical society, the establishment of the Universal Adult Franchise, this was founded on the tenets of 'one person, one vote, one value, was revolutionary? According to Rajeev Bhargava, full citizenship in India is awarded based solely on the requirement of being an adult member, a concept known as the categorical principle of inclusion.

(c) Abolition of Untouchability–Untouchability is outlawed in all forms under Article 17 of the Indian Constitution. It aimed to break with the past by putting an end to the long-standing humiliation that some castes had to endure.

(d) Right to Equality–According to academics like Martha Nussbaum, the Constitution of India explicitly recognises the idea of substantive equality by going beyond the idea of formal equality and stating that special protective laws that advance the interests of marginalised groups are not to be interpreted as unlawful discrimination.

(e) Directive Principles of State Policy–The Directive Principles of State Policy provide a more concise definition of social revolution. According to Austin (1972), the intention behind these concepts was to liberate the Indian masses-that is, to free them from social and natural constraint. New Criminal Laws Safeguarding Rights & Strengthening Justice Police cannot detain without explanation for more than 24 hours. An arrested person can be produced before any magistrate, regardless of jurisdiction Section 170 of BNSS provides that detention should not exceed 24 hours when police makes an arrest to prevent commission of a cognizable offense.

In of liberal the dominant framework constitutionalism, it means structural power differentiation to safeguard citizen's rights. The state is viewed as an impartial arbitrator with no power to influence people's lives. The focus shifts from a neutral state and structural power differentiation to the state's capacity for transformation in transformative constitutionalism. In addition to systematising the political order, constitutions are also tasked with adjusting the social order to make it harmonious with the political order. Rebuilding society on new foundations is transformative constitutionalism's main theme. The ability of the state to establish the prerequisites for a just society is one of the constitution's key purposes. The idea of transformative constitutionalism revolves around the ideal of social justice. Transformative constitutionalism's urge demands that the government impose social fairness and social regulation on society.

To what degree was the aim of transformation achieved by Indian constitutionalism? There are two different perspectives from which we can try to answer this. From the standpoint of the liberal modernist model, people have, on the one hand, become more ingrained in the identities that were supposed to be abandoned in order to usher in a modern society during the course of the previous seven decades. Therefore, it would

I seem that the constitution's goal of social change was not achieved. However, from the standpoint of the liberal communitarian model, group rights have aided in uniting disparate populations under a democratic framework. As

a result, religion has become institutionalised, and caste has become more democratic.

While the core of liberal constitutionalism is restricting the authority of the state, transformative constitutionalism emphasises giving the state the power to change society in an egalitarian manner. This is because oppressed people need the state to actively intervene in order to be released from the historical bonds that have kept them down, rather than relying solely on non-intervention.

References

1. Austin, Granville. (1972). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. New Delhi: Oxford University Press.
2. Baxi, Upendra. (2005). 'Postcolonial Legality' in Henry Schwarz (ed.) A Companion to Postcolonial Studies. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
3. Baxi, Upendra. (2008). 'Preliminary Notes on Transformative Constitutionalism', Paper presented at the BISA Conference, Courting Justice II, Delhi, April 27-29(unpublished).
4. Bhargava, Rajeev. (ed.). (2008). 'Outline of Political Theory of the Indian Constitution' in Politics and Ethics of the Indian Constitution. New Delhi: Oxford University Press.
5. Kannabiran, Kalpana. (2012). Tools of Justice: Non Discrimination and the Indian Constitution. Routlegde.
6. Khosla, Madhav. (2020). India's Founding Moment: The Constitution of a Most Surprising Democracy. Cambridge: Harvard University Press.
7. Kumar, Kamal. (2014). Indian Constitution: The Vision of B. R. Ambedkar. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 19, Issue 3, Ver. IV (Mar. 2014), pp. 29-36.
8. Mehta, Uday. 2010. Constititutionalism in Niraja Jayal and Pratap Bhanu Mehta.(eds) Oxford Companion to Indian Politics. New Delhi: Oxford University Press. 1st ed. pp. 15-27.
9. Nussbaum, Martha. (2002). Sex Equality, Liberty and Privacy: A Comparative Approach to the Feminist Critique in Zoya Hasan, E.Sridharan and R. Sudarshan. (eds.). India's Living Constitution. Permanent Black.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
SHODH CHETNA YEAR 2024 Vol. 4 PRAYAGRAJ
Paper Recieved : 10th Nov. 2024 Paper Accepted : 20th Nov. 2024

Architecture During Medieval India

Dr. Rajeev Kumar Singh*

ABSTRACT

The medieval past matters deeply in modern India. The most prominent people, dynasties, and historical incidents from this period are common subjects of public discussion even today. This investment in the past is generally healthy for Indian society as people robustly debate how to best interpret their history and its possible lessons and meanings for the present. But there is an ugly side to modern India's attraction to its younger self. History, especially during the medieval period of so-called Islamic rule, is often flattened and rewritten in modern India until it bears only the faintest resemblance to any reality of what actually happened. Moreover, the battle over India's past increasingly begins and ends in the present. The truth of any given historical narrative is irrelevant to many, and medieval history is often brazenly altered to reflect modern day political agendas, some of them profoundly troubling. The battle concerning India's Islamic past frequently revolves around the Mughal Empire, the most well-known and certainly the most powerful of pre-colonial India's many Islamic polities. The last Mughal ruler died well over a century ago, and the Mughals had ceased to exercise substantial political power by the mid eighteenth century. However, as the Mughals recede further into the past, their valence in debates over India's future is conversely growing. The recent renaming of Aurangzeb Road in Delhi reminds us all of a modern reality: Mughal history and interpretations thereof matter in today's world.

Keyword–*Architecture, Medieval India*

REVIEW OF LITERATURE

Vijayanagara Architecture of the period (1336 – 1565 AD) was a notable building style evolved by the Vijayanagar empire that ruled most of South India from their capital at Vijayanagara on the banks of the Tungabhadra River in presentdayKarnataka.[1] The architecture of the temples built during the reign of the Vijayanagara empire had elements of political authority.[2] This resulted in the creation of a distinctive imperial style of architecture which featured prominently not only in temples but also in administrative structures across the deccan.[3] The Vijayanagara style is a combination of the Chalukya, Hoysala, Pandya and Chola styles which evolved earlier in the centuries when these

* Assistant Professor (Guest Faculty), History, Rajmata Scindia Govt. PG Girls College, Chhindwara (M.P.), E-Mail : aadesh.singh84@gmail.com

empires ruled and is characterized by a return to the simplistic and serene art of the past.[4]

Hoysala architecture is the distinctive building style developed under the rule of the Hoysala Empire in the region historically known as Karnata, today's Karnataka, India, between the 11th and the 14th centuries.[5] Large and small temples built during this era remain as examples of the Hoysala architectural style, including the Chennakesava Temple at Belur, the Hoysaleswara Temple at Halebidu, and the Kesava Temple at Somanathapura. Other examples of fine Hoysala craftmanship are the temples at Belavadi, Amrithapura, and Nuggehalli.

Study of the Hoysala architectural style has revealed a negligible Indo-Aryan influence while the impact of Southern Indian style is more distinct.[6] A feature of Hoysala temple architecture is its attention to detail and skilled craft manship. The temples of Belur and Halebidu are proposed UNESCO world heritage sites[7] About a 100 Hoysala temples survive today.[8]

ARCHITECTURE DURING MEDIEVAL INDIA

At the same time it must also be accepted that a period of 100 years (1556-1658) covered by the reign of Akbar, Jahangir and Shah Jahan has a special significance for the promotion of architecture. Likewise there was some activity in this area in the period of Babur and Humayun. Therefore, it is said that the Mughal period was the golden period of Indian architecture.[9]

The architecture of India is rooted in its history, culture and religion. Indian architecture progressed with time and assimilated the many influences that came as a result of India's global discourse with other regions of the world throughout its millennia-old past. The architectural methods practiced in India are a result of examination and implementation of its established building traditions and outside cultural interactions.[10]

Though old, this Eastern tradition has also incorporated modern values as India became a modern nation state. The economic reforms of 1991 further bolstered the urban architecture of India as the country became more integrated with the world's economy.[11] Traditional Vastuhastra remains influential in India's architecture during the contemporary era.

Main features of Golden Period of Mughal Architecture :

1. Huge Construction:

The Mughal rulers built magnificent gates, forts, mausoleums, mosques, palaces, public buildings and tombs etc.

2. Synthesis of Persian and Indian style:

The specimens of architecture created under the Mughals have become the common heritage of both the Hindus and the Muslims. It is a happy blend of Hindu and Muslim architecture.

3. Specific characteristic:

A common characteristic of the Mughal buildings is "the pronounced domes, the slender turrets at the corners, the palace halls supported on pillars and the broad/gateways."

4. Costly decorations:

The Mughal emperors in general but Shah Jahan in particular decorated his buildings with costly articles. One of the important distinguishing features of the Mughal buildings is their ornamentation as compared with the simple buildings of the previous Muslim rulers of India.

5. Building material:

During the Mughal period, buildings were constructed mostly of red sandstone and white marble.

Although all the Mughal rulers except Aurangzeb took great interest in architecture, yet Shah Jahan surpasses all in the field of architecture. There is no doubt that architecture reached the pinnacle of its glory during the period of Shah Jahan.

The period of Shah Jahan (1627-1658) witnessed a glorious outburst of activity in the development of architecture. Shah Jahan's period is usually called the 'Golden Age of Mughal Architecture' and he is given the titles of 'Prince among the Builders' and 'Engineer King'. His

most important and impressive buildings are the Taj Mahal, Red Fort and Jama Masjid. These buildings are extremely beautiful and soft.

Shah Jahan mostly made use of marble in place of red stone. With a view to enhance the beauty and effect of the ceilings, he made full use of gold, silver, precious and coloured stones. At several places, the pictures of trees, animal scenes and other flora and fauna have been depicted.

REFERENCES

1. Davies, Philip. The Penguin guide to the monuments of India, Vol II. London: Viking, 1989.
2. Tadgell, Christopher. The History of Architecture in India. London: Phaidon Press, 1990.
3. Dutta, Arindam (29 March 2010). "Representing Calcutta: Modernity, Nationalism and the Colonial Uncanny". Journal of Architectural Education. 63 (2): 167–169.
4. Pavan K. Varma, Sondeep Shankar, Mansions at dusk: the havelis of oldDelhi, Spantech Publishers, 1992, ISBN 978-81-85215-14-3
5. Carla Sinopoli, The Political Economy of Craft Production: Crafting Empire in South India, C. 1350–1650, p. 209.
6. Chandra, Pramod (2008), South Asian arts, Encyclopædia Britannica.
7. Jaffar, S.M (1936). The Mughal Empire From Babar To Aurangzeb. Peshawar City: Muhammad Sadiq Khan. OU_1 60252.
8. Mankekar, Kamla (2004). Temples of Goa. India: Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of Ind. ISBN 978-81-2301161-5.
9. Livingston, Morna & Beach, Milo (2002), Steps to Water: The Ancient Stepwells of India, Princeton Architectural Press, ISBN 1-56898-324-7.
10. The Hindu (2004), Belur for World Heritage Status.
11. Carla Sinopoli, The Political Economy of Craft Production: Crafting Empire in South India, C. 1350–1650, p. 209.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 10th Nov. 2024

Paper Accepted : 20th Nov. 2024

Nocturnal Enuresis in Children And Its Effective Treatment By Homoeopathic Medicine

❒ Dr. Saroj Verma*

ABSTRACT

Background: Nocturnal enuresis is one of the most common problems in children hampering daily life and studies. Nocturnal enuresis affects 15% to 20% of 5-years old children, 5% of 10 years old children and 1-2% of people age 15 and above. Without treatment 15% of the affected children will become dry each year[1].

Methods: It is a randomized, single, blind placebo control study, conducted at my personal clinic. Out of many patients this exploratory study was conducted on 100 children from 5 years to 16 years of age over the period of more than one year, out of 100 patients 16 were dropped out and 84 completed trials with follow ups.

Results: The final outcome was marked reduction in number of wet nights per week along with behavioural changes in children.

Conclusion: Constitutional homoeopathic medicines were prescribed on the basis of totality of symptoms, out of many medicine causticum plays a very important role in its cure. So we can say that, Homoeopathy has a great scope in the treatment of nocturnal enuresis many cases were cured especially by causticum medicine.

Keywords–*Nocturnal enuresis, children, causticum, homoeopathy.*

Introduction

The word enuresis (bed wetting) was evolved from a Greek word 'enourein' that means 'to urinate in.' Nocturnal enuresis, also called bedwetting. Enuresis is defined as normal, nearly completely evacuation of the bladder at wrong place and time at least twice a month after 5years of age. Enuresis called primary child has never been dry and secondary where bedwetting starts after a minimum period of 6 months. It is termed monosymptomatic if it is not accompanied by any lower urinary tract symptoms and nocturnal if it occurs only during the sleep. The persistent analysis is the cause of the poor toilet formation. Parental quarrelsomeness, arrival of sibling or a own circle of relatives, tragedy is the precipitating element for regressive enuresis. Bedwetting is generally of two *types*

1. Primary Enuresis–Persistent bedwetting since early childhood without a prolonged

* Asst. Professor, Dept. of Materia Medica, State LBS, Homeopathic Medical College and Hospital, Prayagraj, 211013. Correspondent Author Email Id:- Sarojverma2011@gmail.com

dry period.

2. Secondary Enuresis–Bedwetting that begins after a continuous dry period of at least six months.

Causes of Bedwetting–Smaller bladder capacity, Hormonal imbalances, Overactive bladder muscles, Sleep Apnea, Diabetes mellitus, Certain medications, Genetic predisposition, Neurological disorders, Obstructions or blockages in the urinary tract, Urinary tract infections, Rarely, cancer

Patho-physiology factor–The exact cause of nocturnal enuresis is not clearly known, bit several factors may be contributary. Three main factors that interact to produce nocturnal enuresis are:-

- **Altered antidiuretic hormone (ADH)**–an abnormal decrease in ADH levels at night causes increased urine production.
- **Altered slup/arousal mechanism**–impaired arousal from slup response to a fall bladder vasopressin deficiency may impair arousal

Reduced nocturnal functional bladder capacity–Children with nocturnal enuresis have smaller function bladder capacities.

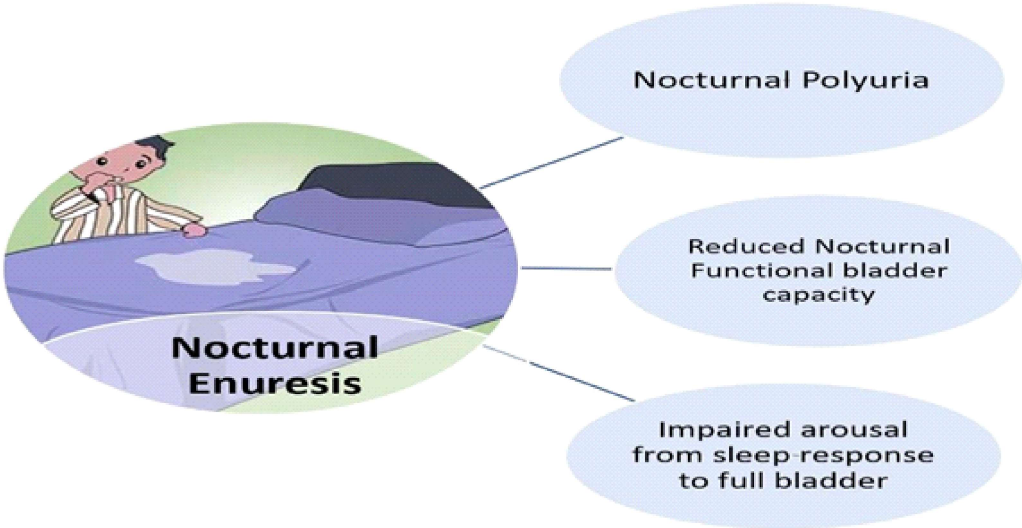

Figure 1. *Patho-physiology factor of nocturnal enuresis*

Diagnosis of Bedwetting: To determine appropriate treatment, a comprehensive evaluation may include :

- Review of symptoms, fluid intake, family history, and bowel and bladder habits, along with any associated issues with bedwetting.
- Physical examination
- Urine analysis to detect infection or signs of diabetes
- Imaging tests, such as X-rays or ultrasound of the kidneys, ureters, and bladder (USG KUB), to assess the urinary tract structure
- Additional urinary tract tests as needed.

Homoeopathic Management includes

- Health education of children
- Diet chart, exercise therapy, cleanliness, hygiene and healthcare should be follow
- Alarms should be placed at particular times at night so that child goes and urinates at that time
- Using toilet at regular interval throughout the day
- Reduce intake of fluid at night
- Counselling therapy like educating the child and parents about the condition will be done

Materials and methods

Design–This was a prospective clinical study with an interventional single blind, placebo control method. The study was conducted in my personal clinic[2].

Sources of data–The subjects for this study have been selected from 100 Patients out of which 16 patients left the treatment those with complaints of involuntary urination in bed during sleep.Data for the study has been collected by

- Clinical history from parents
- Clinical presentation
- Clinical examination of each child

Inclusion criteria

Patients of both genders who were older than 5-years but younger than 15 years were selected for the study cases of functional primary enuresis have been taken. The diagnosis criteria were mainly based on the clinical symptoms of the patients.

Exclusion criteria

Primary anuresis due to gross pathologic changes were excluded. Age below 5-years and above 15 years were also excluded. Children with urinary malformation, diabetes, renal diseases, etc where children requiring other treatment have been excluded.

Intervention–all the selected medicines were prescribed after questioning the patient. Basically potency from 30C to 200C was prescribed. **Case Study: Homoeopathic treatment**

Here 100 cases were taken of nocturnal enuresis in children in my personal clinic of age group ranging from 5 years to 15 years of age treatment were done for more than one year of period, out of 100 patients 16 patients left the treatment and only 84 took the treatment. Homoeopathic medicines which were prescribed on the basis of totality are *Causticum, Cina, Apis-Mel, Sepia, Arg. Nitricum, Lycopodium, Sulphur, Cal. Carb.* from 30 C to 200 C potency of SBL Company.

Sr. No	Age Group	No. of Patients
1.	6 - 8 years	51
2.	9 - 12 years	24
3.	13 - 15 years	9

Table 1. *Distribution of patients according to age group*

On the basis of totality of symptoms patients of different age groups following medicines were prescribed.

Sr. No.	Name of Medicine	Purpose
1.	Causticum	Particularly in children during first sleep[6].
2.	Cina	Enuresis during first sleep, great appetite soon after leaving the tank, with worm manifestation[6].
3.	Apis-mel	Enuresis due to weakness of bladder[7]
4.	Sepia	Incontinence of urine at night[7]
5.	Arg. Nitricum	Fearful children with blue eyes, light hair, fine complexion[8]
6.	Lycopodium	For people who are so anxious that they constantly worry about what other think of them[8]
7.	Sulphur	For pale lean children with lose abdomen[8]
8.	Calc. Carb.	Scrofulous children sweat easily wetting and catch cold easily

Table 2. *Treatment Module*

After the follow up of each case, the cases were categorized in 4 groups depending on the response of the treatment.

S.No.	Intensity of Symptoms	Remarks
1.	Marked Improvement	Complete relief from enuresis
2.	Moderate Improvement	Partial relief from enuresis
3.	Mild Improvement	Minute relief from enuresis
4.	No Improvement	No relief from enuresis

Table 3. *Intensity of symptoms and its remark*

Result and Discussion

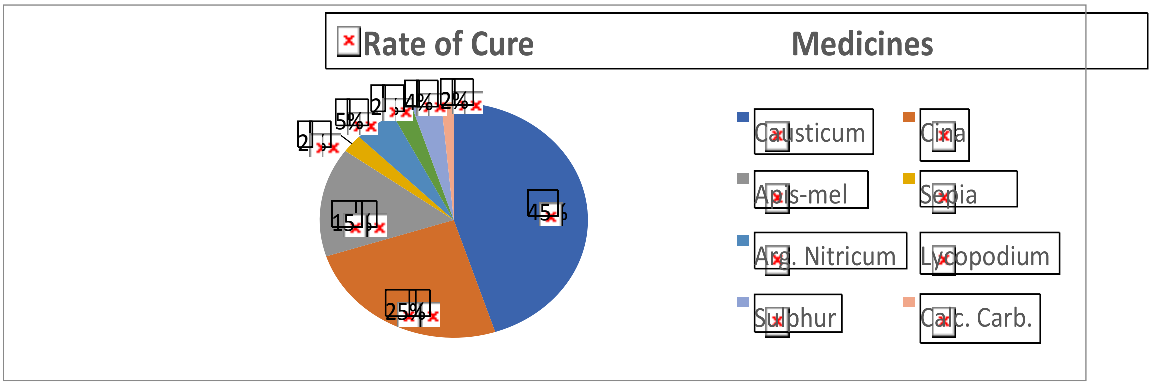

Figure 2. *Medicines and their Rate of Cure.*

Out of 84 patients 60.7% of the patients had age 6 to 8 years, 20.57% had age 9 to 12 years and 10.7% had age 13 to 15 years of age and on both gender group were selected for the treatment. From the above tabulation it was very clear that after more than 1 year of treatment the highest number of patients cured by homeopathic medicine was causticum 200 and than from Cina 200. Homeopathic medicines seem to have a promissory treatment affects in nocturnal enuresis in children.

Similar research have already been performed by Dr D. N. Mishra[10] and Dr. Ritu Mishra[10]

JETIR July 2022, Volume 9, Issue 7, Sai Krishna Goud Bathula[3], Sustainability, Agri, Food and Environment Research in which they have also found that homoeopathic medicine is very effective in treating nocturnal enuresis in children.

Conclusion

Nocturnal enuresis can be successfully cured by detailed case taking with homeopathic medicine which also encourages the psychology of the children in a positive way. Homoeopathy helps in removing the cause behind nocturnal enuresis and also helps in completing this sketch of the portrait of the disease. The selection of medicine is strictly based on the principle ‘’similia similibus curentur.” Homoeopathy has a wide range in the treatment of this type of cases.

REFERENCES

1. Ghai O.P. Ghai. Essential Paediatrics Delhi, CBS Publisher and Distributaries Pvt. Ltd. 8th Edition
2. International Journal of homoeopathic Science 2020 4 32-34
3. Sustainability, Agri, Food and Environment Research (ISSN-07193276, Vol-13, Special issue 2025
4. Bed-wetting enuresis by Farokh J Master
5. Disease of Children by Dr Fisher C.E
6. Allen’s Keynotes and characteristics with nosodes, H. C Allen, 8th Edition, 39-41, 4244, 89-91, 96-97, 260-264
7. Pocket manual of Homoeopathic Materia Medica, William, Boericke, 9th edition, 6164, 71-72, 181-184, 205-207, 586-589
8. A study on Materia medica, N. M. Choudhuri, Revised 7th Edition 7179, 259-266, 295298, 935-947
9. Lotus Materia Medica, Robin Murphy, 2nd Revised Edition, 140-144, 165-169, 487490, 407-412, 1593-1600.
10. Dr D. N. Mishra, Dr Ritu Mishra, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, July 2022, Volume 9, Issue 7

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 10th Nov. 2024 **Paper Accepted : 20th Nov. 2024**

महिलाओं के समक्ष धार्मिक चुनौतियाँ

□ डॉ. रतन कुमारी वर्मा*

शोध-सारांश

भारतीय समाज धर्मप्रधान समाज है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वेच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। परन्तु समाज में वास्तविकता के धरातल पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आज भी भेदभाव व्याप्त है। विशेष रूप से भारत में महिलाएँ घर में धार्मिक मामलों में आजाद हैं लेकिन घर के बाहर के धार्मिक प्रतिष्ठानों में उन्हें मुख्य पद नहीं दिया जाता है चाहे वह मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ आदि कोई भी धार्मिक संस्था हो। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार सरकारी नौकरियों में, विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। वह भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, सैनिक सेवाओं में अधिकारी, डाक्टर, इंजीनियर, वैंकिंग, वाणिज्यिक, खेलकूद, सिनेमा, अन्तरिक्ष विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं फिर भी धार्मिक क्षेत्र में, समाज के धार्मिक प्रतिष्ठानों में अभी तक उन्हें समान अधिकार क्यों नहीं मिल पाया है? इसके लिए हमारे समाज में विचार करने की आवश्यकता है और समानता का अधिकार दिये जाने की जरूरत है। महिलाएँ अपने धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं।

मुख्य शब्द–*महिला, अधिकार, धर्म, धार्मिक प्रतिष्ठान, संविधान, समाज।*

भारतीय समाज में जब महिलाओं का परिचय दिया जाता है विशेष रूप से देश के महान नेताओं, महात्माओं, शीर्षस्थ सफलतम व्यक्तियों का, तब यही बताया जाता है कि उनकी पत्नी बहुत धर्म–परायण महिला थीं। जैसे–महात्मा गाँधी से बात शुरू करते हैं तो हम सभी किताबों के माध्यम से यही परिचय पाते हैं कि कस्तूरबा गाँधी एक धर्म परायण महिला थीं। आजीवन गाँधी जी का सदैव साथ देती रहीं। इसी तरह से अन्य महान बनने वाले सफल पुरुषों के पीछे एक सशक्त धार्मिक महिला का हाथ था। या कह सकते हैं कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वह धर्मपत्नी के रूप में, माँ के रूप में हमेशा पुरुष के पीछे खड़ी दिखाई देती है। वह बहुत ध ाार्मिक होती है।

भारतीय समाज धर्मप्रधान समाज है। भारत

* एसोशिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग एवं संयोजक, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कालेज, प्रयागराज

में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों में महिलाएँ घर के भीतर धर्म के विषय में आजाद होती हैं। वह किसी भी धर्म को मानने वाली महिला हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं के समक्ष यह होती है कि धर्म के मामले में घर के बाहर उन्हें कोई आजादी प्राप्त नहीं होती है। यही कारण है कि प्रत्येक घर और मुहल्ले में मन्दिर मिल जायेगा। जगह–जगह मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च मिल जायेगा परन्तु किसी भी धर्म में महिला को मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का प्रमुख व्यक्ति नहीं बनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान यह व्यवस्था देता है कि धर्म के मामले में सभी समान हैं। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेद–भाव नहीं किया जायेगा। घर के बाहर के धार्मिक प्रतिष्ठानों में उन्हें मुख्य पद का न दिया जाना क्या भेदभाव नहीं है? हमारे समाज में क्या यह बदलाव नहीं आना चाहिए कि इन संस्थाओं की प्रमुख के रूप में भी उन्हें अवसर दिया जाये। भारतीय संविधान के अनुसार जितने भी सरकारी या गैर–सरकारी पद हैं उनमें महिलाओं की भी नियुक्ति हो सकती है और नियुक्ति हो भी रही है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पुरुषों के लिए ही उचित माने जाते थे वहाँ भी महिलाओं की पदस्थापना की जाने लगी है। जैसे–सेना में–चाहे वह जल सेना हो, वायु सेना हो या थल सेना हो। यहाँ तक कि वायु सेना में फाइटर एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए उन पर विश्वास किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा उन्हें प्रशिक्षण देकर उनकी नियुक्ति की जा रही है। 26 जनवरी की परेड में वे वायु सेना के करतब दिखाने के लिए चुनी जा रही हैं और स्वयं को सिद्ध कर रही हैं फिर किसी क्षेत्र में उनके लिए क्या सिद्ध करना बाकी रह जाता है? सबसे कठिन क्षेत्र तो सेना को ही माना जाता रहा है। जब वहाँ पर ये कुशलतापूर्वक कमान सँभाल सकती हैं तो धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं? समाज की सोच में उनके लिए बदलाव क्यों नहीं आता है? इस क्षेत्र में उनके लिए अभी कदम–कदम पर संघर्ष ही संघर्ष है। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र शिक्षक बनने का माना जाता रहा है। उसके बाद डाक्टर के रूप में भी उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त है। परन्तु इन सीमाओं को पार करते हुए लगभग निषिद्ध से समझे जाने वाले क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग में भी महिलाओं ने अपनी सफलता के प्रतिमान गढ़े। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सफलता के परचम लहराये। वकील, न्यायाधीश, ग्राम प्रधान, सरपंच, ब्लाक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विभिन्न विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के रूप में महिलाओं की नियुक्ति में निरन्तर वृद्धि, व्यवसाय जगत में उच्च प्रतिष्ठानों में उनकी नियुक्ति, बैंकिंग सेक्टर में सफलतापूर्वक कार्य का संचालन, खेल जगत में नित नये प्रतिमान गढ़ना महिलाओं की क्षमता और उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। फिर धर्म के क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता क्यों नहीं बढ़ती? घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो पति के साथ धर्मपत्नी का होना आवश्यक है तभी वह यज्ञ, हवन, शुद्ध माना जायेगा। नहीं तो अकेले करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

इन प्रश्नों का हल खोजने के लिए हमें महिला विद्वानों के विचारों के आलोक में जाना होगा। बीसवीं शताब्दी में (1908–1986) वैश्विक नारीवादी आन्दोलन की नेतृत्वकर्त्ता थीं– सिमोन द बोउवार। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है–'द सेकंड सेक्स'। इसकी महत्त्वपूर्ण पंक्ति है–"औरत पैदा नहीं होती है बल्कि समाज औरत को गढ़ता है।"[1] वह आजीवन नास्तिक थीं। उनका कहना था– "हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी संस्कृति लड़कियों को मजबूर करती है स्त्री बनने के लिए।"[2] वह कहती हैं–"इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे समाज में, हमारे धर्म में औरतों की पूजा होती है। धर्म तो वास्तव में एक तरीका है आदमियों द्वारा आरतों पर शासन करने का।"[3] सिमोन इस संदर्भ में प्लेटो की भी आलोचना करती हैं। सिमोन के द्वारा कही गयी बात का उदाहरण वर्तमान परिदृश्य में भी देखना चाहें तो समाज में हर धर्म में हर जगह देख सकते हैं।

उदाहरण के लिए प्रयाग कुम्भ मेला, माघ मेला से ही बात को प्रारम्भ करें तो देख सकते हैं कि अभी तक माघ मेला में जितने भी पण्डाल लगते हैं, आचार्यों, शंकराचार्यों के पीठाधीश्वर यहाँ पर धर्म की पताका का नेतृत्व करते हैं। धर्म के विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर उनकी ही नियुक्ति होती है। भारत में जितने भी प्रमुख मठ, मन्दिर, मस्जिद हैं वहाँ पर अभी महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती है। लेकिन प्रवचन सुनने के लिए, आचार्यों का व्याख्यान सुनने के लिए महिलाओं और बच्चों को ही लाकर बैठाया जाता है। सारी धर्म की शिक्षा की जरूरत केवल महिलाओं को ही है क्योंकि अगर घर में महिलायें धार्मिक होंगी तो घर, परिवार, समाज सुरक्षित रहेगा। महिलाओं को धार्मिक स्थल तक पहुँचाने, विभिन्न तीर्थस्थलों व धर्मस्थलों का दर्शन कराने में पुरुषों की भूमिका हमेशा सहायक की होती है। पुरुष प्रवचन करते हैं, वे श्रोता नहीं होते हैं। यदि होते भी हैं तो उनकी संख्या बहुत कम होती है। महिलाओं की यही स्थिति विभिन्न धर्मों में देखी जा सकती है चाहे वह इस्लाम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी धर्म ही क्यों न हो।

महिलाओं को धर्म के विषय में भी आजादी मिलनी चाहिए। धार्मिक प्रतिष्ठानों में उनकी सत्ता को स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है। धर्म की भूमिका स्त्रियों के लिए शोषण की नहीं होनी चाहिए। अपितु धर्म के माध्यम से उन्हें समाज में उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। आशा है कि आने वाले समय में जो बदलाव हो रहे हैं, उसका प्रभाव इस क्षेत्र में भी पड़ेगा और महिलाओं को धर्म के क्षेत्र में अधिकार पाने में भले ही अभी समय लगेगा। लेकिन निश्चित ही वह समय भी आयेगा जब हमारा समाज यह भी स्वीकार करने लगेगा कि धर्म के क्षेत्र में भी महिलाएँ उच्च स्थान पर रहकर समाज को संचालित कर सकती हैं, सही दिशा दे सकती हैं। पारिवारिक गृहस्थ जीवन में रहकर जिस तरह जीवन के हर क्षेत्र में कार्य का संपादन कर रही हैं उसी तरह धर्म के स्वरूप में भी बदलाव आयेगा। धीरे–धीरे बहुत जगह आ भी रहा है। महिलाएँ अच्छा प्रवचन भी दे रही हैं। उनके भी व्याख्यान को सुनने के लिए प्रभूत मात्रा में श्रोता उपस्थित हो रहे हैं। परन्तु धार्मिक पदों पर उनको स्थापित नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में किन्नरों ने संघर्ष करके अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। परन्तु अभी भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। हिन्दी साहित्य में बंग महिला के नाम से विख्यात राजेन्द्र बाला घोष का कहना है कि–"स्त्रियों का स्वावलम्बी न होना ही उनकी पराधीनता का प्रमुख कारण है।"[4] बंग महिला ग्रंथावली में कहती हैं–"यदि कई एक विशेष कारणों से तुम आश्रय चाहने वाली न होतीं तो आज के दिन कोई तुम्हें पराधीन अबला कहने का साहस कदापि न करता।"[5]

बंग महिला पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के दोहरे चरित्र पर भी चोट करती हैं। अपने लेखन में स्त्री मुक्ति के विभिन्न प्रश्नों को प्रमुखता से उठाती हैं। बंग महिला को भी स्त्री मुक्ति का रास्ता शिक्षा के माध्यम से ही दिखाई देता है। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर बहुत सजग एवं सचेत दिखाई देती हैं। वस्तुतः शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा महिलाएँ धर्म के विषय में बहुत गहराई से समझ सकती हैं। उसके अन्तर्विरोधों को भी समझ सकती हैं। धर्म के अँधेरे पक्ष से प्रकाश की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। धर्म के क्षेत्र में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती हैं परन्तु इसके लिए अभी महिलाओं को बहुत संघर्ष करना आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Feminism in India
   https://hindifeminisminindia-com
2. वही
3. वही
4. राम बचन यादव, वागर्थ, बंग महिला का वैचारिक लेखन और स्त्री प्रश्न, भारतीय भाषा परिषद्, वर्ष 29, अंक 330, मई 2023, पृष्ठ संख्या 99
5. वही, पृष्ठ संख्या– 99

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 5th Dec. 2024 Paper Accepted : 10th Dec. 2024

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम और ऊदा देवी

□ डॉ. फ़ैज़ान अहमद*

शोध-सारांश

ऊदा देवी एक महान् वीरांगना तथा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थीं। उन्होंने 1857 ई. के प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध सिकन्दर बाग़ की लड़ाई में भाग लिया था। बेगम हज़रत महल की महिला पलटन 'रहीमिया' के कमाण्डर के रूप में उन्होंने अदम्य साहस, धैर्य और दूरदर्शिता का परिचय दिया। ऊदा देवी ने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकन्दर बाग़ में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया, जब तक कि उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया। इस लड़ाई में उन्होंने 32 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया और अन्ततः वह वीरगति को प्राप्त हुईं। कहा जाता है कि ऊदा देवी की इस स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश सेनापति कॉल्विन कैम्पबेल ने हैट उतारकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी।

***मुख्य शब्द**–स्वतन्त्रता संग्राम, महान् वीरांगना, शहादत, इतिहासकारों द्वारा उपेक्षा और सम्मान।*

प्रस्तावना

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास स्वतन्त्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष की अद्भुत गाथा है। इस संघर्ष में पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं ने भी बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें महिलाओं का योगदान इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि उनका सामाजिक उत्थान हुए बहुत लम्बा समय व्यतीत नहीं हुआ था। घर का मोर्चा हो या रणक्षेत्र, महिलाओं ने जिस साहस और वीरता से स्वतन्त्रता आन्दोलन में अपनी भूमिका निभाई, उसको भुलाया नहीं जा सकता। भारत को स्वतन्त्र कराने के आन्दोलन का व्यापक रूप से प्रारम्भ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से माना जाता है। परन्तु भारत की स्वतन्त्रता का अभियान उससे पहले ही शुरू हो चुका था। 1857 ई. के विद्रोह के द्वारा भारतीयों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी।

हमारे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को पुरुषों की अनुगामिनी माना जाता है, लेकिन फिर भी 1857 ई. की क्रान्ति का इतिहास तमाम ऐसी महिलाओं के साहस, त्याग और बलिदान से भरा पड़ा है। जब 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम को याद किया जाता है, तब बेगम हज़रत महल और

* प्रोफ़ेसर (राजनीति विज्ञान) एवं कार्यवाहक प्राचार्य, जी.बी. पन्त (पी.जी.) कालेज, कछला, बदायूँ (उ.प्र.) e-mail-gbpantdegreecollege@gmail.com, Mob.- 9412368300

रानी लक्ष्मी बाई का स्मरण स्वतः ही हो जाता है। किन्तु कुछ ऐसी भी महिलाएँ थीं जो किसी रजवाड़े में पैदा नहीं हुई थीं, बल्कि आम आदमी के घर जन्म लेकर अपनी योग्यता की बदौलत उच्चतर मुक़ाम तक पहुँचीं। ऐसी महिलाओं में ऊदा देवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जिस प्रकार झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई ने महिलाओं की पलटन 'दुर्गा दल' बनाई थी, उसी प्रकार अवध की बेगम हज़रत महल ने भी महिला पलटन 'रहीमिया' का गठन किया था। ऊदा देवी इसी महिला पलटन 'रहीमिया' की कमाण्डर थीं। इस पलटन में ज़्यादातर दलित महिलाएँ थीं।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास उजिरियाँव गाँव की ऊदा देवी दलित वर्ग की पासी जाति में पैदा हुई थीं। उनके पति मक्का पासी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पलटन में एक सैनिक थे। 10 जून, 1857 ई. को अंग्रेज़ों ने अवध पर हमला कर दिया था। लखनऊ के इस्माइलगंज में ब्रिटिश टुकड़ी से मौलवी अहमद उल्लाह शाह के नेतृत्व में एक पलटन लड़ रही थी। इस पलटन में मक्का पासी भी थे, जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अपने पति की शहादत का बदला लेने के लिए ऊदा देवी, बेगम हज़रत महल की महिला पलटन में शामिल हो गईं।

ऊदा देवी एक वीर और साहसी महिला थीं। उनकी बहादुरी और तुरन्त निर्णय लेने की उनकी क्षमता से बेगम हज़रत महल बहुत प्रभावित हुईं। शीघ्र ही उन्होंने ऊदा देवी को अपनी महिला पलटन 'रहीमिया' का कमाण्डर बना दिया। महिला पलटन के कमाण्डर के रूप में ऊदा देवी ने जिस अदम्य साहस, दूरदर्शिता और धैर्य का परिचय दिया उससे खुद अंग्रेज़ सेना भी चकित रह गई। 16 नवम्बर, 1857 ई. को सार्जेण्ट कॉल्विन कैम्पबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सिकन्दर बाग़ में ठहरे हुए क्रान्तिकारी सैनिकों पर हमला बोल दिया। उस समय सिकन्दर बाग़ में ऊदा देवी की महिला पलटन और लगभग दो हज़ार क्रान्तिकारी एकत्रित थे। क्रान्तिकारी या तो सो रहे थे या बिल्कुल ही असावधान थे। असावधान क्रान्तिकारी सैनिकों की हत्या करते हुए अंग्रेज़ सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में पुरुषों की वेश–भूषा धारण किए हुए ऊदा देवी और उनकी बटालियन ने ब्रिटिश सेना को सिकन्दर बाग़ के द्वार पर ही रोक लिया। डॉ. धर्मेन्द्र नाथ ने लिखा है कि "सिकन्दर बाग़ की लड़ाई में ऊदा देवी नामक पासी जाति की एक वीरांगना ने पेड़ पर चढ़कर अंग्रेज़ी सेना के सिपाहियों पर निशाना साधा और 36 सैनिकों को ढेर कर दिया। वह गोली लगने से शहीद हुईं।"[1] इस लड़ाई में लगभग दो हज़ार क्रान्तिकारी सैनिक शहीद हुए।

लड़ाई के समय ऊदा देवी अपने साथ एक बन्दूक़ और कुछ गोला–बारूद लेकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई थीं। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकन्दर बाग़ में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया, जब तक कि उनका गोला–बारूद समाप्त नहीं हो गया। ऊदा देवी ने अकेले ब्रिटिश सेना के दो बड़े अफ़सरों कूपर और लैम्सडन सहित 32 सैनिकों (कुछ इतिहासकारों के अनुसार 36 सैनिकों) को ढेर कर दिया। गोली लगने से वह वीरगति को प्राप्त हुईं। कहा जाता है कि ऊदा देवी की इस वीरता से अभिभूत होकर कॉल्विन कैम्पबेल ने हैट उतार कर उन्हें सलामी दी थी। ऊदा देवी की वीरता पर उस दौर में कई लोकगीत गाए जाते थे। इनमें एक लोकगीत था–

"कोई उनको हब्शी कहता, कोई कहता नीच अछूत।
अबला कोई उन्हें बताए, कोई कहे उन्हें मज़बूत।।"[2]

इस लड़ाई के दौरान 'लन्दन टाइम्स' अख़बार के संवाददाता हॉवर्ड रसेल लखनऊ में ही मौजूद थे। उन्होंने लन्दन स्थित 'लन्दन टाइम्स' के दफ़्तर में जो ख़बरें भेजी थीं, उनमें सिकन्दर बाग़ के युद्ध का भी उल्लेख था। उन्होंने अपनी ख़बर में पुरुषों के कपड़े पहनकर एक महिला द्वारा पेड़ से फायरिंग करने और कई ब्रिटिश सैनिकों को मार डालने का जिक्र किया था। ब्रिटिश सार्जेण्ट फ़ॉर्ब्स मिशेल ने

अपने संस्मरण में बिना नाम लिए सिकन्दर बाग़ में पीपल के एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठी एक ऐसी महिला का उल्लेख किया है जो अंग्रेज़ी सेना के 32 से अधिक सैनिकों और अफ़सरों को मार गिराने के बाद शहीद हुई। उन्होंने लिखा है कि ''गोलियाँ ख़त्म होने के बाद जब वह पेड़ से नीचे उतरने लगी तो ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेर कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने उसकी लाश जब पेड़ से ज़मीन पर गिरी तो उसका जैकेट खुल गया। कैम्पबेल यह देख कर हैरान रह गया कि वीरगति प्राप्त वह बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं, बल्कि एक महिला थी।''[3] इस लड़ाई का स्मरण कराती ऊदा देवी की एक प्रतिमा लखनऊ के सिकन्दर बाग़ में सन् 2000 ई. में स्थापित की गई है। यहाँ आज भी प्रति वर्ष ऊदा देवी की पुण्यतिथि पर लोग इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धान्जलि देते हैं।

इतिहासकारों द्वारा ऊदा देवी की उपेक्षा

ऊदा देवी के बारे में भारतीय इतिहासकारों ने बहुत कम, जबकि अंग्रेज़ इतिहासकारों, अधिकारियों और पत्रकारों ने ज़्यादा लिखा है। उनके बारे में उस समय लन्दन के अख़बारों में ख़बरें और रिपोर्ट आदि प्रकाशित हुईं। यहाँ तक कि प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने भी उनकी वीरता के बारे में चर्चा की। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में सभी वर्गों और जातियों के लोगों ने भाग लिया था। इसके बावजूद भारतीय इतिहास में क्रान्तिकारियों के कुछ गिने–चुने नाम ही दर्ज़ हुए हैं। अनगिनत क्रान्तिकारी ऐसे हैं जिनकी इतिहासकारों द्वारा उपेक्षा की गई है। उदाहरण के तौर पर हम 'आज़ाद हिन्द फ़ौज' को देख सकते हैं, जिसमें हज़ारों स्वतन्त्रता सेनानी मारे गए। परन्तु तीन–चार बड़े नामों के अलावा शेष के बारे में कोई नहीं जानता। इसी कड़ी में हम 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम की एक महान् वीरांगना ऊदा देवी को देख सकते हैं। उन्होंने लखनऊ के सिकन्दर बाग़ की लड़ाई में 32 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया और अन्ततः वीरगति को प्राप्त हुईं।

सिकन्दर बाग़ की लड़ाई में कैप्टन वेल्स ने जब पेड़ की ओर गोली चलाई तो ऊदा देवी का शरीर ज़मीन पर गिर पड़ा, जिसे देखकर कैप्टन वेल्स की आँखें नम हो गईं और उसने कहा कि ''यदि मुझे पता होता कि पेड़ पर एक साहसी महिला है तो मैं कभी भी गोली नहीं चलाता।''[4] ऊदा देवी का ज़िक्र अमृत लाल नगर ने अपनी कृति 'ग़दर के फूल' में किया है। बी.बी.सी. की एक रिपोर्ट में ऊदा देवी की वीरता का दिलचस्प वर्णन है। उनके वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में लिखा गया है कि ''अपने पति की युद्ध में मौत के बाद उन्होंने लगभग 36 अंग्रेज़ों को अपनी बन्दूक़ से मारा। उस समय वह सैनिक कपड़ों में थीं। इस दलित महिला ने भले ही भारतीय और अंग्रेज़ों के रिकार्ड में जगह न बनाई हो, पर जनश्रुतियों में वे बनी हुई हैं।''[5] ऊदा देवी के वंशज चाहते हैं कि उनके बलिदान के बारे में सरकारी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए ताकि देश की युवा पीढ़ी उनके त्याग और बलिदान से प्रेरणा ले सके।

ऊदा देवी हमारे राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान की जीवन्त प्रतीक हैं। जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रस्त इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचारों के ख़िलाफ़ जंग में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिकन्दर बाग़ की लड़ाई में शहीद हुई ऊदा देवी और उनकी महिला पलटन की प्रशंसा करते हुए गार्डन अलेक्ज़ेंडर ने लिखा है कि ''उस लड़ाई में जो लोग मारे गए उनमें कुछ ऐसी महिलाएँ थीं, जिनका रूप–रंग अमेज़न के आदिवासियों से मिलता था। वे जंगली बिल्लियों की तरह बहादुरी से लड़ीं। वे जब तक मारी नहीं गईं, तब तक यह पता कर पाना भी मुश्किल था कि वे औरतें हैं या मर्द। ऊदा देवी उन्हीं में से एक थीं, जिसने 32 या 36 अंग्रेज़ सैनिकों को मारा था।''[6] ऊदा देवी बहुत जुझारू स्वभाव की वीरांगना

थीं। उन्होंने अपनी महिला पलटन में बहुत जोश भर दिया था।

सम्मान

भारतीय स्वतन्त्रता के इस प्रथम संग्राम में ऊदा देवी एक शोला बन कर उभरीं। अपना बलिदान देकर उन्होंने 'जंग–ए–आज़ादी' को मज़बूत करने की भरपूर कोशिश की। ज़िन्दगी की जंग वे भले ही हार गईं, पर उनकी आज़ादी की भावना कभी नहीं हारी। उनकी वीरता तथा बलिदान की प्रशंसा करते हुए डॉ. इसहाक़ हुसैन 'तबीब' ने लिखा है–

''शौर्य अनोखा सब लोगों को ऊदा ने दिखलाया था,
बत्तिस अंग्रेज़ों को क्षण में उसने मार गिराया था,
मातृभूमि हित–हेतु एक दिन खाई गोली सीने पर,
शीश किन्तु दुश्मन के आगे उसने नहीं झुकाया था।''[7]

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऊदा देवी एक महान् वीरांगना थीं। 1857 ई. के भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर उन्होंने बहादुरी की एक नई मिसाल क़ायम की। लखनऊ के सिकन्दर बाग़ की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेज़ी सेना के छक्के छुड़ा दिये। मातृभूमि के लिए उनका त्याग और बलिदान अमिट है। ऊदा देवी वास्तव में एक प्रेरणा हैं, ख़ासकर महिलाओं के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने हर सामाजिक लकीर को पार किया। उनके हाथ से चली हर गोली ने महिलाओं के लिए बनी सामाजिक रूढ़ियों को ललकारा। लेकिन स्वतन्त्र भारत में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला, जिसकी वह हक़दार थीं। शायद इसलिए कि वह किसी राजघराने या सामन्ती परिवार में नहीं, बल्कि एक ग़रीब दलित परिवार में पैदा हुई थीं और एक साधारण सैनिक थीं। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि ऊदा देवी के समय के भारतीय इतिहास की स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष व्याख्या हो, ताकि उन्हें वह स्थान प्राप्त हो सके जिसकी वह हक़दार थीं। हम भारतवासी युग–युग तक उनके ऋणी रहेंगे तथा उनके त्याग एवं बलिदान से प्रेरणा लेते रहेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. धर्मेन्द्र नाथ, स्वतन्त्रता के ज्योतिपुंज, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण 2011 ई., पृष्ठ 47
2. https://www.forwardpress.in, दिनांक– 24/07/2021 से उद्धृत, पृष्ठ 02
3. वही, पृष्ठ 03
4. संपा. डॉ. सूर्यकान्त शर्मा, डॉ. नीशू कुमार, 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के अनछुए पहलू : एक विश्लेषण, नालंदा प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 2022 ई., पृष्ठ 87
5. संपा. नीशू कुमार, 1857 के स्वतन्त्रता समर : राष्ट्रीय एकता की विजय गाथा, नालंदा प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 2022 ई., पृष्ठ 140
6. वही, पृष्ठ 65
7. डॉ. इसहाक़ हुसैन 'तबीब'–बने पालतू, कोटिक प्रकाशन, बदायूँ, संस्करण 2019 ई., पृष्ठ 02

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 5th Dec. 2024 Paper Accepted : 10th Dec. 2024

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की खेल में सहभागिता : एक अध्ययन

□ मनोज कुमार वाजपेयी*
□ सुरेश चन्द्र राय*

शोध-सारांश

अध्ययन में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को शामिल किया गया और पाया गया कि स्नातक स्तर में कला संकाय के विद्यार्थियों का खेलों के प्रति अधिक समर्पण है। प्रस्तुत तालिका के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कला संकाय के विद्यार्थियों की रुचियों अर्थात् विद्यालय के खुले प्रयोगशाला में भौतिक क्रीड़ा अर्थात् खेल गतिविधियों को इस शोध पत्र में समाहित करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द–*अनुसूचित जाति, जनजाति, विद्यार्थियों, खेल, सहभागिता, अध्ययन, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि।*

प्रस्तावना

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सुधार के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुसूचियों में शामिल किया है और संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–341 के तहत जिन जातियों को सूचीबद्ध किया गया है, उन्हें अनुसूचित जाति माना जाता है। समाजसेवियों एवं सरकारों के द्वारा अनेक प्रयासों के कारण वर्तमान में अनुसूचित जाति की शिक्षा का स्तर कुछ बदला है, लेकिन अभी बदलाव काफी दूर है, अनुसूचित जाति सर्व जनजाति आयोग की छठवीं रिपोर्ट (1999–2001) में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि इन जातियों के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में इस जाति वर्ग के शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए जो योजनाएँ चलायी जा रही हैं वे अभी पूरी ईमानदारी के साथ लागू नहीं की गई हो इस सन्दर्भ में आयोग ने विभिन्न सिफारिशें केन्द्र सरकार को प्रेषित की हैं, जिस पर गम्भीरता के साथ अमल किये जाने की आवश्यकता है। आदिवासी एवं दलित समुदाय में बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति काफी खराब है। आदिवासी समुदाय

* शोध अध्ययन केन्द्र प्राचीन लाइफ लांग लर्निंग विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
** प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

की कुल 41.4% लड़कियाँ शिक्षित हैं। वर्तमान में अनेकों प्रकार के प्रावधान केन्द्र सरकार एवं अयोग द्वारा बनाये गये हैं। इतके बावजूद रूढ़िवादिता, लिंग संबंधी भेदभाव, समाज में शिक्षा की कमी के कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं को हीन दृष्टि से देखना इत्यादि कारणों के कारण इन महिलाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता मानकों की तुलना में कम है, जो चिंता का विषय है परन्तु प्रयासों से यह लक्ष्य की ओर अग्रसर प्रतीत होता है।

प्रस्तुत शोध अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की खेल में सहभागिता का अध्ययन पन्ना जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में शोध प्रविधि वर्णात्मक, सारणीयन, आरेख व साक्षात्कार के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों के द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गई है।

कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का विद्यार्थी जब स्नातक स्तर की कक्षाओं में पहुँचता है तब खेलों के प्रति उसका रुझान और अधिक होता है किन्तु तालिका के अध्ययन में पाया गया कि स्नातक स्तर में केवल कला संकाय के विद्यार्थी ही खेलों के प्रति अधिक समर्पित हैं।

सारिणी

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	B.Sc	23	18.40
2	BA	77	61.60
3	B.Com	14	11.20
4	M.A.	7	5.60
5	M Com.	2	1.60
6	M.Sc	2	1.60

उपरोक्त सारिणी के अवलोकन में यह पाया गया कि जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर स्नातक स्तर में कला संकाय के विद्यार्थियों का रुझान अधिक रहा जबकि स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में इनकी भागीदारी कम आँकी गई है।

उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण में यह तथ्य सामने आता है कि बी.ए. में 61.60 प्रतिशत, बी. एससी. में 18.40 प्रतिशत तथा बी.कॉम में 14 प्रतिशत किन्तु स्नातकोत्तर स्तर में विद्यार्थियों की संख्या नगण्य (एम.ए. 5.60 प्रतिशत, एम.कॉम 1.60 और एम.एससी. में महज 1.60 प्रतिशत) पायी गयी है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कला वर्ग के विद्यार्थियों में खेलों के प्रति अधिक रुझान है।

उत्तरदाताओं की आयु

अध्ययन में सम्मिलित समस्त उत्तरदाता अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का महत्त्वपूर्ण जीवन–काल होता है, क्योंकि इसी जीवन–काल में वह जीवन के अनुभवों से दो–चार होता है। 21 से 23 वर्ष आयु–समूह के विद्यार्थी खेलों में सर्वाधिक रुचि लेते देखे गए। निम्न सारिणी में इस तथ्य को देखा जा सकता है–

सारिणी

आयु समूह के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	18	10	8.00
2	19	16	12.80
3	20	16	12.80
4	21	22	17.60
5	22	19	15.20
6	23	21	16.80
7	24	11	8.80
8	25	6	4.80
9	26	4	3.20
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण से यह पता चलता है कि जिले में 21 से 23 आयु वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का खेलों के प्रति अधिक रुझान रहा है। 19 से 20 वर्ष के विद्यार्थी 12.80 प्रतिशत ही पाये गए जबकि 21 वर्ष के 17.60 प्रतिशत, 22 वर्ष

के 15.20 प्रतिशत और 23 वर्ष के 16.80 प्रतिशत विद्यार्थी पाये गए, उसके बाद 24 वर्ष के बाद विद्यार्थियों का खेलों के प्रति रुझान शनैः–शनैः घटता जाता है और 26 वर्ष तक आते–आते वह केवल 3.20 प्रतिशत रह जाता है।

सारिणी से यह निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि 20 वर्ष के पहले और 23 वर्ष आयु के बाद के विद्यार्थियों को खेलों से प्रेरित करने के लिए प्रयास किये जाने की जरूरत है।

महाविद्यालय का नाम

खेलों के मामलों में शहरों के महाविद्यालयों और कस्बों/तहसील स्तरीय महाविद्यालय के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कस्बों/तहसील स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थी शहरों के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं। निम्न सारिणी से यह पता चलता है–

सारिणी क्र. 05

महाविद्यालय का नाम

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	जी.डी.सी., पन्ना	8	6.40
2	शास. महा. वि. अमानगंज	10	8.00
3	शास. महा. वि., गुनौर	10	8.00
4	शास. महा. वि., देवेन्द्रनगर	15	12.00
5	शास. महा. वि., शाहनगर	1	0.80
6	शास. पीजी. महा. वि., अजयगढ़	10	8.00
7	शास. पी.जी. महा. वि., पन्ना	38	30.40
8	शास. पी.जी. महा. वि., पवई	33	26.40
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी के विवेचन से यह तथ्य सामने आया कि जिले के शासकीय महाविद्यालय अग्रणी पन्ना और शा. महाविद्यालय, पवई, शा. महा विद्यालय, देवेन्दनगर के विद्यार्थी ही खेलों के प्रति जबरदस्त उत्साह रखते हैं। पी.जी. पन्ना 30.40 प्रतिशत और शा. महाविद्यालय, पवई 26.40 प्रतिशत के अलावा शा. महाविद्यालय, देवेन्द्रनगर 12.00 प्रतिशत तथा शा. महाविद्यालय, गुनौर और अमानगंज में 8.00 प्रतिशत ही खेल गतिविधियों में उल्लेखनीय स्तर पर भाग लेते हैं। जिले के शेष महाविद्यालय के विद्यार्थी खाना–पूर्ति के लिए खेलों में शिरकत करते हैं।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पन्ना, पवई, देवेन्दनगर के अलावा अमानगंज, गुनौर, शाहनगर, अजयगढ़ के महाविद्यालय को भी इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है।

परिवार का स्वरूप

खेलों में जागरूकता के लिये पारिवारिक स्थितियों का सकारात्मक प्रभाव होता है। संयुक्त परिवार की पृष्ठभूमि से आये अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थी खेलों में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। निम्न तालिका से यह और स्पष्ट होता है।

सारिणी

परिवार का स्वरूप

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	संयुक्त	79	63.20
2	एकाकी	46	36.80
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से यह पता चलता है कि संयुक्त परिवार से आने वाले विद्यार्थी खेलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यानि कि 63.20 प्रतिशत संयुक्त परिवार से जुड़े विद्यार्थी खेलों में अग्रणी भूमिका निभाते पाए गए, जबकि एकाकी परिवार से आने वाले 36.80 प्रतिशत विद्यार्थी ही खेलों में दिलचस्पी लेते देखे गए।

घर का स्वरूप

अगर घरों की स्थिति अपेक्षाकृत सुंदर, व्यवस्थित हो तो इनमें रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी खेलों में अपना सर्वोत्तम देने में सफल होते हैं। अध्ययन में पाया गया कि अर्द्धपक्के घरों के विद्यार्थी खेलों के प्रति अधिक समर्पित हैं। निम्नांकित तालिका से इस बात को समझा जा सकता है।

सारिणी क्र. 08

घर का स्वरूप

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	13	10.40
2	अर्द्धपक्का	86	68.80
3	पक्का	26	20.80
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से पता चलता है कि अर्द्धपक्के घरों में रहने वाले जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थीगण खेलों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। 68.80 प्रतिशत अर्द्धपक्के घरों के खिलाड़ी खेलों के प्रति समर्पित पाए गए, जबकि पक्के घर में रहने वाले 20.80 प्रतिशत विद्यार्थी ही खेलों में आगे आए। कच्चे घरों के मात्र 10.40 प्रतिशत विद्यार्थी ही खेलों के प्रति अपना रुझान बना पाये हैं।

ऐसे में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब तक कच्चे घरों को पक्के घरों में तब्दील नहीं किया जाता, खेल प्रतिभाएँ आगे बढ़ने में उतनी सफल नहीं हो सकतीं।

निवास

प्रायः देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी खेलों में अधिक सक्रिय पाये जाते हैं, किन्तु इस सारिणी के अध्ययन में पाया गया कि पन्ना जिले में निवासरत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी खेलों में अधिक सक्रिय पाये गये हैं। सारिणी का विवरण निम्नानुसार है–

सारिणी

निवास

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	गाँव	86	68.80
2	शहर	39	31.20
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि शहरों के मुकाबले गाँवों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी खेलों के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। गाँवों के 86 प्रतिशत विद्यार्थी खेलों में अग्रणी दिखे, जबकि शहरों के मात्र 39 फीसदी बच्चे खेलों में रुचि लेते पाए गए।

इसका अर्थ ये है कि भले ही गाँव के विद्यार्थियों के पास संसाधनों का अभाव हो वे खेलों के प्रति अधिक जोश जज्बा और जुनून रखते हैं। शहरी बच्चे खेलों के प्रति कम, अन्य अभिरुचियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

खेलों में सहभागिता का स्तर

महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी खेलों में केवल महाविद्यालय एवं जिला स्तर तक की अपनी सहभागिता दे पाते हैं। संभाग स्तर में वे खाना–पूर्ति करते हैं पर मौका मिलने पर संभाग/राज्य स्तर पर भी कमाल दिखाते हैं। सारिणी इस प्रकार है–

सारिणी

खेलों में सहभागिता का स्तर

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	महाविद्यालय	70	56.00
2	जिला	28	22.40
3	संभाग	20	16.00
4	राज्य	6	4.80
5	विश्वविद्यालय	1	0.80
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि महाविद्यालय व जिला स्तरीय खेलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी अधिक भाग लेते हैं। महाविद्यालय स्तर पर 56 प्रतिशत तो जिला स्तर पर 22.40 फीसदी बच्चे हिस्सा लेते पाए गए जबकि संभाग स्तर पर 16.00 प्रतिशत और राज्य स्तर पर 4.80 प्रतिशत खिलाड़ियों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय स्तर पर यह स्थिति नगण्य केवल 0.80 प्रतिशत ही रही।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और जिला स्तर पर खेलों की गतिविधियों को गति देने की जरूरत है।

श्रेणी

पन्ना जिले में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुझान रखने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी ही होते हैं। निम्न तालिका में यह तथ्य देखा जा सकता है–

सारिणी

श्रेणी

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	109	87.20
2	अनुसूचित जनजाति	16	12.80
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की हिस्सेदारी आश्चर्यजनक रूप से 87.20 फीसदी है और केवल 12.80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी ही खेलों में शिरकत करते हैं।

जिले में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम प्रयास किये जाने की जरूरत है और इसके लिए विशेष योजना बनाने की जरूरत है।

माध्यमिक स्तर पर सहभागिता

विद्यार्थी जीवन में खेलों की अनिवार्य आवश्यकता है। विद्यार्थी जीवन से ही खेलों के प्रति उसका रुझान झलकने लगता है किन्तु पन्ना जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 22.40 प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक स्तर से ही खेलों से दूरी बना लेते हैं। निम्न तालिका से यह स्पष्ट होता है–

सारिणी

माध्यमिक स्तर पर सहभागिता

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	97	77.60
2	नहीं	28	22.40
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी में दृष्टिगोचर है कि माध्यमिक स्तर के शालाओं के 77.60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थीगण खेलों में सहभागिता निभाते हैं, 22.40 फीसदी बच्चे माध्यमिक स्तर से ही खेलों से दूरी बना लेते हैं।

निष्कर्षतः माध्यमिक स्तर से ही इस वर्ग के विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुझान पैदा करने की जरूरत है।

खेलों के प्रकार

विद्यार्थियों का खेलों के प्रति रुझान स्वाभाविक प्रवृत्ति है किन्तु विद्यार्थी किन खेलों के प्रति अपना लगाव रखते हैं, इसका अध्ययन करने पर पता चलता है कि पन्ना जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी खो–खो, कबड्डी, क्रिकेट और फुटबाल में ही अधिक दिलचस्पी लेते हैं। इक्का–दुक्का विद्यार्थी ही अन्य खेलों के प्रति मानसिकता रखते हैं। सारिणी निम्नानुसार है देखें–

सारिणी

खेलों के प्रकार

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	वॉलीबॉल	7	5.60
2	एथलेटिक्स	29	16.00
3	खो–खो	20	16.00
4	कबड्डी	23	18.40
5	क्रिकेट	11	8.80
6	फुटबॉल	9	7.20
7	एथलेटिक्स और वॉलीबॉल	9	7.20
8	कबड्डी और एथलेटिक्स	11	8.80
9	क्रिकेट और कबड्डी	2	1.60
10	क्रिकेट और बास्केटबॉल	2	1.60
11	खो–खो और एथलेटिक्स	3	2.40
12	खो–खो,कबड्डी और शतरंज	3	2.40
13	खो–खो और वॉलीबॉल	1	0.80
14	बास्केटबॉल और दौड़	2	1.60
15	वॉलीबॉल और दौड़	1	0.80
16	वॉलीबॉल और कबड्डी	1	0.80
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी की विवेचना पर पाया गया कि 16 प्रकार के विभिन्न खेलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक 18.40 प्रतिशत विद्यार्थी कबड्डी को पसंद करते हैं, दूसरे नंबर पर 16 प्रतिशत खो–खो और एथलेटिक्स को और तीसरे नंबर पर 8.80 प्रतिशत क्रिकेट को पसंद करते पाए गए। शेष वॉलीबॉल, फुटबाल को पसंद करते हैं। अन्य खेलों में बास्केटबॉल एथलेटिक्स, कबड्डी के साथ क्रिकेट को पसंद करते हैं किन्तु खो–खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि खेलों के प्रति उनका रुझान कम समझ में आया। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि खो–खो, कबड्डी, फुटबाल और क्रिकेट के अलावा भी अन्य खेलों की ओर पर्याप्त ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

घर के आस–पास स्टेडियम

विद्यार्थियों में खेलों के प्रति समर्पण भाव हो और घर के आस–पास ही खेल स्टेडियम की उपलब्धता हो तो सोने में सुहागा हो जाता है। विद्यार्थी की खेल प्रतिभा उभर कर सामने आ जाती है। दुःखद पहलू ये है कि पन्ना जिले में खेल स्टेडियम का नितांत अभाव है। 95.20 प्रतिशत विद्यार्थियों के घरों के आस–पास खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं थे, जो कि निम्न सारिणी से स्पष्ट है–

सारिणी क्र. 17

घर के आस–पास स्टेडियम

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	6	4.80
2	नहीं	119	95.20
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी से यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि 95.20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के घरों के पास खेल स्टेडियम का अभाव है। महज 4.80 फीसदी विद्यार्थियों के घरों के पास स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध है।

जाहिर है कि जब तक विद्यार्थियों को, उनके घरों के पास स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध नहीं होती वे खेलों में अपना दम नहीं दिखा पाएँगे। अतः विद्यार्थियों के घरों के पास स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का होना नितांत आवश्यक है।

निवास के आस–पास खेल के मैदान

विद्यार्थी को अपने निवास के आस–पास यदि खेल का मैदान उपलब्ध हो जाये तो खेलों के प्रति उसका रुझान और उसकी खेल–प्रतिभा में वृद्धि ही होती है। दुःखद बात है कि पन्ना जिले के 90.40 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के निवास के आस–पास कोई खेल के मैदान नहीं हैं। जो निम्न सारिणी में देखी जा सकती है–

सारिणी

निवास के आस–पास खेल के मैदान

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	12	9.60
2	नहीं	113	90.40
	कुल	**125**	**100.00**

उपरोक्त सारिणी का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि 90.40 प्रतिशत विद्यार्थियों के घरों के आस–पास कोई खेल का मैदान नहीं है। महज 9.60 प्रतिशत विद्यार्थियों के घर के पास खेल मैदान हैं जो कि नगण्य हैं।

निष्कर्षतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति वर्ग के विद्यार्थियों को खेल परिदृश्य में लाने के लिए उनके घरों के आस–पास न केवल खेल–मैदान की सुविधा होना जरूरी है बल्कि खेल सुविधाएँ बढ़ाने के लिए छात्र/छात्राओं की रुचि के अनुकूल शैक्षणिक परिसर में वातावरण बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को खेल विभाग द्वारा खेल के लिए आवश्यक समय–सीमा का निर्धारण, खेल सामग्री का संग्रह एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को खेल की गतिविधियों में शामिल होने के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध हो सके। खेल हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के विविध आयाम संचालित होने चाहिए जिससे विद्यार्थियों में आत्म–विश्वास और आत्म–सम्मान का भाव जागृत हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुखिया, एस.पी. (1995), विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
2. पाण्डेय, रामसकल (1998), शिक्षादर्शन, विनोद पुस्तक मन्दिर।
3. मिश्र, पी.एन. (1997) रीवा नगर में संचालित हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में (10+2) स्तर पर विज्ञान समूह के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन, एम. एड्. (लघु–शोध–प्रबन्ध), रीवा, अ.प्र.सिंह.वि.वि.।
4. शर्मा, आर.ए. (2006), शिक्षा अनुसंधान, मेरठ, आर.एल. बुक डिपो।
5. मंगल, अंशु एवं बरौलिया, ए. (2005), शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ, समंक विश्लेषण एवं शैक्षिक सांख्यिकीय।
6. सक्सेना, सरोज (2003), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार।
7. पाठक, पी.डी. (1986), शिक्षा मनोविज्ञान, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
8. भटनागर, आर.पी. (1986), शैक्षिक अनुसंधान, मेरठ, लायल बुक डिपो।
9. शर्मा, आर.ए. (1993), फन्डामेन्टल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, लायन बुक डिपो, इन्दौर।
10. श्रीवास्तव, के.एम. (1995), शैक्षिक खेल गति–विधियों का मापन एवं मूल्यांकन, विश्वविद्यालय बुक डिपो, रीवा।

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 5th Dec. 2024 **Paper Accepted : 10th Dec. 2024**

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी रामकाव्य में अभिव्यक्त सामाजिक जीवन-मूल्य

डॉ. अंकुर श्रीवास्तव*

शोध-सारांश

भारतीय सामाजिक संरचना के जीवन–मूल्य पुरुषोत्तम राम का आदर्श जीवन से गहरे रूप से प्रभावित रहा है। हिन्दी साहित्य में राम का आदर्श चरित्र विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। राम और उनसे सम्बद्ध अनेक पात्र ऐसे हैं, जिन्होंने आदर्श सामाजिकता के अनेक पहलुओं की अभिव्यक्ति अपने जीवन–व्यवहार से की है। स्वतंत्र भारत में परिवर्तित पारिवारिक जीवन मूल्य, क्षेत्रवादिता, साम्प्रदायिकता आदि के संदर्भ में स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी साहित्यकारों ने राम के चरित्र को समकालीन संदर्भ में प्रस्तुत करने का चिंतनीय कार्य किया। स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी राम काव्यों में पारिवारिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, निम्न जातीय वर्ग की आशा–आकांक्षा, नारी स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक–मूल्य अभिव्यक्त हुए हैं।

स्वातन्त्र्योत्तर भारतीय समाज में राम के चरित्र की प्रासंगिकता को समकालीन मुद्दों के साथ उठाया गया है। इस कारण से प्रस्तुत शोध पत्र राम के आदर्श चरित्र की अभिव्यक्ति के साथ रामकालीन ज्वलंत मुद्दों को भी रेखांकित करने का प्रयत्न है।

सामाजिक संरचना को संचालित करने वाले विभिन्न कारक एवं तत्त्व विद्यमान होते हैं इनमें से एक तत्त्व जीवन–मूल्य है। जीवन–मूल्यों का निर्माण आदर्श सिद्धांतों के समुच्चय से होता है। समाज विशेष के जीवन–मूल्य किसी सांस्कृतिक घटनाक्रम, समाज को प्रभावित करने वाले विशेष व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं। भारतीय सामाजिक संरचना में जीवन–मूल्यों को निर्मित करने वाला 'राम' का व्यक्तित्व एक ऐसा ही तत्त्व है। इनका जीवन उच्च सामाजिक दृष्टिकोण का समुच्चय है। राम और उनसे सम्बद्ध अनेक पत्र ऐसे हैं जिन्होंने आदर्श सामाजिकता के अनेक पहलुओं की अभिव्यक्ति अपने जीवन–व्यवहार से की है। यही कारण है कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही उच्च सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु साहित्यकारों ने राम कथा को माध्यम बनाया है।

स्वातन्त्र्योत्तर भारतीय समाज में परिवार के बदलते स्वरूप और पारस्परिक संबंध, क्षेत्रवादिता,

* सहायक आचार्य (हिन्दी विभाग), बरेली कॉलेज, बरेली–243005
ई–मेल : ankursrivastava2626@gmail.com, Mob.: 9936111027

भाषा, सांप्रदायिकता आदि के संदर्भ में स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी साहित्यकारों के लिए चिंतनीय और चुनौती पूर्ण बने। इन चुनौतियों का समाधान राम के सामाजिक दर्शन में सहज उपलब्ध है। राम का सामाजिक आदर्श आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अब से पहले विभिन्न कॉल खंडों में रह चुका है। परिणामस्वरूप राम की सामाजिक दृष्टि की उपादेयता ने स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी कवियों को रामकाव्य का प्रणयन करने को प्रेरित किया। स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी राम काव्य में सामाजिक मूल्यों की अभिव्यक्ति विभिन्न संदर्भ में देखने को मिलती है।

वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, क्षेत्र आदि भारतीय समाज में असमानता के कारण रहे हैं, इधर देखने में आ रहा है कि शिक्षा अर्थ और पद के आधार पर समाज में असमानता की स्थिति बनती जा रही है, राजनेता स्वार्थ सिद्ध के निमित्त सुविधा अनुसार उपर्युक्त असमानताओं के कारण का सहारा लेकर भारतीय समाज को अलग–अलग खानों में बाँटते जा रहे हैं। खंडित भारतीय समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग से एक जाति दूसरी जाति से एक समुदाय दूसरे समुदाय से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगा हुआ है। समाज में विद्यमान वर्ण व्यवस्था की भयंकरता कवि श्री नरेश मेहता के कथन से स्पष्ट हो जाती है ''जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें वर्ण व्यवस्था ही वर्ग er gkasd hgekj hl cl sçe[kl eL; kgS][1] इस समस्या के समाधानार्थ ही कवि ने 'शबरी' की रचना की अपनी रचना के उद्देश्य को प्रकट करते हुए लिखते हैं ''जिस युग की यह कथा है उस समय सामाजिक स्तर पर भले ही वर्ण व्यवस्था का विधान रहा हो पर व्यक्ति कर्म के द्वारा वर्ण मुक्त होने की चेष्टा कर सकता है, 'शबरी' की कथा यही वर्ण मुक्त होने की चेष्टा है।''[2]

'शबरी' की वर्ण मुक्ति में ऋषि मतंग का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के समर्थकों द्वारा अपमानित होकर 'शबरी' को यही महत्त्व और सम्मान दिया जो अन्य सवर्ण लोगों को मिलता है। राम ने शबरी द्वारा चखकर दिए गए बेरों को ही नहीं खाया बल्कि उसे सादर आसन देकर बैठाया और जगत जननी कहा। राम शबरी से मिलकर स्वयं पवित्र हो गए यथा–

''प्रभु बोले मंद स्वरों में
जनता को कर संबोधन–
शबरी तो जग जननी है
मैं हुआ आज ही पावन।''[3]

'बेर भीलनी के' शीर्षक खंड में कवि सियाराम मिश्र उस समाज को व्यर्थ बताते हैं जिसमें उच्च नीच की भावना विद्यमान हो। श्री मिश्र ने जाति व्यवस्था वाले समाज के संबंध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं–

''व्यर्थ है समाज ऊँच–नीच भावना है जहाँ
असि योजना के लिए नर हेतु नर है
सर्प डसते हैं छूतछात के विषैले अति
भिन्न है हृदय भिन्न एक–एक कर हैं।''[4]

'भूमिजा' में रघुवीर शरण मिश्र ने भेदभाव को मिटाकर और विषमता के गड्ढे पाटकर, मिलजुल कर रहने की बात उठाई समाज में समानता लाने का आह्वान श्री मिश्र ने इस प्रकार किया है–

''वर्ग मिटे, सत्ता हट जाये
भेदभाव मिट जाये।
पटे विषमता के सब गड्ढे
सब मिलजुल कर गायें।''[5]

सामाजिक समानता के मूल्य प्रतिपादन के संदर्भ में 'माण्डवी' एक उल्लेखनीय रचना है। इस रचना में कवि ने शूद्र बालक की शिक्षा संबंधी समस्याओं के माध्यम से सामाजिक समानता पर अपने विचार प्रकट किए हैं। काव्य नायिका माण्डवी के द्वारा कवि ने रचना में सामाजिक समानता की जो प्रतिष्ठा की है वह अद्वितीय है। माण्डवी शूद्र महिला को राम की सामाजिक समानता संबंधी जीवन दृष्टि का परिचय देता है। उन्होंने राम के समता भाव के स्पष्टीकरण के लिए राम और केवट के मिलन की घटना को उद्धृत किया–

''केवट का आलिंगन करके

राघव प्रभु ने आदर्श दिया
सबको समता का स्तर दे
मानवता का उत्कर्ष दिया।''[6]

शूद्र महिला जब अपना शिकायत पत्र लेकर चली जाती है तब मांडवी के मन में जो विचार उठते हैं वह असमानता विरोधी और समता बोधक है। यथा–

''उसके जाते ही भरत प्रिया के
उर में एक विचार उठा।
दलितों के प्रति भावुक उर में
ममता करुणा का ज्वार उठा।।
मानवता का दर्शन तब तक
कैसे रह सकता है अखंड।
जब तक धरती के प्रांगण में
मानव के होंगे खंड–खंड।।[7]

''चित्रकूट'' रचना में रामेश्वर दयाल दुबे ने सामाजिक समानता का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति रक्त, मांस, मज्जा और शारीरिक आकृति के आधार पर समान है। कुल विशेष में जन्म लेने मात्र से कोई ऊँचा या नीचा नहीं हो सकता है कुल और जाति के आधार पर ऊँचा और ऊँचा कहना अवैधानिक है आलोच्य कृति में राम बनवासी कोल और किरातों के मन में हीनता की ग्रंथि को तोड़ते हुए कहते हैं–

''कहते कोल किरात अकिंचन
हम हैं लघुत्तम छोटा प्राणी।
अभिलाषा है श्रवण खुले
कुछ मधुमेह अमृतवाणी।।
कहते राम व्यर्थ ही तुमने
हीन भावना को पाला।
ऊँच–नीच के असद भेद को
समय न सहने वाला।।
मानव की है जाति एक ही
अंतर जाति कहाँ है।
रक्त मांस मज्जा आकृति की
समता एक यहाँ है।।[8]

शैलेश जैदी ने ''अब किसे बनवास दोगे'' के अंतर्गत सामाजिक समानता की सहज अभिव्यक्ति की है। राम जब वन से अयोध्या पहुँचे हैं तब वहाँ की जनता उनके स्वागत में अपने हर्ष और उल्लास की अभिव्यक्ति करती है। मार्गों की भाँति समस्त जनता भी दलित संपन्न, स्वर्ण वर्णहीन, आदिवासी सभ्य की भेदक रेखाएँ मिटाकर राममय बन जाती हैं। यथा–

राज मार्ग और जन्म मार्ग सभी
बन गए हैं राम मार्ग।
हर्ष व्यक्त करते हैं
हवा लहराते करोड़ हाथ।
जय–जयकार करते हैं लाखों कण्ठ
आँखें स्नेह जल से भर जाती हैं
राम और सीता कौन हैं,
कौन है दलित, कौन संपन्न हैं
कौन है स्वर्ण और वर्ण हीन
कौन आदिवासी है, सभ्य और सुसंस्कृति कौन
मिट गई है भेदक रेखाएँ।''[9]

जगदीश गुप्त ने शंबूक रचना में 'शंबूक' ऋषि के माध्यम से सामाजिक समानता के लिए तर्कानुमोदित आधार भूमि तैयार की है। शंबूक राम के सम्मुख अकाट्य तर्क प्रस्तुत करके सामाजिक समानता के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के अग्रदूत बन गए हैं। शंबूक ने राम के सामने मनुष्य–मनुष्य के बीच नैसर्गिक जन्मजात समानता के तथ्य का उद्‌घाटन करते हुए कहा–

''सभी पृथ्वी पुत्र है तब जन्म से
क्यों भेद माना जाए।
जन्मजात समानता के तथ्य पर
क्यों भेद माना जाए।
'जन्मना जायते शूद्रः'
क्या नहीं सबके लिए यह सत्य
और 'संस्कारात् ही द्विज उच्यते'
की घोषणा का क्यों ना हो सातत्य।।''[10]

परिवार

सामाजिक जीवन मूल्यों के निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण आधार परिवार है। परिवार में व्यक्तियों

के मध्य अनेक संबंध होते हैं, जब व्यक्ति अपने पारिवारिक संबंधों का औचित्यपूर्ण निर्वहन नहीं करता है, तो समाज में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः इस दृष्टि से पारिवारिक संबंधों का निर्वाह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक जीवन मूल्य हो जाता है। स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी रामकव्य में इस जीवन मूल्य की अभिव्यक्ति विविध पारिवारिक संबंधों के सफल निर्वहन द्वारा की गई है।

भ्रातृत्व

'संशय की एक रात' में कवि नरेश मेहता ने भ्रातृत्व का निर्वहन लक्ष्मण और राम के द्वारा कराकर इस जीवन मूल्य को वाणी प्रदान की है। राम और लक्ष्मण के मध्य भ्रातृत्व की भावना इस सीमा तक घनीभूत हो गई है कि राम लक्ष्मण को अपनी इंद्रियाँ मानने लगे हैं–

''लक्ष्मण जैसा उचित समझो
बात कर लो, तुम ही मेरी इंद्रियाँ हो।''[11]

राम लक्ष्मण के भ्रातृत्व की घनिष्ठता का परिचय शिव सिंह सरोज कृत 'लक्ष्मण महाकाव्य' में मिलती है। रचना के प्रारंभ में ही कवि ने राम और लक्ष्मण के संबंध को धर्म और कर्म के सात्विक संबंध का रूप प्रदान किया है। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम धर्म और लक्ष्मण कर्म बनकर चले–

''आगे विश्वामित्र और पीछे दोनों भाई थे
पहला बल था ओज तेज
दो उसके अनुयाई थे।
मुनि के संग व्यंग सैनिक बन
करता बालापन था
राम रूप में धर्म कर्म वन
चला स्वयं लक्ष्मण था।।''[12]

राम के दूसरे भाई भरत भी भ्रातृत्व की साकार मूर्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। भ्रातृत्व के सम्मानार्थ भरत अयोध्या के शासन को ठुकरा देते हैं। वह चित्रकूट राम को वापस लाने जा पहुँचते हैं। रामेश्वर दयाल दुबे कृत 'चित्रकूट' रचना में राम, भारत की पारस्परिक बंधुत्व भावना का सारगर्भित और प्रेरणास्पद वर्णन हुआ है। यथा–

''राम, भरत के भ्रातृ–प्रेम की
ऐसी सुंदर झाँकी।
हे भगवान! भरे जन–जन के
मन में आभाबाकी।।
मौन हुए ऋषि मुखर बन गई
सभा समुद चिल्लाई।
पाकर धन्य वही है धरती
राम भरत से भाई।।''[13]

पतिव्रत

'सीता निर्वासन' रचना में आदित्य कुमार चतुर्वेदी ने पतिव्रत की प्रतिष्ठा की है। श्री चतुर्वेदी पतिव्रत को नारी का बल और उसके खुशी का सम्बल मानते हैं। यथा–

''नारी का पतिव्रत बल है
वह ही उसका सुख संबंल है।''[14]

सीता का पतिव्रत जगत् विख्यात है। उन्होंने मानवता का मान बढ़ाने और संस्कृति के गौरवमय इतिहास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पतिव्रत ग्रहण किया। इस संदर्भ में आचार्य श्री तुलसी कृत 'अग्नि परीक्षा' में सीता का यह कथन उल्लेखनीय है–

''मैंने स्वीकृत किया पतिव्रत
अपना धर्म निभाने को।
अन्तः स्फुरण से इस मानवता
का मान बढ़ाने को।।
भारतीय संस्कृति का गौरवमय
इतिहास ढृढ़ाने को।
अपने उत्तम श्रावकत्व पर
अभिनव चमक चढ़ाने को।''[15]

रामकथा के नारी पात्रों में सीता के बाद लक्ष्मण भार्या उर्मिला का नाम आदर्श पत्नी के रूप में विद्यमान है। उर्मिला ने भी अपने पति को राम के साथ वन जाने की अनुमति देकर त्यागमयी पतिव्रता होने का परिचय दिया है। उर्मिला ने लक्ष्मण को विदा करके अपने तन से मन और प्राण को अलग किया–

''जाओ बिदा कर रही प्रियतम
तन से मन प्राणों को।

झेल रही हूँ अपने उर पर
विषम विरह वाणो को।''[16]

पत्नीव्रत

समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए पतिव्रत की तरह पत्नीव्रत भी अनिवार्य है। हालाँकि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हमारे समाज में पतिव्रत को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्त्व प्रदान किया गया है। अब बहुपत्नी विवाह जैसी कुरीतियाँ अवैधानिक बन चुकी है, फिर भी यह समस्या हमारे समाज में यदा कदा अब भी विद्यमान है। स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी रामकाव्य में बहुपत्नी विवाह की समस्या को समाप्त करने के लिए पतिव्रत के समानान्तर पत्नीव्रत को भी वाणी प्रदान की गयी है। इस संदर्भ में 'ओ अहल्या' और भूमिजा (नागार्जुन) उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। प्रस्तुत रचना में राम अहल्या के समक्ष एक पत्नीव्रत शील रहने की प्रतीज्ञा करते हैं। यथा–

''हाथो से छूकर कर के दोनों कान
दाँतों तले दबा कर सहाना जीभ
कहा राम ने–
कहती हो क्या देवी
जाऊँगा मैं भला तुम्हीं को भूल?
नहीं जानती तुम रघुकुल की रीति
इसीलिए क्या उपालंभ यह होता
छूकर अम्ब तुम्हारे दोनों पैर
होता राघव राम प्रतिज्ञाबद्ध
जीवन भर वह तुम्हें रखेगा याद
नारी के प्रति कभी न होगा क्रूर।''[17]

स्त्री–सम्मान

समाज के लिए स्त्री और पुरुष समान महत्त्व रखते हैं। जीवन व्यवहार में स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए पूरक है। तब स्त्री को समाज में पुरुष से हीन क्यो समझा जाय? यह प्रश्न नारी जागृति के साथ–साथ महत्त्वपूर्ण हो गया है। स्वांतत्र्योत्तर हिन्दी रामकाव्य में भी इस प्रश्न और इसके समाधान पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। आचार्य श्री तुलसी ने 'अग्नि परीक्षा' में सीता के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया है। सीता राम से पूछती हैं–

हाय राम! क्या नारी का कोई मूल्य नहीं है।
क्या उसका औदार्य, शौर्य पुरुष के तुल्य नहीं।[18]

नागार्जुन की 'भूमिजा' सीता उस भविष्य के बारे में सोचती है, जब नर और नारी मर्यादा और न्याय के आधार पर समान होंगे। यह युग कब आयगा, जब नर–नारी जीवन व्यवहार के सभी क्षेत्रों में समान होंगे। यथा–

''सोच रही हूँ, कब होगा वह कल्प
वह मन्वन्तर, युगारम्भ का दौर
नर–नारी में मर्यादा के बोध
सम–सम होंगे, सम–सम होगा न्याय
सम–सम होंगे विद्या–बुद्धि–विवेक
टिक सकता है क्योंकर वहाँ प्रवाद
जाग्रत होगी जहाँ परख की आँच।''[19]

श्री जयकिरण ने 'शबूक आलोक यात्रा में' शंबूक के माध्यम से नारी माहात्म्य का प्रतिपादन किया है। शम्बूक सीता का पक्ष लेत हुए कहते है–

''पर पावक की, दाहक ज्वाला में,
उसके हित हो चुकी परीक्षा।
फिर कैसे अपवाद।
त्याग फिर कैसा
यहाँ नहीं वैदेही
अपितु न्याय स्वयं अपमानित
अपराध एक/तो/दण्ड एक
क्या नीति नहीं जगमानित।''[20]

विवाह

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि विवाह जैसे पवित्र अनुष्ठान से सामाजिकता अलग होती जा रही है। अब भावुकता पर आधारित प्रेम–विवाह और कोर्ट–विवाह प्रचलित हो रहे हैं। इन विवाहों में वर और वधुपक्ष का भावुकताजन्य निर्णय प्रमुख होता है। ये विवाह समाज के अंकुश से पूर्णतः मुक्त होते हैं। यही कारण है कि ये विवाह अधिक सफल नहीं हैं। नारी आत्म हत्या, पारिवारिक विघटन, तलाक जैसी

समस्याएँ अब आम हो गई हैं।

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी रामकाव्य सामाजिक विवाह का ही पक्षधर है। इन काव्य–रचनाओं में लोक रीति के अनुसार विवाह का समर्थन किया गया है। 'ओ अहल्या' में अहल्या का विवाह उनके पिता प्रजापति की इच्छानुसार समाज के अन्य नर–नारियों की उपस्थिति में पूरा होता है। डॉ. राम कुमार वर्मा ने इस विवाह को पति–पत्नी के पावनतम् सम्बन्धों की अभिलाषा की सफल परिणति बताया है–

''पति–पत्नी की पावनतम्
सम्बंधों की प्यारी अभिलाषा–
आज सफल होने को थी
विश्वासमयी सुख की आशा।''[21]

अब्बास अली कृत 'सीता स्वयंवर' में भी सीता और राम के परिणय–संबंध में सामाजिक मान्यताओं का ध्यान रखा गया है। धनुर्भंग के पश्चात् सीता और राम के विवाह को लोक सम्मत् बनाने के लिए मुनि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि वे राम–पिता राजा दशरथ को बुलाएँ और वे एक बारात के साथ आएँ। यथा–

''जन्म से मरण तक षट दश संस्कार
उसमें विवाह का है निहित संस्कार श्रेष्ठ
जीवित पिता का उस पर शुभ अधिकार
जन्म साथ ही जन्म पाता है सुखद साध
पुर–परिजन लेन देन तेग–उपहार।''[22]

अनशन

अनशन समाज के विपरीत होते व्यवहार (अमानवीय कृत्य) को रोकने का एक सात्विक साधन है। महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश शासन के शोषण के विरोध में अनशन का अनेक बार प्रयास किया। स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी रामकाव्य में अनशन समाजोन्मुख न्याय शक्ति के रूप में चित्रित हुआ है। राम वन में हैं। भरत उनको अयोध्या लाना चाहते हैं। वे वन जाकर राम को मनाना चाहते हैं। राम के तैयार न होने पर भरत अनशन करने की चेतावनी देते हैं। भरत ने मुनि वशिष्ठ से कहा–

हम मनाएँगे सुजन रूठे जो सौ सौ बार थे।
हम प्यार के पीछे पड़े देंगे न फिर दुत्कार वे।।
माने न फिर भी राम तो अनशन करेंगे हम वहाँ।
या तो फिरेंगे राम या भूखे मरेंगे हम वहाँ।।''[23]

'माण्डवी' रचना में शूद्र पुत्र विद्यार्जन के अधिकार हेतु अनशन व्रत ले बैठता है। शूद्र महिला अपने पुत्र द्वारा किए गए अनशन की सविनय सूचना मण्डवी को इस प्रकार देती है–

''बस यही निवेदन है मेरा
मुझ पर अनुकम्पा हो जाये।
मेरा सुत शिक्षित–दीक्षित हो
आदर्श नागरिक बन जाये।
वह अनशन व्रत ले बैठा है
छोटा है अल्प अवस्था है।
क्या उसे पता शूद्रों के हित
शिक्षा की नहीं व्यवस्था है।''[24]

सामाजिक मूल्यों के उपर्युक्त संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी राम काव्य के प्रणेता सामाजिक मूल्यों के विषय में सजग रहे हैं। समीक्ष्य काव्य में समाज से सम्बद्ध जो मुद्दे उठाये गये हैं, वे समय सापेक्ष हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्री नरेश मेहता, शबरी, लोकभारती, प्रकाशन इलाहाबाद, संस्करण 1995 ई., पृ. 8 (भूमिका)
2. वही
3. वही, पृ. 78
4. सियाराम मिश्र, बेरी भीलनी के, स्मृति प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1987 ई., पृ. 13
5. रघुवीर शरण मिश्र, भूमिजा, भारतीय साहित्य प्रकाशन, मेरठ, चतुर्थ संस्करण, 1973 ई., पृ. 113
6. राजेन्द्र तिवारी, माण्डवी, कलख प्रकाशन, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण 1983 ई., पृ. 37
7. वही, पृ. 38–39
8. रामेश्वर दयाल दुबे, चित्रकूट, निराला नगर, लखनऊ, संस्करण 1993 ई., पृ. 28
9. शैलेष जैदी, अब किसे बनवास दोगे, मानस संगम, कानपुर, द्वितीय संस्करण 1993 ई., पृ. 127
10. जगदीश गुप्त, शम्बूक, लोकभारती प्रकाशन,

इलाहाबाद, संस्करण 1994 ई., पृ. 49
11 श्री नरेश मेहता, संशय की एक रात, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 1994 ई., पृ. 08
12. शिव सिंह सरोज, लक्ष्मण महाकाव्य, प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ, संस्करण 1981 ई., पृ. 01
13. रामेश्वर दयाल दुबे, शीला देवी दुबे, निराला नगर, लखनऊ, संस्करण 1993 ई., पृ. 59
14. आदित्य कुमार चतुर्वेदी, सीता निर्वासन, उमेश प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 1995, पृ. 131
15. आचार्य श्री तुलसी, अग्नि परीक्षा, आत्मा राम एण्ड सन्स, दिल्ली, संस्करण 1961 ई., पृ. 164
16. शिव सिंह सरोज, लक्ष्मण महाकाव्य, प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ संस्करण 1981 ई., पृ. 45
17. नागार्जुन, भूमिजा, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली
18. आचार्य श्री तुलसी, अग्नि परीक्षा, आत्मा राम एण्ड सन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1961 ई., पृ. 64
19. नागार्जुन, भूमिजा, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली संस्करण 2, पृ. 69
20. जयकिशन, शम्बूक आलोक यात्रा, सम्प्रति प्रकाशन उज्जैन, प्रथम संस्करण 1989 ई., पृ. 28
21. डॉ. राम कुमार वर्मा, ओ अहल्या, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, संस्करण 1985 ई. पृ. 62
22. अब्बास अली बास, सीता स्वयंवर, मानस संगम कानपुर, प्रथम संस्करण 1994 ई., पृ. 58–59
23. दयाराम कवि किंकर, आप्तकामा, वेसवा हाउस, आगरा, संस्करण 1988, पृ. 41
24 राजेन्द्र तिवारी, माण्डवी, कलख प्रकाशन, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण 1983 ई., पृ. 35

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 5th Dec. 2024
Paper Accepted : 10th Dec. 2024

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में प्रशासन की भूमिका

▫ रेखा नामदेव*
▫ डॉ. भावना साहू*

शोध-सारांश

ग्रामीण स्वायत्तता को मूर्त्तरूप देने के लिए पंचायत राज्य व्यवस्था को नवीन संदर्भों में प्रारूपित किया गया जिसके तहत ग्राम स्वराज के लिए ग्राम पंचायतों का गठन विधिमान्य व्यवस्था से किया गया। गौर करें तो शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है और यहीं से शासन प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाना चाहिए अर्थात् ग्रामीण शासन से ब्लाक (खण्ड) शासन, ब्लाक शासन से जिला शासन, जिला से राज्य शासन और राज्य से केन्द्रीय शासन, किन्तु हमारे देश में यह क्रम विपरीत हो गया था और शासन की पहली कड़ी केन्द्रीय शासन, दूसरी कड़ी राज्य शासन और उसके बाद जिला प्रशासन। इस व्यवस्था में जनप्रतिनिधि आधारित स्थानीय स्वशासन की पूर्णतः उपेक्षा की गई थी और उसे भविष्य में स्वाभाविक रूप से विकसित होने के लिए छोड़ दिया गया था। विशाल ग्रामीण अंचल, अपूरित–भू–भाग, कल्याणकारी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता के महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक पहलू हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि देश में ग्रामीण, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का योजनापूर्ण विकास हो। यह तभी संभव है जब स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर व्यवहार में भी उन्हें विकसित होने दिया जाये। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी, भारत सरकार ने पंचायती राज अधिनियम तैयार कर संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया, किन्तु यह विधेयक किन्हीं कारणों से पारित नहीं हो सका। इसके पश्चात् नरसिंहराव सरकार ने 73वाँ संविधान संशोधन पारित कर पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय स्वशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किया।

मुख्य शब्द–*स्वायत्तता, पंचायत, प्रशासन, संवैधानिक, मान्यता, कल्याणकारी, सहकारिता, समितियाँ आदि।*

प्रस्तावना

त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन के पश्चात् पंचायतों के कार्य तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रत्येक जिला तथा जनपद पंचायत में सामान्य प्रशासन, शिक्षा, कृषि, संचार तथा संपर्क सहकारिता तथा उद्योग, वन तथा महिला एवं बाल विकास

* शोधार्थी अर्थशास्त्र, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

विषयों की सात–सात तथा ग्राम पंचायतों में तीन–तीन स्थायी समितियों का गठन भी पूर्ण किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं समितियों की प्रत्येक माह में बैठक आयोजित की जाती है जिसमें गाँवों के निरंतर विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उनके विकास की बागडोर राजधानी और संभागीय मुख्यालयों से हटाकर अब जिला शासन की अवधारणा स्थापित कर जिला पंचायत को प्रमुख इकाई, जनपद पंचायत को विस्तारित इकाई तथा ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन इकाई का दर्जा दिया गया जिससे कि वे तीव्रता से अपना कार्य पूर्ण कर सकें।

पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकार तथा जिलाधीश दोनों का नियंत्रण होता है। अनेक प्रकरणों में राज्य सरकार, जिलाधीश के माध्यम से तथा कई अन्य प्रकरणों में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करती हैं। पंचायती राज संस्थाओं पर कई प्रकार का नियंत्रण अब तक होता आ रहा है–संस्थागत, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण। पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में संस्थाओं की नीति और प्रशासन दोनों का नियंत्रण सम्मिलित रहा है। इस प्रकार के प्रशासन संबंधी नियंत्रण का उद्देश्य इन संस्थाओं को उस ढाँचे के अंतर्गत क्रियाशील रखना होता है, जिन उद्देश्यों के लिए इन संस्थाओं की स्थापना की जाती थी।

राज्य की सेवाओं का समाज के सभी वर्ग को समान रूप से लाभ प्राप्त हो, इस हेतु एक कुशल प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है। कोई भी कल्याणकारी राज्य संगठित एवं कुशल प्रशासन के अभाव में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता है। पंचायत अधिनियम 1993 के पूर्व पंचायती राज व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन एवं नियंत्रण में संचालित होती थी। नये अधिनियम के द्वारा प्रथम बार पंचायतों से जुड़े अधिकारी वर्ग को पंचायत प्रतिनिधियों के अधीन लाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों से संबंधित दायित्वों के हेतु जन–प्रतिनिधियों को सहयोग प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की गईं।

नीचे के स्तर पर पंचायत का सचिव ही कार्यपालक होता है। सचिव, सरपंच के नियत्रंण में रहते हुए पंचायत के कार्यपालिकीय दायित्वों निष्पादक होता है। अधिनियम की धारा 69 (1) के अंतर्गत इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 72 के द्वारा इसके दायित्व निर्धारित किये गये हैं। सरपंच के आदेशों/निर्देशों का पालन करना उसका कर्त्तव्य है। पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव के पास तथा उसकी अभिरक्षा में रहते हैं। उसका दायित्व है कि वह इसमें किसी भी प्रकार की जालसाजी न होने दे। अभिलेखों के नष्ट होने, खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर सचिव को ही उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

रीवा जिले की पंचायतों की व्यवस्था के सर्वेक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि यहाँ के 30 से 40 प्रतिशत पंच/सरपंच अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने के कारण वे सचिव पर निर्भर रहते हैं। सचिव अपने प्रभाव का उपयोग कर उनसे मनमाने कार्य कराने में सफलता प्राप्त कर लेता है। सचिव पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशियों के लिए रसीद जारी करने, कैश बुक में उसकी प्रविष्टि करने हेतु उत्तरदायी होता है। अतः उसे सतर्कता पूर्वक समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना चाहिए। क्योंकि पंचायत निधि की होने वाली क्षति के लिए उसे ही उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। पंचायत की गतिविधियों का प्रतिवेदन सचिव ही समय–समय पर तैयार कर जनपद पंचायत को भेजता है। पंचायत के अन्य सेवक सचिव एवं सरपंच के निर्देशानुसार कार्य करते हैं।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जनपद स्तर के प्रशासन का प्रमुख होता है। जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शासन द्वारा

नियुक्त राज्य की प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। विकास खण्ड स्तर के अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारी इसके अधीन होते हैं। इसका दायित्व जनपद पंचायत के समस्त कार्यों को संपन्न करना तथा करवाना है। मध्य प्रदेश के 24 अन्य विभागों के खण्ड स्तर के अधिकारियों की सेवायें जनपद पंचायतों को दी गई हैं। अधिनियम की धारा 72 के द्वारा इनके कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। मुख्य कार्यपालन आधिकारी जनपद पंचायत का आहरण एवं संवितरण अधिकारी होता है वही जनपद पंचायत एवं उसकी स्थायी समितियों की बैठकों हेतु सूचना जारी करता है। यह सूचना अध्यक्ष के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। बैठकों का कार्यवृत्त वही तैयार करता है। उसका दायित्व कार्यवृत को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना भी है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति राज्य शासन के आदेशों के अंतर्गत की जाती है। जिला पंचायत, पंचायत व्यवस्था का शीर्ष बिन्दु है। जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का सचिव होता है। 1994 का अधिनियम लागू होने के समय जिला के कलेक्टर को ही जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया तथा विभागीय प्रमुखों को जिला पंचायत के अधीन रखा गया उनकी सेवायें जिला पंचायतों को प्रति नियुक्ति के आधार पर दी गई। उनकी सेवायें पंचायतों को सौंपे जाने के बाद भी अन्य आदेशों/निर्देशों के लिए वे अपने विभाग से संबद्ध रहे। जिला स्तर पर कलेक्टर समन्वय एजेन्सी होता है। सन् 1986 में मध्य प्रदेश जिला सुधार आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि कलेक्टर ही जिला योजना की मुख्य एजेन्सी बना रहे और एक अतिरिक्त कलेक्टर विकास कार्य में उसकी सहायता करे।

यह व्यवस्था प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के सदृश्य है। जिला योजना पर गठित कार्यदल का विचार था कि कलेक्टर को जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया जाय तथा सहायक कलेक्टर स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी उसकी सहायता करे। सन् 1994 के प्रारंभ तक यह व्यवस्था जारी रखी गई। कलेक्टर को जिला पंचायत का सचिव बनाकर उसे विकास संबंधी उत्तरदायित्व सौंपे गये, किन्तु बाद में एक आई. ए. एस. अधिकारी को पृथक् मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त कर कलेक्टर के कार्य को जिले की कानून–व्यवस्था संबंधी कार्यों तक सीमित कर दिया गया। विकास कार्यों का दायित्व जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के अंतर्गत नियुक्त राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी या कनिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी को सौंपा गया। उसे ही जिला पंचायत के सचिव की हैसियत से जिले के विकास एवं निर्माण से संबंद्ध विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिला पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुरूप निर्देश देने हतु उत्तरदायी बनाया गया।

जिला परिषद् की नीतियों एवं विनिश्चयों को क्रियान्वित करना एवं जिला परिषद् की विकास योजनाओं को त्वरित निष्पादन करना जिला पंचायत के सचिव का मुख्य कार्य है। इसी पर जिला पंचायत की साख एवं सफलता निर्भर करती है। जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से काम लेना उसी का उत्तरदायित्व है क्योंकि वही इनका पर्यवेक्षण एवं नियत्रंण करता है। जिला परिषद् से संबंधित सभी कागजात, दस्तावेज तथा अभिलेखों को अपने नियंत्रण में वही रखता है। इनकी सुरक्षा करना उसका व्यक्तिगत दायित्व है। जिला पंचायत का आहरण, संवितरण अधिकारी होने से वही जिला पंचायत निधि में धन जमा करता है, उसे निकालता है तथा उसका संवितरण करता है। वह अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिला परिषद् एवं उसकी स्थायी समितियों की बैठकों हेतु सूचना जारी करता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद् एवं राज्य शासन के मध्य एक महत्त्वपूर्ण कड़ी होने के नाते वह जिला पंचायत अथवा उसकी

किसी स्थाई समिति द्वारा पारित संकल्पों की राज्य शासन को जानकारी उपलब्ध कराता है।

वह जिला परिषद् की बैठकों में सचिव की हैसियत से भाग लेता है। वह विचार–विमर्श में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की सभी रसीदों पर स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने का प्रावधान है, जिससे कि वित्तीय नियंत्रण बना रहे। वह अध्यक्ष के साथ–साथ जिला पंचायत द्वारा जारी किये जाने चेकों पर हस्ताक्षर का अधिकारी होता है। रोकड़ बही पर भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होता है।

जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी अथवा उसकी अनुपस्थिति में ऐसा अन्य व्यक्ति जो सामान्य प्रशासन समिति द्वारा विहित किया जाए, नियम 64, 65, 66 में विहित वार्षिक लेखा तैयार करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 मई तक सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। प्रशासनिक समिति द्वारा अनुमोदित लेखे तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन जिला पंचायत की प्रत्येक सभा में प्रत्येक वर्ष 15 जून को अथवा उसके पूर्व अनुमोदित/अंगीकार किये जायेंगे। जिला पंचायत द्वारा इन्हें प्रशासनिक प्रतिवेदन के साथ 30 जून को अथवा उससे पूर्व वार्षिक लेखे संभागायुक्त या जिला पंचायत अधिकारी को भेजे जायेंगे।

1994 के पंचायत अधिनियम क्रियाशील होने के प्रथम दो वर्षों तक कलेक्टर ही इसका सचिव होता था। जिले के अंतर्गत सभी विभाग कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण में रहने से उसे अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, किन्तु जब से कलेक्टर से भिन्न अन्य कई आई. ए. एस. अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को जिला पंचायत का सचिव नियुक्त किया गया है, अन्य विभागों के अधिकारियों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कारण कि ये विभाग सीधे नियंत्रण में नहीं होते। जिला पंचायत के सचिव नियुक्त किये जाने वाले राज्य सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो कि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के भी प्रभारी होते हैं, वस्तुतः कलेक्टर से स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं कर पाते हैं। पदोन्नति के कगार पर होने के कारण उन्हें कलेक्टर के रुख का भी ध्यान रखना होता है।

अधिनियम की धारा 84, 85, 86 तथा 87 के अंतर्गत राज्य शासन अथवा उसके द्वारा नियुक्त विहित अधिकारी, सभी स्तर की पंचायतों का निरीक्षण कर सकते हैं, उसके संकल्प, आदेश या अनुज्ञप्ति को निष्पादन या निलंबित कर सकते हैं, अपनी इच्छानुसार लोकहित में निश्चित प्रकार के कार्यों को संपादित करने का निर्देश दे सकते हैं तथा पंचायतों को विघटित कर सकते हैं। विहित अधिकारियों को इतनी अधिक शक्तियाँ प्रदान करने के कारण यह आशंका व्यक्त की गई है कि यदि पंचायतों में भिन्न राजनैतिक दलों में निष्ठा रखने वाले जनप्रतिनिधि अथवा पदाधिकारी निर्वाचित हो जाते हैं तो राज्य सरकारें उन्हें किसी–न–किसी बहाने प्रभावहीन या भंग करने के लिए अधिकारों का प्रयोग कर सकती है।

वस्तुतः यह स्थिति पंचायत राज के मूल उद्देश्य पर ही प्रहार करेगी। अधिनियम में यह व्यवस्था सन् 1962 से ही चली आ रही है। सन् 1993 का अधिनियम प्रभावशील होने के बाद विद्यमान राज्य सरकार का रुख पंचायतों के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप का होने के कारण राजनीतिक आधार पर किसी भी जिले में पंचायतों को भंग करने का प्रयास नहीं किया गया है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों के कार्य तथा जनप्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के न्यूनतम अधिकार संविधान द्वारा निश्चित कर दिये गये हैं। पंचायत से जुड़े प्रशासन तंत्र की प्रमुख भूमिका मार्गदर्शक, परामर्शदाता, सहयोगी एवं योजनाओं के क्रियान्वयन–कर्त्ता की है।

पंचायत राज की सफलता दोनों के परस्पर

सामंजस्य एवं सहयोग पर निर्भर करती है। यदि एक सामाजिक न्याय तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अंतर्मन से दूसरे का सहयोग करे तो गाँवों का कायाकल्प हो सकता है तथा यदि इनके बीच अधिकारों का संघर्ष अथवा तनाव रहा तो समूची व्यवस्था लक्ष्य से भटक सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के मध्य शिक्षा, बौद्धिक स्तर एवं प्रशासनिक अनुभवों के संदर्भ में विशाल अंतर होता है। जिला स्तर पर पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारियों में उत्साह एवं आरंभण की प्रवृत्ति का तथा जनप्रतिनिधियों में प्रशासनिक अनुभव, शिक्षा तथा तथ्यगत ज्ञान का अभाव होता है।

जिला स्तर के प्रशासनिक ढाँचे में जिला एवं जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ एवं विकास संबंधी विभागों से जुड़े विभिन्न अधिकारी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, राज्य शासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी हैं। वहीं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रीति से निर्वाचित पदाधिकारी सम्मिलित हैं। इन दोनों के कार्यों में स्वायत्तता की सीमा का निर्धारण एवं सामन्जस्यपूर्ण सहयोग एक महत्त्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग की आवश्यकता होगी। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों की भूमिका जनप्रतिनिधियों के सहायक की होगी।

स्पष्ट है कि प्रशासनिक अधिकारी की शक्तियों के प्रयोग में कटौती, यह स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती, फिर भी उन्हें सामंजस्य स्थापित करना होगा। अभी तक अधिकारी निर्णय लेते रहे हैं, अब पंचायतें निर्णय लेंगी। अधिकारियों का कार्य उन निर्णयों को कार्यान्वित करना मात्र है। यह स्थिति अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच कई पंचायतों में शक्ति संघर्ष का कारण भी बनी है। पाश्चात्य देशों में नौकरशाही संगठन के अध्ययन में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि किसी संगठन के संविवर्ग पर भिन्न–भिन्न प्रकृति को दोहरा नियंत्रण उनके विभिन्न सोपानों में संगठनात्मक तनाव पैदा करता है। पंचायत व्यवस्था में तकनीकी विशेषज्ञों तथा विकास सलाहकारों के द्वैध नियंत्रण में रखा गया है। तकनीकी कर्मचारियों पर तकनीकी कार्यों की दृष्टि से विभाग का एवं सामान्य प्रशासन की दृष्टि से मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नियंत्रण रहता है।

पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों को अनेक ऐसे भी कार्य सम्पादित करने पड़ते हैं जो उनके प्रशासनिक कर्त्तव्यों में सम्मिलित नहीं हैं, जैसे–स्कूल के शिक्षकों को जनगणना, प्रौढ़ शिक्षा, बीज वितरण, परिवार नियोजन, पल्स पोलियो, अल्प बचत आदि के कार्य करने पड़ते हैं, फलस्वरूप इन विविध प्रकृति के कार्य संपादित करने से वे अपने मुख्य कर्त्तव्य में पीछे रह जाते हैं।

सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अधिकांश अधिकारी अपना लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से गलत जानकारी देकर प्रतिवेदन तैयार कर देते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी लालफीताशाही की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो पाया है। यह प्रवृत्ति जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच समुचित सहयोग की भावना के विकास में बाधक है। प्रशासन तंत्र में ही तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामान्य प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश कभी–कभी परस्पर विरोधी होते हैं, इस कारण निचले स्तर के कर्मचारियों की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं।

विकास योजनाओं के निर्माण संबंधी पंचायतों को विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। यह कार्य इनकी विभिन्न समितियों द्वारा किये जाते हैं। समितियों द्वारा अपनाये गये आधार मुख्यरूप से राजनैतिक होते हैं। इनके निर्णय सदस्यों के संकीर्ण हितों से प्रभावित रहते हैं। इनकी योजनाएँ प्रायः तकनीकी दृष्टि से अपरिपक्व होती हैं। विकास अधिकारी या मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसी योजनाओं का विरोध करते हैं। यद्यपि समिति के सदस्यों में तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है, किन्तु वे अपनी

योजनाओं को स्वीकृत करने हेतु अनुचित दबाव डालते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पंचायत संस्था के अधिकारी या कर्मचारी को भ्रष्टाचार अथवा अक्षमता का दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है तो ऐसे अशासकीय व्यक्ति जिनके गुट से वह जुड़ा होता है, कार्यवाही के कारणों पर ध्यान दिए बिना, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं तथा अपने आदमी का समर्थन करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के उनके क्षेत्र में बने रहने से उन्हें सुविधा होती है। ऐसे कर्मचारी उनके दबाव में अनुचित कार्य करने में किसी प्रकार के संकोच एवं हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को नियमों की बारीकियों का ज्ञान नहीं होता, फलस्वरूप उनके निर्देशों पर अधिकारी विधिक आपत्ति लगाकर उसे लंबित रखने का प्रयास करते हैं, सीधे ढंग से आदेशों की अवहेलना नहीं करते।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. यतीन्द्र सिंह सिसोदिया, म.प्र. में पंचायती राज व्यवस्था, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 2000
2. संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज सेवाएँ, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थिति, आदित्य पब्लिशर्स, बीना, म.प्र., 2005
3. देवेन्द्र उपाध्याय, पंचायती राज व्यवस्था, सामयिक प्रशासन, नई दिल्ली, 1989
4. विजय प्रताप सिंह, भारत में सामुदायिक विकास, रामनारायण लाल बेनी प्रसाद, इलाहाबाद, 1962
5. श्रीराम महेश्वरी, भारत में जनपद पंचायतें : एक तुलनात्मक अध्ययन, समाज सेवा, जनवरी 1975
6. राधेश्याम द्विवेदी, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 एवं पंचायत निर्वाचन 1994, सुविधा लॉ हाउस भोपाल
7. म.प्र. शासन : म.प्र. पंचायत राज अधिनियम राजपत्र संशोधन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2006
8. द्विवेदी योगेश एवं खेत्रपाल भीमसेन, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम संशोधन 1997, माडल लॉ हाउस, इलाहाबाद
9. जिला पंचायत रीवा की प्रगति पत्रक, म.प्र. शासन ग्रामीण विकास की ओर से संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाएँ।
10. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज नूतन प्रवृत्तियाँ समस्याएँ एवं नियोजन, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी, बम्बई, 2000
11. म.प्र., अधिनियम क्र. 26, सन् 1994
12. खान जेड. यू., पंचायती राज एण्ड डेमोक्रेसी (पंचायती राज प्लानिंग एण्ड डेमोक्रेसी, पृष्ठ 271 में संपादित)
13. हार्वे सी. स्मिथ, टू लाइन्स ऑफ एथारिटी : द हस्पिटल्स डिलेम्मा इन गार्थी जेको (एडी.) पेशेन्ट, फिजीशियन एण्ड इलनेस, न्यूर्याक फ्री प्रेस, पृष्ठ 468–69

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
YEAR 2024 Vol. 4 SHODH CHETNA PRAYAGRAJ
Paper Recieved : 5th Dec. 2024 Paper Accepted : 15th Dec. 2024

The Use of Artificial Intelligence in Legal Research with Special Reference to its Criminal Liabilities

❐ **Dr. Harish Sharma***
❐ **Snigdha Pandey****

ABSTRACT

The integration of AI into legal research offers opportunities as well as challenges. First, fast processing and accurate generation of important information within vast amounts of data make the efficiency and quality of legal research better, allowing legal professionals to use their time strategically. However, the seeming issues with bias that exist in AI systems reflect prejudices existing within society, and its related wide-ranging effects make criminal justice the most problematic area for these new systems. This complicates assigning responsibility for errors or misconduct on the part of AI systems. Its debate over granting legal personhood to AI further overshadows matters since AI does not possess inherent conscience and moral sense to be held accountable in law. For countries like India, which do not grant legal personality to AI, the issue of holding humans liable for AI's harmful conduct becomes extremely challenging. Nonetheless, the benefits the automation system holds for legal research, such as increased accuracy and speed, better comprehension of trends in the jurisprudence, should not be put aside. Ensuring the ethical and unbiased use of AI requires regulatory reforms, such as promoting the responsible development of AI and ensuring transparency in algorithms in the legal system. A coordinated approach involving lawmakers, legal experts, and AI developers is important to tap the possibilities of AI while ensuring core values are preserved including fairness, transparency, and accountability.

Keywords–*Artificial Intelligence, Legal Research, Bias, Accountability, Legal Personhood.*

AI is concerned with methods of achieving goals in situations in which the information available has a certain complex character. The methods that have to be used are related to the problem presented by the situation and are similar whether the problem solver is human, a Martian, or a computer program." *- McCarthy*

1. Professor, Department of Law, Dharm Samaj College, Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh.
2. Research Scholar, Department of Law, Dharm Samaj College, Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh

Introduction

Wide-scale AI application has changed several sectors, the incorporation of AI in the legal profession has also brought quite a significant change to the sector. With its high power to improve speed, efficiency, and accuracy, this natural intelligence found a home in legal research. Usage of AI has significantly reduced the time and effort to conduct legal research. These tools can now sift through mountains of data and draw conclusions much more quickly than a human being could. With the advent of artificial intelligence in the criminal law context, everything from predictive sentence outcomes, to case analysis, to even trends in criminal behavior can be implemented. Of course, artificial intelligence is the future and promises much but it also raises many legitimate concerns, not least of which is criminalizing its use.

The most common application of AI in legal study is automating work that used to be done manually. NLP systems, and indeed any other AI-powered tool, can aid attorneys in the search for legislation, legal opinions, case law, and any other legal document for precedents and insight. This aside, it also saves them time, as well as giving them potential legal issues they missed. Another domain in which AI will certainly prove to be useful is with respect to data-driven methodologies relating to trends in criminal law, that is, the "recidivism rate" and sentence standards. With this ability to analyze large datasets on criminal activity, AI will conceivably understand trends in crime, danger, even the odds of specific offenses occurring much better.

Despite all these advantages, using AI to research any legal issue remains a tough process. Questions abound in using AI in making decisions, most importantly regarding the effect it has on law and ethics, especially in the criminal justice system. For instance, there should not be any indication of discrimination or prejudice in any algorithms used to sentence or parole decision that incorporates AI. It makes things worse since it may not know what is fair or how to be fair when developing an AI system when faced with social prejudices such as race differences and economic inequalities, hence, the question brings into relevance an issue about AI ever being able to give truly unbiased and just judgments such as in cases involving criminal liability.

In this case, someone must be held accountable for the errors or wrongdoing that might surface because of AI legal research or decision-making. Mistakes may lead to severe consequences in criminal law, such as the wrongful conviction or punishment of wrongly accused individuals. So, if AI eventually commits an error, who would be responsible? Those working in the legal field, the AI itself, or the creator of the system? The fact that AI algorithms are not transparent at all makes it much more challenging to understand the decision-making process, and this goes hand in hand with accountability.

AI has far-reaching benefits to legal study, especially criminal law, but it also presents some serious problems. Thereby, as AI continues to be integrated into the legal profession, serious concerns regarding the possibility of prejudice, ethical concerns, and questions of responsibility in instances of mistake or injury are necessary considerations. For AI to continue to play a fair and responsible role in the judicial system, existing legal frameworks and rules will have to evolve to accommodate such new realities. As technology continues to transform the legal environment, the connection between AI and criminal responsibilities will surely get significant attention.

Legal Personality of Artificial Intelligence

The legislator has extended the concept of legal personality for entities such as governments and businesses to bring together persons with similar interests, by giving them the ability to be subject to rights and duties and create one's own legal position.(Jefferson et al., 2023) These were created by the people behind them and thus are

"artificial" or "legal" beings. As abstract legal conceptions evolved, a long-standing practice emerged: the separation of legal people from the actual individuals supporting them, such as entrepreneurs and authorities. The word "person" encompasses the "personhood of living persons only" according to the standard definition in dictionaries.(Kurki, 2023) That being said, "legal personhood is not necessarily synonymous with or con ned to human beings" according to the legal definition.

In people and the law, it is well accepted that there are nonhuman entities with distinct legal personalities such as the limited liability company. India had put to use the concept of "legal fiction" in infusing rights such as river protection and their identity is a product of such phenomena.(TÎnÎsescu, 2020) Now again this question of legal personality has been raised in relation to artificial intelligence or AI. Legal recognition of AI breakthroughs has been a persistent cause for proponents of intellectual property rights and economic development. However, this is not to be confused with the much-hyped issue at hand: whether AI should be regarded as an independent legal entity or not. Although impressive, artificial intelligence was not yet at a level of development where it could be considered to be on a par with humans, by the conventional wisdom that lasted until about a decade ago.(Dwivedi et al., 2023) That assumption, obviously didn't hold up, since, in recent years we have witnessed AI making music like never before (with Google's Nsynth), creating breathtaking artwork (with the Next Rembrandt), push the boundary of leading drug discovery (with Atomwise), and even surpassing human performance (with Google's AutoML). Acknowledgment of AI innovations is not the only pressing issue at hand. It raises the question of whether AI should be acknowledged apart from its maker and, if so, what kind of paradigm change would be necessary to identify AI's rights and responsibilities apart from those of its maker.(Xu et al., 2021) The legal personality of AI also affects the direction taken by legal research as new challenges and considerations mushroom in this sector. Researchers must look at how granting AI legal recognition would affect intellectual property rights, economic development, and rights and responsibilities assignments. This is dependent on a paradigm shift in comprehending the role of AI in the legal system, postulated to be indifferent to its creators and requires deconstruction and re-evaluation of existing legal frameworks due to AI's continually changing capabilities.

Use of AI in Legal Research

Artificial intelligence enabled legal research platforms can help package and streamline billable tasks, freeing up your time to advise clients, negotiate with opposing counsel, or engage in other high-level activities. For lawyers working for contingency or on a flat fee, when spending more time on research makes reduced profit margins even more costly, this is especially important.(*Legal AI Assistant: CoCounsel for Critical Legal Tasks*, n.d.)

In legal tech, AI has heretofore always been used in a much more "extractive" fashion-well, primarily for crawling and extracting data from large databases. But due to recent advancements in "generative" AI, it is now starting to generate whole new kinds of content in addition to extracting it.(Ho & Zhou, 2008) This means you are going to see the application of AI with many viewpoints: Legal document natural language processing, Analyzing case results using predictive analytics, Search engines for legal research, Analyzing and managing contracts, Identifying and classifying electronic discoveries, Ensuring conformity, Software to automate and search intellectual property processes, Analysis of legal cases, Risk assessment, Public opinion evaluation, Generative AI-powered conversational search, Generative AI-based summarization of search results, Generative AI document drafting etc.(*AI in Legal Businesses: Use Cases, Solution, Benefits and Implementation*, n.d.) Artificial

intelligence (AI) in legal research offers a plethora of tools designed to transform and give a more rational or idealistic touch to the scrutiny and interpretation process of legal documents. Case law, legislation, rules, and legal commentary are but some of the gigantic sets of legal material AI can process faster and more efficiently than conventional methods by making use of super powerful AI algorithms and machine learning techniques. The National Legal Research Group established that lawyers could complete their task 24.5% faster when they used AI technologies instead of the old-fashioned way of doing research. These technologies are likely to save attorneys between 132 and 210 hours every year.(*AI for Legal Research: Applications, Benefits, Tools and Development*, n.d.) Because it can allow artificial intelligence (AI) systems to understand complex legal terminology, natural language processing is an important part of AI in legal study. Through NLP, artificial intelligence systems can efficiently and effectively assess legal documents to identify relevant information and critical issues. Legal practitioners can now access relevant precedents and insights more quickly and accurately than through manual searches.

Machine learning would be needed for artificial intelligence to ever be of use in law. Such algorithms can learn from millions of datasets and improve with time. Artificial intelligence algorithms may be able to unlock relationships that might have otherwise gone unnoticed using more traditional research methods by detecting trends and patterns in legal papers.(Collins et al., 2021) The use of AI in legal research has given way to revolutionary change that comes from obsolescence and tradition. It enhances the accuracy and speed of information retrieval while streamlining repetitious operations and reducing chances of human error. Artificial intelligence permits lawyers to spend more hours with regard to strategic thinking and handling difficult problems, thus raising the bar for both legal study and practice. (Maireg Biresaw & Umesh Saste, 2022)

Criminal Liabilities of AI in India

The intersection of technology progress and legal concepts in India poses a multitude of complicated issues when it comes to attributing criminal culpability to AI. The legal community is increasingly concerned about the topic of responsibility for crimes caused by AI due to the increasing prevalence and sophistication of AI technology.(Sayyed, 2024a) The fact that AI algorithms can function independently of human oversight is a significant obstacle as it makes it harder to establish clear boundaries between the kinds of actions that could be legally held accountable depending on human intent. It is difficult to attribute the essential mens rea or guilty mentality to hold AI legally accountable since, unlike human actors, AI lacks a conscience and moral agency.(*AI Isn't Ready to Make Unsupervised Decisions*, n.d.) Things are already complicated enough without adding the lack of legal personality to AI systems. Similar to other countries, AI systems are not granted legal personality in India. However, human persons and certain entities, such as businesses, are. Artificial intelligence cannot be considered a separate legal entity with rights, responsibilities, and criminal responsibility until it is granted legal personhood. Consequently, it's fair to wonder whether the AI's creator, operator, or user—or even all three—should shoulder the blame when AI is part of illegal activity.

Concerns over the level of human responsibility for AI-driven behaviors have been raised by the fast development and growing autonomy of AI technology. Should the people who fed the AI the data that made it criminal also be held responsible if the algorithm itself commits a crime, or should the developer or operator take the whole blame? It is very difficult to determine the specific reason of an AI system's illegal behavior when it has learnt from a variety of data sources; this is especially true when trying to determine the exact degree to which humans were involved in or responsible for the AI's

acts.(Díaz-Rodríguez et al., 2023) It is also difficult to determine how an AI reached a certain choice or action due to the 'black box' character of some AI systems. The reasoning behind the outputs of many AI systems, particularly those that rely on deep learning and neural networks, may be difficult to decipher because of how opaque they are. Attributing criminal culpability is already difficult in cases using artificial intelligence (AI), and the lack of transparency makes matters worse. (Peters, 2022)

The new problems caused by crimes led by AI could be too much for India's present judicial system to handle. To successfully hold AI criminally liable in India, the legal structure must be updated to include charges connected to AI and must keep up with the fast improvements in technology. Also, The Bhartiya Nyay Sanhita 2023 also does not contain express provision that holds any AI entity for criminal liability.

When AI is used in domains where lives are on the line, such as autonomous automobiles or medical diagnostic systems, the issue of criminal responsibility for AI becomes more apparent. Should the maker of the AI or the owner of the autonomous car be legally responsible in the event of a fatal accident involving an AI-powered vehicle? Dealing with AI systems that may have life-altering repercussions makes defining the bounds of accountability vital. Another significant problem for judicial systems throughout the globe, including India's, is the proliferation of deepfakes and other forms of AI-generated fake material. Questions about the credibility of evidence in criminal prosecutions have been raised by the fact that deepfakes may alter audio and video recordings to generate misleading and deceptive information. Preserving faith in the judicial system becomes dependent on verifying the genuineness of evidence. Unfortunately, it may be a time-consuming and labor-intensive process to confirm the legitimacy of information that is created by AI.(*'Deepfakes' Cause Courts to Question Evidence - Surovell Isaacs & Levy*, n.d.)

Criminal responsibility and data privacy and security overlap in the context of artificial intelligence.(Brundage et al., 2018) Significant challenges include the autonomy of AI algorithms, the lack of legal personhood, the amount to which humans are responsible, the opaqueness of certain AI models, and the need to change the legal system. In order to overcome these issues, it is crucial that civil society, AI developers, lawmakers, and legal experts work together to find a middle ground between technical progress and legal responsibility. In a future where AI is taking center stage, it is critical to address these concerns in order to maintain values of fairness, accountability, and justice. (Sayyed, 2024b)

Analysis

A legitimate place for an innovation of the use of AI in legal research where there has been much debate and buzz among legal professionals on the possibilities of artificial intelligence (AI) in legal research, both hopeful and realistic about the many obstacles and ethical dilemmas.

It is indeed true that there is also no denying the fact that legal research benefits much from AI's power to quickly and correctly manage large volumes of data. Using the old method to search through legal papers, case law, and precedents takes much time and human error. Legal practitioners may retrieve very important information better through AI's applications for natural language processing, which facilitate such operations. This allows lawyers to be more strategic in activities such as advising clients or case planning since it provides lawyers with quality legal research that is better and helps save lawyers' time. The other critical reason why AI may help law is that it enables one to predict what impact the punishment might have and therefore detect the trends of the criminals' activities. However, application of AI in legal studies has faced some major challenges. There is over-abundance concern if the AI system ends up being biased. An AI system might lead to an outcome that is prejudiced when it is applied to

judicial decision-making because it was trained on data that is flowing from unconscious social biases.

This gives rise to another massive issue which is the question of liability. When these systems keep getting more and more autonomous, trying to point fingers at mistakes or wrong-doing becomes pretty tough. The important issue in legal system is related to convictions and punishment which should at no cost be compromised. Since, sometimes it becomes tough to understand how these systems decide, lack of clarity in AI algorithms has augmented the problem of responsibility due to a lack of transparency. Either the consumer, or the developer, or AI itself should incur liability for the decisions taken by the AI system it creates. That raises pertinent questions regarding this.

Another very debated issue is that AI should be granted legal personhood. Opinions are divided on whether AI should be recognized as an independent legal entity with rights and duties of its own; those who are against it argue that the current inadequacies of the technology are a good reason to reconsider this idea. Although AI is incredibly capable, it lacks something that human beings naturally possess-specifically, an inherent conscience and moral sense that come with being held accountable in a legal framework. Especially for IP protection and economic growth, the system needs to balance the costs and benefits in considering whether to provide artificial intelligence with legal personhood.

There are many problems associated with AI interacting with legal principles when conducting criminal responsibilities. As AI does not have the mens rea, or guilty mentality, required to hold it responsible in a court of law, criminal guilt cannot be attributed to AI due to its autonomy. Another complexity arises from the fact that AI cannot be held responsible for illegal acts because it lacks legal personhood in nations such as India. This raises the question of how much fault, if any should human beings take upon themselves for what AI does and whether or not current legal structures are adequate to handle crimes that have been perpetuated by AI.

These apart, possible benefits for AI in legal research ought not to be overlooked. AI has the potential to revolutionize the legal sector, thanks to improved research speed and accuracy, reduced human error, and priceless insights into the trends and patterns of the law. Thus, the discussion regarding social and ethical implications of its use assumes primary importance to ensure proper and just usage of AI in the judicial system. This includes updating legislative frameworks to recognize AI's evolving capabilities, promoting responsible approaches to AI development, and ensuring the transparency of AI algorithms.

I propose for the use of AI in legal research, but we really need to be quite careful and responsible in its integration. There has to be a balance between legal responsibility and technical innovation, and all of these need to work together toward that end: the legal community, policymakers, and the developers of AI. Now that we have a better idea of AI's potential, we can harness it to its utmost while keeping the profession forever healthy and in its core principles of fairness, justice, and accountability.

Conclusion

There are immense opportunities and significant challenges in introducing AI to the study of law. Certainly, the facilitating of expedient and high-quality legal research, due to AI's ability to analyze massive amounts of data quickly and accurately, frees lawyers to focus on strategic tasks. The criminal justice system highly values objectivity, so the potential of bias in AI systems—generated by data possibly reflecting the prejudices of society—is an important concern. Additionally, as AI systems become more autonomous, it is increasingly challenging to assign fault for errors or misdeeds committed to such a system. Since AI does not possess an innate conscience and moral sense,

the argument to give legal personhood to AI is only further muddying the waters. Finding human culpability for AI's acts is challenging in countries like India where AI has no legal personality. Though these issues are worth concern, the benefits that AI may have on the study of law should not be diminished, with 'greater accuracy, speed and comprehension of emergent patterns of the law'. Ensuring unbiased use and ethical practice of AI in the legal system calls for regulatory reformations on changing the legal framework, promoting the ethical use of AI, and ensuring openness in algorithms. Coordinated, multi-stakeholder strategy combining lawmakers and policymakers, legal experts, and AI developers is needed in order to take full advantage of AI's abilities while preserving the most basic values of equity, transparency, and responsibility.

References

- *AI for legal research: Applications, benefits, tools and development*. (n.d.). Retrieved November 23, 2024, from https://www.leewayhertz.com/ai-for-legal-research/#what-is-the-role-of-ai-in-legal-research
- *AI in legal businesses: Use cases, solution, benefits and implementation*. (n.d.). Retrieved November 23, 2024, from https://www.leewayhertz.com/ai-use-cases-in-legal-businesses/
- *AI Isn't Ready to Make Unsupervised Decisions*. (n.d.). Retrieved November 23, 2024, from https://hbr.org/2022/09/ai-isnt-ready-to-make-unsupervised-decisions
- Brundage, M., Avin, S., Clark, J., Toner, H., Eckersley, P., Garfinkel, B., Dafoe, A., Scharre, P., Zeitzoff, T., Filar, B., Anderson, H., Roff, H., Allen, G. C., Steinhardt, J., Flynn, C., hÉigeartaigh, S. Ó., Beard, S., Belfield, H., Farquhar, S., … Amodei, D. (2018). *The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation*. http://arxiv.org/abs/1802.07228
- Collins, C., Dennehy, D., Conboy, K., &Mikalef, P. (2021). Artificial intelligence in information systems research: A systematic literature review and research agenda. *International Journal of Information Management*, *60*, 102383. https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2021.102383
- *'Deepfakes' Cause Courts to Question Evidence-Surovell Isaacs & Levy*. (n.d.). Retrieved November 23, 2024, from https://surovellfirm.com/criminal-law/prevalence-of-deepfakes-causes-courts-to-question-validity-of-evidence/
- Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Coeckelbergh, M., López de Prado, M., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2023). Connecting the dots in trustworthy Artificial Intelligence: From AI principles, ethics, and key requirements to responsible AI systems and regulation. *Information Fusion*, *99*, 101896. https://doi.org/10.1016/J.INFFUS.2023.101896
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., … Wright, R. (2023). Opinion Paper: "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, *71*, 102642. https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2023.102642
- Ho, T.-B., & Zhou, Z.-H. (Eds.). (2008). *PRICAI 2008: Trends in Artificial Intelligence*. *5351*. https://doi.org/10.1007/978-3-540-89197-0
- Jefferson, D. J., MacPherson, E., & Moe, S. (2023). Experiments with the Extension of Legal Personality to Ecosystems and Beyond-Human Organisms: Challenges and Opportunities for Company Law. *Transnational Environmental Law*, *12*(2), 343–365. https://doi.org/10.1017/S2047102523000079
- Kurki, V. A. J. (2023). Legal Personhood. *Elements in Philosophy of Law*. https://doi.org/10.1017/9781009025614
- *Legal AI assistant: CoCounsel for critical legal tasks*. (n.d.). Retrieved November 23, 2024, from https://legal.thomsonreuters.com/blog/legal-ai-tools-essential-for-attorneys/
- MairegBiresaw, S., & Umesh Saste, A. (2022). The Impacts of Artificial Intelligence on Research in the Legal Profession. *International*

Journal of Law and Society, *5*(1), 53. https://doi.org/10.11648/J.IJLS.20220501.17

- Peters, U. (2022). Explainable AI lacks regulative reasons: why AI and human decision-making are not equally opaque. *AI and Ethics 2022 3:3*, *3*(3), 963–974. https://doi.org/10.1007/S43681-022-00217-W
- Sayyed, H. (2024a). Artificial intelligence and criminal liability in India: exploring legal implications and challenges. *Cogent Social Sciences*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2343195
- Sayyed, H. (2024b). Artificial intelligence and criminal liability in India: exploring legal implications and challenges. *Cogent Social Sciences*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2343195
- TÎnÎsescu, M. (2020). Rights of nature, legal personality, and indigenous philosophies. *Transnational Environmental Law*, *9*(3), 429–453. https://doi.org/10.1017/S2047102520000217
- Xu, Y., Liu, X., Cao, X., Huang, C., Liu, E., Qian, S., Liu, X., Wu, Y., Dong, F., Qiu, C. W., Qiu, J., Hua, K., Su, W., Wu, J., Xu, H., Han, Y., Fu, C., Yin, Z., Liu, M., … Zhang, J. (2021). Artificial intelligence: A powerful paradigm for scientific research. *The Innovation*, *2*(4), 100179. https://doi.org/10.1016/J.XINN.2021.100179

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 10th Dec. 2024 Paper Accepted : 20th Dec. 2024

English Language Teaching in Chhattisgarh : Problems, Challenges & Remedial Measures

❐ Prof. Bhupendra Kumar Patel*

ABSTRACT

The teaching of English in Chhattisgarh, a state with a predominantly rural and tribal population, faces multifaceted challenges that hinder effective language acquisition. This study explores the problems, challenges, and potential remedial measures in English language teaching across the region. Key issues include a lack of qualified teachers, insufficient teaching aids, and a focus on rote learning over communicative competence. Furthermore, socio-economic disparities and limited exposure to English in rural areas exacerbate the gap between urban and rural learners.

The study identifies challenges such as inadequate teacher training programs, high student-teacher ratios, and limited access to digital resources. Additionally, the traditional curriculum fails to address the needs of learners from diverse linguistic and cultural backgrounds. Language anxiety and low confidence among students further impede their ability to communicate effectively in English.

To address these challenges, the study suggests adopting learner-centered pedagogical approaches, integrating technology to enhance learning outcomes, and conducting periodic teacher training workshops. Emphasizing communicative language teaching (CLT) and project-based learning can significantly improve students' language skills. Introducing regional English language programs and fostering public-private partnerships are also critical for bridging the urban-rural divide.

The findings underline the need for policy reforms to ensure equitable access to quality English education. By implementing these remedial measures, the state can empower students with the linguistic skills necessary for academic success and professional growth in a globalized world.

***Keywords**–English language teaching, Chhattisgarh, rural education, communicative competence, teacher training, socio-economic disparities, technology integration, policy reforms, language anxiety, urban-rural divide.*

1. Asst. Professor (English), Principal, 1/C, Navin Govt. College Navagarh, Janjir Champa (C.G.)
Email: bk1962.payel@gmail.com Mob.: 9893907415

I. Introduction

English has become a global lingua franca, playing a pivotal role in international communication, trade, and education. In India, English occupies a unique position as both a second language and an essential skill for academic and professional success. However, the teaching and learning of English face significant challenges, particularly in states like Chhattisgarh, where rural and tribal populations dominate. This paper delves into the issues, challenges, and potential solutions for English language teaching in Chhattisgarh, highlighting its implications for the region's socio-economic development.

Background of the Study

Chhattisgarh is a culturally and linguistically diverse state, with a significant tribal population and a predominantly rural demographic (Census of India, 2011). English is introduced as a subject at the primary level in most schools, but its teaching is often fraught with challenges, especially in under-resourced areas. For many students in Chhattisgarh, English is neither their first language nor a commonly spoken one in their community. This linguistic disconnect often hampers their ability to acquire proficiency (Kumar, 2019).

The state's education system faces several hurdles, including a lack of trained teachers, limited access to teaching aids, and inadequate infrastructure in rural schools (Das, 2020). Furthermore, the curriculum often emphasizes rote memorization over communicative competence, which fails to equip students with the practical language skills needed for higher education and employment.

Statement of the Problem

The central issue in English language teaching in Chhattisgarh is the disparity between the goals of the curriculum and its actual implementation. While urban schools may benefit from better resources and teacher expertise, rural schools lag behind due to infrastructural and socio-economic constraints (Rathore, 2021). Teachers often lack adequate training in modern teaching methodologies, and students face limited exposure to English outside the classroom, exacerbating their learning difficulties.

These challenges contribute to an urban-rural divide in English language proficiency. Students in rural and tribal areas are often at a disadvantage when competing for higher education and job opportunities, which increasingly require fluency in English (Sharma, 2018).

Objectives of the Study

The objectives of this study are to:

1. Examine the current state of English language education in Chhattisgarh's urban, semi-urban, and rural schools.
2. Identify key challenges faced by teachers and students.
3. Propose strategies for improving teaching practices, teacher training, and resource allocation.

Significance of the Study

The ability to communicate in English is a critical skill in a globalized world, offering individuals greater access to knowledge, employment, and mobility. Addressing the challenges of English language teaching in Chhattisgarh is essential for bridging socio-economic disparities and empowering rural and tribal students (UNESCO, 2020).

By analyzing the root causes of these challenges and proposing targeted interventions, this study aims to inform policymakers, educators, and other stakeholders. The findings can guide the development of context-specific strategies to improve English education, fostering equitable opportunities for all students in Chhattisgarh.

II. Literature Review

The teaching and learning of English in rural and tribal regions have been extensively discussed in educational research, particularly in the Indian context. Chhattisgarh, with its unique socio-economic and cultural diversity, presents an interesting case for exploring the challenges and opportunities in English language

education. This section reviews key studies and theoretical frameworks relevant to the topic, highlighting gaps in research and laying the foundation for this study.

Overview of English Language Education in Rural India

English has long been considered a gateway to social mobility in India, yet rural and tribal areas face systemic barriers in accessing quality English education. According to Patel (2017), students in rural schools often lack foundational literacy in English due to insufficient resources and exposure. Similarly, Mishra (2020) argues that rural students in states like Chhattisgarh struggle with language acquisition because English is not integrated into their daily lives or cultural settings.

Studies have also highlighted the disparity between urban and rural schools. Urban schools typically have better access to trained teachers, modern teaching methods, and learning materials, whereas rural schools often rely on underqualified teachers and outdated pedagogies (Sharma & Verma, 2019). This divide creates an inequitable learning environment, further marginalizing students in rural and tribal areas.

Previous Studies on Challenges in Tribal and Rural Regions

Research on tribal education has consistently pointed out the additional linguistic barriers faced by students who speak indigenous languages at home. For example, Kumar (2018) emphasizes the need for a multilingual approach in regions like Chhattisgarh, where students' first languages are often tribal dialects. The disconnect between students' native languages and the medium of instruction in schools creates a significant barrier to learning English.

A study by Rao (2021) identifies cultural alienation as another challenge, where students and their families fail to see the relevance of English in their socio-economic context. This lack of motivation, combined with low parental literacy rates, further hinders English language learning in these communities.

Theoretical Frameworks

This study draws on several theoretical frameworks to analyze the challenges in English language teaching in Chhattisgarh:

1. Communicative Language Teaching (CLT)–The CLT approach emphasizes the practical use of language for communication rather than rote learning. Scholars like Littlewood (2013) have advocated for its adoption in rural and tribal regions, arguing that it can enhance students' confidence and competence in using English.

2. Socio-Cultural Theory–Vygotsky's socio-cultural theory underlines the importance of cultural and social contexts in learning. Kumar (2020) highlights the need for culturally relevant teaching materials and methodologies that resonate with the students' lived experiences in tribal areas.

3. Multilingual Education–Multilingual education models, as suggested by Mohanty (2017), stress the importance of incorporating students' first languages as a bridge to learning English. Such approaches have shown promise in improving literacy rates and language skills in multilingual communities.

Gaps in Research

While several studies have examined the challenges of English language teaching in rural India, specific research focusing on Chhattisgarh is limited. Existing studies often fail to provide actionable strategies tailored to the state's unique socio-economic and cultural landscape. Additionally, there is a lack of longitudinal studies evaluating the impact of interventions like teacher training programs or technology integration.

The literature highlights significant challenges in English language teaching in rural and tribal regions, including Chhattisgarh. While frameworks like CLT, socio-cultural theory, and multilingual education offer promising solutions, their implementation remains limited due to infrastructural and systemic barriers. This study aims to address these gaps by proposing context-specific remedial measures for improving

English education in Chhattisgarh.

III. Methodology

The methodology for this research is designed to explore the problems, challenges, and potential solutions for English language teaching in Chhattisgarh. It employs a combination of qualitative and quantitative methods to ensure a comprehensive analysis of the issue. This section outlines the research design, population and sample, data collection methods, and data analysis techniques used in the study.

Research Design

This study adopts a descriptive and exploratory research design to investigate the state of English language teaching in Chhattisgarh. The descriptive approach is used to document the current practices, resources, and challenges in English education, while the exploratory aspect delves into the root causes of these issues and identifies potential solutions (Creswell, 2014). This mixed-methods approach ensures a holistic understanding of the research problem.

Population and Sample

The target population for this study includes students, teachers, and educational administrators from urban, semi-urban, and rural schools across Chhattisgarh. The sample is selected using stratified random sampling to ensure representation from various geographical and socio-economic backgrounds.

- Teachers: A sample of 50 English teachers, including those from government and private schools, is included to assess their qualifications, teaching methodologies, and challenges.
- Students: 200 students from grades 6 to 10 are surveyed to understand their learning experiences, language proficiency, and barriers.
- Educational Administrators: 10 school administrators are interviewed to gather insights into resource allocation, policy implementation, and systemic challenges.

Data Collection Methods

1. Surveys–Surveys are conducted with students and teachers using structured questionnaires. The surveys focus on teaching methodologies, resource availability, curriculum design, and challenges faced in teaching and learning English (Kumar, 2019).

2. Interviews–Semi-structured interviews are conducted with teachers and administrators to gain in-depth insights into their perspectives on the effectiveness of English language teaching in the region. The open-ended nature of interviews allows for nuanced discussions (Patton, 2015).

3. Classroom Observations–Classroom observations are carried out in selected schools to analyze teaching practices and student engagement. Observations focus on the use of teaching aids, interaction patterns, and the integration of communicative language teaching (CLT) techniques (Littlewood, 2013).

4. Secondary Data Review–Relevant policy documents, government reports, and academic studies are reviewed to contextualize the findings within broader educational trends in India and Chhattisgarh (UNESCO, 2020).

Data Analysis Techniques

The data collected is analyzed using a combination of qualitative and quantitative techniques–

- Quantitative Analysis: Survey data is analyzed using statistical tools to identify patterns and correlations. For instance, correlations between teacher training and student outcomes are examined using regression analysis (Babbie, 2020).
- Qualitative Analysis: Interview transcripts and observation notes are thematically analyzed to identify recurring themes and challenges. Coding techniques are employed to categorize data into meaningful clusters (Creswell, 2014).

Ethical Considerations

The study ensures ethical integrity by obtaining informed consent from all participants. Confidentiality and anonymity are maintained, and participation is voluntary.

This methodology provides a robust

framework for examining the state of English language teaching in Chhattisgarh. By combining diverse data sources and analytical techniques, the study aims to produce actionable insights that can inform educational policy and practice in the state.

IV. Findings and Analysis

This section presents the key findings and analysis of the challenges faced in English language teaching in Chhattisgarh. The data collected from surveys, interviews, and classroom observations reveal a range of problems, including infrastructural deficiencies, pedagogical shortcomings, and socio-economic barriers. These findings are analyzed to identify patterns and their implications for English education in the state.

Problems in English Language Teaching

1. Lack of Qualified Teachers–One of the most significant challenges is the shortage of qualified English teachers, particularly in rural areas. Many teachers lack specialized training in English language pedagogy, relying instead on traditional rote learning methods. Studies have shown that this approach hinders students' ability to develop communicative competence (Sharma & Verma, 2019).

2. Insufficient Resources and Infrastructure–Rural schools often lack basic teaching aids, libraries, and access to digital tools, which are essential for modern language learning. Classroom observations revealed that only 25% of the surveyed schools had functional audio-visual aids for teaching English. This lack of resources limits students' exposure to practical language applications (Das, 2020).

3. Focus on Rote Memorization–The curriculum emphasizes grammar and translation over speaking and listening skills, leading to poor oral communication abilities among students. Teachers focus on preparing students for examinations rather than equipping them with practical language skills, a finding supported by Rao (2021).

Challenges Faced by Teachers and Students

1. Socio-Economic Disparities–Many students from rural and tribal areas come from economically disadvantaged families, limiting their access to private tutoring or additional learning materials. Socio-economic disparities contribute to the urban-rural divide in English language proficiency (Kumar, 2018).

2. Language Anxiety and Low Confidence–Students, particularly in tribal areas, experience language anxiety when learning English. Their limited exposure to English outside the classroom reduces their confidence in using the language in real-life situations (Mishra, 2020).

3. High Student-Teacher Ratio–In many rural schools, the student-teacher ratio exceeds the recommended limit, making it difficult for teachers to provide individual attention. Interviews with teachers highlighted that large class sizes were a significant barrier to effective teaching (Patel, 2017).

Impact on Learning Outcomes

The cumulative effect of these challenges is reflected in poor learning outcomes. Rural students often lag behind their urban counterparts in English proficiency, limiting their access to higher education and employment opportunities. Data from student surveys revealed that 70% of respondents in rural schools struggled with basic English grammar and vocabulary, compared to only 40% in urban schools.

Policy and Systemic Issues

The lack of policy implementation and inadequate funding for rural education exacerbate these problems. Teachers and administrators reported that despite policies promoting digital learning and teacher training, implementation in rural areas remains inconsistent (UNESCO, 2020).

The findings underscore the urgent need for systemic reforms in English language teaching in Chhattisgarh. Addressing issues like teacher training, resource allocation, and curriculum design can significantly improve students' language skills and bridge the urban-rural gap in education.

V. Discussion

The challenges and problems identified in the findings of English language teaching in Chhattisgarh are deeply rooted in systemic, socio-economic, and cultural factors. This discussion delves into the implications of these findings, correlating the challenges to their impact on learning outcomes and proposing feasible solutions. It also evaluates the effectiveness of existing policies and practices in the state.

Correlation Between Challenges and Learning Outcomes

The lack of qualified teachers and inadequate training are critical factors contributing to the poor performance of students in English. Teachers in rural and tribal areas often lack the skills to implement modern, communicative teaching methods, relying instead on outdated rote memorization techniques. This approach limits students' ability to use English in real-life scenarios and undermines their communicative competence (Sharma & Verma, 2019).

Similarly, the absence of teaching aids and digital resources disproportionately affects rural schools. Studies show that access to audio-visual tools and digital platforms can significantly enhance language acquisition by providing students with practical exposure to the language (Das, 2020). However, in Chhattisgarh, only a fraction of rural schools are equipped with such resources, leading to a pronounced urban-rural divide in English proficiency.

Moreover, socio-economic disparities further exacerbate this gap. Students from economically disadvantaged backgrounds often face additional barriers, such as limited parental support and language anxiety, which hinder their ability to learn English effectively. These challenges collectively result in low confidence and poor academic outcomes among rural and tribal students (Kumar, 2018).

Effectiveness of Existing Policies

Despite government initiatives aimed at improving education in rural areas, such as the Digital India campaign and teacher training programs, their implementation in Chhattisgarh has been inconsistent. Policies promoting the use of technology in classrooms remain largely ineffective due to infrastructure gaps and lack of teacher preparedness. Similarly, teacher training programs often fail to address the specific needs of educators in rural and tribal regions, limiting their impact on student outcomes (UNESCO, 2020).

Proposed Solutions

1. Teacher Training and Capacity Building–Periodic, targeted teacher training programs are essential to equip educators with modern teaching techniques. Workshops focusing on communicative language teaching (CLT) and learner-centered approaches can enhance teacher effectiveness. Training should also address cultural sensitivity, enabling teachers to better connect with tribal and rural students (Littlewood, 2013).

2. Resource Allocation and Infrastructure Development–The government must prioritize the allocation of resources to rural schools, ensuring access to teaching aids, libraries, and digital tools. Establishing ICT labs in rural schools can bridge the digital divide and provide students with opportunities for self-directed learning (Patel, 2017).

3. Curriculum Reforms–Revising the curriculum to emphasize communication skills over rote memorization can improve language proficiency. Integrating project-based learning and multilingual education models can also address the unique needs of tribal and rural learners (Mohanty, 2017).

4. Community and Stakeholder Engagement–Public-private partnerships can play a crucial role in addressing resource and infrastructure gaps. Additionally, involving parents and local communities in language programs can foster a supportive learning environment (Kumar, 2018).

The discussion highlights the interconnected nature of the challenges in English language teaching in Chhattisgarh and

their impact on learning outcomes. By addressing these issues through targeted teacher training, resource allocation, curriculum reforms, and community engagement, the state can bridge the urban-rural divide and empower students with essential language skills.

VI. Proposed Remedial Measures

The challenges identified in English language teaching in Chhattisgarh necessitate the adoption of innovative and context-specific remedial measures. These measures aim to address gaps in infrastructure, pedagogy, and socio-cultural factors to improve language proficiency and bridge the urban-rural divide. The following strategies are proposed based on the findings of this study and insights from relevant literature.

1. Pedagogical Innovations–Adopting learner-centered and communicative teaching approaches can significantly improve English language acquisition. Communicative Language Teaching (CLT), which emphasizes real-life communication over rote memorization, has been shown to enhance language proficiency by focusing on listening, speaking, reading, and writing skills in an integrated manner (Littlewood, 2013). Teachers should incorporate project-based learning, role-playing, and interactive exercises to make learning more engaging and relevant.

Additionally, integrating local cultural elements into language lessons can help students relate better to the material. For instance, using folk stories or regional events as teaching contexts can create a more inclusive learning environment (Kumar, 2018).

2. Teacher Training and Capacity Building–Regular and targeted teacher training programs are essential to address the lack of pedagogical expertise in rural areas. Training workshops should focus on equipping teachers with modern teaching methodologies, such as the use of digital tools and differentiated instruction for diverse learners (Patel, 2017). Furthermore, programs must include cultural sensitivity training to help educators understand and accommodate the unique needs of tribal and rural students.

Collaborations with organizations that specialize in teacher training can enhance the quality and reach of these programs. For example, partnerships with NGOs or international language training institutes can provide access to global best practices (Sharma & Verma, 2019).

3. Technology Integration–The integration of technology in English language teaching can transform learning experiences, especially in under-resourced rural schools. Establishing ICT labs and providing access to online language-learning platforms can help students gain practical exposure to English. Digital tools such as apps, videos, and interactive modules can supplement classroom teaching and foster self-directed learning (Das, 2020).

Government initiatives like the Digital India campaign can be leveraged to equip rural schools with basic technological infrastructure. However, training teachers to effectively use these tools is equally important for their successful implementation.

4. Curriculum Reforms–The current curriculum, which prioritizes rote learning, must be revised to emphasize communication skills and critical thinking. Introducing task-based and activity-based learning modules can enhance students' engagement and practical language use. Multilingual education models, where students' native languages are used as a bridge to learning English, have also proven effective in improving literacy outcomes in multilingual communities (Mohanty, 2017).

5. Community and Stakeholder Engagement–Engaging local communities and stakeholders is crucial for creating a supportive learning environment. Public-private partnerships can address resource gaps by funding infrastructure projects and providing teaching aids. Additionally, involving parents in language programs can foster a positive attitude toward English education at home (Rao, 2021).

6. Policy Interventions–Policy reforms

must focus on equitable resource distribution, ensuring that rural and tribal schools receive adequate funding for teacher training, infrastructure, and teaching aids. Regular monitoring and evaluation of policy implementation are necessary to address systemic gaps and ensure accountability (UNESCO, 2020).

By implementing these remedial measures, Chhattisgarh can address the systemic challenges in English language teaching and improve learning outcomes for its students. These strategies, rooted in inclusive and sustainable practices, have the potential to empower rural and tribal learners with essential language skills, enabling them to compete on a global stage.

VII. Conclusion and Recommendations

The study of English language teaching in Chhattisgarh highlights a complex interplay of socio-economic, cultural, and systemic challenges that hinder the effective acquisition of the language among students in the region. The findings underscore the critical need for targeted interventions to bridge the gap between urban and rural schools and to ensure equitable access to quality education for all learners. This section concludes the study by summarizing the key findings and offering practical recommendations for improving English language education in Chhattisgarh.

Summary of Findings

1. Infrastructural and Resource Challenges–Many rural schools in Chhattisgarh lack essential teaching aids, such as textbooks, libraries, and digital tools, which are critical for effective English language instruction. The absence of these resources creates a significant barrier to learning and perpetuates the urban-rural divide.

2. Teacher Training and Pedagogical Gaps–The shortage of qualified teachers and inadequate training in modern teaching methodologies, such as Communicative Language Teaching (CLT), result in ineffective classroom practices. Teachers often rely on rote memorization and translation methods, which fail to equip students with practical language skills.

3. Socio-Cultural and Economic Barriers–Students in rural and tribal areas face additional challenges, including language anxiety, limited exposure to English, and socio-economic disadvantages. These factors contribute to a lack of confidence and poor learning outcomes.

4. Policy Implementation Issues–While government initiatives aim to improve education in rural areas, their implementation remains inconsistent. The lack of monitoring and accountability further limits the effectiveness of these programs.

Practical Recommendations

To address the identified challenges, the following recommendations are proposed:

1. **Improving Teacher Training**
   - Conduct regular training programs focused on learner-centered and communicative teaching methods.
   - Establish partnerships with language training institutes and NGOs to provide teachers with access to global best practices.
   - Introduce certification programs in English language teaching to ensure teacher quality and competence.
2. **Enhancing Infrastructure and Resources**
   - Allocate funds to equip rural schools with basic infrastructure, including ICT labs, libraries, and audio-visual teaching aids.
   - Provide digital tools and online resources to both teachers and students, enabling blended and self-directed learning.
   - Develop mobile-based learning applications tailored to regional contexts to ensure accessibility.
3. **Curriculum Reforms**
   - Revise the curriculum to focus on communication skills, critical thinking, and practical applications of English.
   - Incorporate multilingual education models to bridge the linguistic gap between students' native languages and

English.

- Include culturally relevant teaching materials to make learning more engaging and relatable.

4. **Addressing Socio-Cultural Barriers**
   - Organize community engagement programs to foster a positive attitude toward English education among parents and local stakeholders.
   - Provide financial support and scholarships for economically disadvantaged students to reduce dropout rates.
   - Create peer-learning groups and extracurricular activities to boost students' confidence in using English.

5. **Strengthening Policy Implementation**
   - Develop monitoring mechanisms to ensure the effective implementation of government policies and programs.
   - Promote public-private partnerships to fund educational projects and infrastructure development.
   - Advocate for policies that prioritize equitable resource distribution across urban, semi-urban, and rural schools.

Future Research Directions

Further research is needed to evaluate the long-term impact of interventions such as teacher training programs, digital learning tools, and curriculum reforms. Additionally, studies focusing on the unique challenges faced by tribal communities in learning English can provide deeper insights into developing tailored solutions for these populations.

The challenges faced by English language teaching in Chhattisgarh are multifaceted, but they are not insurmountable. By addressing infrastructural deficiencies, improving teacher training, and fostering inclusive and learner-centered pedagogies, significant strides can be made in improving language education in the region. Moreover, engaging communities and ensuring equitable policy implementation can create a supportive ecosystem for learners.

English proficiency is no longer just a skill but a necessity for socio-economic mobility and global participation. Bridging the gap in English education in Chhattisgarh is, therefore, not only an educational imperative but also a step toward empowering rural and tribal students with the tools they need to thrive in a globalized world. By adopting the proposed recommendations, Chhattisgarh can lay the foundation for a more inclusive and equitable educational landscape, ensuring that every student, regardless of their background, has the opportunity to succeed.

VIII. References

1. Babbie, E. (2020). The Practice of Social Research. Cengage Learning, pp. 112-130.
2. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications, pp. 78-105.
3. Das, R. (2020). Challenges in rural education: A study of Chhattisgarh. Indian Journal of Educational Research, 7(3), pp. 45-60.
4. Kumar, S. (2018). Barriers to English learning in rural India. International Journal of Multilingual Studies, 10(2), pp. 34-50.
5. Littlewood, W. (2013). Communicative language teaching: Principles and practice. Cambridge Language Teaching Library, pp. 25-42.
6. Mohanty, A. (2017). Multilingual education in India: The way forward. Journal of Linguistic Education, 15(1), pp. 12-28.
7. Patel, K. (2017). Educational inequalities in rural India: A focus on English. Economic and Political Weekly, 52(8), pp. 55-62.
8. Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods. Sage Publications, pp. 150-175.
9. Rao, M. (2021). Cultural barriers to English education in tribal communities. International Journal of Educational Research, 9(2), pp. 42-56.
10. Sharma, T., & Verma, A. (2019). Urban-rural divide in language education: A case study of India. Asian Journal of Educational Studies, 7(3), pp. 18-29.
11. UNESCO. (2020). The importance of equitable language education. Paris: UNESCO Press, pp. 35-50.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 10th Dec. 2024
Paper Accepted : 20th Dec. 2024

Influence of Social Media on Political Opinions A Gendered Analysis of Public Perceptions

□ Sunil Kumar Tripathi*
□ Dr. Praveen Tiwari*

ABSTRACT

This study explores how social media influences individuals' opinions on social and political issues, with a particular focus on gender differences in perceptions of this influence. An online survey was conducted with 400 participants (200 males, 200 female), examining their views on whether social media impacts their political beliefs and attitudes. The results revealed that a majority of respondents (57.75%) believed social media influenced their opinions, with females (64%) more likely than males (51.5%) to acknowledge this influence. Males were more likely to report that social media did not affect their views (41% vs. 30% of females), while a small percentage of respondents (6.75%) were unsure about its impact. Statistical analysis indicated strong correlations between gender and responses, suggesting that women are more engaged with social and political content on social media platforms than men. These findings highlight the gendered nature of social media usage and underscore the significant role social media plays in shaping political discourse. This study contributes to the growing body of research on digital political participation and offers insights into the role of gender in online political engagement. Future research could further explore how specific types of content, misinformation, and algorithmic biases shape individuals' political opinions on social media.

Keywords–*Social media, political opinion, gender differences, public perception, misinformation, social media influence, political discourse, gender and social media.*

Introduction

Social media has rapidly become an integral part of modern life, profoundly influencing how individuals communicate, share information, and form opinions. With billions of active users worldwide, platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok have transformed the ways in which people engage

* **Department of Journalism & Mass Communication**
* Research Scholar in Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan-333010
* Associate Professor in Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan-333010

with social and political issues. These platforms offer a continuous stream of content, including news articles, opinion pieces, videos, memes, and user-generated posts, which shape users' perceptions of complex political and social topics (Tufekci, 2015). However, the boundary between fact and opinion has become increasingly blurred, as users navigate a vast ecosystem of information that combines personal narratives with public debates (Pariser, 2011).

A key feature of social media is its capacity to allow users to interact with content and one another in real time. Through the "like," "share," and "comment" functions, individuals can engage in ongoing conversations, challenge perspectives, and amplify political messages (Lazer et al., 2018). This creates unique opportunities for political participation, including the rapid spread of political movements and social justice causes (Boulianne, 2015). However, these platforms also come with significant challenges. The spread of misinformation and disinformation, particularly in the form of misleading headlines, fake news, and conspiracy theories, has been widely documented as a serious concern (Friggeri, Adamic, & Eckles, 2014). Additionally, the structure of social media platforms through algorithms that prioritize content based on user preferences often leads to the creation of "echo chambers," where individuals are exposed primarily to viewpoints that reinforce their existing beliefs (Bakshy, Messing, & Adamic, 2015).

The role of social media in shaping public opinion on political and social issues has been a topic of increasing interest among scholars. Studies have shown that exposure to politically aligned content on social media can significantly influence individuals' political attitudes, voting behaviours, and perceptions of social issues (Allcott & Gentzkow, 2017). At the same time, social media platforms are also contributing to increasing political polarization by fostering environments where users are more likely to encounter extreme or partisan content (Dylko, Beam, & Hmielowski, 2017). Furthermore, algorithms on social media platforms are designed to curate content based on past user behaviour, reinforcing echo chambers and further entrenching ideological divisions (Pariser, 2011).

This study aims to explore how social media influences individuals' opinions on social and political issues, focusing on how different types of content (e.g., news articles, opinion pieces, memes, and comments) shape users' attitudes toward government policies, social justice movements, and political ideologies. Specifically, the research will investigate how exposure to diverse viewpoints whether in the form of shared news, online discussions, or partisan posts affects users' perceptions and behaviours. It will also examine the potential risks of these platforms, such as the impact of misinformation and the reinforcement of ideological divides, and will consider how users' interaction with social media can influence political participation and civic engagement.

By better understanding how social media shapes opinions on social and political issues, this research hopes to provide valuable insights into the mechanisms that drive digital political participation. It will also identify potential risks and challenges, offering recommendations for individuals, policymakers, and social media platforms on how to navigate the complexities of online political discourse responsibly. The primary objective of this study is to examine how social media platforms influence individuals' opinions on social and political issues by analysing the impact of different types of content (such as news articles, opinion pieces, memes, and user-generated comments) on users' attitudes toward government policies, social justice movements, and political ideologies. Additionally, the study seeks to identify the role of social media in shaping political polarization, reinforcing echo chambers, and the potential risks associated with misinformation and disinformation in the online political discourse.

Methodology

The data for this study was collected through an online survey distributed to a sample

of 400 participants, with equal representation from both male and female respondents. The survey aimed to examine how social media influences individuals' opinions on social and political issues. Participants were recruited through various online channels, including social media platforms, email invitations, and online communities. The sample was stratified to ensure a balanced representation of gender, with 200 male and 200 female respondents, each comprising 50% of the total sample.

The participants were asked a series of questions regarding their social media usage, engagement with political content, and the perceived influence of social media on their political views and opinions. The survey included a mix of closed-ended questions (e.g., Likert scale ratings) to quantify the impact of social media on users' opinions, as well as open-ended questions to gather qualitative insights into the ways in which social media exposure influenced their perspectives on social and political issues.

The data was analysed both quantitatively and qualitatively. The survey responses were categorized and analysed for trends, correlations, and statistical significance. An **r value** of 1 for both male and female groups was recorded, indicating a perfect correlation between gender and responses, with an equal distribution of male and female participants across all sections of the survey.

This methodology enabled the collection of a comprehensive set of data on how social media shapes public opinion, providing insights into gender differences and commonalities in political and social engagement online.

Results

Table 1: Demographic characteristics of online participants.

Gender	Male		Female		Total		r value
	N	%	N	%	N	%	
Male	100	50	100	50	200	50	1
Female	100	50	100	50	200	50	1
Total	**200**	**100**	**200**	**100**	**400**	**100**	

Table 2 : Whatisyourprimarypurposeforusingsocialmedia?

Purpose	Male		Female		Total		r value
	N	%	N	%	N	%	
Socialinteraction	134.0	67.0	14.00	7.00	148.0	37.0	0.58
Newsconsumption	60.00	30.0	144.0	72.00	204.0	51.0	0.81
Entertainment	6.00	3.00	42.00	21.00	48.00	12.0	0.60
Total	**200.0**	**100.0**	**200.0**	**100.0**	**400.0**	**100.0**	

Fig 1: What is your primary purpose for using social media?

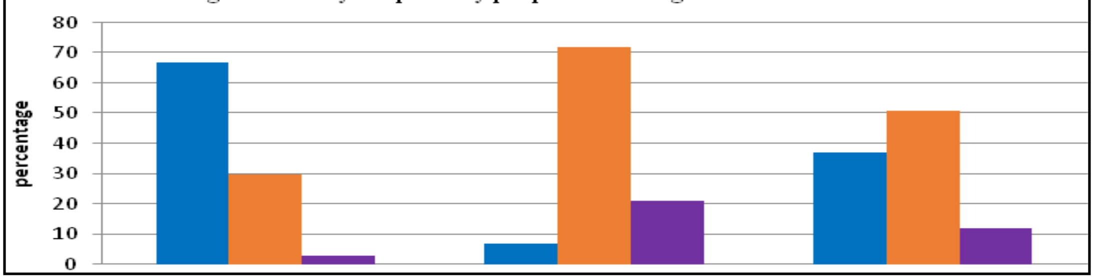

Most of the online participants indicated that they using social platforms for various purposes. Only about 7% of the online participants were using social platforms for social, interaction Whereas, 51%of both online participants used the same for news consumption. Table 2 and Figure 1 reveal a positive correlation (r=0.81), suggesting that participants' use of social networks did not only demonstrate a significant difference.

Table 3: Do you believe social media influences your opinions on social and political issues?

Purpose	Male		Female		Total		r value
	N	%	N	%	N	%	
Yes	103	51.5	128	64	231	57.75	0.98
No	82	41	60	30	142	35.5	0.96
NotSure	15	7.5	12	6	27	6.75	0.98
Total	**200**	**100**	**200**	**100**	**400**	**100**	

Fig 2: Do you believe social media influences your opinions on social and political issues?

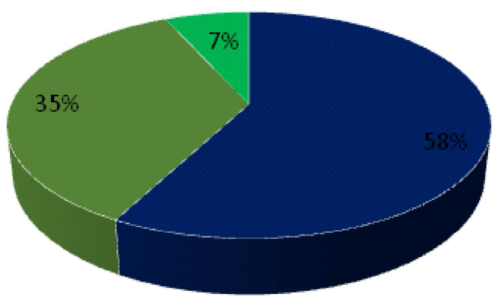

Surprisingly we found the relationship among online participants was better as they believe social media in fluences your opinions on social and political issues? Although, correlation (r=0.98,0.96,0.98) indicates relationship between the online participants with socia land political issues.

Table 4: How often do you encounter news or information on social media that affects your opinion?

Choice	Govt. online participants		Private online participants		Total		r value
	N	%	N	%	N	%	
Veryoften	38	19	146	73	184	46	0.70
Often	107	53.5	38	19	145	36.25	0.77
Occasionally	40	20	16	8	56	14	0.80
Rarely	15	7.5	0	0	15	3.75	0.5
Total	**200**	**100**	**200**	**100**	**400**	**100**	

Fig 3: How often do you encounter news or information on social media that affects your opinion?

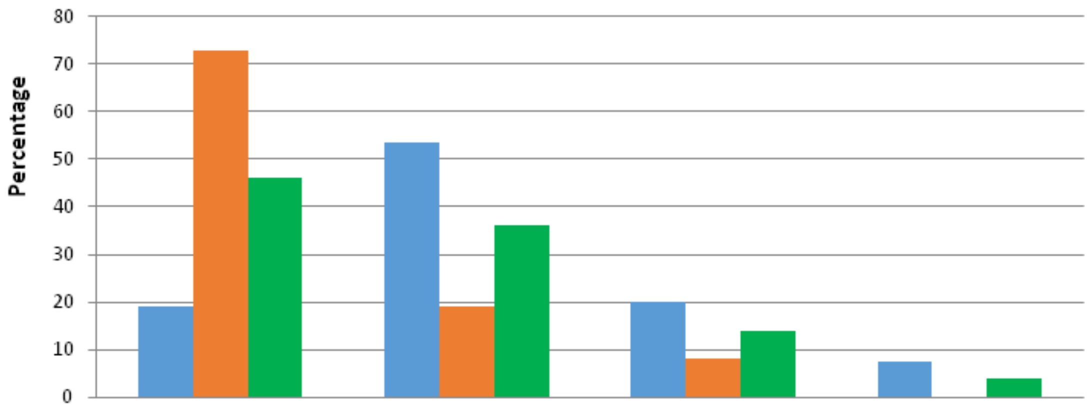

The perusal of the Table 4, Fig. 2 shows 19% and 73% the news or information on social media that affects opinion of online participant**.** Correlation coefficient (r=0.5) in dicates that the reinprivate schools' online participants are not retrained as they get old and all other value sweres lightly correlated.

Table 5 : What types of content do you find most persuasive in shaping your opinions?

Choice	Govt. online participants		Private online participants		Total		r value
	N	%	N	%	N	%	
Articles	138	69	154	77	292	73	0.99
Videos	28	14	20	10	48	12	0.96
Memes	16	8	16	8	32	8	1
Infographics	18	9	10	5	28	7	0.89
Total	**200**	**100**	**200**	**100**	**400**	**100**	

Fig 4: content do you find most persuasive in shaping your opinions

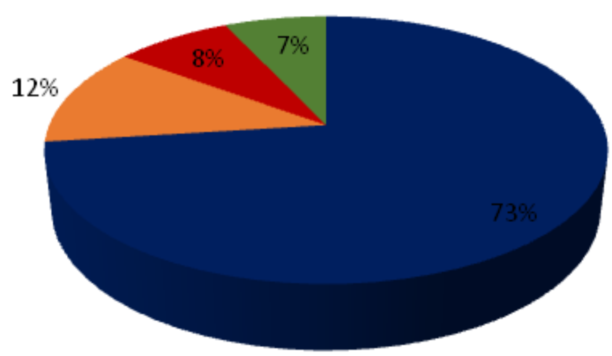

About 69% and 77% of the online male and female participants, perceive content for articles from the social media respectively, (Table 5, Fig. 4).

Table 6: Have you ever engaged in online advocacy (e.g., petitions, campaigns) regarding public policy?

Response	Male		Female		Total		r value
	N	%	N	%	N	%	
Yes	132.0	66.0	30.00	15.00	162.0	40.5	0.67
No	68.00	34.0	142.0	71.00	210.0	52.5	0.85
NotSure	0.00	0.00	28.00	14.00	28.00	7.00	0.50
Total	**200.0**	**100.0**	**200.0**	**100.0**	**400.0**	**100.0**	

Fig 5: Have you ever engaged in online advocacy (e.g., petitions, campaigns) regarding public policy

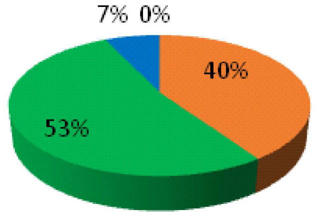

Table and figure revealed that on an average, (66%) male and 15% female online participate are engaged in online advocacy. Correlation (r=0.85.) suggested that the readifference in the onlin e advocacy among male and female population (Table 6. and Fig 5).

DISCUSSION

The results of this study indicate that social media plays a significant role in shaping individuals' opinions on social and political issues, with a majority of respondents acknowledging its influence. Overall, 57.75% of participants reported that social media impacted their views, and a notably higher percentage of **female** participants (64%) than **male** participants (51.5%) believed this to be the case. This finding aligns with existing research, which has highlighted the profound influence of social media on political attitudes and behaviors. Social media platforms are increasingly becoming primary sources of information, allowing users to access news, engage in discussions, and interact with a variety of political content (Lazer et al., 2018). The fact that women were more likely to affirm the influence of social media on their political views might be attributed to different patterns of social media engagement between genders, where women have been shown to use platforms more actively for social and political purposes (Boulianne, 2015).

The significant gender difference in responses, particularly in the **"Yes"** category, suggests that women may be more susceptible or more attuned to the political dynamics unfolding on social media. Previous studies have suggested that women, on average, are more likely to engage with social media for information related to social causes, political movements, and community engagement (McKinley, 2021). This is consistent with the idea that social media serves as a forum for political and social dialogue, which may have a stronger resonance for women, particularly in terms of social justice movements and issues

related to equality (Boulianne, 2015).

Conversely, **male** respondents (41%) were more likely than females (30%) to report that social media does not influence their opinions. This finding could reflect a more passive consumption of social media among men, with some studies suggesting that men may use social media more for entertainment or casual interactions rather than political engagement (Duggan et al., 2015). Additionally, men may be more resistant to acknowledging social media's influence on their opinions, possibly due to a greater reliance on traditional media or face-to-face interactions for political information.

A small portion of participants (6.75%) expressed uncertainty about social media's influence, with males showing a slightly higher degree of ambivalence. This uncertainty could reflect broader concerns about the credibility of information found on social media platforms, given the prevalence of misinformation and the challenges in distinguishing between reliable and unreliable sources (Friggeri, Adamic, & Eckles, 2014). Furthermore, this uncertainty may also stem from the complexity of the issue, as individuals may acknowledge the presence of political content on social media but remain unsure of its overall impact on their attitudes and behaviors.

CONCLUSION

This study highlights the significant role of social media in shaping public opinion on social and political issues. The data suggest that social media does indeed influence users' political views, with gender differences playing a crucial role in shaping perceptions. **Female** participants were more likely to report the influence of social media on their political opinions, reflecting their higher engagement with social and political content online. In contrast, **male** respondents were more likely to dismiss or downplay this influence, suggesting different usage patterns between the sexes.

These findings contribute to the growing body of literature on social media's impact on political engagement, emphasizing the need to understand how gender and online behaviors influence political participation and opinion formation. Future research could explore the underlying reasons for these gender differences and investigate how specific types of content (e.g., news articles, political memes, or activist posts) contribute to shaping political views. Additionally, exploring how misinformation and algorithmic biases influence users' perceptions could further deepen our understanding of social media's complex role in the political landscape.

REFERENCES

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236.
- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130–1132.
- Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524–538.
- Duggan, M., Ellison, N. B., Lampe, C., Lenhart, A., & Mahood, C. (2015). Social media update 2014. *Pew Research Center*. https://www.pewresearch.org
- Dylko, I. B., Beam, M. A., & Hmielowski, J. D. (2017). The role of social media in political polarization: A content analysis of the 2016 U.S. Presidential election. *Journal of Information Technology & Politics*, 14(4), 338–352.
- Friggeri, A., Adamic, L. A., & Eckles, D. (2014). Rumor Cascades. *Proceedings of the 2014 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work*, 1013-1022.
- Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F.,& Watts, D. J. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096.
- McKinley, C. J. (2021). Gender differences in political engagement on social media. *Social Media + Society*, 7(1), 1–11.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Tufekci, Z. (2015). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 15th Dec. 2024

Paper Accepted : 25th Dec. 2024

भारत में युद्ध और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध का एक ऐतिहासिक अध्ययन

❑ नरेन्द्र कुमार*
❑ डॉ. सोनू सरन**
❑ डॉ. हरीश कुमार***

शोध-सारांश

भारत, सेना में मानव रहित लड़ाकू प्रणाली (UCS) को शामिल करने के अभियान पर है। अगस्त, 2022 में इसने ''स्वार्म ड्रोन'' को अपने यंत्रीकृत बलों में शामिल किया, जो ''फ्यूचर–प्रूफ'' भारतीय नौसेना (IN) बनाने में स्वायत्त प्रणालियों के महत्त्व को दोहराता है। सशस्त्र संघर्ष में इनके बढ़ते उपयोग के बावजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त मानव रहित युद्ध प्रणाली कानून, नैतिकता और उत्तरदायित्व के प्रश्न उठाती है। मानव रहित युद्ध प्रणाली (UCS) भविष्य में युद्ध के नियमों को बदलने वाले नए युग के हथियार बनने जा रहे हैं तथा सैन्य शक्तियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 21वीं सदी के इन तथाकथित प्रमुख हथियारों के लिये सामान्यतः कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं है। अनुसंधान के अनुसार, UCS एक एकीकृत युद्ध प्रणाली है जिसमें मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म, टास्क पेलोड, कमांड और कंट्रोल (C2) सिस्टम तथा नेटवर्क सिस्टम शामिल हैं। क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिये उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, तेजी से जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और क्रूर सैन्य युद्धों का सामना करने में लड़ाकू सैनिकों के जीवन और सुरक्षा को बहुत खतरा होता है। इस समय मानव रहित लड़ाकू प्रणाली तेजी से महत्त्वपूर्ण होती जा रही है तथा धीरे–धीरे युद्ध के मैदान पर एक महत्त्वपूर्ण हमला और रक्षा बल बन गई है। स्थल मानव रहित प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मानव रहित भागीदारी के आधार पर कुछ हथियारों और उपकरणों को ले जा सकती है तथा टोही, निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप एवं प्रत्यक्ष मुकाबला करने के लिये कॉन्फिगर किये गए वायरलेस संचार उपकरणों के माध्यम से इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। UCS (Unmanned Combat Systems) में स्वचालन की उच्च क्षमता, बेहतर रिमोट नियंत्रण, आधुनिक डिजिटल संचार क्षमता, लक्ष्य का पता लगाने और पहचान करने की उत्कृष्ट क्षमता, बेहतर बचाव तथा जमीनी वातावरण के लिये मजबूत अनुकूलन क्षमता है।

मुख्य शब्द–*टोही, निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, स्वार्म, टैंकों, बंदूक आदि।*

* शोधार्थी, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान
** शोध निर्देशक, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान
*** सह–निर्देशक, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान

परिचय

हथियार प्रणालियों को उन तरीकों से स्वचालित कर सकता है जो युद्ध के नियमों के साथ असंगत हैं। कंप्यूटर संभाव्य आकलन के आधार पर मनुष्यों को लक्षित करने की एक प्रणाली है जो केवल मशीन से सीखे अनुभवों पर कार्य करती है। कंप्यूटर के पास एक निर्धारित निर्णय लेने के लिये न तो सभी प्रासंगिक डेटा की उपलब्धता है और न ही यह पहचानता है कि इष्टतम समाधान को प्राप्त करने हेतु उसे कितनी जानकारी की आवश्यकता है। यदि इसने युद्ध संघर्ष में गलत तरीके से बल का प्रयोग किया है, तो किसी को जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मशीन पर दोष नहीं लगाया जा सकता है। स्वार्म ड्रोन छोटे और हल्के हवाई वाहनों का एक संग्रह है जिसे एक ही स्टेशन से नियंत्रित किया जा सकता है। ये ड्रोन उन्नत संचार प्रणालियों से लैस हैं जो उन्हें सामूहिक रूप से नियंत्रित करने में सक्षम बनाती हैं। हमले और निगरानी मोड़ के लिये विभिन्न उड़ान संरचनाओं के निर्माण के लिये स्वार्म (swarm) ड्रोन संचार प्रणालियों के माध्यम से एक—दूसरे के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। ये ड्रोन विरोधी इकाई के खिलाफ एक संयुक्त हमले का समन्वय कर सकते हैं और एक ही मिशन पर कई तरह के पेलोड ले जा सकते हैं। स्वार्मझुंड ड्रोन सॉफ्टवेयर और स्वार्मिंग एल्गोरिदम द्वारा संचालित होते हैं, जिससे उनमें मनुष्यों की न्यूनतम सहायता के साथ स्वायत्त रूप से कार्य करने की क्षमता होती है। अप्रत्याशित हमलों के मामले में प्रोग्राम का उपयोग लक्ष्यों की पहचान करने और प्रतिक्रिया को तीव्रता प्रदान करने के लिये भी किया जा सकता है।

हर मौसम में संचालन योग्यः स्वार्मझुंड ड्रोन प्रणाली को अधिक ऊँचाई, खराब मौसम की स्थिति में भी इस्तेमाल किया जा सकता है उच्च गति और चपलताः ये ड्रोन उन्नत मोटरों द्वारा संचालित होते हैं और इनमें 100 किमी. प्रति घंटे की गति से उड़ने की क्षमता होती है जो इसे सैन्य अभियानों के लिये उच्च गति व चपलता प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार मिशनों के लिये नियोजितः ये सशस्त्र बलों द्वारा विभिन्न प्रकार के आक्रामक और रक्षात्मक अभियानों के लिये तैनात किये जा सकते हैं क्योंकि वे टैंकों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों, गोला—बारूद रखने वाले क्षेत्रों, ईंधन डंप और आतंकी लॉन्च पैड के खिलाफ हमला करने की क्षमता से पूर्ण हैं। स्वार्म ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित हैं और स्वचालित लक्ष्य पहचान (Automatic Target Recognition&ATR) सुविधा से लैस हैं, जो उन्हें स्वचालित रूप से लक्ष्यों को पहचानने में सक्षम बनाता है। टैंकों, बंदूकों, वाहनों और मनुष्यों की पहचान करने तथा लक्ष्य भेदन संबंधी त्रुटि की संभावना को कम करने के लिये ऑपरेटरों की स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करने में सक्षम है। सशस्त्र संघर्ष के सभी पक्षों को शत्रुता के दौरान सशस्त्र ड्रोन के किसी भी उपयोग को प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International humanitarian law& IHL) के सिद्धांतों का पालन करना चाहिये। अतः यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले किसी भी सशस्त्र ड्रोन से नागरिकों को कोई विशेष हानि न हो। ड्रोन हमलों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये पार्टियों को ड्रोन के उपयोग को नियंत्रित करने वाली अपनी नीतियों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे नागरिकों के नुकसान का आकलन और पीड़ितों का उपचार किया जाए। सशस्त्र संघर्ष में शामिल सभी पक्षों जो घ्भ्स् के अनुपालन से परे हैं, पार्टियों को नागरिकों के लिये सशस्त्र ड्रोन के उनके उपयोग के मानवीय प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें नागरिक बुनियादी ढाँचे की क्षति और मानसिक स्वास्थ्य आघात भी शामिल है। यह पहचानना महत्त्वपूर्ण है कि युद्ध में युद्ध प्रभावशीलता और नैतिकता दोनों का सवाल है। समुद्री मोर्चे पर मानव रहित सिस्टम को जोखिम में डाल दिया है, जिससे सेना को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नियोजित करने की आवश्यकता होती है।

विज्ञान और तकनीक का रिस्ता, इस आधुनिक दुनिया में एक देश के लिए दूसरे देशों से मजबूत, ताकतवर और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कार करना बहुत आवश्यक है। इस प्रतियोगी समाज में, हमें आगे बढ़ने और जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए अधिक तकनीकों की जरूरत है। आज मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी में बहुत विकास कर लिया है। अब तकनीकी के बिना रह पाना नामुमकिन हो गया है। इसने हमारे जीवन को सरल, आसान और सुविधाजनक बना दिया है। हम विज्ञान और तकनीकी के समय में रह रहे हैं। हम सभी का जीवन वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक समय की तकनीकों पर निर्भर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। इसने जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। नए युग में, विज्ञान के विकास ने हमें बैलगाड़ी की सवारी से हवाई यात्रा की सुविधा तक पहुंचा दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिकरण के हर पहलू को प्रत्येक राष्ट्र में लागू किया गया है। जीवन के हरेक क्षेत्र को सही ढंग से संचालित करने और लगभग सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आधुनिक उपकरणों की खोज की गई है। इसे चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में लागू किए बिना सभी लाभों को प्राप्त करना संभव नहीं था। हम विज्ञान में प्रगति नहीं करते तो आज भी हमारा जीवन पहले की तरह दुष्कर और कठिन होता।

नवीन आविष्कारों ने हमें बहुत लाभ पहुँचाया है। हमारे चारों तरफ अनेक तकनीकी मौजूद है। मोबाइल फोन, टीवी, कम्प्यूटर, इंटरनेट, ओवन, फ्रिज, वाशिंग मशीन, पानी निकालने वाली मोटर, मोटर साइकिल, जहाज, ट्रेन, बस, यातायात के साधन, सभी कुछ आधुनिक तकनीकी की सहायता से सम्भव हो सका है। नई तरह की दवाइयां, चिकित्सा उपकरणों की सहायता से अब जटिल रोगों का इलाज भी सम्भव हो गया है। इस तरह से हम कह सकते है कि आज के समय में आधुनिक तकनीकी के बिना हमारा जीवन भी संभव नही है। देश के उचित विकास और वृद्धि के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ–साथ चलना बहुत आवश्यक है। गाँव अब कस्बों के रुप में और कस्बे शहरों के रुप में विकसित हो रहे हैं और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी काफी विकास देखने को मिला है। समाज में विज्ञान और तकनीकी वाद–विवाद का विषय बन गए हैं। एक तरफ तो यह आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक है, जहाँ अन्य देश तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहे हैं, वहीं यह अन्य देशों के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि, वे भी इसी तरह से भविष्य में सुरक्षा के लिए ताकतवर और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए निरंतर वैज्ञानिक विकास करते रहे। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही है, जिन्होंने अन्य कमजोर देशों को भी विकसित और ताकतवर बनने में मदद की है। मानवता के भले के लिए और जीवन के सुधार के लिए हमें हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद लेनी होगी। यदि हम तकनीकों की मदद नहीं लेतेय जैसे–कम्प्यूटर, इंटरनेट, बिजली, आदि तो हम भविष्य में कभी भी आर्थिक रुप से मजबूत नहीं होंगे और हमेशा पिछड़े हुए ही रहेंगे यहाँ तक कि इसके बिना हम आज के इस प्रतियोगी और तकनीकी संसार में जीवित भी नहीं रह सकते हैं। चिकित्सा, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, खेल, नौकरियाँ, पर्यटन आदि विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के उदाहरण है। ये सभी प्रकार की उन्नति हमें दिखाती हैं कि, कैसे दोनों हमारे जीवन के लिए समान रुप से आवश्यक है। हम अपनी जीवन–शैली में प्राचीन समय के जीवन के तरीकों और आधुनिक समय के जीवन के तरीकों की तुलना करके स्पष्ट रुप में अन्तर देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च स्तर की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति ने बहुत सी खतरनाक बीमारियों के इलाज को सरल बना दिया है जो पहले संभव नहीं था। तकनीकी ने बीमारीयों का इलाज दवाइयों और आपरेशन के

माध्यम से करने में चिकित्सकों की प्रभावी ढंग से मदद करने के साथ ही भंयकर बीमारियों, जैसे–कैंसर, एड्स, मधुमेह (डायबीटिज), एलजाइमर, लकवा आदि के टीकों के शोध में भी काफी मदद की है। भारत अब विज्ञान और उन्नत तकनीकी के क्षेत्र में अपने नए आविष्कारों के माध्यम से तेजी से विकास करने वाला देश बन गया है।

विज्ञान और तकनीकी आधुनिक लोगों की आवश्यकता और जरूरतों को पूरा करने के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजादी के बाद, देश के राष्ट्रीय विकास के लिए हमारे देश ने विज्ञान के प्रसार और विस्तार को बढ़ावा देना शुरु किया है। सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों ने पूरे देश में आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास और वृद्धि पर जोर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ने ही देश में असाधारण ढंग से आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को उन्नत करने का कार्य किया है। विज्ञान और तकनीकी लोगों के जीवन का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारे जीवन का एक महत्त्वरपूर्ण हिस्सा रहा है। ऐसा पाया गया है कि, आग और पहिये की खोज करने के लिए लगभग पाँच आविष्कार किए गए थे। दोनों ही आविष्कारों को वर्तमान समय के सभी तकनीकी आविष्कारों का जनक कहा जाता है। आग के आविष्कार के माध्यम से लोगों ने ऊर्जा की शक्ति के बारे में पहली बार जाना था। तभी से, लोगों में रुचि बढ़ी और उन्होंने जीवन–शैली को सरल और आसान बनाने के लिए बहुत से साधनों पर शोध के और अधिक कठिन प्रयास करने शुरु कर दिए। भारत प्राचीन समय से ही पूरे संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध देश है हालांकि, इसकी गुलामी के बाद, इसने अपनी पहचान और ताकत को खो दिया था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, इसने भीड़ में अपनी खोई हुई ताकत और पहचान को दुबारा से प्राप्त करना शुरु कर दिया है। वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही थे, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को अपनी वास्तविक पहचान को प्रदान किया है। भारत अब विज्ञान और उन्नत तकनीकी के क्षेत्र में अपने नए आविष्कारों के माध्यम से तेजी से विकास करने वाला देश बन गया है। विज्ञान और तकनीकी आधुनिक लोगों की आवश्यकता और जरूरतों को पूरा करने के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तकनीकी में उन्नति के कुछ उदाहरण, रेलवे प्रणाली की स्थापना, मैट्रो की स्थापना, रेलवे आरक्षण प्रणाली, इंटरनेट, सुपर कम्प्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट फोन, लगभग सभी क्षेत्रों में लोगों की ऑनलाइन पहुँच, आदि है। भारत की सरकार बेहतर तकनीकी विकास के साथ ही देश में विकास के लिए अंतरिक्ष संगठन, और कई शैक्षणिक संस्थाओं (विज्ञान में उन्नति के लिए भारतीय संगठन) में अधिक अवसरों का निर्माण कर रही है। भारत के कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में (विभिन्न क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय वैज्ञानिक शोध के माध्यम से) तकनीकी उन्नति को संभव बना दिया, उनमें से कुछ सर जे.सी. बोस, एस.एन. बोस, सी.वी. रमन, डॉ. होमी जे. भाभा, श्रीनिवास रामानुजन, परमाणु ऊर्जा के जनक डॉ. हर गोबिंद सिंह खुराना, विक्रम साराभाई आदि है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास किसी भी देश के लोगों के लिए दूसरे देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। विज्ञान और तकनीकी का विकास तथ्यों के विश्लेषण और उचित समझ पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी का विकास सही दिशा में विभिन्न वैज्ञानिक ज्ञान के आवेदन के तरीकों पर निर्भर करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिकरण के हर पहलू को प्रत्येक राष्ट्र में लागू किया गया है। जीवन के हरेक क्षेत्र को सही ढंग से संचालित करने और लगभग सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आधुनिक उपकरणों की खोज की गई है। इसे चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में लागू किए बिना सभी लाभों को प्राप्त करना संभव नहीं था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसने मानव सभ्यता को

गहराई में जाकर प्रभावित किया है। आधुनिक जीवन में तकनीकी उन्नति ने पूरे संसार में हमें बहुत अधिक उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि दी है। वैज्ञानिक क्रान्तियों ने 20वीं शताब्दी में अपनी पूरी गति पकड़ी और 21वीं सदी में और भी अधिक उन्नत हो गई। हमने नए तरीके और लोगों के भले के लिए सभी व्यवस्थाओं के साथ नई सदी में प्रवेश किया है। आधुनिक संस्कृति और सभ्यता विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो गई है क्योंकि वे लोगों की जरूरत और आवश्यकता के अनुसार जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। भारत रचनात्मक और मूलभूत वैज्ञानिक विकास और सभी दृष्टिकोण में दुनिया भर में का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है। सभी महान वैज्ञानिक खोजो और तकनीकी उपलब्धियों ने हमारे देश में भारतीय आर्थिक स्थिति को सुधारा है और तकनीकी रूप से उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए नई पीढ़ी के लिए कई नए तरीकों का निर्माण किया है। गणित, आर्किटेक्चर, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, धातु कर्म, प्राकृतिक दर्शन, भौतिक विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मास्यूटिकल्स, खगोल भौतिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आवेदन, रक्षा आदि के क्षेत्र में कई नए वैज्ञानिक शोध और विकास संभव हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध, विचारों और तकनीकों का परिचय नई पीढ़ी में बड़े स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाया है और उन्हें अपने स्वयं के हित में काम करने के लिए नए अवसरों की विविधता प्रदान की है। भारत में आधुनिक विज्ञान को वैज्ञानिकों ने अपने निरंतर और कठिन प्रयासों के द्वारा पुनः जीवंत बना दिया है। वास्तव में वह भारत के महान वैज्ञानिक ही है, जिन्होंने हमारे देश के तेजी से तरक्की को संभव किया है। आजादी के बाद, देश के राष्ट्रीय विकास के लिए हमारे देश ने विज्ञान के प्रसार और विस्तार को बढ़ावा देना शुरु किया है। सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों ने पूरे देश में आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास और वृद्धि पर जोर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ने ही देश में असाध ारण ढंग से आर्थिक विकास और सामाजिक विकास पर असर डाला है।

देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान, हमारे देश को स्वतंत्र हुए 70 साल हो गए है। इतने वर्षों में देश के विकास में विविध ा क्षेत्रों का योगदान रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसने देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में अपना सबसे अधिक योगदान दिया है। असल में हमारे जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें विज्ञान का दखल न हो। भारत के कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को तकनीकी उन्नति प्रदान की है , उनमें से कुछ सर जे.सी. बोस, एस.एन. बोस, सी.वी. रमन, डॉ. होमी जे. भाभा, श्रीनिवास रामानुजन, परमाणु ऊर्जा के जनक डॉ. हर गोबिंद सिंह खुराना, विक्रम साराभाई आदि का नाम प्रमुख है। किसी भी क्षेत्र में तकनीकी विकास उस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य करता है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति में सुधार के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1942 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और 1940 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के बोर्ड का निर्माण किया। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संस्थानों की एक श्रृंखला स्थापित की है, जोकि हमारे देश के वैज्ञानिक प्रगति में अपना अहम योगदान दे रही है। इस आधुनिक दुनिया में एक देश के लिए दूसरे देशों से मजबूत, ताकतवर और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कार करना बहुत आवश्यक है। इस प्रतियोगी समाज में, हमें आगे बढ़ने और जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए अधिक तकनीकों की जरूरत है। आज मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी में बहुत विकास कर लिया है। अब तकनीकी के बिना रह पाना नामुमकिन हो गया है। इसने हमारे जीवन को सरल, आसान और सुविधाजनक बना दिया है।

हम विज्ञान और तकनीकी के समय में रह

रहे हैं। हम सभी का जीवन वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक समय की तकनीकों पर निर्भर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। इसने जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। नए युग में, विज्ञान के विकास ने हमें बैलगाड़ी की सवारी से हवाई यात्रा की सुविधा तक पहुंचा दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिकरण के हर पहलू को प्रत्येक राष्ट्र में लागू किया गया है। जीवन के हरेक क्षेत्र को सही ढंग से संचालित करने और लगभग सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आधुनिक उपकरणों की खोज की गई है। इसे चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में लागू किए बिना सभी लाभों को प्राप्त करना संभव नहीं था हम विज्ञान में प्रगति नहीं करते तो आज भी हमारा जीवन पहले की तरह दुष्कर और कठिन होता। नवीन आविष्कारों ने हमें बहुत लाभ पहुँचाया है। हमारे चारों तरफ अनेक तकनीकी मौजूद है। मोबाइल फोन, टीवी, कम्प्यूटर, इंटरनेट, ओवन, फ्रिज, वाशिंग मशीन, पानी निकालने वाली मोटर, मोटर साइकिल, जहाज, ट्रेन, बस, यातायात के साधन, सभी कुछ आधुनिक तकनीकी की सहायता से सम्भव हो सका है। नई तरह की दवाइयां, चिकित्सा उपकरणों की सहायता से अब जटिल रोगों का इलाज भी सम्भव हो गया है। इस तरह से हम कह सकते है कि आज के समय में आधुनिक तकनीकी के बिना हमारा जीवन भी संभव नही है। देश के उचित विकास और वृद्धि के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ–साथ चलना बहुत आवश्यक है। गाँव अब कस्बों के रुप में और कस्बे शहरों के रुप में विकसित हो रहे हैं और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी काफी विकास देखने को मिला है।

युद्ध और प्रौद्योगिकी का हमेशा से ही गहरा संबंध रहा है। दरअसल, प्रौद्योगिकी के बिना, शायद कोई युद्ध नहीं होता। आखरिकार, प्रौद्योगिकी के बिना, भले ही केवल लाठी और पत्थरों के रूप में, मनुष्य की अपनी ही तरह की हत्या करने की क्षमता बेहद सीमित है। वह मार सकता है। एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए उसकी भुजाएँ किसी भी अन्य जानवर की तुलना में कहीं अधिक उपयुक्त हैं। और काट सकता है, लेकिन वह शायद ही मार सकता है उसका दम घुट सकता है, लेकिन ऐसा करने में समय लगता है, और कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं कि उन पर कुछ अन्य लोग हावी नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थितियों में प्रारंभिक मानव युद्ध शायद उस तरह के संघर्ष जैसा हो सकता है जैसा हम चिंपैंजी के बीच देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि रहने की जगह, भोजन, पानी, महिलाओं और प्राथमिकता जैसे संसाधनों तक पहुंच को लेकर झगड़े हुए होंगे। कुछ लड़ाइयाँ दुश्मन से मुकाबला करने और उस पर विजय पाने के आनंद से भी प्रेरित हो सकती हैं। हालाँकि, लगभग निश्चित रूप से कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ होगा। युद्ध में प्रौद्योगिकी के प्रवेश के पहले दिन से ही इसने युद्ध को आकार देने में मदद की है। चकमक पत्थर से बने खंजर और भाले, और चमड़े या विकर से बनी ढालों ने प्राचीन समाजों द्वारा अपनाई गई रणनीति को आकार देने में उतना ही योगदान दिया जितना मध्य युग के दौरान घोड़ों ने किया और टैंक, विमान और विभिन्न लड़ाकू जहाज आज करते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने निर्धारित किया कि क्या संरचनाएँ करीब होंगी या खुली होंगी, गहरी होंगी या उथली होंगी, कठोर होंगी या ढीली होंगी। अन्य तकनीकों ने यह निर्धारित किया कि एक ही बल वाली विभिन्न इकाइयाँ बिना संपर्क खोए एक–दूसरे से कितनी दूर जा सकती हैंय इस प्रकार रणनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

निष्कर्ष

आजकल की प्रौद्योगिकी ने यह निर्धारित करने में भी मदद की कि किस प्रकार की संरचनाएँ किस प्रकार के इलाके में, किस प्रकार की परिस्थितियों में, किस प्रकार के दुश्मनों से लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त थीं, इत्यादि। यही बात घोड़ों, रथों, यांत्रिक तोपखाने और बारूद के बारे

में भी सच है। निःसंदेह हमारे पास अपने पूर्वजों की तुलना में कहीं अधिक और बेहतर तकनीक है। लेकिन प्रौद्योगिकी हर समय अधिक महंगी होती जा रही है, पूरी तरह से और जनशक्ति की तुलना मेंय यह, वास्तव में, एक कारण है कि विशेष रूप से सबसे शक्तिशाली हथियार प्रणालियों की संख्या 1945 से कम होती जा रही है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी युद्ध को आकार देने में उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा रही है जितनी उसने अतीत में किसी भी समय निभाई है। ऐसा कहना अहंकार का एक रूप है जो विशेष रूप से युद्ध करने के अमेरिकी तरीके के लिए महत्त्व से रहित नहीं है। जबकि हथियारों ने हमेशा रणनीति निर्धारित करने में मदद की है, बदले में रणनीति ने संगठन, संचालन, रणनीति, रसद और कमांड और नियंत्रण प्रणालियों को निर्धारित करने में मदद की है। ये सभी उपयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित थे और बदले में, इसे आगे बढ़ाया। इस प्रकार युद्ध और प्रौद्योगिकी, सिद्धांत और इसे लागू करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर–दोनों के बीच संबंध दो–तरफा है। उदाहरण के लिए, क्या 1914 से पहले यांत्रिक परिवहन के विकास ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विशाल तोपखाने के टुकड़ों की अनुमति दी थी, या क्या किलेबंदी को तोड़ने की आवश्यकता के कारण उन टुकड़ों के साथ–साथ यांत्रिक परिवहन का भी विकास हुआ जिसके बिना वे बेकार होते? और फिर भी तकनीकी श्रेष्ठता की खोज शाश्वत है। होमो सेपियन्स के युद्ध में उतरने के पहले क्षण से ही ऐसे हथियार डिजाइन करके जीत हासिल करने का प्रयास किया गया जो दुश्मन से बेहतर हों। चकमक ब्लेडों का स्थान तांबे के ब्लेडों ने ले लिया। बदले में उनकी जगह कांस्य ने ले ली, जिनकी जगह लोहे ने ले ली, जिनकी जगह स्टील से बनी चीजें ले लीं। साधारण धनुषों का स्थान लंबे और मिश्रित धनुषों ने ले लिया, अंततः आग्नेयास्त्रों ने अपना स्थान बना लिया और धनुष को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बदले में आग्नेयास्त्रों को विकास की एक लंबी और लगभग निरंतर प्रक्रिया से गुजरना पड़ा जो उन्हें 1400 के आदिम उपकरणों से लेकर आज की असॉल्ट राइफलों, मशीनगनों और तोपखाने तक ले गया। कवच, किलेबंदी और परिवहन के साधन सभी समान विकास से गुजरे। हालाँकि यहाँ–वहाँ समाज के पतन के कारण सरल प्रौद्योगिकी की ओर वापसी हुई, लेकिन वापसी हमेशा अस्थायी थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, अश्विनी (1989) शाही गुप्तों का उत्थान और पतन। मोतीलाल बनारसीदास.
2. केनोयर, जोनाथन एम. (1998) सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन शहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. बी फिलिप बी. जरिल्लीय पीटर हॉल्टन. साइकोफिजिकल एक्टिंग स्टैनिस्लावस्की के बाद एक अंतरसांस्कृतिक दृष्टिकोण।
4. बी डेनिस कुशय कैथरीन ए. रॉबिन्सनय माइकल यॉर्क. हिंदू धर्म का विश्वकोश. मनोविज्ञान प्रेस.
5. सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र और मराठों का विनाश ह्यूएन त्सांग की यात्राएँ, खंड प्ट, सैमुअल बील,
6. राज, जे. डेविड मैनुअल (1977) सिलंबम तलवारबाजी की उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास भारत का एक प्राचीन आत्मरक्षा खेल ओरेगन कॉलेज ऑफ हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एँड रिक्रिएशन, यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन
7. भारतीय खेल प्राधिकरण (1987) भारत के स्वदेशी खेल और मार्शल आर्ट नई दिल्ली भारतीय खेल प्राधिकरण।
8. जी. डी. सिंघल, एल. वी. गुरु (1973). सुश्रुत संहिता के शरीर–स्थान पर आधारित प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा में शारीरिक और प्रसूति संबंधी विचार.
9. राधेश्याम चौरसिया (2002) प्राचीन भारत का इतिहास सबसे प्रारंभिक समय से 1000 ई. तक। अटलांटिक प्रकाशक और वितरक।

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 15th Dec. 2024 **Paper Accepted : 25th Dec. 2024**

समकालीन हिन्दी कहानी–एक अध्ययन

□ सुनील कुमार मिश्र*
□ डॉ. प्रेमशंकर शुक्ला**

शोध-सारांश

समकालीन हिन्दी कहानी की विविधता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं को उकेरते हुए जाति, वर्ग, लिंग और धार्मिक असमानताओं के मुद्दे उठाए गए हैं। इन कहानियों में जहाँ यथार्थवाद, नारीवाद, समाजवाद और आधुनिकतावाद जैसे विचारधाराओं का समावेश है। वहीं यह समाज में व्याप्त जटिलताओं और संघर्षों का सजीव चित्रण भी करती है। इस प्रकार समकालीन हिन्दी कहानी ने साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके माध्यम से पाठक समाज की समस्याओं को नजदीक से समझ पाते हैं और उनके प्रति जागरूक होते हैं। साहित्यिक दृष्टि से, इसने हिन्दी साहित्य को एक नया आयाम दिया है और इसे समाज के लिए प्रासंगिक बनाए रखा है।

मुख्य शब्द–

प्रस्तावना

समकालीन हिन्दी कहानी ने भारतीय साहित्य में विशेष स्थान अर्जित कया है। यह अपने समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करती है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज में हो रहे बदलावों और विभाजन की त्रासदी ने हिन्दी कहानी के स्वरूप को प्रभावित किया और कहानियों में एक नए यथार्थवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। आधुनिक हिन्दी कहानियों में व्यक्ति की आंतरिक संवेदनाएँ, पारिवारिक संबंधों की जटिलता और सामाजिक असमानताएँ प्रमुखता से उभर कर आई हैं। यह कहानियाँ किसी विशेष विचारधारा तक सीमित न रहकर समाज के व्यापक प्रश्नों और मुद्दों पर केंद्रित हैं। नारीवाद, दलित विमर्श, आर्थिक विषमता और साम्प्रदायिकता जैसे ज्वलंत विषयों पर आधारित ये कहानियाँ पाठकों को गहराई से प्रभावित करती हैं।

भाषा में सहजता और पात्रों की स्थानीयता ने इन्हें और प्रभावी बना दिया है। लेखकों ने कहानी कहने की शैली में भी नवीनता अपनाई है, जिससे कहानी पाठकों के मन–मस्तिष्क पर गहरी छाप

* शोधार्थी (हिन्दी–विभाग), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोध निर्देशक, सह–प्राध्यापक (हिन्दी–विभाग), सेठ रघुनाथ प्रसाद, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हनुमना जिला–मऊगंज (म.प्र.)

छोड़ती है। इस प्रकार समकालीन हिन्दी कहानी भारतीय साहित्य में अपने अनूठे दृष्टिकोण और प्रासंगिकता के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

उद्देश्य

इस शोध का उद्देश्य समकालीन हिन्दी कहानियों के माध्यम से समाज, संस्कृति और राजनीतिक परिवर्तनों की गहन समझ विकसित करना है। समकालीन कहानियाँ न केवल समाज की यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करती है, बल्कि इन समस्याओं और जटिलताओं को भी सामने लाती हैं जो आधुनिक समय में प्रमुख हैं। इस शोध के अन्तर्गत हिन्दी कहानियों के उभरते प्रमुख विषयों जैसे सामाजिक असमानता, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक संघर्ष और साम्प्रदायिकता का विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही, लेखकों द्वारा अपनाई गई प्रवृत्तियों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जिसमें भाषा की सरलता, शैली की नवीनता और प्रतीकों का सटीक प्रयोग शामिल है।

इस अध्ययन का उद्देश्य हिन्दी कहानियों के प्रभाव को समझना है, जिससे यह जाना जा सके कि किस प्रकार ये कहानियाँ पाठकों को न केवल प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके विचारों में बदलाव लाने में भी सक्षम होती हैं। हिन्दी कहानियाँ समाज का दर्पण होने के साथ–साथ एक चेतना का माध्यम भी है। इस शोध के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हिन्दी कहानियाँ सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देती है और साहित्य में अपने विशेष स्थान को बनाए रखती हैं।

प्रासंगिकता

हिन्दी साहित्य में समकालीन कहानियों का अत्यंत महत्त्व है, क्योंकि वे भारतीय समाज की ज्वलंत समस्याओं, बदलते मूल्यों और संवेदनशील मुद्दों को गहराई से अभिव्यक्त करती हैं। ये कहानियाँ सामाजिक असमानता, नारी अधिकार, आर्थिक संघर्ष और सांप्रदायिकता जैसे विषयों को न केवल सतह पर लाती है, बल्कि पाठकों के समाज के प्रति जागरूक भी बनाती हैं। समकालीन कहानीकारों ने कहानी कहने की परंपरागत शैली से अलग हटकर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे समाज की समस्याओं का वास्तविक चित्रण हो सके। सांस्कृतिक दृष्टि से ये कहानियाँ भारतीय परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करते हुए आधुनिक समय के अनुकूल नए दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती हैं। बदलते सांस्कृतिक परिवेश, युवा पीढ़ी की मानसिकता और परिवारों में आई संरचनात्मक परिवर्तनों को इनमें बखूबी देखा जा सकता है। नारीवाद और दलित विमर्श जैसे विषयों पर केन्द्रित कहानियाँ सामाजिक चेतना को और सशक्त बनाती हैं, जो समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देती हैं।

समकालीन हिन्दी कहानी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के बाद हिन्दी कहानी के स्वरूप में गहरे बदलाव देखने को मिले। भरत की आजादी के साथ ही विभाजन की त्रासदी, विस्थापन और सांप्रदायिक तनाव ने समाज में गहरे घाव छोड़े, जिसका सीधा असर साहित्य पर पड़ा। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पूर्ववर्ती कहानीकारों की कहानियों में जहाँ आदर्शवाद और नैतिकता पर बल था, वहीं स्वतंत्रता के बाद कहानी का रुख यथार्थवादी और सामाजिक सरोकारों की ओर मुड़ा।

1947 के बाद के दशक में लेखकों ने समाज में व्याप्त असमानता, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को कहानियों का आधार बनाया।

अब कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं; वे समाज का दर्पण बन गईं, जिसमें आम आदमी के संघर्ष, भावनाएँ और संवेदनाएँ प्रमुख रूप से उभरीं। इसी समय में 'नई कहानी' आंदोलन की शुरूआत हुई, जिसमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेन्द्र यादव जैसे लेखकों ने कहानी को प्रयोगधर्मी बनाया और व्यक्ति के अंतर्द्वन्द्व तथा आधुनिक जीवन की जटिलताओं पर फोकस किया। यह बदलाव समाज की वास्तविकता को सामने

लाने और व्यक्ति के भीतर के संघर्षों को उजागर करने की दिशा में था। इन कहानियों ने हिन्दी साहित्य में यथार्थवाद की मजबूत परंपरा स्थापित की, जो आज भी साहित्यिक विमर्श का केन्द्र बनी हुई है।

विकास के चरण

1950 के दशक से हिन्दी कहानी में गहरे और विविधतापूर्ण परिवर्तन आए। इस समय की कहानियों ने विभाजन, सामाजिक असमानता और स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक चुनौतियों को गहराई से उठाया। इस दौर में मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेन्द्र यादव जैसे लेखकों ने ''नई कहानी'' आंदोलन की शुरूआत की, जिसमें यथार्थवाद और व्यक्ति मन के अंतर्द्वंद्व पर जोर दिया गया।

1960 और 1970 के दशक में कहानी का रुझान और अधिक प्रगतिशील हो गया। इस समय भीष्म साहनी (तमस), मन्नू भंडारी (यह सच है) और अमृता प्रीतम जैसे लेखकों ने अपनी कहानियों में समाज में हो रहे बदलावों और व्यक्तित्त्व के अस्तित्त्व के प्रश्नों को गहनता से अभिव्यक्त किया। इस समय की कहानियाँ पारिवारिक संबंधों, सामाजिक दबावों और नारी स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को केन्द्र में रखकर लिखी गईं।

1980 और 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण और बदलते सामाजिक ढांचे ने कहानियों में नई दिशा दी। इस दौर में दलित चेतना, नारी सशक्तिकरण और हाशिए के लोगों की आवाज को प्रमुखता मिली। उदय प्रकाश, सूरजपाल चौहान और मैत्रेयी पुष्पा जैसे लेखकों ने दलित, आदिवासी और ग्रामीण जीवन के संघर्षों को अपने लेखन में उतारा।

2000 के बाद वैश्वीकरण, शहरीकरण और डिजिटल युग ने हिन्दी कहानी को नए रूप में प्रस्तुत किया। आज की कहानियाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानसिक स्वास्थ्य और पहचान के मुद्दों को संबोधित करती हैं। गीतांजलि श्री, अखिलेश और प्रियवंद जैसे लेखक वर्तमान समाज की जटिलताओं और आधुनिक जीवन के अनुभवों को चित्रित करते हैं।

प्रमुख विषयवस्तु

सामाजिक असमानता

जाति, धर्म, वर्ग और आर्थिक असमानता पर आधारित कहानियाँ समाज के उन वर्गों की पीड़ा और संघर्ष को दर्शाती हैं, जिन्हें अक्सर मुख्य धारा से हाशिए पर रखा गया है। प्रेमचंद की कहानियाँ जैसे ''सद्गति'' और ''ठाकुर का कुंआ'', जातिगत, असमानता का मार्मिक चित्रण करती है। वहीं भीष्म साहनी और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने वर्ग और जाति आधारित भेदभाव सामाजिक संघर्ष और निम्न वर्ग की कठिनाइयों को अपनी कहानियों में प्रमुखता दी है।

नारी जीवन

नारीवादी दृष्टिकोण पर आधारित कहानियाँ महिलाओं के जीवन की समस्याओं और उनके आत्मनिर्भरता के संघर्ष को उजागर करती है। मन्नू भंडारी की ''यही सच है'' और अमृता प्रीतम की ''पिंजर'' जैसी कहानियाँ नारी अस्मिता स्वतंत्रता और पितृसत्तात्मक समाज में उनके संघर्ष को गहराई से चित्रित करती हैं। इन कहानियों में महिलाओं की स्थिति, उनके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की चाह को प्रमुखता से उठाया गया है।

राजनीतिक चेतना

राजनीतिक चेतना पर आधारित कहानियाँ साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार और समाज में हो रहे राजनीतिक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। राही मासूम रजा का उपन्यास ''आधा गाँव'' और भीष्म साहनी का ''तमस'' साम्प्रदायिकता और विभाजन के समय की राजनीतिक जटिलताओं को दर्शाते हैं। इन कहानियों के माध्यम से लेखक राजनीति के दुष्परिणामों, साम्प्रदायिक तनावों और आम जनता पर उनके प्रभावों को उजागर करते हैं।

मानवीय संबंधों की जटिलता

समकालीन कहानियाँ आधुनिक जीवन में

मानवीय संबंधों की उलझनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी ध्यान देती हैं। कमलेश्वर की कहानियाँ जैसे ''कितने पाकिस्तान'' संबंधों की जटिलता और व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को सामने लाती हैं। आधुकिता के साथ–साथ रिश्तों में बदलाव, जैसे वैवाहिक जीवन में तनाव, पीढ़ियों का अंतर और अकेलापन।

आधुनिक जीवन की चुनौतियाँ

आधुनिक जीवन की कहानियाँ शहरीकरण, आर्थिक संघर्ष और मानसिक तनाव को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। शहरी जीवन के दबाव, प्रतिस्पर्धा और मानसिक तनाव को कई लेखकों ने प्रमुखता दी है। उदय प्रकाश जैसे कहानीकारों ने शहरी जीवन की आपाधापी, व्यक्तिवाद और संघर्षशील जीवन का चित्रण किया है। इन कहानियों में व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और उनकी मानसिक संघर्ष को प्रभावी ढंग से उभारा गया है। समकालीन हिंदी कहानियाँ इन सभी पहलुओं के माध्यम से समाज का यथार्थ चित्रण करती हैं और पाठकों को सोचने पर विवश करती हैं।

निष्कर्ष

समकालीन कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की ज्वलंत समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से उठाया गया है। इन कहानियों ने जातिगत भेदभाव, साम्प्रदायिकता, नारी शोषण, आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सामने लाकर समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्रदान किया है। इसके साथ ही इन कहानियों ने पाठकों के विचारों में सकारात्मक बदलाव लाने और समाज सुधार की दिशा में विचारों में सकारात्मक बदलाव लाने और समाज सुधार की दिशा में प्रेरित करने का कार्य किया है। इसलिए, समकालीन हिन्दी कहानियाँ हिन्दी साहित्य का एक महत्त्वूपर्ण अंग बन चुकी हैं; जिसने समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने और समझने कही प्रेरणा दी है। समकालीन हिन्दी कहानी आने वाले समय में भी प्रासंगिक बने रहने की दिशा में लगातार आगे बढ़ती रहेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रेमचन्द्र, मानसरोवर (कहानियों का संग्रह)
2. कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान (उपन्यास)
3. भीष्म साहनी, तमस (उपन्यास)
4. मन्नू भण्डारी, यही सच है
5. राजेन्द्र यादव, सारा आकाश
6. उदय प्रकाश, मोहन दास
7. अनामिका, स्त्री संसार (समीक्षा)
8. डॉ. रामेश्वर राय, समकालीन हिन्दी कहानियाँ : प्रवृत्तियाँ और दृष्टिकोण
9. डॉ. नामवर सिंह, हिन्दी साहित्य का इतिहास
10. डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 15th Dec. 2024 **Paper Accepted : 25th Dec. 2024**

पाण्डुलिपि निर्माण में सहायक सामग्री

❑ महाजन लवलेश वसंतराव*
❑ प्रो. ऋषभ चन्द्र जैन**

शोध-सारांश

भारतीय प्राचीन लेखन साधन सामग्रीमें सिक्के, मोहरे, शिलालेखों, ताडपत्रों, लोहपत्रों, सुवर्ण सिक्कों, धातुपत्रों, काष्ठपत्रों हस्तलिखित सामग्री के रूप में प्रचलित हैं। इतिहास में प्राचीन लेखन साम्रगी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।संस्कृति और इतिहास को सुरक्षित रखने में साधन सामग्रीका ही कार्य विशिष्टता से देखा गया है। प्राचीन लेखन सामग्रीके बारे में जानना मतलब प्राचीन कालीन इतिहास एवं संस्कृति को जानना होता है। भारतीय लेखनकला में साधन सामग्रीआती है जो महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए बतायी जाती है।

मुख्य शब्द–

शैलफलक

पहले के समय में लेखन के लिए शिलाखण्डों एवं प्राकृतिक रगों का उपयोग किया जाता रहा है। भीमबेटिका,होशंगाबाद मिर्जापुर उत्तर भारत में आज भी इन पुराने शैलचित्रों का स्वरूप देखने को मिलता हैं।[1] साथ में दक्षिण भारत में भी इसका स्वरूप कर्नाटक राज्य में अत्यधिक देखने को मिलता है। इन चित्रों में प्रागैतिहासिक मानव की जीवन चर्या को प्रदर्शित किया जाता है। इनको हम चित्रलिपि के चिन्हों के रूप में देखते आये हैं। चित्रों में लाल, हरे, सफेद, नीले, काले, गैरूवे रंग तथा स्थानीय वनस्पतीयों से तैयार किये रंगों का आज भी उपयोग किया जाता है। अजन्ता, एलोरा, सिद्धिगिरि, खण्डारगिरि आदि स्थानों पर भी प्रसिद्ध चित्र गुफा को हम तत्कालिन ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में देख सकते हैं।

मिट्टी के अभिलेख/मृदा अभिलेख

हम देखते हैं कि भारतीय संग्रहालयों में मिट्टी के बर्तनों तथा ठीकरों पर अंकित हजारों हस्त लेख व चित्र आदि संग्रहीत हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति के विविध स्थलों का इतिहास देखने को मिलता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का वर्णन उनमें निहित है।

लेख मृदपात्रों के अलावा मुहरों, ताम्रपट्टियों, लघुप्रस्तरों, उप काल के बर्तन, औजारों, हाथीदन्तों एवं हड्डीयों के टुकडों द्वारा बने तत्कालीन सभ्यता के चित्र शिल्प देखते आ रहे हैं। एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेर कर

* शोधार्थी, जैन और प्राकृत अध्ययन–विभाग, कला एवं मानविकी संकाय, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह
** शोध निदेशक, जैन और प्राकृत अध्ययन–विभाग कला एवं मानविकी संकाय, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह

लिखते थे। जो किलाक्षरी लेख के रूप में जाना जाता है।मिट्टी की कच्ची अथवा पक्की ईट्टोंपर भी प्राचीन लेख प्राप्त होते हैं जिनको लिखकर आग में पकाया जाता हैं।जिससे वह लम्बे समय तक लिखे हुये रहते हैं। जैसे– सिन्धु सभ्यता के स्थलों से हमें मिट्टी की अक्षरांकित अनेक मौहरों को प्राप्त करते देखा हैं। नालंदा और राजस्थान के कई भागों से हम लोगों को अभिलिखित मुद्रायें प्राप्त हूई हैं।

शिलाफलक / स्तम्भफलक

पत्थरों, शिलाओं, स्तम्भों, मुर्तियों, तथा उनके आधार पीठों से बने पत्थर कलश ढक्कन आदि वस्तुओं पर उत्कीर्ण पाये जाने वाले लेखन फलक को शिलाफलक कहते हैं। चिरस्थायीदृष्टी से पत्थरोंपर उत्कीर्ण किये जाते थे उन्हें शिलाफलक कहते हैं। पत्थरों को तराशकर उनके ऊपर लेखन किया जाता था। उसे शिलाफलक कहते हैं।पाषाणों को अनुकुल बनाकर उनके ऊपर लिखा जाता था।

कभी कभी पत्थरों को अच्छे किए बिना ही लेख लिखा जाता था। हमारे पास प्रशस्ति के रूप महत्त्वपूर्ण शिलालेख देखने को मिलते हैं। सारनाथ जैसे शिलालेख हजारों प्रमाण हमें मिलते हैं।

पाषाणों पर अक्षरों को लिखकर कवि, विद्वानों ने राज्य के अधिकारी लोग इसका काम करवाया करते थे। पत्थरों पर छैनी हथोड़े से अक्षरों को उत्कीर्ण किया करते थे।कभी कभी पत्थर में टूट, गया, चटक गया, तो, उसे धातु से भरे सोने चांदी पितल आदि धातुओं से भी बनवाया करते थे।

शिलाखण्डों के अलावा प्राचीन स्तम्भलेख भी हमे मिलते हैं। सम्राट् अशोक कालीन प्राचीन ब्राह्मीलिपि स्तम्भलेख अधिक प्राचीन माने गये है।स्तम्भलेखों के विविध प्रकार हमें देखने को मिलते हैं।[2]

(1) ध्वजस्तम्भ
(2) जयस्तम्भ
(3) कीर्तिस्तम्भ
(4) वीरस्तम्भ
(5) सतीस्तम्भ
(6) धर्मस्तम्भ
(7) स्मृतिस्तम्भ
(8) स्युपस्तम्भ
(9) चक्रस्तम्भ
(10) शौर्यस्तम्भ
(11) राज्यस्तम्भ
(12) सीमास्तम्भ
(13) सुचकस्तम्भ
(14) मानकस्तम्भ
(15) मानस्तम्भ
(16) लेखस्तम्भ
(17) चित्रस्तम्भ

धातुफलक या लेखफलक

प्राचीन समय से लेखन के लिए सामग्री में रजत, सोना, कांस्य, लौह आदि धातुओं तथा मिश्रित धातुओं आदि का प्रयोग किया जाता है। सोनेरी, रूपेरी स्याही से लिखे हुये हजारों प्राचीन पाण्डुलिपियाँ आज हमें उपलब्ध होती है। धातुओं में सें लेख हेतु सर्वाधिक प्रयोग ताम्र पत्रों का हुआ हैं। राजाओं द्वारा दिये गये अधिकार पत्र, धार्मिक ग्रन्थ आदि तांबे के पट्टियों पर उकेरे गये हैं। दानपत्र प्रशस्ति तथा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इन पर ही लिखे हुये हैं।

धातुफलक दो प्रकार के हैं–

(1) हथोडे से ठोककर बनाये गये और

(2) ऊकेरकर या साचें में डालकर बनाये गये

हथौड़े से ठोककर बनाए गये ताम्रपत्र पर ठठेर के लिए चिन्ह आसानी से पहचान में आतें हैं।कारीगर किसी तीक्ष्ण औजार से उसपर अक्षर खोदकर लिख सकता है।लेखन की सुरक्षा हेतु इन पट्टीयों को कुछ मोटा बनाया जाता था।

ताड़पत्र

प्राचीन समय से ताड़पत्रों का उपयोग होता आया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। सर्वोधिक सरल सुलभ और दीर्घकाल तक ठीक रह सके ऐसी वस्तु सिर्फ ताडपत्र कही गयी थी। पाण्डुलिपियाँ

ज्यादा से ज्यादा ताडपत्रोंपर देखने को मिलती हैं।इसलिये हमारे देश को पाण्डुलिपियों का देश कहा जाता है। ताड़वृक्षों के पत्ते से पाण्डुलिपि बनाई जाती है।

ताड़वृक्ष दो प्रकार के होते हैं–

(1) खरताड

(2) श्रीताड

खरताड आज भी दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक के राज्यों में मिलता है।खरताड सूखकर फटने लगते हैं और तोडने पर जल्दीही सड़ गल जाते है।[3] इसलिये इसका उपयोग पोथी लेखन में बहुत कम किया जाता है।उसी काही रूप आज हमारे पास में श्री श्रेणिक चरित्र प्रसंग पाण्डुलिपि है। श्रीताड़ के वृक्ष दक्षिणी भारत के तटीय प्रान्तों में पाये जाते हैं। श्रीताड़ ताड़पत्र बहुत मुलायम होते हैं यह बहुत समय तक सुरक्षित रह सकते हैं।इसीलिये श्री ताड़ का अधिक उपयोग पाण्डुलिपि के रूप में होता है।

भोजपत्र

भूर्ज नामक वृक्ष हिमालय क्षेत्र में बहुत मात्रा में पाया जाता है। 'भूर्जत्वक' मतलब भोजपत्र कागज की तरह बताया गया है। यह छाल कई मीटर लम्बी निकाली जा सकती है। ये पतले एवं चिकने होते हैं। हमारे त्वचा पर कई परते होती है ठीक उसी प्रकार यह भोजपत्र पर कई परते देखने को मिलती हैं। ताड़पत्र ज्यादा समय तक ठीक नहीं रह सकते है। 'ताड़पत्रों' की अपेक्षा भोजपत्र पतले होते हैं। इनको सावधानी पूर्वक नहीं रखा तो यह टूटने लगते हैं। वहुत ही नाजुक हुआ करते हैं।

भोजपत्र का प्रयोग ज्योतिषी विद्वान पहले ग्रन्थों के लेखनार्थ अधिक से किया करते थे।भोजपत्रों को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए इन पर तेल लगाया जाता था। उससे इनकी आयु अधिक बढ़ती थी।

अगरूपत्र

वृक्ष के तने की आन्तरिक छाल को अगरूपत्र कहा जाता है। अगरूपत्र का एक वृक्ष होता है उसकी छाल को हम अगरूपत्र कहते हैं।यह वृक्ष सुगन्धित रहता है।इसका प्रयोग लोग अगरबत्ती,सुगन्धित विलेपन बनाने के लिए किया करते हैं।

अगरूपत्रों पर लेखन के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है।ताड़पत्र की तरह मोड़े होते हैं, कम टिकाऊ हुआ करते हैं।सूखने पर शीघ्र दरार पडने लगती है।तो भी पुराने समय में इसका उपयोग हुआ करता था।ये दो प्रकार केहुआ करते है–(1) काले (2) सफेद। इन दोनों प्रकारों से बनी पाण्डुलिपियाँ में उपलब्ध होती हैं।

काष्ठफलक / काष्ठपट्टिका

लकड़ी के तख्तीपर लेखन करना काष्ठफलक है। काष्ठ पट्टियों पर प्राचीन राजाओं का इतिहास, शास्त्रों का वर्णन लिखा जाता था।लकड़ी फलक को ही बोर्ड कहते हैं।लकड़ी के फलक पर महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का, बातों का, नामों का लिखान हुआ करता था।लकड़ी पर लिखा गया अक्षर बहुत समय तक टिका रहता है, इसलिये इसका उपयोग किया जाता है।

चर्मपट

चमड़े के ऊपर लिखान को चर्मपट कहा जाता है। पहले चर्मपट पर चित्र किया जाता था जिससे चित्र सुन्दर दिख सके।चर्मपटों पर लिखा गया अक्षर बहुत समय तक टिका रहता है इसलिये और दीर्घकाल तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। परन्तु चर्म मतलब जानवर की खाल हुई उसपर लिखान वह भी शास्त्रोक्त भाषा का लिखान अशुद्ध माना जाता था इसलिये इसका प्रचलन ज्यादा हुआ नहीं था। भारतीय लेखनकला में इस चर्मपट को साधन सामग्री में अधिक समय आश्रय नहीं मिला।

हस्तलिखित कागज

लेखन क्षेत्र में कागज एक महत्त्वपूर्ण साधन रहा है।कागज का प्राचीन समय से संस्कृति के विकास में अविस्मरणीय योगदान रहा है। सर्वप्रथम कागज बनाने की कला भारत में विकसित हुई,

उसके बाद सभी देशों में इसका विकास होता गया। भारत में हस्तिलिखित पाण्डुलिपियाँ बहुत समय से देखने को मिलती हैं। कागज बनने के लिए वृक्षों की छाल, बास के पेड, चिथडे, रेशम, रूई जाल, आदि का उपयोग किया जाता है इन्हीं से कागज बनता है। आज कल भूसे से भी कागज बनता देखा गया है।[4]

कलम, लेखनी, शलाका, स्याही

प्राचीन काल से लेखन परम्परा में कलम, लेखनी, शलाखा, स्याही आदि का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है।हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के लेखन में सहायक सामग्रीके बिना तो लेखन करना बहुत कठिन हुआ करता था।नरकुल या नरसल से बनी लेखनी को आमतौर पर कलम कहते हैं।कलम के लिए संस्कृत नाम इषिका आता हैं। जिसे हम नरकुल कहते है।नरकुल बांस के टुकड़ों को कलमों की तरह बनाकर लिखने के लिए उपयोग में लाते थे।पहले के समय में मोर के पंखों,का निचला वाला हिस्सा, जो लेखनीं के रूप में काम लिया करते थे, उससे हस्ताक्षर भी सुन्दर सुडोल बनते थे।

समयानुसार दक्षिण भारत में ताड़पत्रों पर अक्षर लेखन हेतु लोहे से बनी नुकीली लेखनी का उपयोग होता था उसे हम शलाका कहते हैं।

सहायक सामग्रीमें विशेष रूप से काली स्याही,और लाल स्याही का प्रयोग होता है। काजल से पहले स्याही बनाई जाती थी। प्राकृतिक संसाधनों से भी जैसे कुछ पुष्पों के रसों से, बादाम के रसों से,नारियल के रसों से, गोदसें, बबूल की छाल से, स्याही बनाई जाती थी। हस्तनिर्मित साधनों पर प्राकृतिक स्याही का प्रयोग किया जाता था।[5] गैरू सिन्दूर से भी तथा हिंगुल द्वारा लाल स्याही बनाई जाती थी। इसका प्रयोग अध्याय की समाप्ति पर किया जाता था, जो कि श्रेणिक चरित्र पाण्डुलिपि में किया गया है। लेखन के प्रशस्ति पर किया जाता था। पन्ने के दाये और बाये दोनों तरफ लाईन खिचने के लिए किया जाता था। कई पाण्डुलिपियों में पीली स्याही का उपयोग किया जाता था।

पाण्डुलिपि के रचना में लेखन सामग्री का अतिआवश्यकता रही है। भारतीय प्राचीन साधन सामग्री में शैलफलक, का कार्य महता से हुआ करता था। पहले के समय में शिलाखण्डों का अत्यधिक महत्त्व हुआ करता था। जो भी कार्य समान के लिए, कार्य व्यवस्था के लिए मुनियों पर, मंदिरों के काम काजों पर, धरोहर शिलाखण्डो का उपयोग किया जाता था।

शिलाखण्डों के बाद मृदा अभिलेख का उपयोग होने लगा। मृदा अभिलेखों के बाद शिलाफलकों का अधिक प्रचलन चला। शिलाफलकों बनाने बनाने स्तम्भ लेखन होने लगा जिससे लोग अपनी पहचान करवाने के लिए किया करते थे। स्तम्भलेखों का उपयोग ज्यादातर राजा महाराजों ने अपने राज्यकाल का समय बचाने के लिए किया। इसी कोटी में राजा श्रेणिक ने भी स्तम्भों का निर्माण करवा के उनको अपने राज्य में जगह जगह लगवाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय पुराविधि मंजूषा, लेखक डॉ उत्तम सिंह श्री कैलाशसागर सुरी प्रकाशन श्रीज्ञान मंदिर कोबा गांधीनगर गुजरात सन 2020 प्रथम संस्करण– पृ. 1 से 223
2. भारतीय प्राचीन लिपि माला,लेखक गौरीशंकर हिराचंद ओमा प्रकाशन राजपूतनाना अजमेर राजस्थान ई सन् 1975 प्रथम संस्करण –पृ. 14–17
3. नागरी लिपि और हिन्दी वर्तनी,लेखक डॉ अनंत चौधरी दिल्ली प्रकाशन विश्वविद्यालय,दिल्ली सन् 1992 प्रथम संस्करण पृ. 19
4. भारतीय प्राचीन लिपि एवं अभिलेख, डॉ गोपाल यादव, प्रकाशन कला प्रकाशन, वाराणसी उत्तरप्रदेश सन् 2010 प्रथम संस्करण पृ. 10 से 17
5. हस्त प्रति विज्ञान, लेखक बालकृष्ण मिश्रा, प्रकाशन विद्या विहार प्रकाशन दिल्ली सन् 1997 प्रथम संस्करण पृ. 7 से 14

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6
Paper Recieved : 10th Dec. 2024 Paper Accepted : 20th Dec. 2024

Human Resource Development and National Development PlanforAcademic Libraries

❒ Dr. Pramod Yadav*

ABSTRACT

Today's organization consists of three types of resources, physical, financial and human. Human resource is the most important asset in the organization because all other natural resources can be better utilized by motivated human resources only. Efficiency and effectiveness of university libraries largely depends upon the proficiency and competence of its human resources. Well-motivated persons with good academic record and professional qualifications, innovation capability and managerial ability will contribute towards success of the library. Human Resource Development (HRD) is the need of the hour in any university library that wants to be dynamic and growth oriented or to succeed in a fast-changing environment. Libraries can become dynamic and grow only through the efforts and competencies of their human resources. Personnel policies can keep the morale and motivation of the people high, but these efforts are not enough to make the organization dynamic and take it in new directions. Employee capabilities must continuously be acquired, sharpened and used. University libraries in our country therefore should reorient their personnel policies with HRD as their guiding philosophy. This paper will highlight the need of human resource development in libraries and the initiatives that can be inculcated to continuously bring awareness and up gradations in library staff.

Keywords–

Introduction

Human Resource Development is needed by any organization that wants to be dynamic or want to succeed in a fast-changing environment. This paper will try to elicit the significance of library in human resource development in university libraries. Many organizations consider their human resource as human capital as human resource is to develop the balancing act in the growth of business. We are already undergoing in the information society, which is administered by the modern Information Technology. As a result, several new ideas come into being in the Library and Information services eg. Electronic Library (EL), Digital Library (DL), Virtual Library (VL) and Library without wall etc.

* Associate Professor, Department of Library & Information Science, Kulbhaskar Ashram P G College Prayagraj.

Libraries are only one of a great number of alternatives available to information consumers. They are one of the vendor stalls at the information marketplace. Libraries need to find not only new ways of adding value but also new ways of demonstrating it to their communities.

R. Jayagopal in his book Human Resource Development: Conceptual Analysis and Strategies defined –

(1) "Human Resource Development as a process of measurement and reporting of the need value ofpeople as organizational resource. It involves accounting for investment in people and their replacement cost, in addition to accounting for the economic value to an organization".

(2) "Human Resource Development is a set of structured and integrated social programs whose scope and thrust are so define as to put in into one of the following relations with other developmental strategies–(1) As an Adjustment (2) As a Complementary and (3) As an Alternative Strategy."

It is recognized be one and all that the human capital plays a vital and dynamic role in all sectors of societal development. The development of all other resources depends on the efficiency of human resources Human Resource Development motivations the professionals and employees and creates a favorable psychological climate and environment. It also helps in the long run to reduce the costs of production in various industries and institutions. HRD inculcates team spirit and reduces tensions between individual and professional groups in society and strikes in organizations. HRD reveals the educational or training needs of the workforce with the result, training and development programs become more effective. HRD brings out the best talent of employees, which contributes to the socio-economic and cultural growth and development of the country. HRD develops intelligent and committed leadership on different professional workforce. HRD enables employees and professionals to up data themselves and their knowledge.

Objectives

(1) To know the concept if new digital era and HRD in library.

(2) Need of new digital era of HRD in library management.

(3) To propose the plan of new digital era for HRD in university libraries.

(4) To propose orientation and training programme for university library staff.

Human resource development in Libraries

Libraries are going to be able to meet the new challenge of change only if working personnel keep their professional "implements" honed to maximum working capability. Library personnel, however, can best accomplish this if library management makes it as desirable as possible for them to do so. I feel therefore that a strong and coordinated program of continuing education and professional growth is in our best interests, both individually and collectively, and that it is incumbent upon the library administration to do all it can to foster one.

Other reasons often used to justify staff development efforts include:

- increased job competence
- improved interpersonal competencies
- improved understanding and methods of conflict resolution between and within groups to reduce tension
- development of more effective team management
- attitude and value change to encourage creativity and innovation in problem-solving
- creation of an open organic system as the base of operation.

HRD in University Libraries

The human resource development in libraries would require a systematic approach is four steps which are as following:

First of all, need analysis is essential to identify the specific job performance skill needed, to analyze the skills and needs of the prospective trainee and to develop specific measurable knowledge and performance objectives.

The Second step is designing of training programme, development of course contents and practical, teaching techniques etc.

Thirdstep would be implementation of the training programme by presenting to the target group.

Further step relates to evaluation and follow up step in which the institute and users assesses the programmes successes or failures.

It is very much essential to know well its goals have been met and whether it is the best method for reaching the goals. A systematic training can produce remarkable changes in libraries organizations. Here the major issues before various libraries training establishment are overlapping of programmes need based training materials. Besides these, there is need to conduct research on emerging areas of libraries development in library sector.

libraries and national development plans

Increased access to information and knowledge, underpinned by universal literacy, is an essential pillar of sustainable development as evidenced by target 16.10 of the Sustainable Development Goals: 16.10: "Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreement." Access to information is cross-cutting, and can help support all of the SDGs. IFLA believes that increasing access to information and knowledge across society, assisted by the availability of information and communications technologies (ICTs), supports sustainable development and improves people's lives. The Lyon Declaration on Access to International Federation of Library Associations and Institutions 2 Version: January 2015 Information and Development shows that libraries, information intermediaries, and development organizations are united behind the inclusion of access to information in the post-2015 development framework. Over 500 organizations have signed the declaration. Libraries strongly support broader development targets on access to information. Libraries are the institutions in society that assist people to exercise their right to information, and safeguard and provide access to cultural heritage. The growth of libraries in an evolving information and cultural environment is essential, as key stakeholders providing access to information, education and research and social participation.

Human resources are particularly crucial for this effort. There is a direct connection between the quality of human resources and the structural evolution of countries. A technical and modern curriculum is important for LIS. This kind of education should be supported by higher education and programming administration. Curricular should include skills related to designing, consulting, and improving information systems. Librarians should be qualified to make decisions on operational, executive, and technological topics, and on organizing and managing libraries and archives.

Librarians should participate in the following activities–

· Hierarchical: higher level informational management, responsibility for organizing information

- Research in LIS topics
- Technical: Execution of system operations (application)

Having the skills to participate in these activities will help librarians contribute to national developmentProfessional, scholarly, and scientific institutions and agencies are a key factor in development. Library organizations can serve as operational arms in development. They can adopt the goals and polices that will facilitate national development and advancement.

Suggestions for LIS education

To play this role in development, librarians must receive the appropriate professional education. Changes to the structure of higher education should be in harmony with the ideals of national development and rapid social change.

Librarians and library associations should consider the following suggestions for LIS education–

- Training in critical thinking, applying

creativity in problem solving, logical reasoning, and analyzing scientific information

- Increasing the extent of studying and research
- Fostering skills in self-study as well as group study
- Extending the boundary of intellectuality and reasoning beyond mere recitation
- Training in effective interview
- Accepting social duties in a positive and responsible manner
- Thinking globally and act locally
- Respecting other notions and ideas (Sariolghalam,2001)

These skills are also a necessary part of LIS education–

- Knowledge of evaluation and assessment
- Knowledge of designing and programming systems, cost processing, profit and cost analysis strategies, the ability to analyze theories in LIS and related fields (Fattahi, 2006)
- Knowledge of the relationship between national information systems and communication structures, and national and international guidelines in the information field.
- Skill in information technology
- Communication skills, including meetings, personnel supervision interdisciplinary research, writing, audiovisual techniques, training for system users

Recommendations for Library development

The major concern of each agency responsible for library development at the state level is to strengthen the quality of library service. As such, continuing education becomes a major function of the state library agency. The need for continuing education for librarians is paramount today because of the increasing needs and demands of society for improved service, the need to make fuller use of the human resources recruited to the profession, and the development and planning for information networks now made possible by new info national technology.

State agencies will not fully meet their responsibility until they–

(1) Assign individual staff member(s) major responsibility for developing human resources in the libraries of that state, including conducting and reporting periodically on staff development and continuing education activities in the state

(2) Initiate, promote and implement continuing education opportunities directly or support efforts of others doing so-opportunities and programs which reflect the needs of library personnel in the area and make use of a variety of educational methods and resources, including the use of newer educational technology which is able to make those opportunities more conveniently available to all librarians in the state, at the time, place, and pace convenient to them

(3) Adopt policies and operational procedures that will enable key agency personnel to join with other agencies, associations and institutions as well as libraries in thinking through broad problems and issues and developing long-range plans in advance of crises to solve these problems

(4) Provide a clearinghouse function for program ideas, leaders, and facilities which can be used in planning, implementing and evaluating continuing education opportunities, including staff development efforts

(5) Evidence concerns and commitment for the continued growth and development of their own staff, both at the state library and in the field. Without the active support of the federal government, personnel development and continuing education programs developed at local, state, and area levels, no matter how well conceived, will have little chance for successful impact.

Conclusion

A national skills development strategy is critical to ensure that skills development is taken seriously in organizations within a country and that enough funding is allocated to address the national skills shortages as well as other important skills. A structured annual training plan, based on institutional and departmental strategic objectives, is imperative for successful implementation, together with good collaboration and partnerships. It is important to ensure that the needs of users are regularly assessed and that staff has the necessary skills to assist with and enhance the user experience

References

1. Mia, Md. Salim. (2019, November). University Libraries as facilitators of academic development: A case study of Noakhali Science and Technology University Library, Bangladesh. International Journal of Library and Information Science, 11 (5), 66-74.
2. Gamit, Rajeshkuma M. (2018, April). Role of Academic libraries in the Human Resource Development and Information and Communication Technological Environment: An Overview.International Journal of Allied Practice, Research and Review, V(IV), 57-69.
3. Deepa, B. (2017). The factors of competency development among the working library professionals of the university libraries of North East India challenges and realities. Retrieved from: http://hdl.handle.net/10603/207716
4. Parmar, seema&Pateria Rajiv. (2017).Role of Libraries in Higher Education System in India in 21 Century. Library Philosophy and Practice, 1-15.
5. Ramadevi, V. (2017). An Assesment of Human Resource Management in the Academic Libraries on the case of Amhara Region, Ethiopia. International Journal of Scientific and Research Publications, 7 (4), 32-36.
6. http://ijaprr.com/download/issue/Volume_II/Issue_X_Chaudhary.pdf
7. http://ir.inflibnet.ac.in/bitstream/1944/1217/1/179-184.pdf
8. The College Library manual: A guide for LIS professionals.(2017). Department of Collegiate Education.74-75.
9. Rajan, T. N.(2017). unit 4 library staff: roles and responsibilities – eGyanKosh. Retrieved from http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/34900/1/Unit-4.pdf
10. https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/35891/5/BLIE-226-B4.pdf

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 10th Dec. 2024

Paper Accepted : 20th Dec. 2024

Sustainable development goals into the Integrating architecture curriculum: Experiences and perspectives

❑ Smt. Nisha Pandey*

ABSTRACT

The Sustainable Development Goals play a crucial role in architectural education, as buildings contribute 39% of global energy-related carbon emissions and 40% of extracted materials is used in construction. This research investigates the current status of Sustainable Development Goals integration in architecture education, its challenges, and potential future advancements. A qualitative survey was conducted among architecture educators from 22 institutions across nine countries, focusing on four key aspects: (i) general knowledge and understanding of the Sustainable Development Goals ; (ii) qualification and experience regarding the Sustainable Development Goals; (iii) integration of the Sustainable Development Goals in architecture education; and (iv) implementation of the SDGs in architectural practises. The findings revealed that most educators did not receive formal education focused on the Sustainable Development Goals, relying on self-exposure and self-learning. Sustainable Development Goal 11 was the most adopted, focusing on improving slum areas, providing safe housing, and promoting sustainable urban settlements while preserving cultural heritage.

Keywords–*Sustainable, Development, Goals,,Architecture pedagogy, Architecture curriculum Academia, Architecture education, Sustainability etc.*

Introduction

Sustainability, introduced in 1987, emphasizes meeting present needs without compromising future generations' ability to meet their own needs[1]. The term 'sustainable architecture' emerged a little earlier in the 1970s and gained significant popularity during the 1990s, which is attributed to the construction of the headquarters of the United Nations in New York, USA[2]. Sustainable architecture is about con structing a healthy built environment with ecological and resourceefficiency principles[3]. Aligned with similar goals, the United Na tions formulated 17 Sustainable Development Goals (SDGs), whole heartedly embraced by 193 countries, whereas SDG 11 focuses directly on Sustainable Cities and Communities[4]. According to several scholars, sustainable architecture aligns directly with several SDGs, such as Goals[5]. Despite the long-standing concept of sustainable architecture, 40% of global extracted materials are used in construction[6]. Buildings still account

* Principal, Govt. Polytechnic College Rewa (M.P.)

for a significant 39% of global energy-related carbon emissions, with 28% influenced by building envelope quality and design[7]. These indicators reveal that contemporary social development patterns lead to environmentally unsustainable cities[9]. Nevertheless, architecture plays a crucial role in approaching environmental concerns holistically. Therefore, architects bear the responsibility of envisioning and designing cities that improve the overall quality of life, sustainability, social equity, health, and resilience of communities[10]. The Royal Institute of British Architects (RIBA) emphasizes that architects hold a unique position due to their ability to address the majority of the SDG goals[11]. Thus, the need for incorporating sustainable architecture education is currently a global call to enable current students and future architects to practice architecture more sustainably[12]. The role of education in society is a topic of debate, with some viewing it as a transformational mechanism[13], while others see it as a reflection of society[14]. Universities encourage interdisciplinary ed ucation to enable students to make informed decisions and advocacy[15]. In the context of architecture education, the United Nations announced the "Decade of Education for Sustainable Development" which emphasised the crucial role of educators in transforming societies to be more sustainable[16] and reinforcing the significance of archi tecture education to enable future architects for making well-informed decisions for future generations and overall planet sustainability. Many architecture schools have integrated sustainable architecture into their curricula and design studios[17]. To comprehensively embed sustainable development in architectural education, the curric ulum must emphasize environmental, social, and economic sustain ability approaches, preparing students to contribute positively to their communities[18]. This educational approach teaches students to design buildings that interact with their surroundings, respect the nat ural environment, and cater to various intellectual, cultural, and social needs[19] . Hence, considering the diverse dimensions of sustainability targeted by the SDGs, integrating them into architectural pedagogy is crucial[20]. Incorporating SDGs into architecture education allows for assessing the sustainability of cities and creating healthier environ ments, communities, and societies. In this context, architects would be perceived as "ambassadors" of the SDGs and be responsible for translating their impacts to communities through everyday practices[10]. Several recent studies have investigated the incorporation of sus tainability concepts into architecture education and design studios. However, limited research focuses on the extent to which SDGs are in tegrated into architecture curricula worldwide. Akgun et al.[21] ana lysed the architecture guide to the SDGs by UIA in order to provide different approaches to incorporate the SDGs in the architectural studio courses. Ramadan and Abowardah[22] proposed an efficient frame work to integrate sustainability pedagogics within the architectural design studio.

They have collected the students' perspectives on this approach and assessed their sustainability performance among the stu dents' projects. The results of the study revealed that integrating sus tainability concepts at the project's early stages would encourage students to achieve a higher sustainable performance. Erkarslan and Akgün[23] presented an educational approach for integrating SDGs into the architectural studios to increase awareness and achieve SDG targets. By analysing student graduation projects, the results reveal the success of instructors in orienting the students about urban change and the future in a responsible way. Hoskara et al.[23] also proposed a frame work to integrate SDGs within architecture education in Turkey by analysing the current status of architecture schools in dealing with SDGs within their curricula and systems. Results demonstrated an overall lack of understanding of SDGs and the architecture's potential to realise SDGs. El-Kholei and Yassein investigated the architectural stu dents' awareness and knowledge of sustainability. The findings high lighted that

students are not fully aware that influencing their practices, which requires a reforming of architectural education to achieve the SDGs. This reformation would require qualified instructors and facilities to deliver knowledge and prepare students for the labour markets. Although SDGs are considered recently in the literature, since they were introduced in 2015, they have attracted significant interest from various research disciplines. Many studies have been conducted about the learning outcome of students with knowledge about SDGs. However, there is not enough data to indicate how prepared the educators are to integrate SDGs into architecture curricula since archi tects and educators who graduated before then might not have received formal SDG-based education during their architecture studies.

Therefore, understanding the role of SDGs in architectural education is vital for equipping architects to tackle sustainability challenges effec tively. This research aims to address this gap by exploring the perspec tives and experiences of architecture educators globally on integrating SDGs into the curriculum. Through implementing qualitative survey approaches, the research delves into the current status of SDG integra tion in architecture education, its challenges, and the potential for future advancements. The study focuses on examining the qualifications and competencies of current architecture educational systems for extending SDG integration into current curricula. The findings aim to support ar chitecture educators and institutions in preparing SDG-aware architects and enhancing sustainable design education for the well-being of future generations and the environment. The rest of the article proceeds by discussing the research method ology and data collection approach. In Section 3, the research findings are classified into (i) general knowledge and understanding of the SDGs; (ii) qualification and experience regarding SDGs; (iii) integration of SDGs in architecture education; and (iv) implementations of SDGs in architectural practices. Afterwards, Section 4 discusses how architecture relates to all SDGs and the necessity to emphasize them in architectural curricula through recommendations provided in Section

Methodology

Aligned with research objectives, a questionnaire survey was developed by the researchers to investigate the status quo of integrating SDGs into architecture education, explore the implementation of SDGs into architecture curricula, and identify enhancement potential. An online questionnaire conducted between May 2023 and June 2023 was distributed by electronic mail to 55 diverse worldwide architecture educators with/without field experience. The response rate was mod erate (60 %), where 33 educators completed the whole questionnaire. Some questions have been applied closed-ended and open-ended methods, where the participants had to choose among fixed answers to provide a uniform basis for comparison of responses. The authors used data analysis methods to analyse responses. The main aim of the ques tionnaire was to investigate the level of awareness and preparations for the UN's 2030 agenda for SDGs SDGs by collecting information among four key aspects:

(i) General knowledge and understanding of the SDGs, which ex amines the participants' comprehen-sion of SDGs.

(ii) Qualification and experience regarding SDGs, which examines the exposure of educators to SDGs during their architecture studies.

(iii) Integration of SDGs in architecture education, which focuses on the current incorporation of SDGs into architecture curricula and oppor-tunities for further enhancements.

(iv) Implementations of SDGs in architectural practices, which dis cusses the practical application of SDGs within architectural practices. The questionnaire consisted of three parts, as illustrated.

The first part collected demographic information regarding the gender, age, profession and qualification of educators. In the second part, par ticipants were asked to indicate their level of exposure and qualification to SDGs. Finally, participants needed to demonstrate their experiences of SDG integration in architecture education and practices. Demographic analysis Understanding the demographic information of respondents is crucial for contextualizing their knowledge and experiences around the SDGs. A total of 33 experts have participated in the survey, with almost gender-balanced engagement, and diverse age groups,

Notably, 56% were aged between 30 and 45, while 16% fell into the 25–30 and 45–50 age brackets. An additional 8% were over 50. Survey participants originated from 22 different architectural in stitutions across nine countries, including Pakistan (21), Egypt (6), the USA (2), Austria (1), the UK (1), Brazil (1), South Africa (1), Switzerland (1), and Australia (1). More than a third are academic professors, while others are lecturers and instructors. While most participants hold a master's or PhD degree, two respondents did not specify their level of education. More than three-quarters (82%) are active educators and academic members. Others are retired faculty or have previous educational experiences.

Examining participant age groups, it's evident that a significant majority exceed the age of 30. Consequently, many are likely to have considerable work experience or advanced education beyond a basic bachelor's degree. Data indicates that nearly 58% of participants hold master's degrees, 21% have PhDs, and only 15% have a bachelor's degree. The participant breakdown also reveals that 39% are professors, 52 %are lecturers and only 9% work as teaching assistants,.

Some higher education teaching criteria, such as in Pakistan and Egypt, mandate lecturers to hold at least a master's degree in their respective disciplines. This indicates a predominantly wellqualified teaching staff for architecture education. Along with understanding participant ages, assessing their knowl edge of the SDGs is also vital. Considering that the SDGs were introduced in 2015, participants who graduated before then might not have received formal SDG-based education during their architecture studies[27]. However, those who pursued higher degrees after 2015 may have been exposed to the SDGs. The majority of participants indicated varied levels of awareness about the SDGs. 49% reported learning about the SDGs around 2015. Only 9% mentioned encountering the SDGs for the first time, while others became aware more recently. Fig. 5 illustrates the understanding levels of participants of the SDGs. Approximately 30% feel extensively informed, 45% consider themselves well-informed, and 15% feel moderately informed. Meanwhile, 6% lack a sense of SDG awareness, with the remainder perceiving limited awareness. These findings reveal that although most participants lacked direct formal SDG education, around 72.5% indicated self-informed aware ness other than formal education. The survey doesn't point to a specific age group lacking awareness of the SDGs. Since learning about the SDGs was not obligatory, It's apparent that 6% of participants chose not to pursue self-learning about the SDGs. This observation suggests that the global efforts to promote the SDGs might not have been entirely effective in reaching all segments.

Qualification and experience regarding SDGs Fig. 6 offers valuable insights into the exposure of participants to SDGs during their architecture studies, both directly and indirectly. The figure highlights that at least one participant below the age of 30 did not encounter SDGs either directly or indirectly during their education. This raises the possibility that integrating SDGs or sustainable architecture education may still be reluctant at some institutions. About two-thirds of participants have either direct or indirect knowledge of SDGs or sustainable development within the field of architecture, where one-third reported having direct exposure to SDGs during their formal

education, while an additional one-third asserted indirect expo sure. Notably, only 18% were directly instructed on SDGs within ar chitecture and design studios. As a significant portion of teaching staff lacks direct formal educa tion about the SDGs, it's unsurprising that participants hold varying opinions on the significance of each SDG. These findings raise concerns. members or do not teach architecture-related courses. Others (82%) are active academic members. Participants were questioned about their teaching experience. The survey indicated that 88% of participants have teaching experience. Among those participants, all have teaching experience in architecture bachelor's courses.

Furthermore, 33% have instructed postgraduate students, and 9% have even engaged with doctoral students. Regarding educational subjects within architecture institutions, 64% are engaged in teaching architecture or design studios. Another 18 % teach subjects linked to the architecture curriculum, such as materials, urban planning, drawing, and structure. Otherwise, 18% indicated that this doesn't apply to them, which may be due to current engagement in fieldwork or retirement from academia. Participants were further asked about the level of SDG incorporation in their teaching practices. The survey revealed that 9% integrate SDGs to a very great extent, 21% to a great extent, 42% to a moderate extent, 21% to a small extent, and the remaining do not integrate SDGs in their teaching practices. Around 93% of participants are engaging with the SDGs in varying capacities. Within this context, participants were then requested to identify the key SDGs addressed in their courses, which indicates the number of participants incorporating SDGs into their teaching.

Besides, 36% firmly encourage students to participate in communitybased, social, or environmental activities. As SDGs are planned to enable every individual to contribute towards a sustainable environ ment, participants teach SDGs across a range of architecture subjects, including materials, structure, urban design, and sustainable building design-related courses. The SDGs, known as Agenda 2030, are targeted for accomplishment by 2030. This framework is designed to engage the current generation in contributing to the preservation of our planet. Therefore, understanding the participants' perceptions of the integration of SDGs in education is critical. Approximately 75% of participants anticipate an increasing emphasis on teaching SDGs until 2030, with no participants expecting a decrease in focus over time. Regarding educational institutions' efforts to integrate SDGs, par ticipants were asked whether SDGs were directly mentioned in their architectural design studio courses. 39% indicated that their institutions do not directly incorporate SDGs into the architecture curriculum, while 61% affirmed that SDGs are formally included. This observation aligns with participants' responses to whether they were exposed to SDGs during their architectural studies, of which only 24% affirmed direct exposure within educational institutions. The findings lead to the conclusion that architecture educators in institutions face challenges beyond their formal preparation. Most participants indicate that SDGs are not taught as an indepen dent subject at their institutions, suggesting that the UN's 2030 agenda for SDGs is still out of reach for many. This lack of independent subject teaching indicates that institutions are not generally committed to incorporating SDGs, which reflects a certain level of ignorance of the urgent global concern of climate change. It provides a detailed insight into the integration approach of SDGs into architecture curricula among institutions. It reveals that approximately 18% of participants find that their institutions comprehensively cover this topic, 39% mention the topic sufficiently covered, 24% believe it's not adequately covered as they expected, and 4 participants note poor coverage. One participant believes the topic is entirely missing, while another is unsure about the current situation at their institution. These observations indicate that

although SDGs aren't yet taught as an independent subject in most institutions, around 58% of participants perceive that they are being incorporated at a satisfactory level. Most of the participants say that SDGs are not taught as an independent subject at their institutions, as shown in Fig. 12. Participants further discussed the extent of emphasis on SDGs within the architecture curriculum. Around 54% believe there is sufficient emphasis on SDG-related matters in architecture courses at their in stitutions.

The survey demonstrates that most of the participants believe SDGs are crucial for practising architecture, although 48% of participants do not integrate SDGs into their practices to a satisfactory level, as shown in Fig. 13. Overall, 84 % of participants believe the SDGs are critical, while 15% are unsure or believe the SDGs are less significant in the context of architectural practice. The survey findings suggest that most participants haven't fully embraced SDGs in their architectural practice, indicating that SDGs are not the primary objective in the field. However, most participants acknowledge the importance of SDGs in architecture practice.

Discussion

In this study, some notable indicators have been revealed regarding the current status of SDG integration in architecture education. Most architecture educators did not receive formal education specifically focused on the SDGs. However, an increase in the integration of SDGs into architectural education in the future is highly anticipated. Most participants relied on self-exposure and self-learning to enhance their understanding and knowledge of the SDGs, which led to variations in their perceptions of the importance of each SDG goal within the context of architectural education. Consequently, there is a lack of un derstanding among participants regarding the significance of the UN's 2030 agenda and the correlations between the SDGs and the architec ture and design fields. The educational sector has a vital role in addressing this issue of incorporating SDGs in its architectural institutions and schools.

Institutions should formally educate their staff and ensure that every SDG goal is given equal priority while integrating SDGs into the cur riculum, as the SDGs are interconnected and progress in one goal often relies on advancements in others. Besides, courses need to be devised to educate both faculty and students about the SDGs, which will ensure a widespread and comprehensive understanding of the SDGs among ar chitecture educators. The study highlighted that SDG, which focuses on improving slum areas, providing safe and affordable housing, and promoting sustainable urban settlements while preserving cultural heritage, was the most familiar SDG among the survey participants. Although SDGs are not equally incorporated into different architecture courses, architectural design studios have significant potential to cover all the SDGs.

However, architecture educators do not firmly agree on the importance of teaching all SDGs, which may be due to lack of awareness of the potential of the architecture industry to contribute to sustainable development. SDG 11 is not the only indicator related to the architecture of cities and urban settlements, but it's linked to the other SDGs. Therefore, it is crucial to highlight these interconnected relationships and shed light on how ar chitecture and urban planning can contribute to and be impacted by the various SDGs; SDG 1 aims to "End poverty in all its forms everywhere", where ar chitecture can lessen the impact of poverty on individuals and communities by designing and providing sustainable and affordable housing solutions. Architectural interventions can also develop educational and training environments that empower people with skills and opportunities to overcome poverty. SDG 2 aims to "End hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture". As the availability of fertile agricultural lands decreases with the increase in urban den sity, initiatives, such as utilising rooftops for food production

(aquaponics), can alleviate the burden on agricultural land and ensure more efficient use of resources. Additionally,

- SDG 3 calls for "ensuring healthy lives and promoting well-being for all at all ages". The built environment plays a significant role in improving health outcomes and enhancing the quality of life for all individuals by enhancing and creating spaces with high indoor environmental quality, including air quality, acoustic conditions, and thermal and visual conditions. Along with promoting physical activity and encouraging social interaction.
- SDG 4 is about ensuring an equitable quality of education. In this respect, architecture has a critical role in providing more comfort able and cost-effective educational buildings to maximise learning outcomes.
- To achieve gender equality and empowerment of women (SDG 5), architecture can play a vital role in improving women's living con ditions and socialisation opportunities [37]. For instance, incorpo rating safe and inclusive spaces to provide support and resources for women experiencing domestic violence or seeking empowerment. In addition, prioritise accessibility to public spaces and amenities and promote their participation in social, economic, and political activities.
- SDG 6 (clean water and sanitation) can be related to architecture through the design of buildings and urban infrastructure that incorporate innovative water conservation and efficient wastewater treatment technologies, which reduce the strain on existing water resources and ensure sustainable access to clean water for future generations.
- SDG 7 (affordable, reliable, and sustainable energy); Buildings are responsible for around 40% of global energy consumption as well as being potential energy producers. Architects and urban planners play a crucial role in designing energy-efficient buildings by inte grating sustainable design principles and renewable energy tech nologies, such as passive solar techniques and efficient insulation, to minimise energy consumption and maximise renewable energy generation, contributing to a more sustainable and resilient energy future.
- SDG 8 (decent work and economic growth); Architectural design plays a crucial role in creating a conducive and efficient work envi ronment, which in turn promotes productivity and job satisfaction. Additionally, incorporating sustainable design principles into the planning and development of buildings can contribute to long-term economic growth by reducing energy consumption and operating costs.
- SDG 9 (industry, innovation, and infrastructure); Smart architectural solutions are a prime example of how industry, innovation, and infrastructure intersect with architecture by integrating advanced technologies to optimise energy efficiency, enhance occupant com fort, and improve overall building performance, which not only ensure the needs of their occupants and businesses but also pave the way for sustainable and future-proof urban development.
- SDG 10 (reduce inequality); Architecture has a key role in promoting inclusivity and addressing inequalities within communities and so cieties. Architects can advocate for policies and regulations that prioritise affordable housing, public spaces, and

infrastructure in underserved areas, further addressing societal disparities.

- SDG 11 is about sustainable cities and communities. Architecture contributes to developing communities and cities that are safe, resilient, sustainable, and robust. Architects are accountable for providing an affordable and healthy built environment and infra structure, aiming to minimize the carbon footprint of buildings and promote renewable energy sources. Buildings and communities must be designed to increase their resiliency in the face of climate change and incorporate green spaces to mitigate the loss of vegetation and biodiversity resulting from urbanization.
- SDG 12 is responsible for consumption and production. The building industry consumes significant resources and results in waste over the whole building life cycle, from construction and operation to de molition. Efforts to minimize waste and promote recycling in the construction industry are crucial for driving positive change to wards a more sustainable future and achieving SDG 12. Imple menting sustainable construction practices, such as using recycled materials and adopting circular economy principles, can signifi cantly reduce the environmental impact of building activities.
- SDG 13 is about responding to climate change. Architecture signifi cantly contributes to climate action. The built environment generates 40% of annual global CO_2 emissions. Implementing sustainable design and construction practices, including reducing energy de mand, using energy-efficient materials, and incorporating renewable energy sources, contributes to significant reductions in greenhouse gas emissions and mitigating climate change impacts.
- SDG 14 is about conserving marine life and resources. Construction and demolition waste may end up in water and oceans, leading to polluting marine life and having negative impacts on aquatic biodi versity. Architects have a key role in conserving marine resources for sustainable development. Implementing sustainable design practices and proper waste management systems is crucial to minimising waste, promoting the use of eco-friendly materials, and mitigating the negative impact on marine ecosystems caused by construction and demolition activities.
- SDG 15 is about biodiversity loss, deforestation, and degradation. Architects should consider the impact of the built environment on the surrounding environment and ecosystem, such as conserving onsite trees and vegetation. These efforts not only support preserving biodiversity but also contribute to mitigating climate change by reducing carbon emissions and promoting a sustainable and harmonious interaction between the built environment and nature.
- SDG 16 is about peace, justice, and inclusive institutions. Architec ture has a role in promoting justice and equality in communities. Governmental and public buildings Buildings such as parliaments, courthouses, and public libraries should be designed to facilitate and preach peace and justice in societies. By incorporating elements of transparency, accessibility, and inclusivity in their design, these buildings can serve as symbols of democratic values and promote public

trust in the justice system.

- SDG 17 aims to "Strengthen the means of implementation and revi talize the Global Partnership for Sustainable Development". Archi tects have an active role in cooperation and coordination between different disciplines, stakeholders, and authorities for developing an energy-efficient and sustainable built environment. Furthermore, collaborating and engaging with communities, particularly in developing countries, contributes to raising awareness about the importance of sustainable development and encourages local participation in achieving the SDGs. This collaborative approach is essential for ensuring the financing and technologies needed to accelerate SDG implementation.

Overall, while there is a growing awareness of SDGs among archi tectural educators, there is still much work to be done to ensure that all educators are well-informed and that SDGs are fully integrated into architectural education. The research findings aim to improve the curricula by including the concept of sustainability in the curricula through an interdisciplinary approach, partnerships with institutions and communities, scientific research, practice, improving teachers' competence levels, and enhancing the course accreditation process. This is crucial to maximising the potential of the architecture industry to advance sustainable development goals on a global scale. However, several limitations have been experienced. The study captures the opinions of academic staff but does not include student perspectives. The research does not focus on the adaptation approaches of the SDGs in architectural education or propose specific curriculum modules. Instead, it offers detailed insights into how SDGs should be taught in architecture schools, the training required for academic members, and the importance of educating architecture students about SDGs to influence their future practices positively.

Conclusion and recommendation

This research investigated the current status of SDG integration in architecture education, its challenges, and potential future advance ments through a qualitative survey conducted among educators from different countries. The survey aimed to investigate to which extent are institutions and educators qualified to integrate SDGs into their archi tecture curricula by focusing on four key aspects:

(i) general knowledge and understanding of the SDGs;
(ii) qualification and experience regarding the SDGs;
(iii) integration of the SDGs in architecture edu cation; and
(iv) implementation of the SDGs in architectural practises.

The integration of SDGs into architectural curricula lacks a pre scribed global framework. The UN did not explicitly mandate the incorporation of SDGs into education across disciplines, leaving in stitutions and educators with varying levels of discretion. Consequently, there is a wide range of arguments on how SDGs should be integrated into the architecture curriculum, whether they should be addressed directly or indirectly, and whether the emphasis should be on all SDGs or individuals, particularly SDG 11. Given this complexity, a comprehen sive restructuring of architecture curricula is crucial to align with cur rent needs and concerns. The following strategies can facilitate the seamless integration of the SDGs into architecture curricula:

- The integration of SDGs should be spanned across multiple academic years, rather than a single subject or year to ensure a comprehensive understanding and application of different sustainable development principles. This allows for the reinforcement of knowledge as stu

dents revisit and build upon their understanding of SDGs throughout their academic journey.

- The incorporation of interdisciplinary courses over different semes ters that explore the combination of architecture and sustainable development can provide students with a holistic understanding of the SDGs and their relevance to architectural practices, ensuring a dynamic and varied exposure to different goals over time.
- The architectural curriculum should integrate all of the SDGs instead of focusing on individual SDGs (e.g. SDG 11). This comprehensive approach will enable students to understand the broader context and connection between different goals, developing a holistic under standing of sustainable development in the field of architecture, which will equip them with a well-rounded knowledge and skillset to address complex challenges.
- The incorporation of at least one SDG-related design project during architectural studies is crucial to enabling students' practical engagement with sustainability challenges, which not only enhances their understanding of sustainable design principles but also equips them with the necessary skills to contribute meaningfully to the achievement of the SDGs in their future careers.
- Collaboration initiatives between universities should include SDGfocused seminars, lectures, and speeches, which would raise aware ness of the crucial elements of sustainable development among both educators and students. Additionally, universities could establish partnerships with local communities and organisations to create practical projects that allow students to actively engage in sustain able development efforts. Since the SDGs are broadly applicable, they should be inherent in architectural subjects, ensuring that students recognize their potential to effect positive change.

To ascertain a comprehensive understanding of SDG recognition in architectural institutions, further studies covering different regions are required. The UN should take a proactive role in promoting the integration of SDGs as fundamental components of architectural educational frameworks. Despite the UN's Agenda 2030, achieving widespread SDG integration may require a long time span—decades rather than years—similar to the development of sus tainable architecture. Otherwise, institutions should consistently strive to enhance their educators' knowledge about recent developments and technologies in architectural education paradigms. While access to quality education remains unequal, well-educated architects should be more responsible for tackling these challenges and issues.

References

1. World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. [online] World Commission on Environment and Development, pp.1–300. Available at: https:// sustainabledevelopment. un.org/content/ documents/5987ou r-common-future.pdf [Accessed 4 Jul. 2023].
2. AA-architects (2022), "What is sustainable architecture?", available at: https:// aaarchitects.org/sustainable-architecture/ #:~:text=The%20term%20%E2%80% 9CSustainable%20Architecture%E2%80%9D% 20has%20been%20around% 20since,the% 20United%2 0Nations%20headquarters%20in% 20New%20York% 20City. (Accessed: October 23, 2022).
3. Kunszt G. Sustainable architecture. Periodica Polytechnica Civil Engineering 2003; 47(1):5–10.
4. Pedersen CS. The UN sustainable development goals (SDGs) are a great gift to business! Procedia Cirp 2018;69:21–4.
5. Boarin P, Martinez-Molina A. Integration of

environmental sustainability considerations within architectural programmes in higher education: A review of teaching and implementation approaches. Journal of Cleaner Production 2022; 342:130989.

6. Ramnani V. (2021). "39% of global carbon emissions generated by buildings, construction", available at: https://www.moneycontrol.com/news/business/real-es tate/39-of-global-carbon-emissions-generated-by-buildings-construction-7707561. html (Accessed: October 26, 2022).
7. World Green Building Council. (2022). Causes of Air Pollution from the Built Environment | World Green Building Council, available at: https://worldgbc.org/ clean-air-buildings/causes , (Accessed 18 October 2022).
8. Bithas KP, Christofakis M. Environmentally sustainable cities. Critical review and operational conditions. Sustain Dev 2006;14(3):177–89.
9. Blowers A, Pain K. The unsustainable city. Unruly Cities? Order/Disorder" 1999: 247–98.
10. Thorne M., and Duran P. (2016)." The role that architecture can play in the development agenda."available at: https://www.devex.com/news/the-role-th at-architecture-can-play-in-the-development-agenda-88124 (Accessed 10 September 2022). [
11. Donovan, E., (2020). "Explaining sustainable architecture", In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 588, No. 3, p. 032086). IOP Publishing.
12. Patterson J, Wyborn C, Westman L, Brisbois MC, Milkoreit M, Jayaram D. The political effects of emergency frames in sustainability. Nat Sustainability 2021;4 (10):841–50. [
13. Simsek H. Transformational leadership in educational context: education scholars' fantasy. Eurasian J Educ Res 2013. in print.
14. Durkheim E. Suicide: A study in sociology. Routledge; 2005.
15. Yeretzian A. (2020). Pedagogical methodologies to achieve SDGs in developing economies.
16. UNESCO. Decade of education for sustainable development: 2005-2014. Draft International Implementation Scheme. 2005.
17. Sonetti G, Brown M, Naboni E. About the Triggering of UN Sustainable Development Goals and Regenerative Sustainability in Higher Education. Sustainability 2019;11(1):254. https://doi.org/10.3390/su11010254.
18. Sonetti G, Lombardi P, Chelleri L. True green and sustainable university campuses? Toward a clusters approach Sustainability 2016;8(1):83.
19. Ramadan MG, Abowardah ES. Incorporating a sustainability approach in Teaching Architectural Design Studio. The International Journal of Design Education 2022; 17(1):37–64.
20. El-Kholei AO, Yassein GA. Embedding sustainability and SDGs in architectural and planning education: reflections from a KAP survey, Egypt. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research 2023.
21. Akgun Y, Erdogdu ¢ Erkarslan O, ¨ Nes¸eliler P. A guide for a guide: using UIA publications for an SDG-focused studio. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural. Research 2023.
22. Erkarslan OE, ¨ Akgün Y. Incorporating United Nations 2030 sustainable future agenda into the architectural studio: a graduation studio case. International Journal of Art and Design Education 2022;41(4):603–20.
23. Hoskara S, Akgun Y, Erkarslan O, Koc O. July. Integration of the UN 2030 Sustainable Development Goals into Architectural Education in Turkey. In: World Congress of Architects. Cham: Springer International Publishing; 2023. p. 815–33.
25. Alcamo J, Thompson J, Alexander A, Antoniades A, Delabre I, Dolley J, et al. Analysing interactions among the sustainable development goals: findings and emerging issues from local and global studies. Sustain Sci 2020;15:1561–72.
26. Walter Leal Filho, Portela, R., Paula Varandas Ferreira, Madalena, M., Berenguer, A., Nadjacleia Vilar Almeida, Fritzen, B., Jo´ acio Morais Júnior, Ciliana Regina Colombo, Walleci Gabeu Lira and Lira, T. (2023). Perceptions of the academic community on the performance of sustainable development initiatives in higher education. doi:https://doi.org/10.1002/sd.2633.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 10th Dec. 2024 Paper Accepted : 20th Dec. 2024

Status of Public Libraries in Prayagraj : A Descriptive Study

❑ Rooshi Srivastava*
❑ Dr. Shesh Mishra**

ABSTRACT

Public libraries are an essential element of the cultural and educational fabric of any community. This study examines the current status of public libraries in Prayagraj (formerly Allahabad), focusing on their infrastructure, accessibility, services, technological adoption, and user engagement. By conducting a descriptive study, this article aims to understand the challenges faced by these libraries and explore opportunities for improvement. The study also investigates the role of government policies in shaping the future of public libraries in the region.

***Key word**–Public Library, Public Library in Prayagraj, public library services, Government polices.*

Introduction

"The Public Library, the local gateway to knowledge, provides a basic condition for lifelong learning, independent decision making and cultural development of the individual and social groups." (IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994). Every activity of a person whether it is health, economic, business, industry or development is regulated by education. These institutions may also be of various types but are constantly changing to contribute to education and knowledge, of which the library is one among them. Library has broad categories of library systems like academic, special, public, national libraries. The concept of the public library is derived from the Vedic ideals that "diffusion of knowledge is the excellence equal to charity." Initially, public libraries were started for the entertainment of people. The public library system has been developed to include a network of public libraries at various levels, which are available free of charge to all, catering to the general and more specific needs of community members. According to Brain Mathew (2012) the library is not a building, a website or a person; it is a platform for scholars, students, cultural enthusiasts and others who want to absorb and advance knowledge. The public library serves the entire population of any community. Everyone in the community, regardless of nationality, caste, colour, age, sex, status, educational attainment, language or any such consideration claims its services as a matter of right. It is usually established and maintained

* Research Scholar, Bansthali Vidyapeeth, Rajastahan
** Assistant University Librarian, Bansthali Vidyapeeth, Rajasthan

from public funds under the law's mandate. However, there are other libraries maintained by private agencies or registered societies, which extend their facilities to the public and, to that extent, qualify to be designated as public libraries. Public libraries do not only promote the habit of reading but also function by:

- Information centre
- Community development centre
- Centre for cultivating good character and conduct
- Centre for promoting employment opportunities

Prayagraj

Prayagraj, formerly known as Allahabad, is a major city in the Indian state of Uttar Pradesh. It holds cultural, historical, and religious significance, making it one of the oldest and most revered cities in India. Here are some highlights about Prayagraj :

The objective of this study is to examine the current status of public libraries in Prayagraj, assessing their infrastructure, services, user satisfaction, and technological adoption. The study also explores how public libraries are perceived by the community, how effectively they serve the public, and what measures can be taken to improve their function.

Objectives of the Study

1. To assess the infrastructure and facilities of public libraries in Prayagraj.
2. To evaluate the availability of technology, digital resources, and internet access in public libraries.
3. To examine the adequacy of the collections (books, periodicals, digital resources) and whether they meet user needs.
4. To identify the challenges faced by public libraries in maintaining and upgrading services.
5. To propose strategies for improving library services and increasing user engagement.

Methodology

This descriptive study employs both qualitative and quantitative research methods to assess the status of public libraries in Prayagraj. Data was collected from primary and secondary sources, including surveys of library users and staff, field visits, interviews, and the review of official reports and documents.

Sample

- **Libraries Surveyed**: 8 public libraries, including major ones such as the Allahabad Public Library and smaller community libraries.
- **Staff Interviews**: Interviews were conducted with library managers and staff to understand the internal challenges faced by these institutions.

Data Collection Tools

- **Questionnaires**–Structured questionnaires were administered to librarians or library staff to gather data on their library services..
- **Observations**–Field visits to the libraries were made to observe infrastructure, accessibility, and usage patterns.
- **Interviews**–Semi-structured interviews were conducted with library staff to gather qualitative insights into operational challenges.

Table-1 Establishment year

S.No.	Name	Establishment Year
1.	Central State Library U.P. Prayagraj	1949
2.	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	1864
3.	Ram Krishn Mission Library, Prayagraj	1940
4.	Kumari Maniben pustakalaya Prayagraj	2019
5.	Gyan Pustkalya, Prayagraj	1924
6.	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	1911
7.	District Library, Prayagraj	1986
8.	Hindustan Academy, Prayagraj	1960

Table-1 shows **establishment year** The oldest library on the list is **Allahabad Public Library**, established in **1864**.The newest library is **Kumari Maniben Pustkalay**, established in **2019**.

19th Century (1800s): 1 library (Allahabad Public Library, 1864)

Early 20th Century (1900–1949): 4 libraries Bharti Bhawan Pustkalya, 911,Gyan Pustkalya, 1924,Ramakrishna Mission Library, 1940,Central State Library U.P., 1949.

Late 20th Century (1950–1999): 2 libraries- Hindustan Academy, 1960, District Library, 1986. **21st Century** (2000–present): 1 library-Kumari Maniben Pustkalay, 2019

Table -2 working Hours, Weekly Holiday

S.No.	Name	Working Hour	Weekly Holiday
1	Central State Library U.P. Prayagraj	09:00 am to 05:00 pm	Tuesday
2	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	08:00 am to 06:00 pm	Thursday
3	Ram Krishn Mission Library, Prayagraj	04:00pm to 8:00 pm	Sunday
4	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	10:00 am to 05:00 pm	Sunday
5	Gyan Pustkalya, Prayagraj	07:00 am to 9:00 am 05:00 pm to 8:30 pm	Sunday
6	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	10:00am to 5:00 pm	Wednesday
7	District Library, Prayagraj	09:00 am to 05:00 pm	Sunday
8	Hindustan Academy, prayagraj	10:00 am to 05:00 pm	Sunday

Table-2 displayed working Hour & Weekly Holidays of the libraries

1. Working Hours
   - The majority of libraries in Prayagraj operate for about 7 to 8 hours a day.
   - Earliest opening time: 07:00 am (Gyan Pustakalya).
   - Latest closing time: 08:30 pm (Gyan Pustakalya), followed by 08:00 pm (Ramakrishna Mission Library).
   - Libraries generally follow a morning-to-evening schedule, except for the Ramakrishna Mission Library, which has a late afternoon-to-evening schedule (04:00 pm to 08:00 pm).
2. Weekly Holiday Patterns
   - Most common weekly holiday: Sunday, with 5 out of the 8 libraries being closed on this day.
   - Only one library each has a weekly holiday on Tuesday (Central State Library), Wednesday (Bharti Bhawan Pustkalya), or Thursday (Allahabad Public Library).
   - This pattern suggests that Sunday is a standard holiday for many institutions in Prayagraj, except for a few specific cases where they follow a different weekly off day.
3. Library with Extended Hours
   - Gyan Pustakalya has split operating hours (07:00 am to 09:00 am and 05:00 pm to 08:30 pm), making it available to users both in the morning and evening, which is unique compared to the other libraries.
4. Library Accessibility
   - Libraries such as the Central State Library and District Library have more accessible hours (09:00 am to 05:00 pm) aligned with typical working hours, which could cater well to the general public.
   - Evening hours at the Ramakrishna Mission Library and the evening schedule of Gyan Pustakalya might cater to students or working individuals who are unavailable during regular hours.

Table 3: Seating capacity

S.No.	Name	Seating capacity
1.	Central State Library U.P. Prayagraj	300
2.	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	125
3.	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	100
4.	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	80
5.	Gyan Pustkalya, Prayagraj	150
6.	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	80
7.	District Library, Prayagraj	200
8.	Hindustan Academy,prayagraj	20

Table 3 : Seating capacity data shows that Prayagraj has a varied library system, with capacities ranging from very small (20 seats) to quite large (300 seats). Most libraries, however, serve a moderate audience, with only one library providing a significantly high seating capacity. This structure might reflect different roles for each library, with some catering to niche audiences and others acting as central hubs for a broader visitor base. The prevalence of smaller libraries (0-100 seats) implies that localized or specialized facilities are a common feature of the library system in Prayagraj.

Table 4 : Total Member

S.No.	Name	Member
1.	Central State Library U.P. Prayagraj	13256
2.	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	1500
3.	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	147
4.	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	140
5.	Gyan Pustkalya, Prayagraj	132
6.	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	1020
7.	District Library, Prayagraj	580
8.	Hindustan Academy, prayagraj	30

Table 4 : Total Member of the library's data displayed High Membership (Above 1000):Central State Library U.P. Prayagraj: 13,256 members, Allahabad Public Library: 1,500 members, Bharti Bhawan Pustkalya: 1,020 members .

Moderate Membership (100–999): District Library: 580 members,Ramakrishna Mission Library: 147 members,Kumari Maniben Pustkalay: 140 members,Gyan Pustkalya: 132 members.

Low Membership (Below 100) : Hindustan Academy : 30 members (this is mostly used by research scholars).

This summary shows significant variation in community reliance on different libraries, with Central State Library being a major resource hub in Prayagraj.

Table 5 : User visit (Per day)

S.No.	Name	Member
1.	Central State Library U.P. Prayagraj	200
2.	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	200
3.	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	30
4.	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	80
5.	Gyan Pustkalya, Prayagraj	20
6.	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	80
7.	District Library, Prayagraj	200
8.	Hindustan Academy, Prayagraj	25

Highest Visits: Central State Library, Allahabad Public Library, and District Library each have 200 daily visits, which is the highest among the libraries listed.

Lowest Visits: Gyan Pustkalya and Hindustan Academy have the lowest daily visits, with 20 and 25, respectively.

Most Visited Libraries: Central State Library, Allahabad Public Library, and District Library are the most frequently visited libraries with 200 visits each. This could indicate that they are popular, well-resourced, or strategically located.

Least Visited Libraries: Gyan Pustkalya and Hindustan Academy have very low daily visits, which could be a result of factors such as fewer services, location, or lack of awareness among potential visitors.

Table 6 : Library building status

S.No.	Name	Own	Rented
1.	Central State Library U.P. Prayagraj	Own	–
2.	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	Own	–
3.	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	Own	–
4.	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	Own	–
5.	Gyan Pustkalya, Prayagraj	Own	–
6.	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	Own	–
7.	District Library, Prayagraj	Own	–
8.	Hindustan Academy, Prayagraj	Own	–

Table 6 displays the status of library building. It is found that all libraries are on owned properties, this may lead to lower operating costs (e.g., no rental fees) and a potential for long-term investments in infrastructure or resources. Owned properties often allow for better control over the facilities, which can be beneficial for renovations, expansions, or other improvements to meet the community's needs.

The stability provided by ownership can be a key factor in attracting community members, as well-established, permanent institutions may foster a sense of trust and reliability.

Table 7 : Availability of the staff

S.No.	Name	Technical	Non Technical
1.	Central State Library U.P. Prayagraj	6	12
2.	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	5	4
3.	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	1	1
4.	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	1	2
5.	Gyan Pustkalya, Prayagraj	1	0
6.	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	2	4
7.	District Library, Prayagraj	1	1
8.	Hindustan Academy, Prayagraj	2	1

Table 7 displayed the availability of staff in public libraries like Central State Library U.P. Prayagraj has the highest number of staff overall, with **6 technical** and **12 non-technical** staff members, indicating a substantial team to support operations and technical needs. **Allahabad Public Library** has **5 technical** and **4 non-technical** staff, the second-highest, which could suggest a strong focus on both technical and non-technical support. Ramakrishna **Mission Library, District Library,** and **Kumari Maniben Pustkalay** each have **2-3 staff members** in total, split between technical and non-technical roles.**Gyan Pustkalya** stands out with only **1 technical staff member** and no non-technical staff, suggesting a very minimal staff presence.**Higher Technical Staff**: Institutions like **Central State Library** and **Allahabad Public Library** have a notable technical staff presence, likely reflecting a need for expertise in managing resources or technology.

Table 8 : Libraries Total Collection

S.No.	Name	Collection
1.	Central State Library U.P. Prayagraj	103136
2.	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	125000
3.	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	35942
4.	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	5000
5.	Gyan Pustkalya, Prayagraj	3000
6.	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	62008
7.	District Library, Prayagraj	16869
8.	Hindustan Academy, prayagraj	25674

Table 8 displayed the total collection of the libraries including rare books, children books, manuscripts etc. according to the above table. The library with the largest collection is the **Allahabad Public Library** with **125,000** books.The library with the smallest collection is **Gyan Pustkalya** with **3,000** books.

Table 9 : Subscription of Newspapers and Magazine

S.No.	Name	No. of Newspaper	No. of Magazines
1.	Central State Library U.P. Prayagraj	17	26
2.	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	20	20
3.	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	06	08
4.	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	04	10
5.	Gyan Pustkalya, Prayagraj	04	—
6.	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	06	06
7.	District Library, Prayagraj	05	19
8.	Hindustan Academy, Prayagraj	07	16

Table 9 gives us a description of total subscription of daily newspapers Maximum

Newspapers: Allahabad Public Library has the highest number of newspapers, totaling 20.

Minimum Newspapers: Gyan Pustkalya and Kumari Maniben Pustkalay each have the lowest, with only 4 newspapers each.

Maximum Magazines: Central State Library U.P. has the most magazines at 26.

Minimum Magazines: Bharti Bhawan Pustkalya has the fewest magazines, with only 6.

Central State Library and Allahabad Public Library offer a balanced collection, providing both high numbers of newspapers and magazines, making them comprehensive sources of print media. Libraries with lower resources, such as Kumari Maniben Pustkalay and Gyan Pustkalya, could potentially benefit from additional funding or partnerships to improve their collections.

√√√

Table 10 : Languages of collection

S.No.	Name	Hindi	English	Urdu	Sanskrit	Any other
1	Central State Library U.P. Prayagraj	√	√	√	√	√
2	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	√	√	√	√	√
3	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	√	√	-	-	
4	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	√	√	-	-	
5	Gyan Pustkalya, Prayagraj	√	√	-	-	
6	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	√	√	√	√	√
7	District Library, Prayagraj	√	√	√	√	-
8	Hindustan Academy, Prayagraj	√	√	√	-	-

Availability of collection in different Languages in public libraries of Lucknow is shown in Table 10. It can be seen in the table that all the libraries have a collection in the Hindi language.

Hindi and English: All libraries provide materials in **Hindi** and **English**.

Urdu: Six libraries offer **Urdu** collections, showing an effort to serve the Urdu-speaking community.

Sanskrit: Four libraries (Central State Library, Allahabad Public Library, Bharti Bhawan Pustkalya, and District Library) offer materials in **Sanskrit**, reflecting a more scholarly approach to classical texts.

Any Other: Five libraries provide materials in **Other Languages** (Central State Library, Allahabad Public Library, Bharti Bhawan Pustkalya, and District Library, and Central State Library in particular), which indicates an inclusive collection of regional or foreign languages.

Table 11 : Library services

S.No.	Name	Circulation	Reference Service	Inter Library	Internet service	Photo copy	Guidance & Counseling
1.	Central State Library U.P. Prayagraj	√	√	-	√	-	√
2.	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	√	√	-	√	-	√
3.	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	√	√	-	√	-	√
4.	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	√	√	-	√	-	√
5.	Gyan Pustkalya, Prayagraj	√	√	-	√	-	√
6.	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	√	√	-	√	-	√
7.	District Library, Prayagraj	√	√	-	√	-	√
8.	Hindustan Academy, Prayagraj	√	√	-	√	-	√

Table 11 gives us description of library services !"hich is provided to public library users Most Common Services:

- **Circulation** (loan of books): All libraries provide circulation services, making books and resources available for borrowing.
- **Reference Service**: Most libraries (7 out of 8) provide reference services, assisting users in finding specific information.

- **Internet Service**: Eight libraries offer **Internet services**, which are vital for modern research and accessing online resources.
- **Guidance & Counseling**: A few libraries (Central State Library, District Library, and Hindustan Academy) provide **guidance & counseling**, potentially helping users with career advice, research assistance, or other guidance services.

1. **Rarely Offered Services**:
   - **InterLibrary Loan**: Only **Bharti Bhawan Pustkalya**, **Hindustan Academy**, offer **inter-library loan** services, allowing users to borrow books from other libraries.
   - **Photocopy**: Services for **photocopying** materials are available in **Allahabad Public Library**, **Kumari Maniben Pustkalay**, **District Library**, and **Hindustan Academy**.

2. **Libraries Offering a Comprehensive Range of Services**:
   - **Central State Library**: Offers **circulation**, **reference**, **internet**, and **guidance & counseling** services, making it a well-rounded library with multiple key services.
   - **District Library**: Also offers a broad range of services, including **circulation**, **reference**, **internet**, **photocopy**, and **guidance & counseling**.

3. **Libraries with Limited Services**:
   - **Ramakrishna Mission Library** and **Gyan Pustkalya** provide **circulation** and **reference services**, but they lack additional services such as **photocopying**, **internet**, or **guidance**.
   - **Kumari Maniben Pustkalay** has **circulation**, **internet**, and **photocopy** services but lacks **reference service** or **guidance & counseling**.

Table 12 : ICT Equipment available in Library

S.No.	Name	Name of the ICT equipment			
		Computer	Printer	Scanner	Photocopier
1	Central State Library U.P. Prayagraj	√	√	√	√
2	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	√	√	√	√
3	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	√	-	-	-
4	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	√	-	-	_
5	Gyan Pustkalya, Prayagraj	√	-	-	-
6	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	√	√	√	√
7	District Library, Prayagraj	√	√	√	√
8	Hindustan Academy, prayagraj	√	√	√	√

The availability **Most Common ICT Equipment**:

- **Computer**: All libraries have computer in library
- **Printer**: Most libraries (except Ramakrishna Mission Library, Kumari Maniben Pustkalay, and Gyan Pustkalya) have **printers** .
- **Scanner**: Similar to printers, scanners are available in libraries like **Central State Library**, **Allahabad Public Library**, **Bharti Bhawan Pustkalya**, **District Library**, and **Hindustan Academy**.
- **Photocopier**: **Photocopiers** are available in libraries like **Central State Library**, **Allahabad Public Library**, **Bharti Bhawan Pustkalya**, **District Library**, and **Hindustan Academy**, enabling users to make copies of materials.

Table 13 : Barriers in libraries development

S.No.	Name	Inadequate funds	Lack of trained staff	Lack of necessity equipment	Lack of policies	Lack of awareness	Negative attitudes of library staff
1.	Central State Library U.P. Prayagraj	√	–	√	√	-	–
2.	Allahabad Public Library, U.P. Prayagraj	√	-	-	-	-	-
3.	Ramakrishna Mission Library, Prayagraj	√	√	√	-	-	-
4.	Kumari Maniben pustakalay Prayagraj	√	√	-	√	-	-
5.	Gyan Pustkalya, Prayagraj	√	√	√	√	√	-
6.	Bharti Bhawan Pustkalya, Prayagraj	√	√	√	√	-	-
7.	District Library, Prayagraj	-	-	-	-	-	-
8.	Hindustan Academy, Prayagraj	√	-	-	√	-	-

Common Barriers :

- **Inadequate Funds**: Many libraries (Central State Library, Allahabad Public Library, Ramakrishna Mission Library, Kumari Maniben Pustkalay, Gyan Pustkalya, Bharti Bhawan Pustkalya, Hindustan Academy) face issues related to **inadequate funding**, which may hinder their ability to acquire necessary resources, maintain services, and expand their facilities.
- **Lack of Trained Staff**: Libraries like **Ramakrishna Mission Library**, **Kumari Maniben Pustkalay**, **Gyan Pustkalya**, and **Bharti Bhawan Pustkalya** report a **lack of trained staff**, which can affect the quality of services provided to users.

Findings and Analysis Discussion

The findings of this study highlight several critical areas where public libraries in Prayagraj can improve. While libraries continue to serve a crucial role in providing access to printed materials and study spaces, they are falling behind in terms of modern infrastructure and digital services. Given the increasing shift towards digital information, public libraries need to integrate technology, such as e-libraries, online catalogs, and internet access, to remain relevant.

The government must play a proactive role in modernizing public libraries by providing sufficient funding and training to staff. Additionally, libraries can engage more effectively with their communities by offering services tailored to the needs of diverse user groups, including students, researchers, and general readers.

Recommendations

1. Increased Funding for Modernization– Adequate funding should be provided by the government for the maintenance of infrastructure and the introduction of new technologies.

2. Digitization of Resources–Libraries should invest in digitizing their collections and offering digital library services to meet the needs of tech-savvy users.

3. Community Engagement Programs– Public libraries should host regular events, workshops, and reading programs to increase their engagement with the community.

4. Expansion of Library Services: More libraries should be established in rural and peripheral areas to increase accessibility for underserved populations.

5. Staff Training and Capacity Building: Library staff should be provided with training on modern library management techniques and digital resource handling.

Conclusion

The public libraries of Prayagraj, while rich in history, face numerous challenges in maintaining relevance in the digital age. This study confirms that while these libraries continue to serve an important function, significant improvements are needed in infrastructure, technology adoption, and user services. With strategic investment and community-focused initiatives, public libraries in Prayagraj can become more dynamic and inclusive spaces for learning and knowledge-sharing.

References

1. Mishra, Rajni (2022) , Public Libraries of India, Where do we Stand , Volume 8, Issue 1 (January-June,2022) 152-156
2. Buragohain,M (2022) Development of public libraries in Post Independence of India : An analytical Study.
3. Kandhasamy, K., Bhatt, R. K., (2021). A study of Public Libraries in India: Post-Independence Period
4. Archana, M.D and Babu, K.S (2021) Awareness and use of public library resources: A study of public library, Library Philosophy and Practice, 6774.
5. Borgohain, D. (n.d.). Public Library Extension Service as a Community Development Programme: A Case Study. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac
6. Ashutosh Kumar Agrahari. "Government District Libraries Of Uttar Pradesh: A Study", International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), ISSN:2320-2882, 2024 : 12(10) : c946-c957. (www.ijcrt.org/papers/IJCRT2410335.pdf)
7. श्रीवास्तव रूशी, मिश्र, शेष, (2024) डिजिटल वातावरण में सार्वजनिक पुस्तकालय के पुस्तकालय कर्मियों की भूमिका और आवश्यक कौशल एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। (JETIR2405877.pdf)
8. Chatterjee S, Samanta M, Dey S. The Role Played by Public Libraries in Promoting Information Literacy and User Education. IUP Journal of Knowledge Management, 2021, 19(1). International Journal of Multidisciplinary Research and Development www.allsubjectjournal.com 12
9. Koch TW. The Library Assistant's Manual. State board of library commissioners, 1913.
10. Simons B, Semic S, Bell-Davies C, Evans CO. The world's most wonderful private libraries. Financial Times, 2022. Retrieved April 23, 2023, from https://www.ft.com/content/42a53119-aea5-4bca-b1ae4cef45e9384a
11. U.P. Public Library act 2006
12. https://www.unesco.org
13. https://www.ifla.org/
14. https://www.library.up.gov.in/Other_Libraries/
15. Kanwar Geetanjali Rana. Public Libraries in India: A Case Study of Allahabad Public Library, Uttar Pradesh, India, 2015

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 15th Dec. 2024

Paper Accepted : 25th Dec. 2024

भारतीय ज्ञान परम्परा अन्तगर्त हिन्दी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की भूमिका

❑ डॉ. उमाशंकर स्वर्णकार*

शोध-सारांश

भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि प्रत्यक्षतः प्राचीन वेद, उपनिषद, पुराण, और महाकाव्यों में गहराई से निहित परम्परा हैं। यह परंपरा न केवल धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है, बल्कि साहित्य, कला और संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। भक्ति आंदोलन ने इस परंपरा को जीवंत रूप से व्यक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में गोस्वामी तुलसीदास जी का योगदान अनमोल है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भारतीय समाज को आध्यात्मिकता, नैतिकता और समरसता का संदेश दिया। उन्होंने भक्ति और आदर्श जीवनशैली का प्रचार करते हुए जनसामान्य की भाषा अवधी में 'रामचरितमानस', 'विनय पत्रिका', और 'दोहावली' जैसे ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं ने भारतीय साहित्य और संस्कृति को समृद्ध किया और हिंदी को एक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह शोधपत्र तुलसीदास जी की रचनाओं के माध्यम से उनके साहित्यिक, दार्शनिक और सामाजिक योगदान का विश्लेषण करेगा। इसमें भक्ति साहित्य की दृष्टि से उनके कार्यों का मूल्यांकन होगा और यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे उनकी रचनाएँ भारतीय ज्ञान परंपरा को सुदृढ़ करती हैं।

मुख्य शब्द–*भारतीय ज्ञान परम्परा, भक्तिकाल, गोस्वामी तुलसीदास, भक्ति आंदोलन, रामचरितमानस और भारतीय जीवन, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली आदि।*

गोस्वामी जी के उपरोक्त साहित्य विश्लेषण से ज्ञात है कि उनकी तुकान्त शैली, अवधी भाषा में रचित पद्य लोक कल्याण व आदर्श समाज की भावना से परिपूर्ण होकर लिखा है कि–

साँकरे सबै पै राम। रावरें कृपा करी।
दारिद दसानन दबाई दुनी, दीनबंधु।
दुरित–दहन देखि तुलसी हहा करी।।

गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्यिक योगदान

तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य को एक नई

* प्राचार्य, छतरपुर विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

दिशा दी। उनकी रचनाएँ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि समाज को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी देती हैं। उनकी मुख्य भक्ति–कालीन रचनाओं का वर्णन निम्न प्रकार है।

रामचरितमानस

रामायण सत्य संकल्प प्रभु, मनुज रूप अवतार।
भक्त हेतु अनंत सुख, हरि होहिं चरित्र अपार।।

यह तुलसीदास जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृ ति है, जिसे भारतीय समाज में धार्मिक और साहित्यिक दृष्टि से अत्यधिक सम्मान प्राप्त व जनमानस की लोकप्रिय कृति है।

सिया राम मय सब जग जानि,
करहु प्रणाम जोरि जुग पानि।

श्री रामचरितमानस महाकाव्य राम के जीवन व आदर्शवादी चरित्र पर आधारित है और संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का हिंदी (अवधी) अनुवाद माना जाता है।

इसमें कथा के माध्यम से भक्ति, धर्म, और नीति का सजीव चित्रण है। यह ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा का जीवंत दस्तावेज है। पद्यों की सुन्दर रचना के माध्यम से अद्वितीय वर्णन है।

विनय पत्रिका

विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह राम के चरणों में भेजी जाने वाली गीतात्मक अर्जी के रूप में प्रस्तुत है। इसमें तुलसी की साधना का आदर्श, कला तथा भावनाओं का सहज सौन्दर्य –दर्शनीय है। यह रचना सर्वश्रेष्ठ आत्मनिवेदनात्मक साहित्य रूप है। इसका प्रत्येक पद भक्ति–रस से ओतप्रोत है।

अजहूं न छाड़त ममता मोहू।
कहहु राम बिनु पावन कोहू।।

यह तुलसीदास जी के भक्तिभाव की चरम अभिव्यक्ति है।

सुमिरत हरन भवभय विषम सुनत सकल दुख खान।
कहत पावन किलविष नसहिं भरत हिय अभिमान।।

इसमें भक्त की ईश्वर के प्रति विनम्रता और समर्पण भाव प्रकट होता है।

तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रान ते प्यारो।
जासो होय सनेह राम पद एतो मतो हमारो।।

यह रचना भगवान राम के प्रति उनकी गहन भक्ति और उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को व्यक्त करती है।

दोहावली

यह एक नीतिपरक ग्रंथ है, जिसमें जीवन को सरल, सुसंस्कृत और धर्ममय बनाने के लिए नीति और उपदेशों का संग्रह है।

इसमें तुलसीदास जी ने अपने अनुभवों और जीवन दर्शन को संक्षिप्त, परंतु प्रभावी दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

दोहावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कृति है। इसमें दोहों के माध्यम से नीति, भक्ति, ज्ञान, और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। दोहावली में कुल 573 दोहे हैं। कुछ प्रमुख दोहे और उनके अर्थ इस प्रकार हैं, जो दोहावली के भाव और विषयों को दर्शाते हैं,

तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर।
बसीकरन एक मंत्र है परिहरू बचन कठोर।।

यह दोहा मीठी वाणी के महत्त्व को बताता है।

तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए।
अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए।।

यह दोहा राम पर विश्वास रखने के महत्त्व को बताता है।

माया महा ठगिनी हम जानी।
तिर्गुन फाँसि लिए कर डोलै बोलै मधुर बानी।।

यह दोहा माया के प्रभाव का वर्णन करता है।

गीतावली

गीतावली तुलसीदास जी द्वारा रचित गीत शैली की रचना है। इसमें रामचरित का वर्णन गीतात्मक शैली में किया गया है, जो इसे विशेष रूप से प्रभावशाली बनाता है। इसमें रामकथा

संबंधी पदावली है, काण्ड क्रम से यह संकलित, सूर सागर के अनुकरण पर इसकी रचना हुई है गीतों में कथा की पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है।

कृष्ण गीतावली

यद्यपि तुलसीदास जी रामभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु उनकी इस रचना में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यह ग्रंथ दर्शाता है कि तुलसीदास जी की भक्ति में संपूर्ण ईश्वरत्व की झलक है।

कवितावली

इसमें राम कथा संबंधी पदावली के साथ कवि के जीवन तथा युग को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रसंगों की अवरतारणा हुई है। महामारी, शरीर पीड़ा तथा मृत्यु से पहले का कष्ट वर्णित है। इसमें कविता–सवैया शैली में वर्णित है।

हनुमान चालीसा

हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की सबसे लोकप्रिय और सरल रचनाओं में से एक है।

यह भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की एक अद्भुत कृति है, जो भगवान हनुमान के प्रति भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करती है।

भक्ति आंदोलन में तुलसीदास जी का योगदान

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनकी रचनाओं ने निम्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया गया।

जनभाषा का उपयोग

तुलसीदास जी ने संस्कृत की अपेक्षा अवधी और ब्रज जैसी जनभाषाओं में रचनाएँ कीं।इससे उनका साहित्य जनसामान्य तक पहुंचा और व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ।

रामभक्ति की स्थापना

एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास।
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।।

तुलसीदास जी ने राम को भक्ति का केंद्र बनाया और समाज को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी।उनके रामचरितमानस ने राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम और एक नैतिक आदर्श के रूप में स्थापित किया।

सामाजिक समरसता का संदेश

उनकी रचनाओं ने जाति, धर्म और वर्ग भेद को समाप्त करने का प्रयास किया।

उन्होंने भक्ति को सभी के लिए समान रूप से सुलभ बताया।

नीतिपरक संदेश

उनके ग्रंथों में नीतिपरक और दार्शनिक संदेश हैं, जो आज भी समाज को दिशा प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

अतः हम कहेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएँ भक्ति साहित्य का अमूल्य खजाना हैं। उनकी कृतियों ने न केवल भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा को भी जनसामान्य तक पहुंचाया जो कि आदर्शवादी जीवन जीने के लिये एक मार्गदर्शिका मानी जा सकती है। उनकी रचनाएँ आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रेरित करती हैं।इस शोध पत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य में योगदान कितना महत्त्वपूर्ण है, खासकर भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उनकी रचनाएँ, जैसे रामचरितमानस, केवल कविताएँ नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, दर्शन, नैतिकता और जीवन मूल्यों का भंडार हैं।

रामचरितमानस उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जो एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि कैसे एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। राम के चरित्र के माध्यम से तुलसीदास ने हमें सत्य, धर्म, प्रेम, त्याग और मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। यह ग्रंथ आज भी लोगों को प्रेरणा देता है और उनके जीवन को सही दिशा दिखाता है।अन्य रचनाएँ जैसे विनय पत्रिका में तुलसीदास ने भगवान राम के प्रति अपनी गहरी भक्ति और विनम्रता को व्यक्त किया है। कवितावली में राम के जीवन की घटनाओं का सुंदर वर्णन है। दोहावली में नीति और ज्ञान की बातें हैं, जो हमें जीवन को बेहतर ढंग से

समझने में मदद करती हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा का पोषण, तुलसीदास की रचनाओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और पुराणों के ज्ञान को सरल भाषा में लोगों तक पहुँचाया। उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वय पर जोर दिया, जो भारतीय चिंतन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

आज भी प्रासंगिक–तुलसीदास की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं। उनके द्वारा दिए गए जीवन मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करके हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।संक्षेप में, गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान कवि, भक्त और समाज सुधारक थे। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। वे हमेशा हमारी प्रेरणा बने रहेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तुलसी साहित्य– माता प्रसाद गुप्त
2. तुलसी दर्शन– बलदेव उपाध्याय
3. तुलसी काव्य मीमांसा– उदयभानु सिंह
4. तुलसीदास– रामचन्द्र शुक्ल
5. गोस्वामी तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी
6. तुलसीदास का काव्य वैभव– परशुराम चतुर्वेदी
7. तुलसी की कला– धीरेन्द्र वर्मा
8. तुलसीदास, जीवन और दर्शन–रामनाथ सुमन

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 15th Dec. 2024 **Paper Accepted : 25th Dec. 2024**

वेदानां सार्वकालिकत्वं साम्प्रतिकन्याय-व्यवस्थायामवदानचिञ्चनञ्च

□ शकुन्तला शुक्ला*

शोध-सारांश

वेदाः शाश्वताः विश्वशास्त्राणि सन्ति। सत्चरित्राय चरित्रज्ञानम् आवश्यकम्। ये सर्वे वेदविद्वांसः पुरातननवः स्वाध्यायस्य वा वेदस्य संशोधनस्य वा कार्यं कृतवन्तः, तेषाँ सर्वेषाँ दृढमतं वर्तते यत् मानवजातेः प्राचीनतमः धर्मः, तस्य आचरणम्, विचारः, त्यागः, तपः, कला, विज्ञानं, इतिहासः, राष्ट्र–संगठनं, सामाजिकव्यवस्था, न्यायव्यवस्था इत्यादीनाँ विषये ज्ञानं प्राप्तुमेकमात्रं साधनमस्ति। अनेके बृहत्चिन्तनशीलाः आस्तिकाः वेदानाँ जटिलविज्ञानेन मुग्धाः भवन्ति। भारतीयाः पाश्चात्यवेदविदः वेदस्य अलौकिकशक्त्या मोहिताः सन्ति। वेदसमालोचकाः शास्त्रेषु नास्तिका इति उच्यन्ते।। यावद् अस्मिन् जगति पर्वताः नद्यः च सन्ति तावत् मनुष्येषु वेदवैभवस्य प्रसारः भविष्यति। आश्रमानुयायिनः वेदानुसन्धातारः वदन्ति यत् वेदज्ञानमनन्तं गहनं चास्ति

मुख्य शब्द–

शब्दब्रह्मरूपाः वेदाः विश्ववाङ्मयस्यामूल्यनिधिः। भारतीयसंस्कृतेः प्राचीनतमरूपं विकासं चावगन्तुं वेदानामध्ययनमपरिहार्यमस्ति। धाता यथापूर्वम–कल्पयत्[1] इति सिद्धान्तानुसारं सृष्टेः आरम्भे एव वेदाः प्रणवरूपेण प्रादुर्भूताः आसन्। कालान्तरे ऋषिभिः गुरुशिष्यपरम्परामाध्यमेन मन्त्रब्राह्मणात्मक–शब्दराशिरूपेण[2] दृश्यमानाः भवन्ति। मानवसंस्कृतेः इतिहासं ज्ञातुम्, भाषाविज्ञानस्य प्रश्नानां निराकरणाय च शब्दब्रह्मरूपस्य वेदस्याध्ययनमावश्यकम्। सृष्टेः मानवजीवनस्य च आध्यात्मिकम्, आधिदैविकम्, आध्यात्मिकञ्च स्वरूपं पूर्णतया प्रकाशयन्तीयं वेदविद्या। महर्षिकृष्णद्वैपायनेन (वेदव्यासेन) द्वापरयुगे वेदस्यास्य सुगमतया बोधाय अस्य चतुर्भागेषु विभागः कृतः, यं वयं शब्दब्रह्मसम्प्रदायसम्बद्धः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः अथर्ववेदः इतिरूपेण जानीमः। वेदानामाधारं गृहीत्वा भारतीयदार्शनिकानां, नैतिक–वादिनां, धार्मिकसामाजिकज्ञानस्य च प्रतिभाशालिनः पाठकाः भव्यं प्रासादं निर्मितवन्तः। वेदविद्यायाः यम् अद्यत्वेऽपि वैज्ञानिकसिद्धीनां मध्ये स्वज्ञानस्य अखण्डतां घोषयति। अतः शब्दब्रह्मरूपसार्वकालिक–वेदज्ञानराशेः नित्यवेदानाम् अनुसरणं तेषां मौलिक–सिद्धान्तानाम् उद्घाटनज्ञानस्य प्रवर्धनार्थं हितकरं भवति।

सर्वप्रथमं ऋक्, यजुः, सामः, अथर्ववेदश्च

* अनुसन्धात्री, वेदविभागः, श्रीला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालयः, नवदेहली–110016

शब्दब्रह्मरूपराशिभावे स्थिताः सन्ति। पश्चात् मन्त्राणां यज्ञप्रयोगं मनसि निधाय महर्षिकृष्णद्वैपायनेन स एव वेदः चतुर्षु मन्त्रसंहितासु विभक्तः। यथा–

एक एवासीद्यजुर्वेदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्।
चातुर्होत्रमभूत्तस्मिन्स्तेन यज्ञमकल्पयत्।।[3]

महर्षिकृष्णद्वैपायनेन ऋग्वेदसंहितारूपेण हौत्रकर्मसम्पादकेन होतृनाम्ना ऋत्विजा पठितानां मन्त्राणां संकलनं कृतं सः ऋग्वेदः। महर्षि–कृष्णद्वैपायनेन (वेदव्यासेन) अध्वर्युकर्मसम्पादकेन अध्वर्युनाम्ना ऋत्विजा पठितानां मन्त्राणां यजुर्वेद–संहितारूपेण संकलनं कृतम्। महर्षि व्यासः उद्गातृनाम्ना ऋत्विजा गीताः मन्त्राः सामवेद–संहितारूपेण संकलितवान्। अथर्ववेदसंहितायाँ ब्रह्मणः कर्म कुर्वन्तः ये मन्त्राः पठिताः, लौकिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्णाः मन्त्राः च महर्षिकृष्णद्वैपायनेन संकलिताः। यथा–

आध्वर्यं यजुर्भिस्तु ऋग्भिर्वै होत्रमेव च।
औद्गात्रं सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः।।[4]

भगवती श्रुतिः अपि कथयति–

तदाहुः यदृचा हौत्रं क्रियते, यजुषा आध्वर्यवं साम्नोद्गीथोऽथकेन। ब्रह्मत्वमित्यनया त्रय्या विधयेति ह ब्रूयात्।।[5]

वेदेषु यज्ञस्य ज्ञानेन सह भारतीयसंस्कृतेः, भारतीयदर्शनस्य, नैतिकतायाः, ज्ञान–विज्ञानस्य, सुभाषितानां, सामाजिक–राजनैतिकजीवनस्य च सर्वे विषयाः उपलभ्यन्ते। मानवसंस्कृतेः जीवनदर्शनं, नीतिशास्त्रं, जीवनशैलीं, नैतिकं, सामाजिकं च चरित्रं वेदेषु प्रस्तावितम् अस्ति। अतः भारतीयसंस्कृतेः प्राचीनतमरूपम्, मानवजातेः इतिहासं च अवगन्तुं वेदानामध्ययनमनिवार्यमस्ति।

ब्राह्मणग्रन्थानाम्, आरण्यकानाम्, उपनिषदाम्, दर्शनानाम्, पुराणानाम्, धर्मशास्त्रादीनाँ समेषां धर्मग्रन्थानाँ मूलाधारो वेदः। वेदानम् अनन्तवैभवेन, अपारज्ञानेन च समाजस्य परिचयस्य पवित्रम् उद्देश्यं कृत्वा भारतसर्वकारेण तस्य अध्ययनस्य, अध्यापनस्य च विस्तृता व्यवस्था करणीया। भारतीयसंस्कृतेः अमूल्यनिधेः वेदस्य स्वरूपं, महत्त्वं,शाश्वतसिद्धान्तं चात्मसात् कर्तुं सत्समाजस्य प्रत्येकं व्यक्तेः पवित्रं कर्तव्यमस्ति। धार्मिकग्रन्थानां पवित्रताखण्डा भवेत्तदर्थं भारतीयजनेभ्यः अधिकारः प्राप्तोऽस्ति। वेदेषु नीतिशास्त्रदर्शनम्, राष्ट्रवादः, राजनीतिः, गणितम्, शिल्पः, वास्तुकला इत्यादयः मानवानाँ लौकिकं पारमार्थिकोत्थानार्थमुपयोगिनो सर्वेषाँ सिद्धान्तानाम्, उपदेशानाँ चाद्भुतं वर्णनं कृतमस्ति। अतः वेदाः शाश्वताः सन्ति, समकालीनन्यायव्यवस्थायां[6] तेषाँ योगदानं चात्यन्तमुपयोगी भवति।

सृष्टेः पूर्वं जगतः सृष्ट्यर्थं परमेश्वरः 'एकोऽहं बहुष्यामि' इति संकल्पं गृहीतवान्, तदा भगवान् ब्रह्मा अवततार। भगवतः ब्रह्मणः तपस्यायाः अव्यक्तः ईश्वरः वेदरूपेण प्रकटितः। पश्चात् शब्दब्रह्मात्म–वेदराशेः गुप्तशक्त्या सम्पूर्णं जीवजगद् अस्तित्त्वं प्रापत्। जगतः सर्वे व्यवहाराः सम्यक् सुस्थापिताः। एतदर्थं वैदिकसंस्कृतेः लौकिकसंस्कृतेः स्वरूपेण विभक्तो भूत्वा व्यक्तोऽभूत्। यथा–

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।।[7]

अर्थात् शाश्वती, अमरा संस्कृतभाषा भगवतः ब्रह्मणः प्रादुर्भूता। आदौ सा वेदमयी आसीत्, पश्चात् सर्वं जगत् तस्याः एव जातम्। जगतः सर्वे व्यवहाराः तत एव आरब्धाः। वेदभाषणँ शाश्वतं, सृष्टेः पूर्वं तत्रैव आसीत्, सृष्टेः अनन्तरम् अपि तत्रैव स्थास्यति। क्वचिद्देवलोके मृत्युलोके च कदाचित् देवलोके एव वेदवाक्यमिदं कोऽपि नाशयितुं न शक्नोति। यस्य नाशँ कर्तुम् इच्छति सः स्वयं नष्टो भविष्यति। कालस्थानस्थितेः कारणात् अन्यभाषा वेदभाषाया आश्रयं गृहीत्वा मनुष्येण निर्मिताः। यस्या उत्पत्तिः प्रलयश्च निरन्तरं प्रभवति।

भाषायाः मुख्यतया द्वौ प्रयोजनौ स्तः–

(क) बोधजनकता, (ख) पुण्यजनकता।

प्रथमेन वक्तुः श्रोतुः च सर्वाणि कार्याणि तेनैव क्रियन्ते, अपरेण च पुण्यं प्राप्यते, येन इह लोके परलोके च सौभाग्यं भवति। वेदवाणी संस्कृतं जगति एकैव भाषा यस्या बोधगम्यता, पुण्यजनकता चास्ति। यथा–

एकः शब्दः सम्यक्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे

लोके च कामधुक् भवति।[8]

यः सत्यः अर्थात् सदा स्थास्यति सः शिवः (त्रिलोक्यमङ्गलकारी) एवञ्च यः शिवः तथा च सत्यः सः सुन्दरः अस्ति। अत एव ईश्वरः सत्यं शिवं सुन्दरम् इति अपि कथ्यते। वेदराशिः परब्रह्मपरमात्मनः वाङ्मयरूपत्वात् शब्दब्रह्मात्मकोऽस्ति। अत एव सः सत्यं शिवं सुन्दरम्।

मनोरनुसारं वेदाः शाश्वताः, वेदाः त्रिषु कालेषु प्रयुक्ताः, सर्वं च वेदाल्लभ्यते—

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। [9]

वेदाः न केवलं ब्रह्मविद्यायाः पाठ्यभागाः अपितु ब्रह्म एव सन्ति। येषाँ दिव्यदृष्टिः अस्ति ते एव वैदिकभाषायाः रहस्यमवगन्तुं शक्नुवन्ति। ब्रह्मानुभूतिं विना वेदब्रह्मज्ञानमसम्भवम्।[10] वेदाः ईश्वरस्य निःश्वासः— .

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्।[11]

अपौरुषेयवेदात् सम्पूर्णं जैविकं जगत् निर्मितमस्ति। अस्माकं ऋषयः, महर्षयः, आचार्याः, विद्वांसः येषाँ भारतस्य पवित्रपरम्परायां श्रद्धा वर्तते, ते सामूहिकरूपेण वेदाः शाश्वताः, नित्या, अपौरुषेया इति च मन्यन्ते। ऋषयः प्रत्यक्षतया स्वदृष्टिद्वारावेदान् दिव्यज्ञानत्वेन दृष्ट्वा ततः मानवजीवनहिताय तत् प्रकाशितवन्तः। वेदाः ईश्वरस्य संविधानमस्ति। वेदात् शिक्षाँ प्राप्य मनुष्यः अध्यात्मनः उच्चतमं शिखरं प्राप्तुं शक्नोति। वेदानाँ सार्वकालिकता स्वतः सिद्धा, यतो हि वेदेषु अस्य लोकस्य सुखमयता तथा परलोकस्य कल्याणमयदृष्ट्या मानवानाँ कृते आचारविचाराणां पालनस्य विधानं दृश्यते तथा आध्यात्मिकसाधनायां बाधकानेकनिन्दितकर्मभ्यः दूरे स्थातव्यमिति निर्देशः दत्तः। अक्षैर्मा दिव्यः[13] अर्थात् द्यूतं न क्रीडन्तु। मा हिंसीः पुरुषान्पशूश्च[14] अर्थात् मनुष्यपशूनाँ हिंसा न कुर्वन्तु। वर्तमानन्यायव्यवस्थायाँ एतेषाँ मन्त्राणां योगदानं प्रशंसनीयम्।[15]

वैदिक—उपदेशेषु बहवः नैतिकोपदेशाः वर्णिताः सन्ति। सूक्त्युपदिष्टनीतिभिः मानवजीवने सर्वथा उन्नयनं कर्तुं शक्यते।[16] वेदज्ञानयुक्तः विद्वान् सैन्यनेतृत्वं, शासनं, न्यायप्रदानं, सर्वप्रकारकं लोकप्रबन्धनं च कर्तुं समर्थः भवति। वेदराश्यां कर्तव्यानाँ प्रचारः कृतोऽस्ति। यथा सत्यमेव जयति नानृतम्[17] अर्थात् सत्यमेव प्रबलं भवति, असत्यं न। वेदानाँ सार्वत्रिककालातीतशिक्षाणाँ योगदानं भारतीयन्यायसंहिता 2023 मध्ये दृश्यते। लोकन्यायविरुद्धं मिथ्यासाक्ष्यस्य अपराधस्य च विषये धारा 225 प्रावधानं करोति यत् यः व्यक्तिः किमपि वचनं करोति यत् असत्यं वा यत् सः जानाति वा मन्यते वा यत् सत्यं न मन्यते, यदि कोऽपि मिथ्यासाक्ष्यं ददाति तर्हि सः मिथ्यासाक्ष्यं दत्त्वा दोषी भवति।[18]

अधीत्य आचार्यः शिष्यं सत्यं वक्तुं उपदिशति। धर्ममाचर। स्वाध्यायस्य उपेक्षाँ मा कुरुत। आचार्यस्य कृते प्रियं धनम् आनयतु। वंशभङ्गं मा कुरु। सत्यस्य उपेक्षा न कर्तव्या। धर्मे प्रमादः न भवेत्। शरीरारोग्यादिषु प्रमादः न कर्तव्यः। विभूतिविषये प्रमादं न कर्तव्यम्। अध्ययनस्य उपेक्षा न कर्तव्या। देवकर्मपितृकर्मणि प्रमादः न कर्तव्यः। यथा—

वेदमनुच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्माप्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान् न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। स्वाध्याय—प्रवचनाभ्याँ न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्याँ न प्रमदितव्यम्।[19]

एवं वेदेषु नैतिकपरामर्शस्य अनन्ताः उपदेशाः सन्ति। सार्वत्रिकनित्यनीतिभण्डारभूतानाम्, जीवनस्यैहलौकिकपारलौकिकभाण्डागार—स्वरूपानाँ वेदानाम् आश्रयः जगति परं च मानवजीवनस्य प्रगतेः मार्गं प्रशस्तं करोति। वेदेषु नैतिक—आदर्शेषु विशेषं बलं दत्तम् अस्ति। वैदिकसंस्कृतौ लोभः, छलम्, असत्यं, लुण्ठनम्, व्यभिचारः इत्यादयः नैतिकदृष्ट्या घृणिताः इति मन्यन्ते। सत्यं दानं दयालुत्वं चौता—दृशानि वेदेषु नैतिकमूल्यानि सन्ति। नीतिदृष्ट्या कितवसूक्ते वर्णितस्य द्यूतकर्तुः विलापः अतीव महत्त्वपूर्णः अस्ति।[20] मानवसभ्यतायाः संस्कृतेश्च

मूलग्रन्थे वेदेषु अवनतसामाजिकप्रवृत्तयः उल्लिखिताः सन्ति। कितव इत्यादीनि उपदेशात्मकानि स्तोत्राणि उल्लिखितानि सन्ति ये एतत् प्रकाशयन्ति। द्यूतक्रीडा सामाजिकव्यसनम् अस्ति। कितवसूक्ते द्यूतस्य निर्धनव्यक्तिगतपारिवारिकस्थितिः, तस्य मानसिकदशा, पराजयकारणात् पश्चात्तापः, शाश्वतसामाजिक–सन्देशस्य चातीव प्रेरणादायकं चित्रणं दृश्यते। अस्माकं राष्ट्रे वैदिकयुगात् आरभ्य द्यूतस्य प्रचलनं वर्तते।

कितवः (द्यूतकर्ता) वदति यत– चौसर–क्रीडाङ्गणँ पुनः पुनः नृत्यन् मम मनः सोमरसस्य पानमिव उत्साहेन मद्येन च पूरयति। फलतः पुनः पुनः एतस्य व्यसनस्य परित्यागस्य निर्णयोऽपि तस्मात् पृथक् कर्तुं असमर्थः भवति। चौसरस्य पासानां शब्दं श्रुत्वा सः क्रीडायाः पृथक् कर्तुं असमर्थः भवति। तस्य भार्यायाः परित्यागः सुलभतया सम्भवति किन्तु सः द्यूतक्रीडाँ त्यक्तुं न शक्नोति। यदा द्यूतव्यसनं शाम्यति, सः पुनः सामान्यावस्थां प्राप्नोति तदा सः स्वस्य प्रियं पतिं, भक्ताँ पत्नीं च अकारणँ त्यक्त्वा अपारं पश्चातापं अनुभवति।

न मा मिमेथ न जिहिडे एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्।

अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुव्रतामप जायामरोधम्।[21]

द्यूतस्य कारणेन सः स्वस्य समीपस्थेषु स्वस्य अवहेलितं, नीचस्थानमनुभवति। श्वश्रूः माम् आलोचयति। भार्या तं गृहे प्रवेशँ न अनुमन्यते। यदा अहं आवश्यकतायां धनं याचयामि तदा कोऽपि न ददाति। जनाः मम आग्रहमवहेलयन्ति, द्यूताय धनं याचयामि इति मन्यन्ते। यथा वृद्धस्य अश्वस्य विपण्याँ मूल्यं नास्ति, तथैव ममापि दुर्व्यवहारात् मूल्यं नष्टम्।[22] द्यूते पराजितायाः कितवस्य पत्नी अन्येन विजयी द्यूतकर्तृणा बलात् सम्पर्कं कृत्वा कितवः स्वपत्न्याः अपमानस्य दृश्यं द्रष्टुम् अर्हति।

अस्मिन् स्तोत्रे द्यूतक्रीडकस्य कुटुम्बस्य दुर्गतिः, पतनं च मार्मिकरूपेण वर्णितम् अस्ति। धनविहीनः द्यूतकर्ता कुटुम्बजनैः उपेक्षितो भवति।स्वस्य आवश्यकताँ पूर्तये सः रात्रौ परगृहेषु चौर्यकर्म करोति।

भगवती श्रुतिः कथयति–

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व स्वित्।

ऋणावा बिभ्यद् धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति।।[23]

अन्ते एकस्मिन् दिने स्त्रियाः, तस्य परिवार–जनानाँ च दारिद्र्यं दृष्ट्वा द्यूतकर्तुः हृदयं अतीव शोकग्रस्तं भवति, अधुनाहं श्वः प्रातः आरभ्य पुरुषार्थं करिष्यामि इति निश्चयं करोति। नीतिमार्गं अनुसृत्य अहं कुटुम्बं मम जीवनं च समृद्धं करिष्यामि।

अस्मिन् सूक्ते मनुष्याय सद्जीवनं जीवितुं प्रेरणा दत्तास्ति। वस्तुतः द्यूत–चौर्यादिद्वारा धनिकत्वप्राप्तस्य इच्छा मनुष्यस्य आलस्यम् अकुशलं च करोति। **अनैतिकमार्गैः तस्य दुर्भाग्यं पतनं च भवति।**[24]

अत एव भगवती श्रुतिः कथयति–द्यूतं मा कुरु, कृषिं कुरु, आत्मनिर्भरो भव, स्वश्रमेण अर्जितं धनं, धान्यं च सर्वं मन्यताम्। तस्मात् सुखं सन्तुष्टिं चानुभवतु। प्रयत्नेन त्वं सर्वं साधयिष्यसि।

नैतिकाचारेण मनुष्यः स्वकामान् पूरयितुं शक्नोति इति वेदसमीक्षाद् ज्ञायते। अतः सद्वृत्त्या एव प्रगतिं कुर्यात्। मनुष्यः मनः नियमयेत्। मनः यथाकामं शरीरं नियन्त्रयितुं प्रयतते। शरीरस्य शिथिलत्वेऽपि मनसः तीव्रता न न्यूनीभवति। अतिबलवान् इति कारणेन मनः सहजतया वशी न भवति। मनसः उपयुक्ततायाः आधारेण मनुष्यस्य समग्रं कार्यं भवति। जगद्गुरुः भगवान् श्रीकृष्णः स्वयं इन्द्रियेषु मनः स्वस्य विभूतिं कथयति। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि अर्थात् इन्द्रियाणां मनः अहम् अस्मि इति। सामान्यविशेष–ज्ञानयोः पिता मनः। भगवती श्रुतिः कथयति–

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरङ्गमं ज्योतिषाँ ज्योतिरेकं तन्मेः मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।।[27]

समाजस्य सुव्यवस्थायाः कृते वेदज्ञानस्य प्रचारः प्रसारश्चावश्यकः अस्ति। वेदाः वदन्ति दृ समाजस्य सम्यक् संचालनाय परस्परं साहाय्यं आवश्यकम्। न कश्चित् धनं चिरं नित्यं तिष्ठति। यथा रथचक्रं

ऊर्ध्वं अधः च परिभ्रमति तथा धनमपि कदाचित् कस्यचित् सह तिष्ठति, कदाचित् अन्यस्य कृते गच्छति। अतः याचकाय धनं दातव्यम्। अन्नं धनं च उत्पादनं स्वार्थिनाँ व्यर्थम्। एतादृशेन उत्पादनेन उत्पादकं हन्ति। यः धनिकः न धर्मेषु व्यययति न च कुलजनेभ्यः शुभकर्मभ्यः च ददाति, यः आत्मनः पोषयति सः पापीयान् भवति। यथा–

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य।
नार्यमणँ पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवित केवलादी।।[29]

दाता दीर्घायुष्यं प्राप्य जरामृत्युशून्यं स्थानं गच्छति। दातृनाम न म्रियते। दाता न दरिद्रः। क्लेशदुःखदुःखैः न व्याकुलः भवति। संसारस्य परलोकस्य च सर्वाणि वस्तूनि तेषाँ सुलभानि भवन्ति। पुण्यवताँ प्रगतिः स्वयमेव भवति।[30]

ऋषयः मन्त्राणाँ द्रष्टा स्मर्तारश्च। ऋषयः मन्त्रान् दृष्टवन्तः, अत एव ऋषयः इति नाम्ना कथ्यन्ते। सर्वे ऋषयः मानवसौहृदाः सन्ति। अस्माकं बुद्धिः वेदज्ञानसमर्था भवेत् इति ऋषीणां तीक्ष्णा इच्छा वर्तते। वेदेषु निन्दकाः, दुर्बुद्धयः, कृपणाः, ब्राह्मणद्रोहिणः, मांसाहारिणः, हिंसकाः, अदायिनः, वञ्चकाः, मृषावादिनः, आलस्याः, धूर्ताः, आतङ्क–वादिनः[31], षड्यंत्रकाराः, अनाचाराः, दुष्टाः जनाः , ये वधबन्धनादीनि दुष्कृतानि कुर्वन्ति ते पापिनः, कुमार्गिणश्चोक्ताः वेदेषु। मन्त्रद्रष्टारो मुनयः ब्राह्मणद्वेषिणः मांसभक्षकान् च शत्रून् मन्यन्ते।[32] मनसा वचसा कर्मणा च चराचारस्य पूजनं, सेवनं , पूजनं च यज्ञः इत्युच्यते। यज्ञः संसारस्य उत्पत्तिस्थानं श्रेष्ठं कर्म च। वैदिकयज्ञद्वारा समाजस्य परस्परं लाभः, सुचारुकार्यं च भवति तथा च लौकिकी पारमार्थिकी च समृद्धिः भवति। यः यज्ञशून्यः स सत्यशून्यः।

आदर्शमानवतायाः कृते आवश्यकेषु गुणेषु बहवः महापुरुषाः वेदानुमोदितसत्यस्य, अहिंसायाः, ब्रह्मचर्यस्य च प्राधान्यं दत्तवन्तः। विलक्षणं तेजस्वी ब्रह्मचर्यं सर्वाधिकं धनम्। देवाः सत्यस्वभावाः सन्ति। अतः उपासकः पूर्णतया सत्यवादी भवेत्, असत्यं पोषयन्तः जनाः राक्षसाः एव।[33] अतः मनुष्यः सत्ये प्रतिबद्धः भवेत्। न तु षड्यंत्रकारी। यतो हि षड्यंत्रकर्तुः प्रमाणँ निष्प्रभावं भवति।[34] अस्य भारतीयसाक्ष्याधिनियमे 2023 मध्ये समावेशनस्य सङ्केतः दत्तः अस्ति। आदर्शमानवतायाः कृते सत्यवादीत्वमहिंसकत्वं च अत्यावश्यकम्। सत्यासत्ये च प्रतिस्पर्धिनौ स्तः। आदर्शमानवतायाः कृते गुणानाम् प्राधान्यं भवति। सत्यस्य, अहिंसायाः, ब्रह्मचर्यस्य च महत्त्वं वैदिककालसमाजे स्पष्टं कृतमस्ति। धर्मकर्मयोगज्ञानत्यागभक्त्यादीनि सर्वाणि सुकृतानि वेदेषु वर्णितानि सन्ति। सर्वं ज्ञानं विज्ञानं च वेदात् निष्पन्नम्। भविष्ये जायमानस्य ज्ञान–विज्ञानस्योत्सः वेदेषु अस्ति– भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिध यति।[35]

यस्मिन् काले रात्र्यनन्तरं ब्रह्ममुहूर्त्ते यदा सौम्यवृद्धिः जायते। तस्मिन् काले वेदस्वरेण ईश्वरस्य यज्ञं करिष्यन् वर्षाऋतोरागमनं पर्वरूपेण उत्सवरूपेण आचरितुं वेदे सन्देशः दत्तः। यथा–

ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितोः वन्दतः।
संवत्सरस्य तदहः परिष्ठ यन्मण्डूकाः प्रावृषीणँ बभूव।।[36]

वेदेषु पर्यावरणस्य रक्षणे बलं दत्तम् अस्ति। भगवती श्रुतिः वायोः, जलस्य,ध्वनेः, अन्नस्य, मृदः, वनस्य, धनस्य,, पशुपक्षिण इत्यादीनां संरक्षणस्य आदेशँ दत्तवती। आरोग्यरक्षणस्य दृष्ट्या वेदेषु शब्दप्रदूषणँ परिहरितुं परस्परं वार्तालापं कुर्वन् मन्दं मन्दं च वक्तुं सन्देशः दत्तोऽस्ति।

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।[37]

भ्राता–भ्राता, भगिनी–भगिनी च कश्चित् कुटुम्बस्य सदस्याः परस्परं न द्विषेयुः। कुलस्य सर्वे सदस्याः एकमतेन एकीकृताः सन्तः सज्जनाः सन्तः शान्तिपूर्वकं मधुरतया च परस्परं संवादं कुर्वन्तु। मम जिह्वातः मधुराणि वचनानि आगच्छन्तु। साम्प्रतिकन्यायव्यवस्थायां मातापितृणां परिपालनमपि

आवश्यकं कृतमस्ति।[38] ईश्वरं पूजयन् अन्तः करणे माधुर्यं भवेत्।मम कार्येषु माधुर्यं भवेत्, मम मनसि च माधुर्यं भवेत्–

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामुले मधूलकम्।
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि।[39]

वैदिकशास्त्रेषु वर्णितानि कानिचन तथ्यानि पारम्परिकन्यायव्यवस्थायाम् अपि द्रष्टुं शक्यन्ते।[40] लोकशासकाः वेदेभ्यः शिक्षाँ प्राप्नुयुः। शासकाः जनहिताय स्वसमयस्य योगदानं कुर्वन्तु। प्रशासकस्य मुख्यं कर्तव्यं जनानामनुरञ्जनं भवति। शासकः 'राजा' इति उच्यते स्म यतः सः जनान् सुखिनः तृप्तान् च धारयति स्म। यस्मिन् जने प्रजायाः रञ्जनस्य भावः नास्ति सः राजनेता न भवेत्।

भारतीयसंस्कृतिः तादृशानाम् आर्यपुरुषाणां चरित्रैः परिपूर्णा अस्ति, येषां शासनस्य पूर्णाधिकारः आसीत् किन्तु ते जनहितसेवायै स्वमयोग्यं मन्यमानाः राजपदं त्यक्तवन्तः। देवापि–शान्तनुसदृशानां महापुरुषाणाँ इतिहासः वेदेषु वैदिकसाहित्येषु च वर्णितः अस्ति। पितुः मृत्योरनन्तरं जनाः देवापिं राज्यं दत्तवन्तः परन्तु देवापिः तत् राज्यं न स्वीकृतवान्।

राज्येन छन्दयामासुः प्रजाः स्वर्गं गते गुरौ।[41]

महाराज्ञः ऋषिषेणस्य ज्येष्ठः पुत्रः देवापिः विनयेन जनान् अवदत्–

न राज्यमहमर्हामि नृपतिर्वोऽस्तु शान्तनुः।[42]

अहं शासनं कर्तुं योग्यः नास्मि इत्यर्थः। अतः अस्माकं अनुजं शान्तनुं सिंहासने अभिषेकं कुर्वन्तु। अन्ते अग्रजस्य अनुज्ञाँ प्रजानाँ च अनुज्ञाँ प्राप्य शान्तनुः राज्यस्य कार्यभारं स्वीकृत्य तत्क्षणमेव स्वप्रजानाँ हिताय कार्यं प्रारभत।

वेदे समन्वयेन जीवितुं निर्देशः दत्तः अस्ति। वयं सर्वे मिलित्वा जीवाम, परस्परं प्रेम्णा वार्तालापं करवाम। समचित्तः भूत्वा ज्ञानविज्ञानशिक्षाँ प्राप्नवाम। यथा आर्यजनाः ज्ञानं प्राप्य सर्वसम्मत्या ईश्वरं भजन्ति तथा समाजस्य प्रत्येकेन सदस्येन परस्परविरोधँ त्यक्त्वा सर्वसम्मत्या व्यवहारः करणीयः। यथा–

सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते।।[43]

सर्वेषां परिवारजनानां प्रार्थना अपि तथैव भवेत्। भेदभावं परित्यज्य एकत्र तिष्ठाम। अन्तःकरणं, मनः, चित्तमेवं विचाराः समानाः भवेयुः–

समानो मन्त्रः समितिरू समानी समानं मनः सह चित्रमेषाम्।
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।[44]

भारतीयन्यायस्य संहितायाम्, 2023, भारतीय नागरिक संरक्षणसंहितायाम्, 2023 एवं भारतीय साक्ष्याधिनियमे, 2023 वेदानां सार्वकालिकानां सार्वभौमिकसूक्तीनां समावेशः अवश्यमेव कार्यः। एतेन राजनैतिकन्यायव्यवस्थायामुन्नतिः भविष्यति तथा च दिभ्रमितः समाजः वैदिकनीतिभिः लाभं प्राप्स्यति तथा च वैदिकमार्गस्यानुसरणँ कृत्वा लाभः भविष्यति। साम्प्रतिकयुगे विश्वसमाजस्य आदर्शगुणाः न्यूनाः जाताः। सर्वत्र अव्यवस्था, अनाचारः, अत्याचारः, भ्रष्टाचारः इत्येतेषाँ वर्चस्वमस्ति। परस्परद्वेषः, विवादः, चौर्यम्, वधः, स्वार्थः च सीमां पारं कृतवन्तः। छात्रेषु गुरुणाँ प्रति अवज्ञा दुष्टता च स्वाभाविकी जाता। अस्य शोचनीयस्य अवमूलनस्य गतिः अवरुद्धा भवेत् तथा च अस्माभिः मानवजीवनस्य उद्देश्यं साधयितुं प्रयतितव्यं, मानवीयः इति उच्यमानस्य क्षमताम् अर्जयितुं च अस्माभिः प्रयतितव्यम्। एतदर्थं अनादि–निधना भगवत्याः श्रुतेः सुक्तमन्त्राणां, वैदिककथानां च पठनं चिन्तनं च करणीयम् इति आवश्यकम्। मम विश्वासः अस्ति यत् भारतीयाध्यात्मनः, धर्मस्य, एवं संस्कृतेराधारस्तम्भः, पवित्रकीर्त्तिभगवतः वेदनारायणस्य कृपया "वेदानाँ सार्वकालिकत्वं साम्प्रतिकन्यायव्यवस्थायामवदानचिञ्तनञ्च" इति शीर्षकमिदम् अनुसन्धानकार्यमनुसन्धातघ्णां, शोधकर्तघ्णाँ विद्यानुरागिणाँ कृते लाभकरमवश्यमेव भविष्यतीति।।।।शमस्तु।।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कृष्णयजुर्वेदः 8/8/48
2. मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् (आप परि. 31)
3. विष्णुपुराण 3/4/11
4. वायपुराणम्

5. श. ब्रा. 11/2/8/7
6. भारतीय न्याय संहिता, 2023, अध्याय–18, पृ. 126
7. महाभारतशान्तिपर्व 231/56
8. पतञ्जलिमहाभाष्यम्, प्रथमम् आह्निकम्
9. अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, निरूक्तम् 7/1/2
10. मनुस्मृतिः 12/97
11. सायणीयकृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायाः भाष्य–भूमिकायाँ मङ्गलपद्ये।
12. ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः (निरुक्तम्)
13. ऋग्वेदः 10ध्34ध्13
14. अथर्ववेदः 6ध्2
15. भारतीय न्याय संहिता, अध्याय–2
16. सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति।।
–मनुस्मृतिः 12/100
17. मुण्डक. 3/1ध्6
18. भारतीय न्याय संहिता, 2023, अध्याय–14 धारा 225, पृ. 105–106
19. तैत्तिरीयसंहिता 01/11/1
20. ऋग्वेदः 10/34
21. ऋग्वेद 10/34/2
22. ऋग्वेद 10/34/3
23. ऋग्वेदः 10/34/10
24. भारतीय दण्ड संहिता, धारा 13
25. ऋग्वेदः 10/34/13
26. श्रीमद्भगवद्गीता 10/22
27. शुक्लयजुर्वेदः 34/1
28. मनुस्मृतिः 2/11
29. ऋग्वेदः 10/117/6
30. ऋग्वेदः 10/107/8
31. The BhartiyaNyaySanhita] 2023, (Chapter vi, 113, Terrorist Act)
32. ऋग्वेदः 2/30/7
33. ऋग्वेदः 10/37/11
34. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भाग–2, अ. 2/8
35. मनुस्मृतिः 12/97
36. ऋग्वेदः 7/103/7
37. अथर्ववेदः 3/30/3
38. The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, (Chapter X, 144 Page 55)
39. अथर्ववेदः 1/34/2
40. The Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, Chap- X, 144 Page-55.
41. बृहद्देवता 7/157
42. बृहद्देवता 8/1
43. ऋग्वेदः 10/191/2
44. ऋग्वेदः 10/19/3

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 15th Oct. 2024
Paper Accepted : 25th Oct. 2024

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वाणिज्य विषय पर पड़ने वाले प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. स्वाती सिंह*

शोध-सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जो, भारत में बढ़ती अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए परिलक्षित है। नई शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा तंत्र में कुछ बुनियादी परिवर्तन किए जिससे आज हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल सैद्धांतिक न होकर, शिक्षा के व्यावहारिक पहलू को उजागर करती है, क्योंकि इसने स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा प्रणाली में उच्चतम गुणवत्ता, समानता और अखंडता जैसे तीन पहलुओं को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और प्रबंधन शिक्षा देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह निर्माण, सेवा उद्योग, अनुसंधान और विकास, बैकिंग आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 छात्रों के बीच व्यावहारिक प्रशिक्षण के अभाव को पूरा करने में सम्पर्क प्रतीत होती है, जो छात्रो की रचनात्मक क्षमता कौशल और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने में मदद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र वैश्विक नौकरी बाजार में अपने आपको प्रबल दावेदार के रूप में देखते हैं।

मुख्य शब्द–राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास।

प्रस्तावना (Introduction)

किसी देश के आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने के व्यापार और अन्य की पेचिदगियों का मूल्यांकन और विश्लेषण करने में समक्ष होने के लिए परिष्कृत व्यावहारिक ज्ञान वाले विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों व लेखाकारों की आवश्यकता होती है। यह विशेषज्ञता उनमें तभी आती है जब उनकी शिक्षा प्राप्त करने का ढंग केवल सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक भी होता हो। हम यह नहीं कह सकते कि केवल सैद्धांतिक अध्ययन से ही हम विश्व की चुनौतियों का सामना कर सकने में सक्षम होंगे अपितु इसके लिए हमें वैवहारिक अध्ययन को भी उतना ही महत्त्व देना होगा। भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत दबाव में है क्योंकि देश अभी भी विकसित हो रहा है और उसे नई कठिनाइयों से निपटना होगा। वर्तमान में भारत अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य के बदलावों का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में

* शोधार्थी

कुछ आधार भूत स्तंभ हैं, जो वाणिज्य शिक्षा, कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा शामिल है।

अध्ययन का उद्येश्य (AIM of study)

जैसा कि हम सबने देखा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था में मूल भूत परिवर्तन किए वह 5+3+3+4 प्रणाली हो या व्यावहारिक शिक्षा की बात हो, इस शोध पत्र के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में यह शिक्षा नीति हमारे कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए कुछ आधारभूत प्रश्नों को सुलझाने में मदद करती है तथा इसके वे कौन–कौन से पहलू है जो इसे पूर्व की शिक्षा नीति से पृथक बनाते हैं तथा भारत की एक बड़ी युवा आबादी को वैश्विक स्तर पर आने वाली की चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे तैयार करते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में सफलतापूर्वक शामिल करने का प्रयास किया है। जो विद्यार्थियों में कौशल विकास तथा उद्यमिता की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। पुरानी शिक्षा प्रणाली डिग्री तो देती थी लेकिन कौशल नहीं, नई शिक्षा नीति ने साक्षरता को बढ़ावा देने के बजाए कार्यबल के कौशल और क्षमताओं को विकसित करने पर अपना जोर दिया है। भारत की आबादी आज विश्व में सर्वाधिक है। जिसमें युवा आबादी का प्रतिशत 18 है। इस युवा अबादी को हम अपनी अनमोल संपदा जिसे हम कॉमर्स में मानव संसाधन कहते हैं, को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे न केवल हम अपने देश अपितु विश्व के अन्य देशों की जरूरतों को ही पूरा कर सकें। वाणिज्यिक शिक्षा में लागू कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेखांकन और वित्त, बैकिंग और वित्त, लेखांकन और कराधन, बीमांकित विज्ञान, व्यवसाय प्रशासन, ई–कॉमर्स वित्तीय लेखांकन।

कौशल विकास और अर्थव्यवस्था में भागीदारी (Skill development and participation in the economy)

कौशल विकास का उद्देश्य मुख्यतः नई योग्यताएँ सीखना तथा मौजूद योग्यताओं को बेहतर करना है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को बेहतर अजीविका हासिल करने में मदद करना होता है। कौशल विकास के अंतर्गत हम निम्न को समझ सकते हैं–तकनीकी कौशल जैसे–प्रोग्रामिंग डेटा विश्लेषण या ग्राफिक डिजाइन, सॉफ्ट स्किल जैसे–संचार, नेतृत्व और समस्या समाधान स्किल इंडिया भारत सरकार की एक पहल राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन है।

प्रधानमंत्री मंत्री कौशल विकास के लिए प्रभावी तरीकों में औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ सेमिनार, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, सलाह व कोचिंग क्लासेज, नौकरी व प्रोफेशन, क्रॉस फंक्शनल, एसाइनमेंट और स्वअध्ययन और शोध के माध्यम से निरंतर सीखना शामिल है, इन सभी विधा द्वारा व्यक्तियों को नए कौशल और ज्ञान को प्राप्त करने तथा मौजूदा कौशल ज्ञान को बढ़ाने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की बेरोजगारी–रोजगार के अंतराल को दूर करने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए यह बताता है कि कैसे भारत शिक्षा, रोजगार और कौशल के पर्याप्त पहलुओं में निवेश कर अपने को एक सक्षम राष्ट्र के रूप में विकसित कर सकेगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत अपनी आर्थिक यात्रा के महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ विकास की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। लेकिन उसे बेरोजगारी व रोजगार के बीच के अंतराल को दूर करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का भारत का स्वप्न तेजी से विकसित हो रहे रोजगार बाजार की माँगों को पूरा करने के लिए अपने युवाओं को प्रभावी ढंग से, प्रभावी कौशल प्रदान करने पर टिका है। हाल ही में पेश

किए गए केन्द्रीय बजट 2024–25 में इस प्राथमिकता को उजागर किया। जहाँ शिक्षा रोजगार और कौशल पहलों के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है हालाँकि अभी आगे और भी चुनौती मौजूद है जहाँ 15–59 आयु वर्ष के लगभग 73 प्रतिशत कामगारों के पास कोई औपचारिक या अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है। भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। इस संस्थागत समर्थन को सुदृढ़ करना, उद्योग अकादमिक जगत के संबंधों को मजबूत करना और इम्पैक्ट बाण्ड जैसे अभिनव विश्लेषण समाधानों का लाभ उठाना शामिल है।

कौशल विकास में भारत में अपने इंडिया एआई मिशन के काफी सराहनीय शुरुआत हैं, अतः उपरोक्त वर्णनात्मक शोध पत्र से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने वाणिज्यि विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिनसे छात्रों का व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा समेकित विकास संभव है। जो उनको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सशक्त बनाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद प्रदान करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. www.skillsip.nsdcindia.org, www.education.gov.in
2. समाचार, संपादकीय, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका, नई दुनिया
3. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर एवं रोगार
4. www.dgct.nic.in/content
5. www.nsdcindia.org
6. http://ndda.gov.in/contentpage/contentindex.page.html
7. labour.ni.in
8. www.skilldevelopment.gov.in
9. www.pmkvyofficial.org
10. www.hunarbaaz.com

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 10th Dec. 2024
Paper Accepted : 20th Dec. 2024

Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression : A Preventive and Remedial Framework

❑ Kumari, Sarvesh*
❑ Dr. Suneel Chaudhary**

ABSTRACT

Depression is a common and complex disorder that affects many people around the world. It is caused by many factors, such as genes, brain chemistry, personality, and life circumstances. Although there have been some improvements in how we can diagnose, treat, and study depression, there is still much that depression can look different for different people, and many people do not get better with the usual treatments. This shows that we need to do more research that is more specific, personalized, and combined. The present study investigated the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment.The sample of the study consisted of 120 patients (60 males, 60 female patients) from different hospitals of the Rohilkhand region.The sample was drawn by purposive sampling. The Depression was measured by using by BDI II, developed and standardized by Beck, Steer, and Brown. (1996). For the Mindfulness-based cognitive intervention on depression, MBCT, developed bySegal,Williams, and Teasdale, was used. The experimental group was exposed to a high-intensity MBCT workout regimen for 8 weeks, while the control group was not exposed to any workout regimen for the same duration. Results indicated the pre-treatment patients had significantly higher scores on depression than Post depressive patients, as the difference between the two groups was found statistically significant. No significant difference was found in post-intervention through MBCT on moderate depressive male and female patients who are on pharmacological treatment, which indicates that moderate depressive male and female patients who are on pharmacological treatment benefited equally from MBCT. Significant differences were found between the experimental group and the control group of patients. The experimental group patients had less depression than the control group patients. The results showed that MBCT is effective as a mindfulness based cognitive intervention for moderate depressive patients receiving pharmacological treatment.

Keywords– *Depression, Mindfulness, MBCT, Awareness,Gender.*

* Research Scholar, Deptt. of Psychology, K.G.K.(P.G.) College, Moradabad, M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly. (U.P.) India. Email ID: sarveshpsy@gmail.com. Mob. No. 8923148989.
** Professor & Principal, K.G.K. (P.G.) College, Moradabad, (U.P.), India.

INTRODUCTION

Depression is a major global health concern, with a rising prevalence projected for 2025 (World Health Organization, 2023). Depression remains a leading cause of disability worldwide, with the World Health Organization (WHO) predicting a significant rise in its prevalence by 2025. The psychosocial and economic impacts of untreated or poorly managed depression continue to challenge global health systems. Despite the availability of pharmacological and traditional psychotherapeutic treatments, relapse rates and treatment resistance remain high. In this context, Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) has emerged as a promising, evidence-based intervention. Combining cognitive behavioral approaches with mindfulness practices, MBCT targets both acute symptoms and the underlying cognitive patterns contributing to depressive relapse. Given the escalating burden of depression and the limitations of conventional treatment, there is a pressing need for focused research into integrative approaches such as MBCT that prioritize relapse prevention, emotional regulation, and patient empowerment.MBCT has shown significant efficacy in reducing relapse among individuals with recurrent depression (Segal et al., 2018; Kuyken et al., 2016).According to the *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision* (DSM-5-TR), Major Depressive Disorder (MDD) is diagnosed when five (or more) of the following symptoms have been present during the same two-week period, and represent a change from previous functioning. At least one of the symptoms must be either:

- (1) Depressed mood, or
- (2) Loss of interest or pleasure.

Diagnostic Criteria

(1) Depressed mood most of the day, nearly every day

(2) Markedly diminished interest or pleasure in most activities

(3) Significant weight loss or weight gain, or appetite disturbance

(4) Insomnia or hypersomnia

(5) Psychomotor agitation or retardation

(6) Fatigue or loss of energy

(7) Feelings of worthlessness or excessive guilt

(8) Diminished ability to think or concentrate

(9) Recurrent thoughts of death, suicidal ideation, or suicide attempt

These symptoms must cause clinically significant distress or impairment in one or more areas of social, occupational, or other important functioning. The episode must not be attributable to the physiological effects of a substance or another medical condition, and there must be no history of manic or hypomanic episodes. According to the International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11) by the World Health Organization, a depressive episode is characterized by a period of at least two weeks during which the individual experiences a depressed mood or loss of interest or pleasure in most activities, accompanied by additional symptoms such as :

- Decreased energy or fatigue
- Reduced concentration and attention
- Feelings of worthlessness or excessive guilt
- Hopelessness about the future
- Disturbed sleep or appetite
- Suicidal ideation or behavior

The episode must result in clinically significant distress or impairment in one or more of the following areas: personal, family, social, educational, occupational, or other important areas of functioning.

Depressive episodes are classified as mild, moderate, or severe, based on the number and intensity of symptoms and the degree of functional impairment. Early research in 2000 and 2004 by Teasdale et al found that for patients with three or more previous episodes of major depression, MBCT significantly decreased the risk of relapse. This effect was not found for participants who had fewer depressive episodes.

Moderating variables, including demographics, severity of depression, and depression recurrence, and found that gender was a significant moderator, such that female participants fared better on a depression inventory at 15-month follow-up compared to males. Finally, as noted earlier, evaluated that MBCT was found to be more effective than an ACC for those who had experienced childhood trauma, but not the rest of the sample; therefore, the presence of a history of childhood trauma or other variables causing increased vulnerability may moderate outcome (Kuyken et al,.2010). There is empirical evidence supporting the effectiveness of the Williams and Penman (2011) workbook in a sample of students experiencing low mood, stress, or anxiety. There are also internet-based approaches, including Mood Balance, for which there is data supporting efficacy in the reduction of depressive symptoms. Data supporting the use of web-based and other self-help methods are promising for more widespread access to MBCT (Williams and Penman, 2011).

Ames et al. (2013) found that the semi-structured interviews with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) generated 6 themes, with two superordinate themes. These were conducted with all young people who completed the course. This study has indicated that MBCT with adolescents, targeted at symptoms of low mood, is feasible. The retention rate is reasonable, and attendance rates were good. Ames et al. (2013) indicate that MBCT was acceptable to this group in the qualitative assessment. Participants described how mindfulness had benefited them through increasing their awareness and facilitating distance from thoughts and strong emotions. Participants found the 3-minute breathing space helpful, requested having a longer course, and support in continuing their practice. However, they also indicated difficulties with home practice and longer formal meditations (Ames et al. (2013). They concluded that the study was the practice of MBCT is helpful to these symptoms, as it combines cognitive therapy with rigorous training in meditation (Onraedt and Koster, 2014; Wagner et al., 2015). Compared to the depressed subgroup, the remitted subgroup had significantly lower baseline levels of depressive symptoms and significantly higher levels of mindfulness skills and quality of life, both physical and psychological. The remitted and rumination, and quality of life in terms of social relationships. Overall, there were no significant differences between the remitted and depressed subgroups in the course of depressive symptoms, rumination, mindfulness skills, and quality of life of physical, psychological, and social relationships (Joel et al., 2015).

MBCT in real-world settings is acceptable and effective. However, it is important to reflect on the fact that MBCT was first designed as a relapse prevention treatment for individuals at high risk of depressive relapse to learn skills while well. This approach recognizes that depression is typically a lifelong, recurrent disorder, and MBCT can add benefit after other treatments designed more specifically to address acute symptoms. In line with an agenda to increase patient choice, it provides an alternative approach for people wishing to improve their depression. This work would be enriched by broadening outcomes beyond symptomatology and disorder status to include functional status, quality of life, and living well with depression (Alice et al., 2020). The data from a large randomized trial of people with treatment-resistant depression that was MBCT compared to an active control incorporating movement, music therapy, and nutritional advice. "It was said people with active depression couldn't find that at all. They practiced it pretty actively. They're often interested in getting treatment other more medication, too. Mindfulness may give them a greater sense of self-efficacy (Stacylu et. al, 2015)". Given the rising prevalence and complexity of depression, particularly in the modern context of 2025, research has increasingly focused on integrative treatment approaches such as Mindfulness-Based

Cognitive Therapy (MBCT). Developed as a relapse-prevention program for individuals with recurrent depression, MBCT merges principles of cognitive behavioral therapy with mindfulness practices derived from Buddhist traditions (Segal, Williams, & Teasdale, 2018). Current studies highlight MBCT's efficacy in not only reducing depressive symptoms but also enhancing emotional regulation, metacognitive awareness, and resilience to stress. With growing evidence from neuroscience and clinical trials, MBCT is now recognized as a promising, non-pharmacological intervention that supports long-term recovery by helping individuals develop a present-focused, non-judgmental attitude toward their thoughts and emotions (Kuyken et al., 2016). As such, MBCT offers a personalized and preventative approach aligned with the evolving understanding of depression as a multifactorial disorder.

MINDFULNESS-BASED COGNITIVE THERAPY (MBCT)

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), though a contemporary psychological intervention, is deeply rooted in Buddhist philosophy and meditation practices, particularly from the Theravâda and Mahâyâna traditions. It draws from core Eastern concepts such as non-attachment, heightened self-awareness, and the Pâli term 'sati', which reflects a mindful presence and a capacity for reflective remembering (Brown & Ryan, 2003). This establishes mindfulness as a continuation of Buddhist contemplative traditions. In Western psychology, Jon Kabat-Zinn played a pivotal role in adapting these principles through Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), defining mindfulness as 'the awareness that emerges through paying attention on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally to the unfolding of experience moment by moment' (Kabat-Zinn, 2003, p. 145). Although secularized, MBCTretains its philosophical origins and has become widely adopted in psychiatry and clinical psychology for enhancing mental health.

Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) is a type of psychotherapy that involves a combination of cognitive behavioral therapy CBT), meditation, and cultivation of a present-oriented, non-judgmental attitude called "Mindfulness. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)was developed by therapists Zindel Segal, Mark Williams, and John Teasdale, who sought to build upon cognitive therapy. Mindfulness-Based Stress Reduction program at the University of Massachusetts Medical Center, which was developed to help people suffering from physical pain and long-term medical conditions. It includes meditation techniques to help participants become more aware of their experience in the present moment by tuning in to moment-to-moment changes in the mind and the body. MBCT uses methods in collaboration with Eastern psychological strategies such as mindfulness and mindfulness meditation.It includes meditation techniques to help participants become more aware of their experience in the present moment by tuning in to moment-to-moment changes in the mind and the body. MBCT uses methods in collaboration with Eastern psychological strategies such as mindfulness and mindfulness meditation. The MBCT program emphasizes the 'being' mode and the 'doing' mode, as this mode is believed to promote lasting emotional change for individuals experiencing recurrent depressive episodes.

What is mindfulness?

Mindfulness is the practice of paying intentional, nonjudgmental attention in the present moment with both your body and your mind. Rooted in Eastern religions, such as Buddhism and Hinduism, mindfulness was introduced to a Western, secular audience in the 1970s by Jon Kabat-Zinn, the creator of MBSR. The principles of mindfulness include non-judgment, patience, open-mindedness, trust, non-striving, acceptance, and letting go. MBCT incorporates these principles into CBT to create an integrated approach that is particularly effective for people struggling with depression.

Aims of MBCT

To cultivate mindfulness, encourage patients to both become acquainted with depressive modes of thinking and feeling while at once developing a new (and less reactive) relationship with these experiences. This process involves meeting destressing internal experience (i.e., thoughts, feelings) with patience, kindness, curiosity, and empathy. MBCT was originally designed to prevent relapse for patients in remission from depression, with an emphasis on early signs of relapse through enhanced decentring. More recent work has investigated MBCT for reducing residual depressive symptoms and comorbid anxiety.

OBJECTIVES

The present study was aimed at the followingobjectives :

(1) To find out the difference in pre and post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment.

(2) To find out the difference after post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on male and female moderate depressive patients who are on pharmacological treatment.

(3) To find out the difference after post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment and moderate depressive patients who are only on pharmacological treatment without therapeutic intervention.

HYPOTHESES

The following hypotheses were formed accordingly to the objectives.

(1) There will be significant difference in pre and post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy in moderate depressive patients who are on pharmacological treatment.

(2) There will be significant difference in post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on male and female moderate depressive patients who areon pharmacological treatment.

(3) There will be significant difference after post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment and moderate depressive patients who are only on pharmacological treatment without therapeutic intervention.

Inclusion Criteria

Inclusion criteria are:

(I) Aged 18 to 50 years
(II) Prepare to provide contact details of their general psychiatrist.
(III) Resident of the Rohilkhand region
(IV) A score between moderate depression, 17 -30 for BDI-II (Beck Depression Inventory), 21 items.
(V) Meet criteria on the ICD-11 and DSM-5 TR criteria for Mood Depressive Disorder on a structured diagnostic interview
(VI) Have experienced 3 or more episodes of depression.
(VII) Ready to sign the informed consent form
(VIII) Moderate depression.

VARIABLES

1. Independent Variable– Mindfulness-Based Cognitive Therapy

2. Dependent Variable– Depression

METHOD

The field experiment was conducted in various cities of the Rohilkhand region.The sample of the present study consists of 120 depressive patients (60 males and 60 females) aged 18-50 years. The subjects were selected through purposive sampling based on their BDI-II scores from the District Hospital Bareilly, Badaun, and the mental hospital Bareilly.The sample was divided into two broad groups: first, 120 depressive patients (60 males and 60 females) who were on Pharmaceutical intervention. The Patients were screened for demographic information and depressive symptoms as assessed on the BDI-II inventory. The sample was divided into 60 female and 60 male moderate depressive patients based on the score of the BDI-II. After a brief interview for

MDD and risk assessment modules to confirm whether the patient meets ICD-11 criteria for MDD. A control groups was also formed with 60 depressive patients (30 males and 30 females) who were on Pharmaceutical intervention and without therapeutic intervention.The experimental group was exposed to a high-intensity MBCT workout regimen for 8 weeks, while the control group did not exposed to any workout regimen for the same duration.

TOOLS

(1) Beck's Depression Inventory-II (BDI)– This inventory was developed and standardized by Aron T.Beck, Robert A.steer, and Gregory K.Brown (1996). Age range: 13 through 80 years.

(2) Mindfulness Based-Cognitive Therapy– APreliminary Client Handout for MBCT Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression: A new Approach to Preventing Relapse, developed by Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, and John D. Teasdale in 2002, (First edition). It has 8 sessions, including Moment-to-moment Awareness, Body Scanning, 3-minute Breathing Space, and a Homework Record.

RESULT AND DISCUSSION

The main purpose of the present study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment. The first objective of the present study was toto find out the difference in pre and post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment. The data was analysed with the help of t-test, and the results are given in Table-1.

Table 1. Mean S.D. and t value between pre and post-intervention through MBCT on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment

Groups	N	Mean	SD	t-value
Pre MBCT	60	24.08	2.48	23.61**
Post MBCT	60	7.38	4.94	

***Significant at 0.01 level of confidence*

It appeared from the results shown in Table -1 that there is a significant difference in pre- and post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment. The mean of the depression scores was 24.08and 7.38, respectively, for pre and post-intervention groups. The results indicate a substantial difference in the level of depression between the pre- treatment and post treatment MBCT groups, as the variation between the two groups was found statistically significant ($t=23.61$, $p<0.01$).Hence, the hypothesis presuming a significant difference in the pre and post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment was accepted. It may therefore be said thatlevel of depression from pre-MBCT was found to have significantly different as compared to level of depression from post-treatment of MBCT. This implies that the depression of the post-treatment group of patients is reduced compared to the pretreatment group of MBCT.

The findings from this research are found to be consistent with the findings of earlier studies. According to Nikapitiye et al.(2025) MBCT,when implemented with pharmacological treatment, demonstrates significant efficacy in alleviating depressive symptoms, reducing thought rumination, regulating emotions, and enhancing mindfulness. Further, MBCT reduces relapse rates in patients with depression (Nikapitiye et al., 2025). MBCT was effective at helping participants deal with their anxiety and depressive feelings before, during, and after stressful circumstances. In addition, the reduction in negative automatic thoughts and dysfunctional attitudes in those who received MBCT was significant (Hossein et al., 2011).

Table 2. Mean S.D. andt–value after post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on male and female moderate depressive patients who areon pharmacological treatment

Groups	N	Mean	SD	t-value
Post-intervention MBCT Male	30	6.40	3.63	1.28 (Not signi-ficant)
Post-intervention MBCT Female	30	8.37	5.87	

The second objective of this present research study was to find out the difference after post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on male and female moderate depressive patients who are on pharmacological treatment.The data was analysed with the help of t-test, and the results are given in Table- 2.It appeared from the results shown in Table- 2 that there is nosignificant difference after post-intervention through MBCT on moderate depressive male and female patients who are on pharmacological treatment. Thus, the hypothesis presuming a significant difference after post-intervention through MBCT on moderate depressive male and female patients who are on pharmacological treatment is rejected. It may therefore be said that moderate depressive male and female patients who are on pharmacological treatment benefited equally from MBCT.

Table 3. Mean S.D. and t-value after post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment and moderate depressive patients who are only on pharmacological treatment without therapeutic intervention

Groups	N	Mean	SD	t-value
Patients after Post-intervention of MBCT	60	7.38	4.94	9.54**
Control group patients without MBCT intervention	60	20.75	9.35	

***Significant at 0.01 level*

The third objective of this present research study was to find out the difference after post-intervention through mindfulness-based cognitive therapy on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment and moderate depressive patients who are only on pharmacological treatment without therapeutic intervention.With the help of t test, the data was analyzed and the results are shown in table no.-3. It appeared from the results shown in table number-3, that there issignificant difference after post intervention through MBCT on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment and in moderate depressive patients who are only on pharmacological treatment without therapeutic intervention. The mean depression score after post-treatment assessment of MBCT scores in moderate depressive patients was 7.38, andcontrol group patients without MBCT intervention depression scorewas 20.75, respectively. The results indicate that after post-intervention of MBCT, depression score are significantly different inmoderate depressive patients who are on pharmacological treatment and in moderate depressive patients who are only on pharmacological treatment without therapeutic intervention, as this variation between the two groups was found statically significant ($t=-9.54 p<0.01$). Hence, the hypothesis presuming a significant difference after post-intervention through MBCT on moderate depressive patients who are on pharmacological treatment and moderate depressive patients who are only on pharmacological treatment without therapeutic intervention was accepted. It may therefore be said that, post-intervention of MBCT in moderate depressive patients who are on pharmacological treatment were found to have significantly different outcomes as compared to post-control on moderate depressive patients who are only on pharmacological treatment without therapeutic intervention, which implies that the depression score decreasedafter post-treatment intervention of MBCT.

Findings from this study are found to be consistent with the findings of earlier studies. Kirschner et al. (202) reported that MBCT was accompanied by significant reductions in symptoms of depression and dispositional self-compassion and self-criticism, whereas no such changes were observed in the control group.Prajeeth (2019) showed that MBCT is an effective strategy for alleviating depression, cognitive distortion, and enhancing psychological well-being among obese adults.

Delimitations of the Study

This study delimits its focus to the application of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) in individuals diagnosed with Major Depressive Disorder (MDD), specifically those with a history of recurrent depressive episodes who are currently in remission or experiencing mild symptoms. The intervention is explored within the context of relapse prevention, not acute symptom management. MBCT is examined primarily in its standard group-based format, typically delivered over eight weekly sessions by trained facilitators with expertise in both mindfulness practices and cognitive behavioral techniques. The study excludes individuals with severe depressive symptoms requiring immediate intervention, as well as those with comorbid psychiatric conditions such as bipolar disorder, schizophrenia, or active substance dependence. Pharmacological treatments are acknowledged but not evaluated as part of this study. Likewise, the study does not explore individually adapted or self-guided MBCT protocols. The temporal focus is limited to short- and medium-term outcomes (up to 12 months post-intervention), rather than long-term or life-course impacts. Further the study is confined to the Rohilkhand Region only. The study is limited to adult patients (18-50 years old).The study is limited to only 120 patients.This study is limited only to MBCT.This study is limited only with the study of depression. The study is limited only to standard MBCT sessions.The study is limited to moderate depressive symptoms.

Future Recommendations

Research on Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) in the context of depression should adopt more methodologically rigorous designs to address existing limitations and enhance clinical relevance. Increasing sample heterogeneity is essential to improve the ecological validity and generalizability of findings across diverse cultural and demographic populations (Kuyken et al., 2016). Standardization of intervention fidelity—ensuring consistent delivery, therapist competency, and participant compliance—is necessary to reduce variability in treatment outcomes. Moreover, the integration of objective biomarkers, such as neuroimaging, cortisol levels, or heart rate variability, alongside traditional psychometric assessments, can offer a more robust understanding of MBCT's neurophysiological mechanisms (Van Dam et al., 2018). Longitudinal studies are also required to examine the sustainability of treatment effects, particularly concerning relapse prevention and functional outcomes. As the field advances toward personalized psychiatry, the digitalization of MBCT—through mobile applications, virtual platforms, and real-time biofeedback—holds promise for enhancing accessibility, adherence, and scalability in mental health care delivery. These strategic directions will be pivotal in refining MBCT's clinical utility and integrating it into comprehensive, data-driven, and patient-centered treatment frameworks.

Although there are limitations to this study, the results suggest that the mindfulness-based cognitive therapy is effective as a mindfulness based cognitive intervention for moderate depressive patients receiving pharmacological treatment.

REFERENCES

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.
- Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its

role in psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology, 84*(4), 822–848. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822

- Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, *23*(1), 56–62. https://doi.org/10.1136/jnnp.23.1.56
- Hans Kirschner, Willem Kuymen&Anke Karl. (1 March 2022). A Biobehavioural Approach to Understand How Mindfulness-Based Cognitive Therapy Reduces Dispositional Negative Self-Bias in Recurrent Depression. Voume 13, pages 928-941, (2022).
- Hossein Kavian, ForoozanJavaheri, and Neda Hatami. (2011, 11, 2, pp 285-296. Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) Reduces Depression and Anxiety Induced by Real Stressful settings in Non-clinical populations. International Journal of psychology and psychological therapy.
- Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. *Clinical Psychology: Science and Practice, 10*(2), 144–156. https://doi.org/10.1093/clipsy/bpg016
- Kuyken, W., Warren, F. C., Taylor, R. S., Whalley, B., Crane, C., Bondolfi, G., Hayes, R., Huijbers, M., Ma, H., Schweizer, S., Segal, Z., Speckens, A., Van Heeringen, C., Williams, J. M. G., & Piet, J. (2016). Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in prevention of depressive relapse: An individual patient data meta-analysis from randomized trials. *JAMA Psychiatry, 73*(6), 565–574. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.0076
- NikapitiyeNandarathana, Jay Kumar Ranjan, Madhubanti Sinha. (Volume 21, July 2025, 100929), The efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in regulating cognition and emotion of patients with depression: A systematic review of randomized controlled trials. Journal of Affective Disorders Reports. https://doi.org/10.1016/j.jadr.2025.100929.
- Prajeeth, P. Dhanalakshmi, D. (2019). Mindfulness-based Cognitive therapy to alleviate depression, cognitive distortion, and enhance in adults. http: hdl.handle.net/10603/373441.
- Segal, Z. V., Teasdale, J. D., Williams, J. M. G., &Gemar, M. (2002). The mindfulness-based cognitive therapy adherence scale: Inter-rater reliability, adherence to protocol, and treatment distinctiveness. *Clinical Psychology & Psychotherapy, 9*(2), 131–138. https://doi.org/10.1002/cpp.320
- Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2018). *Mindfulness-based cognitive therapy for depression* (2nd ed.). Guilford Press.
- Strauss, C., Cavanagh, K., Oliver, A., & Pettman, D. (2014). Mindfulness-based interventions for people diagnosed with a current episode of an anxiety or depressive disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials. *PLoS ONE, 9*(4), e96110. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096110
- Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M. G., Ridgeway, V. A., Soulsby, J. M., & Lau, M. A. (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68*(4), 615–623. https://doi.org/10.1037/0022-006X.68.4.615
- Van Dam, N. T., van Vugt, M. K., Vago, D. R., Schmalzl, L., Saron, C. D., Olendzki, A., Meissner, T., Lazar, S. W., Kerr, C. E., Gorchov, J., Fox, K. C. R., Field, B. A., Britton, W. B., Brefczynski-Lewis, J. A., & Meyer, D. E. (2018). Mind the hype: A critical evaluation and prescriptive agenda for research on mindfulness and meditation. *Perspectives on Psychological Science, 13*(1), 36–61. https://doi.org/10.1177/1745691617709589
- World Health Organization. (2019). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics* (11th rev.). https://icd.who.int/
- World Health Organization. (2023). *Depression: Key facts*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression